ग्रामीण व नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारो के प्रति संचेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(उ०प्र० के बांदा जनपद की ग्रामीण व नगरीय महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
पी०एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत
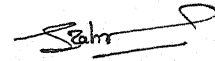
निर्देशक
डॉ० सबीहा रहमानी
प्रवक्ता—समाजशास्त्र
राजकीय महिला स्ना०महा०, बाँदा

शोध छात्रा—
रचना गुप्ता
एम०ए०समाजशास्त्र

शोध केन्द्र- पं0जे0एन0पी0जी0कालेज, बाँदा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रचना गुप्ता द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ''ग्रामीण व नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का समाज शास्त्रीय अध्ययन'' मेरे निर्देशन में बु०वि०/एके०/शोध/2002/889–91 दिनाँक 15–2–2002 के द्वारा समाजशास्त्र विषय में वे शोध कार्य के लिये पंजीकृत हुईं। इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डीनेन्स की धारा 7 द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया तथा इस अवधि में इस शोध केन्द्र में उपस्थित रहीं। यह इनकी मौलिक कृति रही है। इन्होंने इस शोध के सभी चरणों में अत्यन्त सन्तोषजनक रूप से परिश्रमपूर्वक सम्पन्न किया मैं इस शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करने की संस्तुति करती हूँ।

डा० सबीहा रहमानी

घोषणा-पत्र

मैं रचना गुप्ता घोषणा करती हूँ कि समाजशास्त्र के अन्तर्गत ''ग्रामीण व नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना'' का समाजशास्त्रीय अध्ययन 'डॉ0 ऑफ फिलासफी' (पी0एच0डी0) उपाधि हेतु प्रस्तुत, यह शोध प्रबन्ध मेरी स्वयं की मौलिक रचना है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अन्य के द्वारा कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपना यह शोध कार्य मैंने अपनी सुयोग्य निर्देशक डॉ0 सबीहा रहमानी, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा, के पथ प्रदर्शन में किया।

Rachna Gupta

रचना गुप्ता

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बाँदा जनपद के ग्रामीण व नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों की विवेचना, परीक्षण तथा सार्थक परिणामों की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। अपने शोध प्रबन्ध की निर्देशक डॉ0 सबीहा रहमानी के विषय प्रवर्तन पर ही मुझे अपने ग्रामीण ननिहाल तथा पितृगृह के परिवेश की उन महिलाओं का सहज स्मरण हुआ, जो अनेकानेक सामाजिक संघर्षों, उपेक्षाओं एवं कठिनाईयों से गुजरती हुईं मेरे मानस पटल पर अवस्थित थीं। विषय प्रतिपादन होते ही मस्तिष्क पर संजोयी अनेक गहन अनुभूतियाँ सजीव एवं साकार होने लगीं और अन्तःकरण में तीव्र उत्कण्ठा ग्रामीण अंचलों की महिलाओं के अधिकार के प्रति अबोधता तथा शहरी महिलाओं की चैतन्यता में छिपी अधिकारों के प्रति तड़प प्रकट होने लगी। जिससे इस शोध प्रबन्ध के सर्वेक्षण एवं अध्ययन पक्ष में मेरी स्वाभाविक गहन अभिरुचि पूरी संवेदना एवं सजगता के साथ निरन्तर बनी रही है। यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे प्रतिपल मार्गदर्शन देने वाली डॉ0 सबीहा जी अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की आन्तरिक स्थिति से गहराई से जुड़ी हैं और उनके दिग्दर्शन का समग्र महिला समाज को समझने में मुझे अत्यधिक लाभ मिला। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

शोध प्रबन्ध के गूढ़ तथ्यों की सहज विवेचना करके गहनता से विषय–वस्तु को परिणाम परक ध्येय तक ले जाने में मेरे छात्र जीवन के आदर्श गुरु डॉ0 जे0पी0 नाग की छत्र–छाया मुझे मिली, जिसे मैं आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करती हूँ। छात्रा के रूप में उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करती हूँ। इसी क्रम में वरिष्ठ प्रवक्ता शिवशरण गुप्ता जी ने मेरे मनोबल को बढ़ाने में विशेष सहयोग दिया जिनके प्रति मैं आजीवन कृतज्ञ रहूँगी। इस शोध प्रबन्ध का क्षेत्र व्यापक होने

के कारण ग्राम पंचायत नगरपालिका परिषद जिला सूचना अधिकारी कार्यालय एवं जिला संख्याधिकारी के सर्वेक्षण एवं परिणामों, समंकों एवं विश्लेषणों का सम्यक् लाभ उक्त क्षेत्रों से मुझे मिला तथा मेरी सहजता एवं उत्सुकता के कारण ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में प्रेम के साथ स्वाभाविक उत्तर मेरी साक्षात्कार अनुसूची का देकर इस शोध को प्रमाणिक व तथ्यपरक बनाने में मेरी भरपूर सहायता की है। मैं अपने उन उत्तरदाता, माताओं–बहिनों तथा विभिन्न स्तरीय पंचायत अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

इस शोध प्रबन्ध का सातत्य एवं सुगठित नियोजन बनाये रखने में मेरे परमादरणीय पिता श्री रामपाल गुप्ता एवं श्रद्धेय माता श्रीमती आशा गुप्ता का जिनके अनवरत प्रोत्साहन एवं सहयोग से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूर्ण कर पायी, जिनका आभार मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। साथ ही मैं अपने ताउ श्री रामनारायण गुप्ता की विशेष आभारी हूँ यह कृती उनके आशीर्वाद का प्रतिफल है।

मैं डी0ए0वी0 इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य श्री बाबूलाल गुप्ता (नाना जी) की आभारी हूँ, जिन्होंने महत्वपूर्ण विचारों व सुझावों से मेरा पथ–प्रदर्शन किया। मैं अपनी आदरणीय दीदी अर्चना गुप्ता एवं जीजा जी श्री गोपालदास गुप्ता (पी0पी0ओ0) का हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने अपने व्यस्ततम समय में मुझे सलाह एवं सहयोग दिया। अपनी छोटी दीदी कुमारी प्रतिमा गुप्ता (पी0सी0एस0) मेरी निराशाओं के क्षण में आशा की सम्बल बनकर सहयोगी रहीं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इस रूप में दिखाई नहीं पड़ता यदि मेरे अनुज स्नेहिल भाई राघवेंन्द्र गुप्ता व उसके अभिन्न मित्र यूसुफ हुसैन का अविस्मरणीय सहयोग प्राप्त न हुआ होता।

श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर, झाँसी के प्रोफेसर घनश्याम सिंह

एवं उनकी सहगामिनी श्रीमती उर्मिला सिंह, जिन्होंने समय–समय पर मुझे प्रोत्साहन देकर मेरे आत्मबल को बढ़ाया एवं उनके पुत्र तथा पुत्र–वधू, उनकी पुत्रियाँ प्रीति व श्वेता का भी उनके सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती हूँ।

लवकुश महाविद्यालय, बबेरू के प्राचार्य श्री प्रमोद शिवहरे का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने समय–समय पर मेरा सहयोग किया।

मैं अपने सभी मित्रों, शुभचिन्तको की आभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग दिया।

मैं श्री तज्जमुल अहमद, शमसुल हसन रिजवी एवं ओम जी श्रीवास्तव जिन्होंने मेरे इस शोध कार्य की पाण्डुलिपियों को टंकण कला के जादू से शोध प्रबन्ध का रूप दिया, उनकी सदैव आभारी रहूँगी, क्योंकि भरपूर समय व सहयोग से ही इस शोध कार्य को सम्पन्नता प्रदान की जा सकी है।

अन्त में उन सभी विद्वानों जिनकी रचनाओं से शोध–प्रबन्ध को पूरा करने में सहायता मिली है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ।

मेरा विश्वास है कि जनपद बाँदा की महिलाओं में सामाजिक अधिकार, बोध के उन्नयन एवं इस विषयवस्तु पर आगे होने वाले अध्ययनों में प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध 'मील के पत्थर' की भांति उपादेय सिद्ध होगा।

पुनः मैं अपनी निर्देशक एवं अन्य गुरुजनों के प्रति हृदय से उक्त शोध–प्रबन्ध की पूर्ति में सतत सहयोग हेतु आभार व्यक्त करती हूँ।

रचना गुप्ता

अनुक्रमाणिका

सारणी विवरण

अध्याय – 6

अध्याय – 1

प्रस्तावना

"विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समरना सकला जगत्सु" अर्थात् इस सम्पूर्ण जगत में समस्त विधायें तथा सम्पूर्ण स्त्रियां उस एक परमात्मा शक्ति दुर्गा माँ के रूप हैं।" "या देवि सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता" तथा "या देवि सर्वभूतेषु श्रृद्धा रूपेण संस्थिता" आदि उक्तियां दुर्गा शक्ति में एक आदर्श वाक्य के रूप में उल्लिखित हैं। इन उक्तियों के द्वारा महिलाओं को पुरुष के ऊपर रखा गया है अर्थात् नारी की सहभागिता के बिना हम किसी उच्च शिखर पर नहीं पहुँच सकते।

समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका न केवल बच्चों के विकास के लिये उत्तरदायी है बल्कि वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ महिलायें उत्कृष्ट भूमिका निभा रही हैं। एक ओर जहाँ शहरी महिलायें स्कूलों, कालेजों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर देश के विकास में संलग्न हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलायें प्रारम्भ से ही खेत–खलिहानों तथा अन्य विविध क्षेत्रों में रात–दिन काम करके अपने परिवार एवं देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान देती रहीं हैं। इसके बावजूद समाज में महिलायें पुरुष से हेय समझी जाती हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें और भी अधिक उपेक्षित हैं। देश की कुल आबादी की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, जो घोर अशिक्षा, अन्धविश्वास व रुढ़ियों से ग्रस्त हैं। अतः देश के विकास में ग्रामीण भारत की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यदि भारत में महिला वर्ग की आधी से ज्यादा इस आबादी का विकास नहीं हुआ तो देश व समाज का विकास नहीं हो सकता। किन्तु देश

की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ एवं परम्पराओं के कारण ग्रामीण महिलाओं के योगदान को न तो महत्व दिया गया है और न ही अवसर प्रदान किया गया है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने महिलाओं को अपना अनुगामी बनाये रखा तथा उन्हें अनेक प्रकार के रुढ़िगत सामाजिक और आर्थिक बन्धनों में जकड़े रखने में अपना महत्व प्रतिपादित किया। इस कारण सम्पूर्ण देश तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियाँ अत्यन्त शोचनीय रही है।

विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिला पुरूष की तुलना में अपने अधिकारों के सन्दर्भ में सदैव उपेक्षित रही है, इसीलिए प्रत्येक समाज में महिलाओं के साथ शोषण, अन्याय और अत्याचार होता रहा है। इस शोषण के पीछे उनमें व्याप्त अशिक्षा,सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता की कमी, पुरूष प्रधान मानसिकता, रूढ़िवादिता तथा आर्थिक आधार पर पुरूषों पर निर्भर रहना आदि कारण उत्तरदायी रहे हैं। इतिहास के इस दौर में महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक युग में महिलाओं की स्थिति भिन्नतायुक्त रही है। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विद्वानों ने अपने देश एवं समाज की परिस्थितियों के अनुरूप महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रस्तुत किये तथा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों में भी सक्रियता दिखायी परन्तु एक ओर जहाँ महिलाओं की स्वाधीनता के सम्बन्ध में विचार दिये वहीं दूसरी ओर उनके पराधीनता की भी बात की।

प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के अन्तर्गत महिला पुरूष समानता स्वीकार की थी परन्तु उसी जगह अरस्तू ने पुरूषों की तुलना में महिलाओं की हीनता पर बल देते हुए उन्हें दासों के समकक्ष रखा था।

प्राचीन भारतीय गौरव–ग्रंथ **'मनुस्मृति'** के अन्तर्गत एक ओर यह कहा गया कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता (जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता विराजमान होते हैं) तो दूसरी ओर यह घोषित किया गया– न नारी स्वातन्त्रयर्मततिं ' (नारी स्वतंत्र रहने योग्य नही है)

प्राचीन काल से मध्य युग तक महिलाओं के त्रिस्तरीय स्थिति के विरूद्ध

किसी आन्दोलन का संकेत नही मिलता । महिलावादी आन्दोलन के आरंभिक संकेत अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोपीय चिंतन में ढूंढे जा सकते हैं, उदारवादी परम्परा के अन्तर्गत **'मेरी वॉल्स्टन क्राफ्ट'** की कृति **'विंडोकेशन आफ द राइट्स ऑफ वूमेन 1975,** (महिला अधिकारों की प्रमाणिकता) में महिलाओं को कानूनी राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने के लिए शानदार पैरवी की गयी थी।[1]

वॉल्स्टनक्राफ्ट ने मुख्य रूप से महिला–पुरूष के लिए पृथक–पृथक सद्गुणों की प्रचलित–धारणाओं को चुनौती देते हुए सामाजिक जीवन में महिलाओ–पुरूषों की एक जैसी स्थिति और भूमिका की मांग की। इसके बाद **जॉन स्टुआर्ट मिल** ने अपनी महत्वपूर्ण कृति **'सब्जेक्शन ऑफ वूमेन** (महिलाओं की पराधीनता) 1869 के अन्तर्गत यह तर्क दिया कि महिलाओ–पुरूषों का सम्बन्ध मैत्री पर आधारित होना चाहिये, प्रभुत्व पर नही। मिलन ने विशेष रूप से विवाह कानून के सुधार और महिला–मताधिकार पर बल देते हुए सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की वकालत की।

फिर उन्नीसवीं शताब्दी में मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने महिलाओं और पुरूषों के परस्पर सम्बन्धों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। उन्होने लिखा कि परिवार संस्था श्रम–विभाजन का सामान्य स्रोत है, जिसमें महिला–पुरूष का सम्बन्ध प्रभुत्व एवं निजी सम्पत्ति की धारणाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। देखा जाय तो परिवार के भीतर पुरूष की स्थिति **बुर्जुवा वर्ग** के तुल्य है और महिला की स्थिति **सर्वहारा** के समानांतर है। 'मार्क्सवादियों ने तर्क' दिया कि जब पूंजीवादी प्रणाली का अंत हो जाएगा तब निजी गृह–कार्य सार्वजनिक उद्योग को सौंप दिया जायेगा और तभी महिलायें सार्वजनिक जीवन में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेगीं।

1970 से शुरू होने वाले दशक में यूरोप और अमेरिका की अनेक जागरूक महिलाओं ने अनुभव किया कि महिलाओं के मताधिकार आन्दोलनों और महिलाओं की स्थिति के प्रति उदारवादी एवं समाजवादी दोनों विचार परम्पराओं में इतनी सजगता के

---

(1) मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट–विंडीकेशन ऑफ द साइट्स आफ वूमेन (महिला अधिकारों की प्रमाणिकता–1975)

बावजूद पश्चिमी संस्कृति के भीतर महिलाओं की पराधीनता का अंत करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नही हो पायी, तभी से महिला–अधिकारों के लिए एक नये आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।[2]

यूरोपीय समाज में इस आन्दोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव तीव्र रूप से हुआ और महिलायें अपनी स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता हेतु सजग हुईं एशिया एवं भारतीय समाज जहाँ महिलाओं की स्थिति काफी शोचनीय थी। यहाँ 17वीं शताब्दी से महिला जागरूकता आन्दोलन की हवा चलना प्रारम्भ हुई और उसे गति देने में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और शहर की पढ़ी लिखी महिलाओं का विशेष योगदान रहा है।

महिलाओं के इस नये आन्दोलन से पहले ब्रिटिशकाल में राजाराम मोहनराय ने इस आन्दोलन को शुरू किया था वे पहले भारतीय थे जिन्होने रूढ़िवादी हिन्दु विचारधारा का विरोध किया और महिला सुधार की बात कही। राजाराम मोहनराय की विशेषता यह थी कि जहाँ 1829 में उन्होनें सती प्रथा पर रोक लगाने में सफलता पायी वहीं उन्होनें हिन्दू परम्परागत स्वरूप को भी परिमार्जित करने का प्रयास किया। राजा राम मोहनराय के बाद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा के मसले को उठाया। दयानन्द सरस्वती ने वेदों की उच्चता को स्वीकार करते हुए हिन्दू समाज के सुधार की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिना महिलाओं को जागरूक किये समाज का विकास सम्भव नहीं हो सकता। महात्मा गाँधी ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सार्थक भूमिका निभायी। उन्होनें बाल–विवाह का विरोध किया और कहा कि लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिये। वे विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे। देवदासी के रूप में चलायी जाने वाली वेश्यावृत्ति का उन्होनें विरोध किया। सन् 1921 के बाद चलने वाले असहयोग आन्दोलन में गाँधी जी ने महिलाओं की भागीदारी को पक्का किया और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तो कुछ महिलायें राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक धारा में कानूनन रूप से पुरूषों के बराबर हो गयीं।

भारतीय आधुनिक महिला आन्दोलन को पश्चिम के महिला आन्दोलन से

---

(2) एन् साइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल सांइस–नेशल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली–पेज–90–91

पृथक करके नहीं देखा जा सकता, विदेशों में जो महिला आन्दोलन चल रहा है उसके पीछे कुछ पुख्ता कारण हैं, वहाँ आधुनिकता, तार्किकता, प्रजातंत्र, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था एवं तकनीकी शिक्षा का प्रभाव है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं ने अपने अधिकारों की माँग की है। वहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक हादसा हुआ। यूरोप में सामन्तवाद की समाप्ति के बाद पूँजीवाद आया और इस पूँजीवाद ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया। इसी समय यूरोप में कैथोलिक धर्म कमजोर हुआ और उसका स्थान प्रोटेस्टेन्ट धर्म ने ले लिया। कैथोलिक धर्म सदैव से महिलाओं के आगे बढ़ने का विरोधी था। इसका कहना था कि महिलायें बुराई की जड़ हैं, कामवासना अपने स्वयं में भ्रष्ट है। प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय ने महिलाओं की नई परिभाषा की। अब कामवासना की छूट हो गयी। इस धर्म ने कहा कि एक स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिये और विशेष करके अपने पति के प्रति प्रसन्नता का नजरिया अपनाना चाहिये। अतः पश्चिम में नारीवाद का मतलब बदलती हुई दुनियाँ को समझना था। अब महिलाऐं पुरूषों के बराबर अधिकार की मांग करने लगी। मार्क्सवाद ने महिला आन्दोलन को नई दिशा दी। उसकी विचारधारा में महिलाओं को दबाना एक प्रकार का शोषण है। और मार्क्सवाद शोषण का सदैव विरोधी रहा है।

सन् 1960 के दशक में यूरोप में क्रान्तिकारी नारीवाद का जन्म हुआ। यह नया नारीवाद केवल कानूनी समानता नही चाहता और न यह वर्ग के मुद्दे को उठाता है। उसका यह कहना कि महिलाओं का दमन जैविकीय आधार पर किया जाता है। महिलाओं की **जननेन्द्रियां** पुरूषों से भिन्न हैं, और यहीं उनकी कमजोरी है। इससे वे मुक्ति चाहती हैं उनके ऊपर प्रजनन और मातृत्व का बोझ होता है और इसी के कारण आदमी उनका शोषण करता है। आज जो परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध हैं इसके द्वारा अब इन नई महिलाओं में गर्भधारण करना उनके हांथ की बात हो गयी है। यह भी नारीवाद का एक पहलू है। विदेशों में तो उत्तर आधुनिकता ने नारीवाद को एक नई हवा दी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट है कि उत्तर आधुनिकतावादी महिलाएं अपने आपको हर तरह से पुरुष से मुक्त रखना चाहती हैं।

विचारणीय है कि भारत में हम आज महिला अधिकार के क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं

पिछले महिला आन्दोलनों में उन्होंने हमारे सामाजिक विधान के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की थी। बाल–विवाह पर प्रतिबन्ध के लिए 1929 में शारदा अधिनियम बना। मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह विच्छेद का प्रावधान (Muslim Marriage Act 1940) रखा गया और इसके बाद 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित हुआ। लेकिन यह सब अधिनियम सामान्यता केवल कागजी अधिनियम सिद्ध हुए। 1960 और 70 के दशक में हमारे यहाँ नारी आन्दोलन ने एक नया स्वरूप धारण किया। कुछ नये मंच हमारे सामने आये इनमें सहेली, सहीवार, मानषी, स्त्री शक्ति, नारी समता मंच, विमोचन, चिंगारी, महिला संघर्ष समिति बुन्देलखण्ड में वनांगना आदि सम्मिलित हैं। इन समाचार पत्रों और मंचों का नेतृत्व कुछ ऐसी महिलाओं के हांथ में है जो जुझारू हैं। इस आन्दोलन का विरोध महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, बलात्कार, मद्यपान कर स्त्रियों के पिटाई, दहेज हत्या, परिवार में मारपीट, कामकाजी महिलाओं की समस्यायें वेश्यावृत्ति, निम्न जाति की महिला का शोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से है। भारत में स्त्री आन्दोलन का सबसे बड़ा मुद्दा जो शायद बुनियादी मुद्दा है पितृवंशीय व्यवस्था एवं पितृ स्थानीय व्यवस्था का जो महिलाओं की पददलित स्थिति का बहुत बड़ा कारण है।[3]

आज विश्व के सभी देशों में सिविल समाज के आन्दोलन के अन्तर्गत महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि महिलाओं ने एक लड़ाई जीत ली है। आज शासन राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, समाजकल्याण, संस्कृति, ट्रेडयूनियन, उद्योग, व्यापार सभी महिलाएं महत्वपूर्ण और दायित्वपूर्ण पद सम्भाले हुए हैं। पर दूसरी लड़ाई जीतनी अभी शेष है। यह लड़ाई है सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय दूर करने की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों और 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम–संगठन' के नियमानुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समानाधिकार प्राप्त हैं परन्तु यह सिद्धान्त की बात है, व्यवहार में भेदभाव हर जगह विद्यमान है। आपसी व्यवहार में वेतनमान में, मजदूरी में, शिक्षा में एवं कलाओं में और

---

(3) देसाई–नीरा–ए0डेकएँड,ऑफ वूमेन्स मूवमेन्ट इन इण्डिया,मुम्बई–1988 (शम्भूलाल दोषी प्रकाश चन्द्र जैन–भारतीय समाज पेज–333,334)

संगठित और असंगठित क्षेत्रों तथा सरकारी सेवाओं में यहाँ तक परिवारों में। शिक्षा एव समानाधिकार की बात 'यूनेस्को' के आंकड़ो में एक व्यंग्य सी लगती है। संसार के 80 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों में से 50 करोड़ निरक्षर महिलाएं है और आज भी विकासशील देशों की 60 प्रतिशत महिलाएं वोट के अधिकार से वंचित हैं।[4]

इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक महिला–अधिकार सभी देशों में किसी न किसी रूप में बाधित होते रहे हैं। उसके बाद नव–जागरण काल से धीरे–धीरे अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्न आंरभ हुए। सभी देशों में इन स्थिति में सुधार के लिए दो मुख्य कारण रहे एक, महिलाओं में सामाजिक अन्याय के प्रति विरोध और मानवीय आधार पर बराबरी के अधिकारों के प्रति उनकी जागृति–चेतना। दूसरा विभिन्न सरकारों व समाज–सुधारकों का ध्यान भी इस समस्या की ओर आकर्षित होना है ताकि आधी जनसंख्या शक्तियों की व्यर्थता न तो राज्य एवं समाज के हित में है, न स्वयं पुरूषों के और इन सम्मिलित प्रयत्नों का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकारों की गारण्टी देने वाली एजेंसियों पर पड़ना भी स्वाभाविक था। आज परिवर्तन की जो गति दिखाई दे रही है उसे लाने में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों का मूल्य किसी भी तरह कम नही आंका जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष रूप से महिलाओं के दर्जो सम्बन्धी आयोग ने महिलाओं को मानवीय आधार पर विवाह और परिवार , शिक्षा, रोजगार, कानून, सुरक्षा आदि सभी क्षेत्रों पुरूषों के बराबरी के अधिकार दिलाने के लिए क्रमशः कई ठोस प्रयत्न किये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में बराबरी के लिए महिलाओं की स्थिति में एक सामान्य स्तर की निर्धारित लिंग व जातीय भेद–भाव उन्मूलन–सम्बन्धी घोषणा–पत्र तथा समय–समय पर विभिन्न राष्ट्रों के लिए गये तत्सम्बन्धी आदेश सुझाव विश्व में महिलाओं की स्थिति सुधारने में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं।

स्वतन्त्रता के उपरान्त 20वीं सदी के मध्य में बने भारतीय संविधान में बिना लिंग जाति, वर्ण, सम्प्रदाय भेद के सभी भारत के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान

---

(4) व्होरा आशारानी–भारतीय नारी दशा दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली पेज–159

किये गये हैं, किन्तु महिलाएं आज भी पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता से इन सम्बन्धित अधिकारों से वंचित है। इसलिए उन अधिकारों की रक्षा करने एवं समाज में उनकी प्रस्थिति को ऊँचा उठाने के लिए अनेक विधानों को निर्मित किया गया है। क्योंकि अभी भी भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बन्धित परम्परागत मूल्यों व समाज के दृष्टिकोण में कोई विशेष अन्तर प्रकट नही हो रहा, साथ ही स्वयं महिला वर्ग भी, यानी आधे से अधिक आबादी अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों के प्रति सजग नही है। निरन्तर महिला वर्ग में बढ़ती हुई समस्याओं के मद्देनजर भारतीय संविधान के सामाजिक अधिकारों को संवैधानिक व कानूनी आधार प्रदान क़िया गया ताकि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति में सुधार हो सके। परन्तु सूक्ष्म अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये समस्त विधान सैद्धान्तिक पक्ष ही रखते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से महिलाओं के साथ आज भी सामाजिक, आर्थिक, शोषण व असमानता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। आज भी परिवार से लेकर संगठित सम्भावित देशों में कार्यरत महिलाओं के साथ अनेक प्रकार का शारीरिक, मानसिक शोषण व असमान व्यवहार किया जा रहा है।

महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के मद्देनजर बहुत लम्बे समय से ही उनके सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया किन्तु दुर्भाग्यवश स्वयं महिलायें अशिक्षा एवं अज्ञानता के दलदल में फंसी होने के कारण इन अधिकारों के प्रति सचेत नही हैं। प्रस्तावित अध्ययन ऐसे ही कारकों की खोज से सम्बद्ध है जिनके कारण ग्रामीण एवं नगरीय महिलाएं अभी भी समानता को प्राप्त नहीं कर पायीं।

महत्वपूर्ण प्रत्यय

सामाजिक अधिकार

सामाजिक अधिकार से अभिप्राय उन अधिकारों से हैं जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण से होता है। यह आचरण समूह कल्याण की भावना अपने अन्दर समाहित रखता है। जो धीरे–धीरे जनरीतियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाने लगता है या की जाती है। राज्य के कानूनों से इनका कोई सम्बन्ध नही रहता है। परन्तु जनरीतियां जब कुप्रथा

के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उनको रोकने के लिए विधानों की आवश्यकता पड़ती है।

अधिकार (Rights)

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताऐं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नही की जा सकती है। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

'थॉमस जेफरसन' के अनुसार 'स्वभावतः' जब मनुष्य समान रूप से उन्मुक्त तथा स्वाधीन है और उनके कुछ जन्मजात अधिकार हैं जिन्हें मनुष्य स्वयं अपने जीवन अथवा अपनी सन्तानों से पृथक नही रह सकते यथा जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकारों का उपभोग, सम्पत्ति के अर्जन और सुखी जीवन के साधन के अधिकार हैं।

भारतीय विद्वान **''श्री निवास शास्त्री''** के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च्व नैतिक कल्याण में सहायक हो'' अतः कहा जा सकता है कि अधिकार सामाजिक जीवन में व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां जो उसके आत्म विकास में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों को माता–पिता का संरक्षण अधिकार के रूप

में प्राप्त होता है। अधिकार सामाजिक मानकों का अंग बन जाते हैं और सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति के स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होते हैं यदि इसमें कोई रूकावट पैदा हो जाय तो व्यक्ति या समूह अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और ऐसा करते समय उन्हें समाज का समर्थन प्राप्त होता है।

अधिकार सामान्यतः सामाजिक मान्यता पर आश्रित होते हैं परन्तु कभी-कभी समाज में निहित स्वार्थो के प्रभुत्व के कारण कुछ वर्गो को उन के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है जब ये वर्ग अपने उचित अधिकारों की माँग करते है तो उन्हें तर्क के आधार पर अपनी मांग का औचित्य भी सिद्ध करना पड़ता है और बहुत निहित स्वार्थो से संघर्ष भी करना पड़ता है।[5]

साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते हैं –:

संविधान

जिन लिखित या अलिखित नियमों के अन्तर्गत किसी राज्य के विविध अंगो का संगठन किया जाता है इन अंगो की शक्तियां निर्धारित की जाती हैं, उन शक्तियों के प्रयोग-क्षेत्र की सीमाएं निर्दिष्ट की जाती हैं, और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निर्दिष्ट किये जाते हैं उन्हें सामूहिक रूप से संविधान कहते हैं।

उदाहरण के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान प्रचलित है जबकि ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित माना जाता है क्योंकि उसमें ऐसी परिपाटियां भी सम्मिलित है जिन्हें किसी लिखित प्रलेख के रूप में अधिनियमित नही किया जाता है। आज के युग में मुख्यतः लिखित संविधानों का ही चलन है। ग्रेट ब्रिटेन के अलावा बहुत कम देशों में अलिखित संविधान प्रचलित है। इनके उदाहरण

---

(5) पुखराज जैन एवं फड़िया-मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पेज-265 साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।

हैं—न्यूजीलैण्ड और इजराइल जहाँ संसदीय प्रणाली प्रचलित है, सऊदी अरब जहाँ पूण सत्ताधारी राजतंत्र स्थापित है, और लाओस जो कि समाजवादी राज्य है। कुछ भी हो कोई लिखित संविधान एक ही लिखित प्रलेख तक सीमित नही रहता। संवैधानिक व्यवहार न्यायिक व्याख्यायें, सामान्य नियम और परम्परायें भी संवैधानिक प्रणाली का अंग बन जाती है। उदाहरण के लिए भारत में लिखित संविधान के अलावा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की ऐसी अनेक परिपाटियों का अनुसरण किया जाता है जो कि अलिखित है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमरीका में भी सीनेट—सौजन्य जैसी प्रथाऐं अलिखित होते हुए भी वहां के सांविधानिक व्यवहार का महत्वपूर्ण अंग है। **कार्ल फ्रैड्रिक** के अनुसार ''संविधान ऐसी प्रक्रिया का संकेत देता है जिसके द्वारा शासन की गतिविधि पर प्रभावशाली अंकुश रखा जाता है........ इसे ऐसी प्रक्रिया समझा जाता है जिसका कार्य केवल संगठित करना ही नही बल्कि (संगठन पर) अंकुश रखना भी है।[6]

संवैधानिक कानून -

कानून का वह हिस्सा जो प्रत्यक्ष रूप से संविधान की व्यवस्थाओं और उनकी न्यायिक व्याख्याओं और निर्णयों पर आधारित होता है।

प्रायः संवैधानिक कानून और सांविधिक कानून में अंतर किया जाता है। संवैधानिक कानून का स्रोत स्वयं लिखित संविधान होता है जबकि सांविधिक कानून विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित कानून है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से भिन्न होती है अतः संवैधानिक संशोधन कानून का अंग बन जाते हैं।

संवैधानिक कानून का स्थान सांविधिक कानून से ऊँचा है। जहाँ संवैधानिक कानून और सांविधिक कानून में द्वन्द पैदा हो जाये वहां संवैधानिक कानून को ही प्रमाणिक माना जायेगा। यदि देश का उच्चतम न्यायालय किसी कानून प्रथा

---

(6) एन् साइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल सांइस नेशनल पाब्लिशिंग हाउस—नई दिल्ली पेज—48

या कार्यवाही को संविधान विरूद्ध घोषित कर देता उसे रद्द मान लिया जाता है।[7]

अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान समय में ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में अपनी स्थिति के प्रति एक विशेष चेतना का उदय हुआ परन्तु जितनी सामाजिक राजनैतिक चेतना नगरीय महिलाओं में उत्पन्न हुई उसकी तुलना में यह चेतना ग्रामीण महिलाओं में अपेक्षाकृत कम हुई है। औद्योगीकरण नगरीकरण के विकास का कारण है और नगरीय विकास की वजह से नगरीय महिलाओं में जागरूकता आई है। यह तथ्य कहां तक सत्य है तथा विभिन्न अधिकारों के बारे में ग्रामीण महिलाएं कहां तक सचेत हैं इस सम्बन्ध में साक्षात्कार अनुसूची में ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं से अनेक प्रश्न पूंछे गये हैं। प्रस्तुत अध्ययन मे इन महिलाओं से परिवार, दहेज जैसे अभिशाप के बारे में दृष्टिकोण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक, प्रस्थिति परिवर्तन जैसे विषयों में जानकारी प्राप्त की गयी है तथा यह भी जानने का प्रयत्न किया गया कि जिस पर्यावरण में वे रहती हैं उसके साथ कितना तादात्म स्थापित कर पा रही हैं अर्थात, जिस समाज में ये ग्रामीण एवं नगरीय महिलाऐं रह रही है उस समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक पर्यावरण से कितना अधिक प्रभावित हो रही हैं यह जानने का प्रयास किया गया है ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं की प्रस्थिति एवं उसकी मनोवृत्तियों में कितना परिवर्तन आया है इसका अध्ययन निम्न बिन्दुओं में प्रस्तावित है।

1. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना के स्तर का मापन।
2. समाज में समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं के विकास की दशा का आंकलन करना।
3. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक, राजनैतिक विकास की स्थिति का आंकलन करना।
4. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति

---

(7) एन् साइक्लोपीडिया ऑफ् पॉलिटिकल सांइस नेशनल पाब्लिशिंग हाउस–नई दिल्ली पेज–49

संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं अन्धविश्वास का वास्तविक मूल्यांकन करना।
6. उच्च जाति, पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों की महिलाओं का सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन।
7. इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्ष में महिला सशक्तिकरण की धारणा को ज्ञात करना।
8. उन क़ारणों को ज्ञात करना जिनके कारण ग्रामीण एवं नगरीय महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करती हैं।
9. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं से सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति उनकी राय जानना तथा सुझाव प्रस्तुत करना ।

अध्ययन का महत्व

विश्व की समस्त महिलाओं की अपेक्षा भारतीय महिलाओं को अनेक अधिकार प्राप्त हैं। वैधानिक द्रष्टि से महिलाओं की स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए यद्यपि अनेक कानून बनाये गये हैं फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से उसके साथ आज भी भेदभावपूर्ण व असमान व्यवहार किया जाता है। आज भी उनकी शोषणमयी स्थिति को गंभीरता से नही लिया जा रहा है और न ही उन्हें समानता का दर्जा मिल पा रहा है। समाज के द्वारा उनका मूल्यांकन बिल्कुल भिन्न परिप्रेक्ष्य में होता है। एक बड़ी संख्या में महिलाएं स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल है, क्योंकि वह परम्परागत नारी जगत के दायरे से बाहर नही निकल पायी। निःसन्देह आज भी वह समाज में पुरूष के शोषण का शिकार है।

वर्तमान समय में महिलाओं के लिए जहां अनेक विधान बन–बिगड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात करना आवश्यक है कि क्या महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है ? कितनी महिलायें अपने अधिकारों का उपयोग कर लाभ उठा रही हैं जो महिलायें अपने अधिकारों का लाभ उठाती हैं उसकी सामाजिक स्थिति क्या है ? उक्त प्रश्नों का सार्थक हल खोजने का प्रयास ही प्रस्तावित अध्ययन में किया गया है।

अब तक हुए अध्ययनों में विधानों से सम्बन्धित अधिकांशतः अध्ययन विधानों के विश्लेषण से सम्बनिधत रहे है तथा यह अध्ययन विकसित समुदायों से क्षेत्रों से सम्बन्धित है। आज भी पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अध्ययनों की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्ययन देश के पिछड़े हुए क्षेत्र से सम्बन्धित है। इस प्रकार का सूक्ष्य स्तरीय अध्ययन योजना आयोग तथा महिलाओं में जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भी अत्याधिक उपयोगी होगी। विधान निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में भी प्रस्तुत अध्ययन सहायक होगा, क्योंकि इसमें सूक्ष्म स्तर पर महिलाओं में संचेतना तथा उसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तथा उसको प्रभावित करने वाले कारणों का भी अध्ययन किया जायेगा साथ ही नीतियों के निर्धारण में प्रस्तुत अध्ययन सुझाव भी प्रस्तुत करेगा।

पूर्व अध्ययन

महिलाओं में सामाजिक अन्याय एवं सामाजिक समस्याओं के सन्दर्भ में पर्दा, अशिक्षा, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह प्रतिबन्ध, देवदासी प्रथा, दहेज एवं हत्या, बलात्कार शारीरिक क्षति महिलाओं के कुपोषण, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि से सम्बन्धित एवं महिलाओं की स्थिति व अस्तित्व एवं अधिकारों की संचेतना के सम्बन्ध में समय–समय पर अनेक समाज वैज्ञानिकों के द्वारा शोधात्मक अध्ययन प्रस्तुत होते रहते हैं। इस ओर महिलाओं के निम्न स्तर के कारणों को जानने हेतु व प्रत्येक क्षेत्र में उनके अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने विविध कार्यक्रमों व कमीशनों की नियुक्ति भी की है। केन्द्रीय सरकार ने दो ऐसे महत्वपूर्ण कमीशन 1971 व 1992 में नियुक्त किये थे। साथ ही 31 जनवरी 1992 को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन भी किया गया जिसका उद्देश्य था महिलाओं से सम्बन्धित मामलों को देखना स्त्रियों के स्तर की जाँच करना विविध विधानों का अध्ययन करना तथा उनमें कमजोर बिन्दुओं व खामियों की ओर संकेत करना, महिलाओं के प्रति किये गये भेदभाव व हिंसा के कारणों का पता लगाना तथा सम्भावित उपायों का विश्लेषण करना ।[8]

'आहूजा राम' ने राजस्थान के एक गाँव की कुछ महिलाओं का अध्ययन कर

महिलाओं में संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकारों के प्रति संतुष्टि के स्तर को नापा ।
एम0ई0 कजिन (1923), (1341) एस0के0 नेहरू, (1934) के0डी0 चट्टोपाध्याय, (1939) एन0ए0 देसाई 1957, ए0एस0 माथुर एवं बी0एल0 गुप्ता 1965 की वैश्यावृत्ति सम्बन्धी अध्ययन, पी0 मेहता (1975) की चुनाव प्रचार एवं सामूहिक प्रभाव में महिलाओं की स्थिति का माध्यम, एच0आर0 त्रिवेदी (1976) द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के शोषण सम्बन्धित अध्ययन,प्रमिला कपूर (1978) द्वारा कार्लगर्ल के जीवन शैली एवं व्यावसायिक व्यवहार सम्बन्धी अध्ययन जे0सी0 दास एवं एम0के0राम द्वारा आदिवासी भोटियां महिलाओं के आर्थिक रूपान्तरण का अध्ययन, एम0ए0खान एवं नूर आयशा (1982) द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन तथा एन0ए0 देसाई एवं, एम0 कृष्णाराज (1987) द्वारा भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी इसी श्रेणी के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं।

प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी अध्ययन अनेक विद्वानों द्वारा किये गये हैं जिसमें से डी0एन0 मित्तल (1913) द्वारा हिन्दू कानून में स्त्रियों की स्थिति, सी0 बादल (1925) ने अर्वाचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति का अध्यन किया। ए0एस0 अल्टेकर (1938) ने हिन्दू सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति अध्ययन, एम0ए0 इन्द्रा (1940) ने सामान्य रूप से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का अवलोकन किया। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने महिलाओं की परिवर्तित होती हुई स्थिति का अध्ययन किया है, जिसमें ए0अप्पा दुराई (1954) ने दक्षिण एशिया में महिलाओं की स्थिति का एस0श्री देवी (1965) ने भारतीय महिलाओं के एक शतक में मदिरापान का अध्ययन किया। जबकि सी0ए0हाटे (1969) ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं में परिवर्तित प्रस्थिति का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त डी0 जैन (1975) डिसूजा (1975), खन्ना एवं वर्गिस (1976) ने इसी संदर्भ में अध्ययन किये हैं। एक विस्तृत रिर्पोट महिलाओं के सम्बन्ध में यूनेस्कों ने 1985 एवं 86 के मध्य भारतीय महिलाओं के सम्मुख उत्पन्न होने वाली चुनौतियां एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का सफल अध्ययन एन0ए0 देसाई एवं विभूति पटेल ने (1987) में प्रस्तुत

(8) आहूजा राम–भारतीय सामाजिक व्यवस्था– पेज –92

किया है।

महिलाओं के जीवन से सम्बन्धित अध्ययन में के0एम0 कापडिया (1958) द्वारा किया गया भारत में विवाह एवं परिवार ए0डी0 रोज (1961) द्वारा शहरी क्षेत्र में हिन्दू परिवारों का अध्ययन एम0एस0 गौर (1968) द्वारा नगरीकरण एवं पारिवारिक परिवर्तन सम्बन्धी इस बात के साक्षी है कि परिवार विवाह जैसी संस्थाओं में स्त्रियों की क्या स्थिति रही है इसी प्रकार कार्यरत महिलाओं एवं उनके समायोजन से सम्बन्धित अध्ययन प्रमिला कपूर 1974 ने किया जिसमें महिलाओं की बदलती हुई प्रस्थिति की चर्चा की। पी0सेन गुप्ता (1960) ने भारत में कार्यरत समस्त महिलाओं का सर्वेक्षण किया। पी0एम0 घारपूरे (1959) ने पूना में घरेलू सेवकों के जीवन से सम्बन्धित अध्ययन अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत किया जबकि देविका जैन, 1980 में भोजन, कपड़ा, मकान के लिए अन्याय क्षेत्रों में महिलायें संगठित होकर कार्यरत हुई। ए0बी0 सेन (1969) ने शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन किया। महिलाओं के स्वास्थ्य विषयक समस्याओं का सफल अध्ययन पद्मा प्रकाश (1986) में किया है।

जहाँ तक महिलाओं की राजनीतिक प्रस्थिति एवं उनकी सहभागिता का प्रश्न है। इस विषय पर एम0 कौर (1968), के0 सिन्हा (1974), तथा वी0मजूमदार (1979) ने बौद्धिक कार्य प्रकाशित किये। भारतीय महिलाओं के आन्दोलनों से सम्बन्धित अध्ययन पी0 अस्थाना एवरेट (1979), के0डी0 चटोपाध्याय (1983) का स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं का संघर्ष तथा कुमुद शर्मा (1984), नन्दिता गाँधी (1968), विभूति पटेल (1968), सुधानाग (1989) के अध्ययनों से अन्याय एवं शोषण के खिलाफ संगठित होती हुई महिलाओं के अध्ययन को चिन्हित किया गया है। इस तरह से महिलाओं के विकास के विभिन्न आयामों पर वैज्ञानिक द्रष्टि से अनेक अध्ययन प्रकाश में आ चुके हैं।

महिलाओं का स्वयं के बारे में द्रष्टिकोण पता करने के लिए 'मैत्रेयी कृष्णा राज' (1978) ने महिला वैज्ञानिकों पर किये गये एक अध्ययन में यह पाया कि यद्यपि वे अपने काम पर तो बने रहना चाहती है किन्तु वे न तो बेहतर नौकरी की तलाश में रहती है और न उन्होने कोई दीर्घावधि की वृत्तिक स्रातजी ही बनायी है। टी0एस0 पपोला (1982) ने लखनऊ शहर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पर्यवेक्षक के पदो पर कार्य कर रही महिलाओं

से लेकर अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य कर रही महिलाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया था।[9]

ग्रामीण क्षेत्रों में पारस्परिक सत्ताधारी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए लीला गुलाटी ने (1981) में केरल की पांच कामकाजी महिलाओं का गहन अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि यद्यपि तीन परिवारों में महिलाएं ही मुख्य उपार्जक थी परन्तु रोजगार के बावजूद उनके पास अपने आकलन या सामाजिक सोपान में उनकी हैसियत में कोई सुधार नही हुआ था। शहरी क्षेत्रों में पारम्परिक सत्ताधारी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए लीला कस्तूरी (1990) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार जब तमिलनाडु के बेरोजगार बुनकर कार्य के तलाश में दिल्ली आ गये तो औरतों को तो घरेलू नौकर के रूप में ही कार्य मिल सका परन्तु पुरूषों को बावर्ची या ड्राईवर आदि मिल गये लेकिन स्त्रियों को अपने कार्य से फुरसत ही नही मिलती थी कि वे अपने चारों ओर किसी अन्य कार्य को खोज खबर ले सकें। फिर भी पुरूष स्वंय महिलाये भी महिलाओं के अवेतन या सवेतन काम को सहारा देने वाला और उसकी आमदनी को अनुपूरक ही मानती हैं। गोविन्द केलकर (1981) ने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि हरित क्रान्ति वाले क्षेत्र पंजाब में महिलाओं को अपने दिनभर के कामकाज के बाद अपने पति की सेवा भी करनी पड़ती थी। मालविका कार्लेकर (1987) ने दिल्ली के मेहतर समुदाय की महिलाओं का अध्ययन किया। दीपा माथुर ने 1992–93 के जयपुर (राजस्थान) में 225 कामकाजी महिलाओं का अध्ययन किया।

परिकल्पनाएं

पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षो एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना है।

1. नगरीय महिलायें, ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा अधिक जागरूक हैं।
2. भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अन्धविश्वासों एवं जाति संरचना व पुरूष सत्तात्मक द्रष्टिकोण के कारण प्रायः ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में चेतना का

(9) इग्नू– नारी एवं समाज (खण्ड–2)

अभाव है।

3. ग्रामीण एवं नगरीय समाज में उच्च सामाजिक, आर्थिक से सम्बद्ध स्थिति महिलाओं की तुलना में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिलाएं अधिक रूढ़िगत है।
4. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उनके जागरूकता की स्थिति को निर्धारित करती है।
5. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उच्च जाति की महिलाओं में पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं से अधिक अधिकार चेतना होने की संभावना है।
6. सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति अचेतना का प्रमुख कारण सामाजिक विधानों को सुचारू रूप से लागू व प्रचारित न करना है।
7. शिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिलाओं में कम जागरूकता होने की सम्भावना है।

शोध अभिकल्प :

योजनानुसार कार्य करना सम्पूर्ण प्रक्रिया पर नियंत्रण प्रदान करता है। यही योजना अभिकल्प है। अभिकल्प में पहले से ही उस निर्णयों को लिया जाता है जिनके लिए बाद में उपयुक्त वातावरण जुटाया जाता है और जिनका तथ्यात्मक परीक्षण किया जाता है।

रीति विधान अभिकल्प से अधिक व्यापक प्रत्यय है। शोध की उपकल्पनाओं का पूर्व मूल्यांकन अभिकल्प की कथावस्तु है। शोध कैसे अभिकल्प है तथा शोध का 'क्यों' रीति विधान है गृह निर्माण से पूर्व नीला नक्शा बनाना अभिकल्प है किन्तु नीले नक्शे का आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन करना तथा निर्माण योजना की भी परीक्षा करना रीति विधान है।

अच्छे अभिकल्प तथा रीति विधान के अभाव में वैज्ञानिक निष्कर्ष निकलना असंभव है। विज्ञान के निरन्तर एवं तीव्र विकास ने, विशेषकर सांख्यकीय विधियों ने अभिकल्प तथा रीति विधानों को विकसित करने में बड़ी सहायता की है।[10]

शोध अभिकल्प के चरण :

(अ) आदर्श पक्ष : शोध की समस्या निश्चित होने पर शोधकर्ता इस स्थिति में आ जाता है कि समस्या अध्ययन का उचित मार्ग खोज निकाले। खोज के इस लम्बे किन्तु स्पष्ट मार्ग में, समस्या निर्धारण के पश्चात आदर्श परिकल्प निश्चित करना होता है। आदर्श अभिकल्प शोध के भव्यतम् रूप के विषय में शोध कार्य का सुनहरा स्वप्न होता है। इसमें शोधकर्ता को यह अवसर मिलता है कि यदि वह एकदम मुक्त तथा समर्थ रहा होता तो शोध का कौन सा भव्यतम् रूप उसके आगे होता। किस प्रकार का शोध करके उसे परम आनन्द आता है ? शोध प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण गुणात्मक मानदण्ड है। इससे कार्यात्मक पक्ष की सीमायें तथा न्यूनतायें ज्ञात हो सकती हैं और शोध से प्राप्त परिणामों को इन सब में समन्वित किया जा सकता है।[11]

आदर्श अभिकल्प में शोध की परम प्रभावकारी परिस्थितियां, प्रविधियां, व्यक्ति तथा व्यवहार लिये जा सकते हैं। इस अभिकल्प में चार बातों पर पर्याप्त बल दिया जाता है।[12]

1. अवलोकनीय व्यक्ति
2. अवलोकनीय परिस्थितियां
3. अवलोकनीय उत्तेजन
4. अवलोकनीय प्रतिक्रियाएं

इन चारों में से प्रथम तीन (व्यक्ति, परिस्थितियां, उत्तेजन) मुक्त चर है तथा चौथा (प्रतिक्रियायें) आश्रित चर हैं।

आदर्श अभिकल्प शोध की एक प्रतीकात्मक संरचना है। सारा कार्य इसमें प्रत्ययों के माध्यम से चलता है। शोध के प्रसंग में हमें जिन व्यक्तियों, घटनाओं तथा लक्षणों का प्रत्यय चाहिये, इसे निश्चित करने के उपरान्त आवश्यक है कि इन प्रत्ययों की परिभाषा की जाये। इस प्रकार दो वस्तुएं आवश्यक होती है।[13]

---

(10)चैपिन एफ0एस0,1947,इक्सपेरीमेन्ट डिजाइन इन सोशियोलाजिकल रिसर्च न्यूयार्क हारपर एवं पब्लिशर्स पेज–39
(11) बांदा जिले का आदर्श भूगोल–25,26
(12) गुडे एण्ड हॉट, 1952–69–132

1—प्रत्यय चयन के लिए उचित कसौटी।

2—सिद्धान्त जो वैज्ञानिक परिभाषा देने में निर्देशन प्रदान कर सकें।

प्रत्यय चयन उन्ही वस्तुओं के लिए उपयोगी रहता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोध की मूल समस्या के समाधान पर प्रभावक रहते दिखायी देते हैं। प्रत्ययों के चयन में गत शोध का अनुभव, साहित्य व गहन आदि पर्याप्त सहयोग प्रदान करते हैं। समालोचना जो कि शोध के लिए महत्वपूर्ण है यदि वही समालोचनायें शोध के प्रारम्भ में विशेषकर, अभिकल्प निर्माण के समय उपलब्ध हो जाया करें तो बड़ा काम बन सकता है ऐसा तभी हो सकता है जब वह ज्ञान की सीमाओं को ढीला किया जाये और दो प्रकार का सहयोग मिलता रहे।[14]

1—अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग

2—परस्पर क्षेत्रीय सहयोग

प्रत्यय चयन के उपरान्त प्रत्यय का उचित अर्थ व परिभाषा प्राप्त करना आवश्यक है। सामाजिक विषयों में अधिकांश प्रयुक्त प्रत्यय स्पष्ट परिभाषित नही है, अतः परिभाषा प्रसंग पर विशेष ध्यान देना चाहिये।[15]

1— सभी प्राप्त प्रत्ययों का विश्लेषण किया जाये और व्याख्या की जाये।

2— अर्थ की तह में जाने का प्रयत्न किया जाये।

3— काम चलाऊ परिभाषा को निरन्तर सोद्देश्य बनाते रहना चाहिये।

4— परिभाषाओं की बहुमुखी आलोचनायें आवश्यक हैं।

5— परिभाषा संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दोनो ही प्रकार की होनी चाहिये।

वैज्ञानिक परिभाषा ही काम की वस्तु है । उसके लिए चार बातों का होना आवश्यक है जिन्हे हम ''ना'' ''रा'' ''य'' ''ण'' शब्द से जानते हैं।[16]

ना— वस्तु जिसमें लक्षण सम्बन्धित है।

---

(13) ग्रीनउड, अर्नेस्ट, 1945,इक्सपेरीमेन्टल सोशियोलाजी ए स्टडी इन मैथड,न्यूयार्क कोलम्बिया यूनीर्वसिटी प्रेस, पेज 103

(14) फिशर आर0, 1951 दि डिजाइन आफ इक्सपेरीमेन्ट हाफनर पेज—30

(15) फिशर, 1951, 32

(16) लिण्ड क्वीस्ट, जी0, 1953,डिजाइन एण्ड एनालिसिस आफ एक्सपेरीमेन्ट इन साइक्लोजी एण्ड एजूकेशन, हंगसन, पेज 16—18

रा– वातावरण जिसमें ''ना'' का अवलोकन किया जाये।

य– वे उत्तेजक जिनके सम्मुख 'ना' का वातावरण 'ण' में उपस्थित होना चाहिये।

ण– उत्तेजनों 'य' के प्रति 'ना' की वातावरण 'रा' में प्रतिक्रिया।

लक्षणों की परिभाषा में वस्तुओं, घटनाओं की परिभाषायें भिन्न होती है। परिभाषा क्रम की समाप्ति पर तीसरा चरण है यह तय करना कि आदर्श अभिकल्प की सीमा मे किन चरों को स्थिरतया किन्हें बदलने देना है ? शोध में लक्षणों या चरों के पारस्परिक सम्बन्धों को महत्व दिया जाता है। यह सम्बन्ध तीन प्रकार के हो सकते हैं।[17]

1– कार्य–कारण

2– उत्पादन–उत्पाद्य

3– सह गुणकत्व

1– कार्य कारण : कार्य कारण सम्बन्ध में 'ख' की उत्पत्ति में 'क' पर्याप्त होता है। दोनों में निश्चित सम्बन्ध है, किन्तु सभी सम्बन्ध वातावरण पर आश्रित हैं।[18]

2– उत्पादक उत्पाद्य : उत्पादन उत्पाद्य सम्बन्ध में जैसे घण्टा पीटा जाये तो ध्वनि होगी। पीटना ध्वनि के लिए आवश्यक है।[19]

1– ऐसा वातावरण (रा) हो कि जब उसमें 'क' को रखा जाये तो ख उसका अनुसरण करे।

2– वातावरण (रा) ऐसा हो कि यदि उसमें 'क' का अभाव हो तो 'ख' भी लुप्त बना रहे।

3–सह गुणकत्व : सह गुणकत्व में चरो का पारस्परिक सम्बन्धित होना तो दिखाई देता है, किन्तु यह सम्बन्ध न तो कार्यकारण का होता है और न ही उत्पादक उत्पाद्य का।[20]

आदर्श अभिकल्प में प्रस्तुत चर के मूल्यों को निश्चित करना एक बड़ी समस्या है। यदि चर मूल्य को स्थिर रखना है तो उसका एक ही मूल्य होना चाहिये यदि चर के

---

(17) लिण्ड क्वीस्ट, 1953,21

(18) सोलेमन, आर0 1949 एन एक्सटेशन आफ कन्ट्रोल ग्रुप डिजाइन साइक्लोजिकल बुलेटिन–पेज–91

(19) सोलेमन, 1949,93

(20) सोलेमन 1949, 95

मूल्यों को बदलना है तो निर्देश स्पष्ट होना चाहिये।

जहाँ तक चरों की गुणात्मकता, मात्रात्मकता का सवाल है वहाँ यह नही भूलना चाहिये कि समस्या जितनी अधिक विशिष्ट होगी, उसमें उतनी ही अधिक मात्रात्मकता होगी।

गुणात्मकता वस्तु के गुणों, लक्षणों के वर्गीकरण से लाभान्वित है। यथा, संगठित, असंगठित, होड़, सहयोग।

(ब) अवलोकन पक्ष : शोध कार्य प्रारम्भ करने में शीघ्र ही यह अनुभव करना पड़ता है कि आदर्श अभिकल्प का व्यूह ज्यों का त्यों नही चल सकता, उसमें यत्र–तत्र कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है शोध के इन नये स्तर को अवलोकन पक्ष कहते हैं।[21]

अवलोकन करते समय कुछ व्यक्ति अपेक्षित सहयोग नही प्रदान करते। कुछ मिलते नही, कुछ मना कर देते हैं, तब उनसे सहयोग कैसे प्राप्त किया जाये। सहयोग की समस्या व्यक्तियों, वातावरण तथा उत्तेजना के प्रसंग को उठा सकती है।

व्यक्तियों का असहयोग तीन रूप लेता है।

1– अप्राप्य होना

2– असहयोग

3– त्रुटिपूर्ण उत्तर

इन समस्याओं को कुछ बातें ध्यान मे रखकर दूर भी किया जा सकता है। जैसे–पहले समय निश्चित कर लेना, प्रशिक्षित व्यक्तियों को तथ्य सकंलन हेतु भेजना, बार–बार मिलने का यत्न करना एवं सहयोग की अपील प्रकाशित करना अच्छा रहता है।

त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिए आवश्यक है कि उन्हें खोज निकाला जाय। मिलान करना आवश्यक है। वातावरण तथा उत्तेजनों के बारे में दोषों का निराकरण के लिए आवश्यक है कि सूचना पटी बड़ी सावधानी से बनायी जाए उसमें वैधता तथा विश्वसनीयता

---

(21) कार्ल,एन0लेलबेलिन,1953,लीगल ट्रेडीशन एण्ड स्पेशल सांइस मेथड,इन बुकिंग इन्स्टीटयूशन कमेटी ऑन ट्रेनिंग एसाइन रिसर्च मेथड इन दि सोशल साइंस पेज–113,114

हो।[22]

(स) कार्यात्मक पक्ष : इस पक्ष का उद्देश्य होता है कि जो बातें विशेष रूप से प्रतिदर्श सांख्यिकी तथा अवलोकन पक्षों में रखी गयी है उन्हें आगे बढ़ाया जाये। शोध के कार्यो निर्देशों तथा उपकरणों में समाविष्ट विशेष बातों को कार्य रूप में परिणित किया जाये।

वास्तविक शोध कार्य से पूर्व तीन प्रकार की योजनायें महत्वपूर्ण होती हैं–

1– मार्गदशा अध्ययन

2– पूर्व परीक्षण

3– योजना परीक्षण

शोध अभिकल्प के प्रकार :

सभी प्रकार के शोधों का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है किन्तु उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न प्रकार से हो सकती है इसी कारण शोध अभिकल्प भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं शोध अभिकल्प चार प्रकार के होते हैं।

1– अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध अभिकल्प :

जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्ही सामाजिक घटनाओं में अन्तर्निहित कारकों को खोज निकालना होता है तो सम्बन्धित रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं इस शोध अभिकल्प में शोध कार्य की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति व उसकी वास्तविकताओं को खोज निकाला जा सके। अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प कारणों के खोज निकालने की एक योजना है। यह उन आधारों को प्रस्तुत करता है जो कि एक सफल शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

2– वर्णनात्मक शोध अभिकल्प :

किसी विषय या समस्या के सन्दर्भ में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना वर्णनात्मक शोध अभिकल्प कहलाता है। इसकी आवश्यक

---

(22) मरर्टन, आर0के0,1949,सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर,टू वर्ड कोडिफिकेशन आफ थ्योरी एण्ड रिसर्च,कोलम्बिया यूनिवर्सिटी,प्रेस,पेज–55

शर्त यह है कि विषय के सम्बन्ध में यर्थात तथा पूर्ण सूचनायें प्राप्त हों, क्योंकि इनके बिना अध्ययन विषय या समस्या के सम्बन्ध में जो भी वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा, वह वैज्ञानिक न होकर दार्शनिक होगा।

3—निदानात्मक शोध अभिकल्प :

जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी समस्या के कारणों के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञात प्राप्त क़रके उन समस्या के समाधानों को प्रस्तुत करना हो तो इस प्रकार के शोध अभिकल्प को निदानात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता समस्या का हल प्रस्तुत करता है न कि स्वयं समस्या को हल करने का प्रयत्न करता है। शोधकर्ता वैज्ञानिक पद्वतियों के माध्यम से समस्या के कारणों को को ज्ञात करने के बाद यह जानने का प्रयत्न करता है कि समस्या का समाधान किस तरीके से हो सकता है।

4—परीक्षणात्मक शोध अभिकल्प :

समाजशास्त्र भी भैतिक विज्ञान की भाँति अपने शोध कार्यो में परीक्षण प्रणाली का प्रयोग कर अधिकाधिक यर्थाथता लाने का प्रयत्न कर रहा है। समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन नियंत्रित दशाओं में रखकर निरीक्षण परीक्षण के द्वाराकरने की रूपरेख को परीक्षणात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं। चैपिन ने लिखा है ''समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्रंरचना की आवश्यकता नियंत्रण की दशाओं के अन्तर्गत निरीक्षण द्वारा मानवीय सम्बन्धों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है।[23]

परीक्षणात्मक शोध तीन प्रकार का होता है —

1— पश्चात परीक्षण

2— पूर्व पश्चात परीक्षण

3— कार्यान्तर तथा परीक्षण

1—पश्चात परीक्षण : इसके अन्तर्गत समान विशेषताओं व प्रकृति वाले दो समूहों को

---

(23) चैपिन—इक्सपेरीमेन्टल डिजाइन इन सोशिलाजिकल रिसर्च,पेज नं0—28

चुन लिया जाता है। जिसमें से एक नियंत्रित समूह एवं दूसरा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन नही लाया जाता जबकि परीक्षणात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है।

2– **पूर्व पश्चात परीक्षण** : इसमें अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है और उसी का अध्ययन एक अवस्था विशेष के पहले और बाद में किया जाता है। इन दोनो अध्ययनों के अन्तर को देखा जाता है और उसे ही परिवर्तित परिस्थिति का परिणाम मान लिया जाता है।

3– **कार्यान्तर तथ्य परीक्षण** : इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक घटना क्रमों का तुलनात्मक अध्ययन द्वारा परीक्षण कर वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों की खोज करना कार्यान्तर तथ्य परीक्षण कहलाता है।

प्रस्तुत शोध का अभिकल्प : उपर्युक्त विवरण के संदर्भ में प्रस्तुत शोध का अभिकल्प अन्वेषणात्मक ,वर्णनात्मक तथा निदानात्मक है। इसका मुख्य उद्देश्य नगरीय एवं ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है साथ ही कुछ परिकल्पनाओं जिनका की निर्माण भारतीय समाज की प्रचलित दशाओं तथा उपलब्ध शोध सामग्री पर आधारित है का परीक्षण करना भी है। इसके अतिरिक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर समस्या के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना भी वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य है।

समग्र तथा प्रतिदर्श :

भारत एक ग्राम प्रधान देश है जहाँ पर 1991 की जनगणना के अनुसार 72. 5 ग्रामीण तथा 27.2 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास करती है जिसको आरेख 1.1 में प्रस्तुत किया है।[24]

---

(24) श्रोत – सामान्य जनसंख्या तालिका भाग–2, क (i) श्रृंखला
भारत की जनगणना, 1981–भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली, 1985।

प्रस्तुत अध्ययन में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड संभाग में स्थित चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाला जिला बाँदा नगर, एवं उससे 6 किलो मीटर दूर स्थित बड़ोखर खुर्द गाँव में किया गया है जो कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण और ग्राम नगर नैरन्तर्य तथा अध्ययन के उद्देश्यों के द्रष्टिकोण से उक्त अध्ययन का चयन किया गया है। इस अध्ययन में बाँदा नगर तथा बड़ोखर खुर्द गाँव की महिलाओं की सामाजिक संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना जानने की कोशिश की गयी है।

उक्त संदर्भ में अध्ययन–पूर्व सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि इस नगर में हिन्दू ,मुस्लिम ,सिक्ख, ईसाई सभी समुदाय के लोग रहते हैं परन्तु यह नगर हिन्दु बहुलक है, दूसरे नम्बर में मुस्लिम, सिक्ख तथा ईसाई परिवार भी अस्तित्व में है। वर्तमान में बाँदा नगर की जनसंख्या 1,38,145 है तथा 1000 पुरूषों में 860 महिलाऐं हैं।

बड़ोखर खुर्द जो बाँदा जिले के अन्तर्गत आता है जहां वर्तमान 13 प्रतिशत सामान्य 50 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 2 प्रतिशत अल्पसंख्यक 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति के शामिल है। वर्ण व्यवस्था की द्रष्टि से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र वर्ण के व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं, वैश्य वर्ण के लोगों का अस्तित्व इस गाँव में नही है।

अध्ययनं की सूक्ष्मता, गहनता, तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए स्तरीकृत निदर्शन पद्वति के द्वारा 600 महिलाओं का चयन किया गया जिसमें 300 नगर तथा 300

गाँव की शामिल की गयी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समग्र में अध्ययन की जाने वाली सम्पूर्ण इकाइयों की संख्या क्रमवार 62,684,1285 है। अध्ययन की सुविधा के द्रष्टिकोण से इन अध्ययन इकाइयों मे से 600 महिलाओं का चयन दैव निदर्शन प्रविधि के द्वारा किया गया है। जो समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का उचित प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार 600 इकाइयों का चयन किया गया है यही हमारा प्रतिदर्श है, जो समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का लगभग 30 प्रतिशत अंश है। नगरीय क्षेत्र में 28 वार्डो में से 11–11 इकाइयों का चयन किया गया तथा गाँव में इकाइयों का चयन ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त सूचना, वोटर लिस्ट तथा जातीय ग्रामीण बस्ती के आधार पर किया गया।

क्षेत्र कार्य तथ्य संकलन प्रक्रिया (अध्ययन की प्रक्रिया) :

अध्ययन को गहन एवं वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक विधि का सहारा लिया गया क्योंकि इस विधि के द्वारा सामग्री का सैद्धान्तिक तथा तुलनात्मक आधार पर विश्लेषण कर के सामान्यीकरण निकाले जाते हैं।[25] यह विधि प्राचीन समाज में तथा उसके मध्यकाल व वर्तमान काल में चिरस्थायित्व पर केन्द्रित करती है। ऐतिहासिक विधि के द्वारा ही महिलाओं की प्राचीन स्थिति तथा समाज के प्रति उसके पूर्वाग्रह का आंकलन करने में सुविधा प्राप्त हुई है।

शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का सहारा लिया गया। वास्तव में साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि के अन्तर्गत शोध छात्रा के द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं को अपने–सामने बैठाकर साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्रश्न पूंछकर अध्ययन विषय से सम्बन्धित सूचनायें संकलित करने का प्रयत्न किया गया। साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त आंकड़ो का सांख्यिकीय निर्वचन कर अन्तः सम्बन्धात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची की रचना इस प्रकार से की गयी है जिससे कि हमारे उपरोक्त उपकल्पनाओं को भली–भांति जांच सम्भव हो सके। उत्तरदात्रियों से साक्षात्कार के समय अपेक्षित तथ्यों के सकंलन के साथ–साथ गाँव तथा नगर की सामाजिक जीवन,

---

(25) रावत हरीकृष्ण–समाजशास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर–पेज–16।

भौगोलिक सरंचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं आदि से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त की गयी है।

सामान्यता शोध छात्रा ने इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सहायक सूचनाओं की प्राप्ति व संग्रहित सामग्री के परीक्षात्मक अध्ययन के लिए प्रयोग की है। गवेषिका का व्यक्तिगत रूप से ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं से मिलना, अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना इस अनुसूची का मुख्य उद्‌देश्य रहा है। जिससे कि शोध छात्रा साक्षात्कार के दौरान वर्गीकरण व व्यवस्थित क्रम में आवश्यक तथ्यों को एकत्र कर सके। अधिकतर ग्रामीण एवं तुलनात्मक रूप से कुछ नगरीय महिलाएं अशिक्षित थी इसलिए गवेषिका ने साक्षात्कार अनुसूची में संक्षिप्त, सरल व उत्तर देने में समर्थ प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है। ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में विचारों अथवा भावनाओं की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए 'क्यों, क्या, कब' वाले प्रश्नों को सम्मिलित किया है। अनुसूची में सन्देहपूर्ण , अस्पष्ट, विशिष्ट एवं बहु अर्थक प्रश्नों का प्रयोग नही किया गया बल्कि संयोजित प्रश्न दोहरे प्रश्न श्रेणीबद्ध प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न को सम्मिलित किया गया। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से गॉव एवं नगर की महिलाओं की मनोवृत्तियों को जानने का प्रयत्न किया गया।

तथ्यों के संकलन के लिए गहन अवलोकन से उत्तरदात्रियों की सहभागिता को दृष्टव्य करते हुए निरीक्षण प्रविधि का भी प्रयोग किया गया जिससे उत्तरदात्रियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन तथा उनके समान परिवेश की पर्यावरण सम्बन्धी व्यवहारों की सही जानकारी के लिए अवलोकन का आश्रय लेना अत्यन्त आवश्यक था। केवल उत्तरदात्रियों के साक्षात्कार के आधार पर अनुसूची के माध्यमसे ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक जीवन के वास्तविक एवं समग्र स्वरूप को समझना सम्भव नही था। इस दृष्टि से अर्थ–सहभागी अवलोकन विधि ा एवं सहभागी निरीक्षण विधि का सहारा लिया गया। तथ्य संकलन के दौरान शोध छात्रा को यह अनुभव हुआ कि ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं को बस्तियों, मोहल्लों में केवल उत्तरदात्रियों से ही भेद करना पर्याप्त नही था बल्कि ग्रामीण एवं नगरीय

महिलाओं के सभी पहलुओं की जानकारी के लिए ग्राम तथा नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से नगरवासियों जिनमें उत्तरदाता भी सम्मिलित है, से सम्पर्क किया तथा उनसे घनिष्ठता स्थापित की। इसके पश्चात ही वास्तविक साक्षात्कार प्रारम्भ किया गया। प्रत्येक गाँव की बस्ती तथा नगर के मोहल्ले में अवलोकन तथा बातचीत के माध्यम से जो सूचनायें प्राप्त हुई उन्हें एक फील्ड डायरी में लगातार नोट किया गया। इस फील्ड डायरी में आवश्यक सूचनाओं तथा महिलाओं की प्रतिक्रियाओं को अंकित किया गया। शोधकार्य के लिए यह डायरी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई। वास्तव में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा उनके परिवर्तनीय परिवेश का जो समग्र चित्र डायरी में अंकित तथ्यों से प्राप्त हुआ है। वह साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त होना सम्भव नही था। इसी क्रम में गॉव एवं नगर के प्रमुख व्यक्तियों, महिलाओं, नेताओं एवं नवयुवकों से भी सम्पर्क स्थापित किया गया। इसी क्रम में ग्राम एवं नगर अनुसूची तथ्य फील्ड डायरी में जनसंख्या परिवारों की संख्या, आय के साधन आदि के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिक नेताओं, भूमिपतियों, ठेकेदारों ग्रामीण एवं नगरीय राजनीतिक, महिलाओं के द्रष्टिकोण एवं व्यवहार आदि के विषय में आवश्यक जानकारी हासिल की गयी।

ग्रामीण एवं नगरीय स्थायी निवासिनी महिलाओं के साथ सम्पर्क के अलावा दूसरे लोगों से सम्पर्क किया गया जो इन क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यो में लगे हुये हैं। ऐसे लोग गाँव एवं नगर की सामाजिक वास्तविकताओं को समझने में काफी सहायक सिद्ध हुये हैं। इसी प्रकार विकास क्षेत्रों कार्यकर्ताओं से भी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। अनेक बार जाने से वहाँ के लोगों से मैत्री एवं सद्भावनापूर्ण सम्पर्क हो जाने से महिलाओं के सामाजिक जीवन और उसमें होने वाले परिवर्तन की जानकारी मिली। अध्ययन क्षेत्र में व्यापक परिचय स्थापित हो जाने की वजह से उत्तरदात्रियों से साक्षात्कार करने में भी शोध छात्रा को काफ़ी सुविधा हुई। प्राथमिक तथ्यों को प्रमाणिक एवं पुष्ट बनाने के लिए क्षेत्र समिति, जनपद के आंकड़े, नगरपालिका द्वारा प्रदत्त आंकड़े, एवं विद्वानों के अध्ययन, पुस्तकें, विशिष्ट कमेटियों की रिर्पोट, रिकार्ड समाचार पत्र व

पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाओं आदि को अपने अध्ययन में द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया है।

विगत विवरण में अध्ययन क्षेत्र तथा पद्वति पर प्रकाश डाला गया है। प्रथमतः समस्या का निरूपण करते हुए अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख किया गया, तदुपरान्त परिकल्पनाओं को प्रस्तुत कर सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा की गयी, मौलिक प्रत्ययों की परिभाषा के पश्चात शोध अभिकल्प का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसी तारतम्य में समग्र तथा उसकी इकाइयों, प्रतिदर्श, तथ्य सकंलन प्रविधि, क्षेत्र–कार्य आदि को स्पष्ट किया गया।

अध्याय – 2

सामुदायिक परिवेश

विगत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र तथा अनुसंधान अभिकल्प का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत इस अध्याय में उत्तरदाताओं में सामुदायिक परिवेश पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्र किया गया है। भौगोलिक दशाओं तथा सामाजिक संस्थाओं का समुदाय की सामाजिक संरचना तथा संस्कृति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार का प्रभाव देखा गया है। मॉण्टेस्क्यू, टिप्पोक्रेटीज् क्वेटलेट आदि ने भौगोलिक कारकों के मानव जीवन पर प्रभाव का उल्लेख किया है। ''माण्टेस्क्यू'' का मत है कि भौगोलिक- पर्यावरण ही मानव के शारीरिक एवं मानसिक गुणों को विकसित करता है तथा मानव व्यवहार भी भौगोलिक पर्यावरण की देन है। ''हिप्पोक्रेटिज'' का मत है कि ''मानव प्रकृति जलवायु से प्रभावित होती है'' यूरोप एवं एशिया में भिन्न–भिन्न व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषतायें होने के कारण वहाँ की भिन्न भौगोलिक विशेषतायें हैं। 'क्वेटलेट' ने कहा है कि 'मानव' का चरित्र एवं नैतिकता भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है।'' यद्यपि भौगोलिक–वादियों के विचार अतिश्योक्तिपूर्ण है फिर भी उनकी आंशिक सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। भौगोलिक तथा सामाजिक संस्थाओं को ध्यान में रखकर अध्ययन के सामुदायिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्तुत अध्ययन भारत के उत्तर–प्रदेश प्रान्त के बुन्देलखण्ड संभाग में स्थित चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाला जिला बाँदा जनपद एवं उसके एक गाँव

उत्तर प्रदेश
भारत
उत्तर प्रदेश
बाँदा
बाँदा नगर
बाँदा जनपद
बड़ोखर खुर्द

बड़ोखर खुर्द की महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है।

भारत विश्व का एक प्राचीनतम देश है जो पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था तथा बाद में प्रतापी राजा दुष्यन्त के वीर पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। गणतंत्र भारत के निर्माण के बाद इसे इण्डिया कहा जाने लगा। भारत का विस्तार अद्धोरण जलवायु प्रदेश में है। यह हिन्द महासागर के मध्यवर्ती मार्ग पर स्थित है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसकी भू0 सीमा 15,200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है।[1] जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना की जनगणना के अनुसार 102.01 करोड़ है जो निवासित है, 593 जिलों में 5564 तहसील/तालुकों में 5161 कस्बों में तथा लगभग 6.4 लाख गांवों में बसी है। जिसकी वार्षिक वृद्धिदर 1991–2001 की अवधि में 1.95 प्रतिशत हो गयी है जो 1981–91 में 2.16 थी।[2]

भारत 28 राज्य में विभाजित है जिसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत प्रदेशों में से एक है, उत्तर में उत्तरांचल एवं नेपाल, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ,पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान स्थित है।[3] जिसका क्षेत्रफल 2,38,566 वर्ग कि0मी0 है। जिसकी जनसंख्या 1,66,052,859 है, जिसमें 87,466,301 (52.67 प्रतिशत) पुरूष तथा 78,586,558 (47.33 प्रतिशत) महिलाएं शामिल हैं।

साक्षरता की द्रष्टि से कुल साक्षरता 77,770,275 (57.36%) है 50,256,119 (70.23%) पुरूष एवं 27,519,156 (42.98%) महिलाएं हैं।

---

(1) गुप्ता नन्द किशोर–1995–96 बांदा जिले का आदर्श भूगोल, प्रकाशन विधा केन्द्र,बांदा पेज–7,8

(2) सम–सामायिक घटना चक्र–जनसंख्या एवं नगरीयकरण, सम–सामायिक घटना चकृ प्रकाशन, इलाहाबाद पेज 2,11

(3) कौशल स्व0 बीबी सिंह–राष्ट्रीय स्कूल एटलस पेज–80, (मैप हाउस) दिल्ली।

(4) सम–सामायिक घटना चक्र–जनसंख्या एवं नगरीयकरण, सम–सामायिक घटना चक्र प्रकाशन पेज–57।

सारणी 2.1

भारत एवं उत्तर-प्रदेश की जनंसख्या के विभिन्न संकेतको की स्थिति[5]

क्र0	संकेतक	सम्पूर्ण भारत की स्थिति	उत्तर प्रदेश की स्थिति	अन्तर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1.	कुल जनंसख्या (करोड़) में	102.70	16.65	16.5% भाग
2.	पुरूषों की संख्या "	53.13(15.37%)	8.74(52.65%)	(+) 0.92
3.	ग्रामीण पुरूषों की संख्या "	38.11(51.38)	6.91(52.55%)	(+) 1.17
4.	शहरी पुरूषों की संख्या "	15.01(52.61%)	1.84(53.33%)	(+) 0.72
5.	महिलाओं की संख्या "	49.57(48.27%)	7.86(47.35%)	(–) 0.92
6.	ग्रामीण महिलाओं की संख्या "	36.05(+8.62%)	6.24(47.45%)	(–) 1.17
7.	शहरी महिलाओं की संख्या "	13.52(47.39%)	1.61(46.67%)	(–) 0.72
8.	कुल ग्रामीण जनसंख्या "	74.17(72.22%)	13.15(79.22%)	(+) 5.00
9.	कुल शहरी जनसंख्या "	28.53(27.78%)	3.45(20.78%)	(–) 7.00
10.	स्त्री पुरूष अनुपात (प्रतिहजार पु0)	933	898	(–) 35
11.	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)	65.38	57.36	(–) 0.02
12.	पुरूष साक्षरता "	75.85	70.23	(–) 5.62
13.	महिला साक्षरता "	54.16	42.98	(–) 11.18
14.	दशकीय वृद्धि दर "	21.34	25.80	(+) 4.46
15.	वार्षिक वृद्धि दर "	1.93	2.30	(+) 0.37
16.	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी)	324	689	(+) 365
17.	अनु0जाति के लोगों की जन0 %में	16.5%	21.0%	(–) 4.5
18.	अनु0जनजाति के " " "	8.1%	0.2	(–) 7.9
19.	हिन्दु धर्मावलम्बियों की सं0करोड़में	67.62(82.4%)	11.37 (81.7%)	(–) 0.7
20.	मुस्लिम " " " "	9.52(11.7%)	2.41(17.3%)	(+) 5.6
21.	ईसाई " " " "	1.89 (2.3%)	0.02(0.2%)	(–) 2.1
22.	सिख " " " "	1.63 (0.2%)	0.07(0.5%)	(–) 1.5
23.	बौद्ध " " " "	0.60 (0.8%)	0.2(0.2%)	(–) 0.6
24.	जैन " " " "	0.34(0.4%)	0.02(.1%)	(–) 0.3
25.	अन्य " " " "	0.35(0.4%)	0.20(0.1%)	0.3
26.	हिन्दू भाषायी लोगों का प्रतिशत	42.90	90.11	(+)47.21
27.	ऊर्दू भाषाई लोगों का प्रतिशत	570	8.98	(–) 3.28

क्रम संख्या 17 से 27 वर्ष–1991 की जनगणना के अनुसार है।

(5) कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित–ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका मई–2002 पेज–21, 22, 23.

उत्तर प्रदेश को मिनी भारत की संज्ञा दी ज़ाती है लेकिन यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का देश की जनंसख्या और उसके विभिन्न अवयवों से तुलना की जाये तो विदित होता है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य अवश्य है। लेकिन यहाँ जनसंख्या के विभिन्न संकेतकों के सन्दर्भ में अधिकांश क्षेत्रों में असमानताऐं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रदेश की जनंसख्या में पुरूषों और महिलाओं का प्रतिशत ग्रामीण और शहरी जनंसख्या का प्रतिशत शिशुओं की जनंसख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत स्त्री–पुरूष अनुपात साक्षरता का प्रतिशत जनसंख्या घनत्व अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रतिशत आदि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश की तुलना में काफी असमानताएं है। प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिवर्ग किलोमीटर घनत्व 869 है जो सम्पूर्ण देश के घनत्व (324) से दोगुने से भी अधिक है। स्त्री पुरूष अनुपात की द्रष्टि से देखे तो यह राष्ट्रीय औसत 933 से 35 प्रति हजार की दर से कम है। साक्षरता का प्रतिशत या राष्ट्रीय औसत 65.58 से लगभग 8 प्रतिशत कम है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर और वार्षिक वृद्धि दर में क्रमशः 446 तथा 0.37 का अंतर परिलक्षित हुआ है। अर्थात उत्तर–प्रदेश में जनंसख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक है। सामान्यतया जनसंख्या के अन्य संकेतकों में भी लगभग यही स्थिति रही है।

उत्तर–प्रदेश में 70 जिले है जिसमें से एक जिला बाँदा भी है।[6] बाँदा उत्तर प्रदेश में स्थित बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक पिछड़ा हुआ जिला है। प्राचीन काल में यह बामदेव ऋषि क़ा निवास स्थान था। इसी कारण इस स्थान का नाम बाँदा पड़ा।

जनपद बाँदा धार्मिक एवं ऐतिहासिक गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चित्रकूट की पर्वत मालाओं की रमणीयता से मोहित होकर भगवान राम ने इसे बनवास स्थल चुना था। रामायण के रचयिता आदि कवि बाल्मीकि का जन्म स्थल जनपद राजापुर ग्राम में है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना जनपद के राजापुर कस्बा जो उनका जन्म स्थान भी है, में रहकर की। भगवान शंकर ने समुद्रमंथन

---

(6) सम सामायिक घटना चक्र–जनसंख्या एवं नगरीयकरण,समसामायिक घटना चक्र– प्रकाशन इलाहाबाद–पेज–23

से निकले विष को पान करने से हुई जलन को दूर करने के लिए कालिंजर में रहकर शीतलता पाई थी। यहीं पर भारत का 22वां शिवलिंग स्थापित है। कालिंजर दुर्ग में ही मुस्लिम शासक सूरी का मकबरा स्थित है। स्वतंत्रता की लड़ाई में बाँदा के नवाब अली बहादुर ने अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई में झांसी की रानी का खुलकर सहयोग किया था।[7]

क्षेत्रफल (जिला बाँदा) :

बाँदा जिले का क्षेत्रफल 4171.09 वर्ग कि0मी0 है।[8] इसके उत्तर में फतेहपुर, दक्षिण में छतरपुर, पन्ना, सतना (मध्य प्रदेश) पूर्व में इलाहाबाद व रींवा (मध्य प्रदेश) है तथा पश्चिम में मटौंध तथा उत्तर में चंदवारा से दक्षिण में कालिंजर तक फैला है। बाँदा 24^0.52 से 25^0.25 उत्तरी दक्षांश तथा $80^0$40 से $81^0$34 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। पूर्व से पश्चिम 147 कि0मी0 लम्बा तथा उत्तर से दक्षिण 104 कि0मी0 चौड़ा है। बाँदा यमुना नदी और विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसका कुछ भाग छोड़कर शेष भाग ऊँचा नीचा एवं पहाड़ी है। जिसका ढाल—दक्षिण—पश्चिम से उत्तर—पूर्व की ओर है।

यहं कई नादियों से घिरा हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना नदी, केन नदी, बागै नदी, मंदाकिनी, बाल्मीकि, गन्ता, चन्द्रावलि तथा गड़रा नदी है। बाँदा जिले का दक्षिण पूर्वी भाग अधिकतर पहाड़ों से घिरा हुआ है। मड़फा, रसिन, कालिंजर, खत्री, बाम्बेश्वर, चित्रकूट, रामचन्द्र, बाल्मीकि, सिंघला पहाड़ है।[9]

जनसंख्या–

बाँदा जनपद की कुल जनसंख्या—2001 की जनगणना के अनुसार 40,52,050 है जिसमें पुरूषों की संख्या—2,176,954 (53.71 प्रतिशत) और स्त्रियों की संख्या—18,75,096 (46.29 प्रतिशत) है। जिसमें अनुसूची जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या—2,69,485 है। जनपद में हिन्दी बोलने वालों की कुल जनसंख्या—18,21,386, उर्दू बोलने वाले 39684, पंजाबी 81, बंगाली 47 तथा 884 अन्य भाषा बोलने है। जनपद में 17,41,760

---

(7) जिला संख्या अधिकारी विभाग, अष्ठम पंच वर्षीय योजना,1992—93 पेज—3 जिला बांदा।

(8) सांख्यिकीय पत्रिका—2001, जनपद बांदा पेज—1

(9) गुप्ता नंद किशोर—बांदा जिले का आदर्श—भूगोल,प्रकाशन सरस्वती ज्ञान मंदिर,विधा केन्द्र, बांदा—पेज— 12, 15, 16,17,18

हिन्दू 118434, मुसलमान 716, ईसाई 254, सिक्ख 39 बौद्ध 839 जैन एवं 54 अन्य धर्मावलम्बी हैं।[10]

सारिणी 2.2

बाँदा जनपद की जनसंख्या[11]

क्र0	संकेतक	1991	2001
1.	दशकीय प्रतिशत वृद्धि	23.69	18.49
2.	प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या	832	860
3.	जनसंख्या घनत्व	287	340
4.	कुल साक्षरता	32.15	54.84
5.	पुरूष	59.88	68.89
6.	महिला	27.25	37.10
7.	कुल ग्रामीण जनंसख्या	—	1067123
8.	महिला	—	430228
9.	पुरूष	—	576895

प्रशासनिक संरचना : प्रशासनिक सुविधा हेतु जनपद में 4 तहसीले हैं।[12]

1— बाँदा

2— बबेरू

3— नरैनी

4— अतर्रा

---

(10) जिला सांख्यिकीय पत्रिका—उपरोक्त आंकड़ों में संस्थागत परिवारों के भाषा सम्बन्धी सम्मिलित न होने के कारण इसका मिलान कुल जनसंख्या से नही होगा—पेज—24—25

(11) सम समायिक घटना चक्र

(12) बांदा जिले का आदर्श भूगोल—पेज—23,24,

समस्त तहसीलों के अन्तर्गत कुल 8 विकास खण्ड हैं[13]

तहसीलों के अनुसार विकास खण्ड

	ब्लाक	तहसील
1.	बड़ोखर खुर्द	बाँदा
2.	जसपुरा	बाँदा
3.	तिन्दवारी	बाँदा
4.	महुआ	अतर्रा
5.	नरैनी	नरैनी
6.	बिसण्डा	अतर्रा
7.	बबेरू	बबेरू
8.	कमासिन	बबेरू

बांदा जनपद में सभी विकास खण्डों के अन्तर्गत 118 न्याय पंचायतें तथा 910 ग्राम सभायें हैं 2 नगर पालिकायें हैं तथा 8 टाउन एरिया हैं।[14]

नगर पालिका

1– बाँदा

2–अतर्रा

टाउन एरिया

1. राजापुर
2. मानिकपुर
3. बबेरू
4. बिसण्डा बुजुर्ग
5. नरैनी
6. मटौंध
7. तिन्दवारी
8. ओरन

(13) बाँदा जिले का आदर्श भूंगोल–पेज–25, 26

(14) जिला साख्यिकीय पत्रिका आंकड़े–1991 के अनुसार–3–

साक्षरता तथा शिक्षा केन्द्र :

बांदा जनपद में 1991–2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता एवं कार्यरत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का विवरण सारणी 2.3 में प्रस्तुत किया गया है।[15]

सारिणी 2.3

बाँदा जनपद में 1991–2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता एवं शिक्षण केन्द्र

क्र0सं0	संकेतक	1991	2001
1.	कुल साक्षरता	51808	93,277
2.	पुरूष	32,477	55470
3.	महिला	18831	37807
4.	कुल महाविद्यालय	05	06
5.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	69	58
6.	सीनियर बेसिक स्कूल	296	385
7.	जूनियर बेसिक स्कूल	1275	1317

सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1991 की तुलना में 2001 की साक्षरता का स्तर पुरूषों एवं महिलाओं दोनों के लिये बढ़ा है। बाँदा जनपद में कुल 6 महाविद्यालय 58 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीनियर बेसिक स्कूल 385 तथा जूनियर बेसिक स्कूल 1317 हैं। तालिका के अवलोकन से सिद्ध होता है कि 1991–2001 के मध्य शिक्षा को जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार शिक्षण संस्थाओं में भी वृद्धि हुई है। जनपद में 700 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी हैं।

जन स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधायें-

जनपद में स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में यहां 14 ऐलोपैथिक, 20 आयुर्वेदिक, 26 होम्योपैथिक, 4 यूनानी चिकित्सालय है इसके अतिरिक्त कुल 55 प्राथमिक स्वास्थ्य

---

(15) जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद बांदा–2001 पेज, 3–4

केन्द्र, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण 19 तथा 201 उपकेन्द्र है। एक क्षय रोग चिकित्सालय तथा एक कुष्ठ रोग निवारण केन्द्र भी है। 814 बालबाड़ी, आंगनबाड़ी केन्द्र भी हैं।[16]

पशुओं के लिए भी जनपद में चिकित्सालय की व्यवस्था है यहाँ पर 20 पशु चिकित्सालय, 25 पशुधन सेवा केन्द्र है, साथ ही पशुओं की नस्ल सुधारने के हेतु 15 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी खेले गये हैं।[17]

बाँदा में शहरी विकास से सम्बन्धित सुविधायें भी उपलब्ध हैं जनपद में कुल 17 पुलिस स्टेशन हैं, 7 नगरीय तथा 10 ग्रामीण। जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंक 33 तथा 50 ग्रामीण बैंक शाखायें 11 सहकारी बैंक शाखाऐं, 3 सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की शाखाऐं हैं।

जनपद में 143 बस स्टेशन तथा बस स्टाप, 19 रेलवे स्टेशन, विद्युतीकरण कुल ग्राम 539, विद्युतीकरण आबाद ग्राम 539, विद्युतीकरण कुल नगर 8, विद्युतीकरण अनु0 जाति बस्तियां 4,797 , सिनेमा गृह 4 हैं।[18]

बाँदा नगर :

बाँदा नगर, बाँदा जनपद का एक महत्वपूर्ण नगर है। जनपद के परिवेश का उल्लेख करने के पश्चात बाँदा नगर का भौगोलिक, ऐतिहासिक व सामाजिक परिवेश प्रस्तुत है।

भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति :

उत्तर–प्रदेश के बुन्देलखण्ड संभाग में स्थित बाँदा जनपद का बाँदा नगर मुख्यालय है बाँदा नगर केन नदी के पास बसा है तथा उसके दक्षिण भाग में बाम्बेश्वर पहाड़ स्थित है। प्राचीनकाल में यही बामदेव ऋषि का निवास स्थान था और बाम्बेश्वर पहाड़ पर ही उन्होने तपस्या की थी, इन्ही के नाम पर जिले का नाम बाँदा पड़ा।

---

(16) जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 2001 पेज–4,5
(17) जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 2001, पेज–6
(18) जिला सांख्यिकीय पत्रिका, 2001 पेज–1,2,3

प्राचीनकाल में बाँदा के मूल निवासी कोल–भील थे जिन्होने मोहल्ला खुटला आबाद किया[19]. मौर्य साम्राज्य के अंतिम समय में 232 ई0पू0 तक बाँदा भी मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा, 226 ई0 के आस–पास यह जनपद समुद्र गुप्त द्वारा जीत लिया गया। कालिंजर की खुदाई में दो गुप्तकाल अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जिनसे यह सिद्ध होता है कि 325 ई0 तक बाँदा गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत रहा।[20]

बुन्देलखण्ड पर चन्देलों का साम्राज्य होने पर नवीं शताब्दी तक बाँदा भी चन्देलों के शासनाधीन रहा।[21] बाँदा का इतिहास पृथ्वीराज चौहान के जमाने से स्पष्ट होता है जो सन् 1200 ई0 से प्रारम्भ होता है। अठारहवीं सदी के सर्वप्रथम राजा गुमान सिंह ने बाँदा को अपनी राजधानी बनाया। बाँदा नगर की प्रारम्भिक आबादी निम्नी नाले के उस पार राजा के बाग और राजा के तालाब के आस–पास आबाद हुई।

नवाब शमशेर बहादुर सानी व नवाब जुल्फिकार बहादुर ने विभिन्न मोहल्ले, जामा मस्जिद, नवाब टैंक, नवाब अली बहादुर का शाही महल बनवाया।

बाँदा का अर्दली बाजार मिस्टर रिचर्डसन एजेन्ट गर्वनर जनरल द्वारा आबाद हुआ। जरेली कोठी सरकारी मुकदमान मुकदमात तय करने के लिए सन् 1858 में बनवायी गयी। लेफिटनेन्ट गर्वनर कालवर के बांदा आने पर मोहल्ला कालवरगंज आबाद हुआ। हिम्मत बहादुर गोसाई ने गोसाईगंज आबाद किया। बांदा के नवाब की फौज के रहने के लिए बनायी गयी छावनी से मोहल्ला छावनी आबाद हुआ। बलखण्डी नाका बलखण्डी नामक मजदूर फकीर के नाम से आबाद हुआ। नवाब अली बहादुर सानी के नाम सेअलीगंज व बंगाली क्लर्को की आबादी से बंगालीपुरा मोहल्ला बसा। मगरबी साहब के अहाते में पूरे शहर में अकेला गूलर का पेड़ होने की वजह से मोहल्ला गूलर नाका बना।[22] वर्तमान में कुछ मोहल्ले विभिन्न विकास योजनाओं की वजह से बन गये हैं जिसमें सिविल लाइन, इन्द्रानगर, मण्डी समिति शामिल हैं।

---

(19) बांदा गजेटियर, जिला सूचना विभाग,पेज नं0–208

(20) विकास दिग्दर्शिका बांदा, 1988 जिला सूचना विभाग पेज–5–6

(21) विकास दिग्दर्शिका ,1988 पेज–6

(22) बांदा जिला सांख्यकीय पत्रिका 2001 पेज–69

जलवायु :

बाँदा नगर की जलवायु शुष्क किन्तु स्वास्थ्यवर्धक है। मार्च माह से यहाँ गर्मी पड़ना प्रारम्भ हो जाती है। यहाँ का तापमान 50^0 से0ग्रे0 तक पहुंच जाता है। औसत अधिकतम तापमान 47^0 से0ग्रे0 तथा निम्नतम तापमान 6^0 से0ग्रे0 रिकार्ड किया गया है किन्तु यहां की रातें अक्सर बड़ी सुहावनी होती हैं सर्दी के मौसम मे अत्याधिक ठंड पड़ती है।

तीर्थ स्थान, त्यौहार व मेले :

यह नगर ऐतिहासिक होने के साथ–साथ धार्मिक केन्द्र भी है। इसका प्रमाण रामायण,महाभारत आदि धार्मिक ग्रन्थों में मिलता है। यहाँ के अधिकतर निवासी हिन्दू हैं फिर भी मुस्लिम सम्प्रदाय के साथ–साथ अन्य सम्प्रदाओं के लोग भी रहते हैं। यहाँ सभी सम्प्रदाओं में आपसी प्रेंम एवं भाईचारा हैं सभी मिल जुलकर एक दूसरे के तीज–त्यौहारों एवं मेलों में सम्मिलित होते हैं। बाँदा नगर में हिन्दू–मुस्लिम दो सम्प्रदाओं की बहुलता है। यहाँ के प्रमुख हिन्दू त्यौहार–दशहरा, दीपावली, नवरात्रि, कृष्णजन्माष्टमी, रक्षाबन्धन एवं होली हैं। मुसलमानों के प्रमुख त्यौहार ईद, बकराईद, मोहर्रम ,बारावफाद, शबे–बरात एवं रमजान है। सिक्ख लोग अपना त्यौहार बैसाखी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।

बाँदा नगर में हिन्दुओं के धार्मिक स्थान प्रसिद्ध महेश्वरी देवी का मंदिर, महावीरन, संकटमोचन, बामदेवेश्वर महादेव मंदिर, कालीदेवी का मंदिर आदि हैं। मुस्लिम तीर्थ स्थानों में मिस्किन शाह बाबा का मजार, जरेली कोठी, पीली कोठी, गोल कोठी, खानकाह शरीफ, बड़ेपीर साहब की मजार आदि हैं। इसके अतिरिक्त नवाब अली शेर बहादुर द्वारा बनवायी गयी जामा मस्जिद है जिसमें हर शुक्रवार को हजारों मुसलमान नमाज पढ़ते है। एक ईदगाह है जहाँ पर हर वर्ष ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ते हैं व आपस में मिलते हैं।

यहाँ नगर मे कई मेलें लगते हैं, जैसे दशहरा का मेला, कजरी का मेला, शिवरात्रि एवं बसंतपचमी पर बामदेवश्वर महादेव मंदिर का मेला, यहाँ महेश्वरी देवी में प्रतिवर्ष चैत व क्वार के महीने में नवरात्रि की सात–आठ व दस तारीख को मेला लगता

है। बसतपंचमी को मिस्किन शाह बाबा का उर्स हिन्दू मुसलमान मिलकर धूमधाम से मनाते हैं इसके यहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक नवाब टैंक रमणीय स्थल है जिसे बाँदा के नवाब अली बहादुर ने बनवाया था जहाँ वन विभाग द्वारा बनवाया गया वन चेतना बिहार है।

क्षेत्रफल : बाँदा नगर का क्षेत्रफल 11.29 वर्ग किलोमीटर है। नगर की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 6 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर है।

जनसंख्या– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 1,38,145 है जिसमें पुरूष 75,461 (54.62 प्रतिशत) तथा 62,684 (45.38 प्रतिशत) महिलाएं हैं।

साक्षरता तथा शिक्षा केन्द्र– नगर में कुल साक्षर लोग 93,277 है जिसमें 55,470 पुरूष व 37,807 महिलाये हैं यहां शिक्षा के लिए 35 हायर सेकेण्डरी स्कूल बालकों के लिए तथा 12 बालिकाओं के लिए हैं। 200 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 78 सीनियर बेसिक स्कूल हैं तथा 6 महाविद्यालय हैं, 2 मान्यता प्राप्त सिटी मान्टेसरी स्कूल हैं।

स्वास्थ्य सुविधाऐं– स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ 14 ऐलोपेथिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें 219 शैय्यायें उपलब्ध हैं[23] 3 आर्युवैदिक औषधालय एवं एक होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा 3 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं।

नगर में दो पशु चिकित्सा केन्द्र है 2 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं पशुपालन केन्द्र व उपकेन्द्र भी हैं।[24]

अन्य सुविधाऐं–

आधुनिकीकरण की द्रष्टि से नगर में आधुनिक सुविधाऐं भी उपलब्ध है। नगर में 1135 टेलीफोन कनेक्शन 3 डाकधर, एक तारघर , एक पुलिस स्टेशन 79 सस्ते गल्ले की दुकान, 3 बीज गोदाम व 10 कृषि सेवा केन्द्र हैं।[25]

---

(23) रहमानी सबीहा–शोध प्रबन्ध, मुस्लिम महिलाओं में प्रजननता की विभिन्नताओं तथा पारिवारिक आकार के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण। पेज 4.7
(24) बांदा जिला सांख्यकीय पत्रिका–2001, पेज–80
(25) बांदा जिला सांख्यकीय पत्रिका 2001, 16)

नगर में विद्युत की उपलब्धता एवं नल द्वारा पेयजल सुविधा भी उपलब्ध है। नगर में शीत गोदाम, बीज गोदाम, सरकारी कृषि समिति, इण्डेन गैस एजेन्सी, उर्वरक भण्डार गृह व सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें भी हैं। चूँकि बाँदा नगर जनपद का मुख्यालय है इसलिए न्यायालय पुलिस स्टेशन जिला–परिषद आदि प्रशासनिक सुविधायें उपलब्ध हैं।

सामाजिक संरचना :

बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों के तरह बाँदा नगर की सामाजिक संरचना पूर्णतया बुन्देलखण्डी सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा से प्रभावित है। बाँदा नगर में लगभग सभी धर्मावलम्बी व सम्प्रदाओं के लोग रहते हैं किन्तु हिन्दू एवं मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों की अधिकता है।

अर्थ व्यवस्था :

बाँदा नगर पिछड़ां किन्तु विकासशील नगर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं व लघु एवं गृह उधोगों से प्रभावित है जनपद मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, सरकारी एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थायें हैं। पर्याप्त लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग व्यवसाय चल रहे हैं यहाँ मिल एवं कारखानें हैं बाँदा नगर चावल एवं दालमिल, बालू, लाठी आदि अनेक व्यवसाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मोमबत्ती, अगरबत्ती, दरी के कारखानें, बंगलादेशी वस्त्रों का व्यापार होता हैं यह नगर वर्तमान समय में शजर पत्थर के व्यवसाय के लिए बहुत प्रसिद्ध हो रहा है यह पत्थर केन नदी से प्राप्त होता है। जिसे तराश कर बनाया जाता है। इससे सम्बन्धित विवरण सारिणी 2.4 में प्रस्तुत है।[26]

---

(26) नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े।

सारणी–2.4

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं एवं पुरूषों का विवरण

क्र0सं0	संकेतन	कुल	पुरूष	महिला
1.	दीर्घ कालिक कर्मी	31077	28379	2698
2.	अल्पकालिक कर्मी	6181	4771	1410
3.	गैर कर्मी	101996	42560	59438
4.	काश्तकार	1599	1464	135
5.	खेतिहर मजदूर	615	457	158
6.	पारिवारिक उद्योग	1651	1242	409
7.	अन्य. कार्य	33307	29697	3610

सारिणी 2.4 से स्पष्ट है कि पुरुषों के साथ महिलायें भी विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं जिसमें दीर्घकालिक कार्यों के रूप में 31,077 में से 2,698 महिलायें हैं अल्पकालिक कार्यों में 6181 में 1410 महिलायें हैं साथ ही गैर कार्यों के रूप में 1,01,996 में से 59,438 महिलायें हैं जो पुरुषों की संख्या से ज्यादा हैं तथा काश्तकार 1,599 में से 1,035 महिलायें हैं। खेतिहर मजदूरों में 158 तथा पारिवारिक उद्योग में 409 एवं अन्य कार्यों में 3,610 महिलायें शामिल हैं जिससे स्पष्ट है कि नगरीय समुदाय में 40 प्रतिशत महिलायें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

सांस्कृतिक संरचना :

सम्पूर्ण भारतीय समाज में हिन्दू मुस्लिम सम्प्रदाय यद्यपि विभिन्न द्रष्टिकोणों से काफी भिन्नता युक्त हैं फिर भी सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के कारण दोनों सम्प्रदाओं की संस्कृति ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। दोनो समुदायों की सांस्कृतिक सरंचना नैतिक मूल्यों के आधार पर मिलती जुलती है।

नगर के परिवारों में माता पिता को उच्च स्थान प्राप्त है। माता–पिता को सर्वोच्च मानकर उनकी सेवा करना कर्तव्य समझा जाता है। हिन्दू धर्म में पुरा जन्म –पितृ

ऋण से मुक्त होने का आधार है ऐसा लोगों का विश्वास है। पुत्र का महत्व इस लोकोक्ति से स्पष्ट है **''कुल का दीपक पुत्र है, धड़ को दीपक प्राण''** पुत्र के इस महत्व को बाँदा नगर में ही नही वरन् सम्पूर्ण भारत व मुस्लिम समाज में भी स्वीकार किया गया है। पुत्र ही परिवार का भावी कर्ता–धर्ता है परिवार में परम्परा एवं मर्यादा के अन्दर ही रहना पड़ता है। बड़े भाई–को परिवार में पिता तुल्य स्थान प्राप्त है। पिता की मृत्यु के बाद वही घर की देखरेख करता है। बड़े पुत्र को पितृत्व प्रतिष्ठा के कारण ही **''बड़ी बहू के बड़े भाग्य''** कहा जाता है। **''बिना घरनी घर भूत का डेरा''** लोकोक्ति से स्पष्ट है कि नारी का महत्व परिवार में है। नारी, माँ , पत्नी, बहन सभी सम्बन्धों के द्रष्टिकोण से परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये तथ्य विभिन्न सामाजिक रीति–रिवाजों से स्पष्ट होते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन नगर एवं ग्राम की 600 महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है। जिसमें 300 नगरीय महिलायें हैं अतः नगरीय महिलाओं की प्रस्थिति को विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

बाँदा नगर की कुल जनसंख्या में 2,829 दीर्घकालिक कर्मी हैं। 1,410 अल्पकालिक कर्मी हैं, 59,436 गैर कर्मी हैं। 135 कास्तकारी में योगदान दे रही हैं, 158 खेतिहर मजदूर के रूप में कार्यरत हैं 409 पारिवारिक उद्योग में एवं 3,610 अन्य कार्यों में हैं । कुल 67,987 महिलायें कामकाजी महिलाओं की श्रेणी में आती है। जिनकी दिनचर्या मशीनवत कार्य करने की होती है। अर्थात् प्रस्थिति असमंजस्य पूर्ण रहती है।

दूसरे नम्बर में गृहणियाँ है, अधिकांशतः महिलायें परम्परागत रूप से कार्य करती हैं, धर्म में तुलनात्मक रूप से ज्यादा विश्वास करती हैं।

नगरीय समुदाय अभी भी पिछड़ा व प्राचीन परम्परा से जुड़ा होने के कारण रूढ़िग्रस्त है। इस कारण यहाँ की महिलायें अत्यन्त पिछड़ी हुई अंधविश्वासी, रूढ़िवादी

मान्यताओं से घिरी परदे के अन्दर कैद है। यद्यपि सामाजिक राजनैतिक द्राष्टिकोण से समाज में महिलाओं की स्थिति शोचनीय है परन्तु परिवार में माँ, पत्नी के रूप में वे आज भी महत्वूपर्ण स्थान रखती हैं। अधिकाशंतः नगर में महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर तक सीमित है।

वर्तमान में आधुनिकीकरण की वजह से महिलायें भी पुरूषों के साथ काम कर रही हैं और महिला–शिक्षा, राजनीति, सरकारी नौकरी तथा अन्य सभी क्षेत्रों में खुलकर सामने आ रही हैं। अब सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना चाहिये क्योंकि वह कुल का दीपक हैं बुढ़ापे का सहारा हैं की धारणा में परिवर्तन आ रहा है जिसकी वजह से लड़कियों को भी स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा दिलायी जा रही है और सभी वर्गो जातियों की लड़कियाँ नगर के विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

बड़ोखर खुर्द :

ग्राम बड़ोखर खुर्द जनपद बाँदा के मुख्यालय से 6 कि0मी0 की दूरी पर इलाहाबाद झांसी से मिर्जापुंर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जो अम्बेडकर ग्रामों की सूची में आता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

बड़ोखर खुर्द गाँव में अलग–अलग समूहों के लोगों से बात करने पर पता चला कि इस गाँव में प्रारम्भ से चार–छः भांड़ जाति के लोग रहते है तथा कुछ वैश्यायें रहती थीं। यहाँ वैश्याओं का क्षेत्र था। अनेक नाम के आज भी कुछ खेत जाने जाते हैं। पहले बड़ोखर खुर्द का नाम भडोखर था जो भॉड़ो के रहने से पड़ा था। लगभग 50–60 वर्ष पूर्व यहाँ के सरंपच ब्रदी प्रसाद दीक्षित थे उन्ही के समय पर कमिश्नर अब्दुल जलील खां ने इस ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित कर ग्राम का नाम 'बड़ोखर खुर्द' रखा। प्राचीन समय अजयगढ़ राजा की यहाँ रियासत थी। श्री शालिक ग्राम पंडित जी के पुरखे राजा के गुरू थे जिन्होने यहाँ एक विशाल दिवाला बनवाया तथा एक तालाब खुदवाया था राजा ने इन्ही को दिवाला का पुजारी बना दिया था जो कुछ समय पहले तक थे। दिवाले की जगह मन्दिर, हाथी दरवाजा आज भी जाना जाता है और सालिक ग्राम महाराज की

संताने सेवा करती हैं।

बागरी–मौहार जाति के लोग गुरेह से आकर इस ग्राम में बस गये इस कारण कि बागरी मौहार के लोगों ने गुरेह में एक ठाकुर को मार डाला था तब उनकी पत्नी गुरेह में सती हुई थी। कहा जाता है सती होते समय श्राप दिया कि यहाँ बागरी मोहार जाति के लोग नही रह सकते है यदि कोई रहेगा तो उसका वंशनाश हो जायेगा। इस कारण गुरेह में आज भी कोई बागरी मौहार जाति के लोग नही रहते हैं।

बड़ोखर खुर्द में आने के बाद बागरी मोहार जाति के लोगों ने अपनी शक्ति और योजना से मंहत को तीर्थ भेज दिया महंत के तीर्थ जाने के बाद पूरी जमीन अपने कब्जे में कर ली जब वह तीर्थ से वापस आये तो यहाँ की स्थिति को देखकर अंग्रेज सरकार से जांच करवाया जिसमें उन्हें उनकी पूरी जमीन जायदाद मिली। अन्त में मौहार ने महंत की हत्या कर दी जिससे मंहत जी की जायदाद उनके परिवार के हांथ चली गयी। वर्तमान में उस समय के तालाब, कुआं, बगीचा, तथा दिवाला के खण्डहर आज भी देखने को मिलते हैं।

भौगौलिक स्थिति :

यह गाँव बाँदा नगर से 6कि0मी0 की दूरी पर स्थित है इस गाँव की भूमि काबर, पडुआ, मरवा, उसर एवं काली है एवं ट्यूबवेल तालाब, कुआं द्वारा सिंचित है। जमीन ढालदार है जंगल बहुत कम हैं, पानी का स्तर 30–35 फुट के आस पास है।

क्षेत्रफल :

बड़ोखर खुर्द का क्षेत्रफल 5,12,264 हे0 है जिसका 3,71,167 हे0 सिंचित क्षेत्र है तथा1,41,097 हे0 असिंचित क्षेत्र है। ग्राम पंचायत में मजरों की संख्या–3 हैं बिसण्डी खुर्द, बेनी का पुरवा, एवं बालक बाबा का डेरा।[27]

जनसंख्या–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गाँव की कुल जनसंख्या–2,601, जिसमें 1,316 पुरूष , 1,285 महिलायें एवं 785 अनुसूचित जाति के व्यक्ति शामिल हैं जिसमें 410

---

(27) ग्राम प्रधान द्वारा उपलब्धं कराये गये आंकड़े

पुरूष एवं 375 महिलायें हैं।[28]

साक्षरता तथा शिक्षण केन्द्र :

गाँव की कुल साक्षर व्यक्ति 1074 है, जिसमें 686 पुरूष एवं 388 महिलायें शामिल हैं। यहाँ शिक्षा के लिए 3 प्राथमिक विद्यालय (2 बड़ोखर खुर्द एवं 1 बिसण्डा खुर्द) में स्थित है, 1 उच्चतर प्राथमिक विद्यालय हैं।

स्वास्थ्य सुविधायें :

स्वास्थ्य सुविधाओ में यहाँ 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 3 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, पशु चिकित्सालय 0 है।

अन्य सुविधाऐं :

यह गाँव नगर से काफी करीब है इसे हम ' ग्राम नगर नैरन्तरता 'की श्रेणी में रखा गया है। आधुनिकीकरण की द्रष्टि से गाँव में कुछ आधुनिक सुविधायें भी उपलब्ध हैं। जिनका विवरण सारिणी 2.5 में प्रस्तुत है।[29]

बड़ोखर खुर्द की विभिन्न सुविधायें

क्र0सं0	संकेतक	संख्या
1.	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र	01
2.	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	01
3.	उपभोक्ता उचित दर पर राशन की दुकान	02
4.	तालाबों की संख्या	05
5.	हैण्ड पम्प	67
6.	राजकीय नलकूप	0
7.	निजी नलकूपों की संख्या	48
8.	डाकघर	01
9.	विद्युत	है
10.	पंचायत भवन	है
11.	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का आवास	निर्माणाधीन

(28, 29) ग्राम प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

सारिणी 2.5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाँव में एक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, एक न्याय पंचायत, दो उपभोक्ता उचित दर पर राशन की दुकानें हैं। जिससे सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति सरलता से कर लेते हैं। पानी की सुविधा के लिये 5 तालाब, 67 हैण्डपम्प हैं। परन्तु राजकीय नलकूप यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। डाकघर की सुविधा है। विद्युत भी गाँव में उपलब्ध है। पंचायत भवन गाँव में उपलब्ध है परन्तु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवास गाँव में निर्माणाधीन है।

संचालित योजनाएं :

ग्रामीण विकास के लिए ग्राम में अनेक योजनाऐं भी चलायी जा रही है जो निम्नवत हैं।

सारणी—2.6

बड़ोखर खुर्द में चल रही विभिन्न योजनायें

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभार्थी संख्या
1.	वृद्धावस्था पेंशन / किसान पेंशन	17
2.	विकलांग पेशन	11
3.	विधवा पेशन	05
4.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	13
5.	इन्दिरा आवास योजना	32
6.	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना	—
7.	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या—	
8.	अन्त्योदय अन्न येाजना	40
9.	अन्नपूर्णा योजना	05
10.	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	20
	योग— 10 योजना	326(0.12%)

तालिका से ज्ञात होता है कि कुल 10 योजना जो ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही हैं उनमें कुल जनसंख्या में 326 (0.12%) लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिनमें 17 वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा किसान पेंशन योजना में शामिल हैं 11 व्यक्ति विकलांग पेंशन से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 5 महिलायें विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही हैं। 13 व्यक्ति स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभ प्राप्त कर रही हैं। 32 इन्दिरा आवास योजना से, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अन्त्योदय अन्य योजना में 40, अन्नपूर्णा योजना में 5, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत 20 व्यक्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

अर्थात बड़ोखर खुर्द गाँव में विभिन्न सरकारी योजनायें कार्य कर रही हैं जिसका लाभ ग्रामीण उठा रहे हैं। अर्थात ग्राम विकासशील है।

त्यौहार :

यहाँ के अधिकांश निवासी हिन्दू हैं। यहाँ के प्रमुख त्यौहार—दशहरा, दीवारी, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबन्धन एवं होली हैं जिसमें से कुछ त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाते है। दीपावली के अवसर में यहाँ पर परम्परागत रूप से दीवारी खेली जाती है। दीवारी विशेषकर अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है इस नृत्य में समाज के अन्य वर्ग के लोग भी सम्मिलित होते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरूषों का ही नृत्य है। दिवारी पहले चांचर से खेली जाती थी वर्तमान में लाठियों से खेली जाती है। इसे लोग भगवान कृष्ण से जोड़ते है। रक्षाबन्धन से एक महीने पहले से ही प्रसिद्ध जमुनादास जी के हनुमान मंदिर में हर शनिवार तथा मंगलवार को मेला लगता है जहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं।

बडोरवर खुर्द
इलाहाबाद रेलवे लाइन
सम्पर्क मार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग 73
लिन्दवारा
लिन्दवारा

सामाजिक संरचना :

ग्राम बड़ोखर खुर्द की कुल आबादी 2,601 है जिनमें सभी वर्ण के लोग है परन्तु वैश्य वर्ण के लोग यहाँ नही हैं।

यहाँ पर सामान्य वर्ग के 13% पिछड़े वर्ग के 55% अनु0जाति के 30% और 2% अल्पसंख्यक निवास करते हैं। अधिकांश घर खपरैलदार कच्चे हैं । कुछ घर आधे कच्चे व आधे पक्के हैं, बहुत कम घर पक्के हैं।

आर्थिक स्थिति :

अधिकतम लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। गाँव के कुछ लोग नौकरियों में है जो समय–समय पर गॉव आते हैं मध्यम वर्ग की जो स्थिति नगरीय समुदाय में है वही व्यक्ति गॉव में उच्च वर्ग के अन्तर्गत आते हैं यहॉ के लोग दिल्ली, फतेहपुर, सूरज, अहमदाबाद, मुम्बई, पंजाब अपने परिवार के साथ काम करने जाते हैं । गाँव के कुछ लोग दूध का व्यापार भी करते हैं गाँव में लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति भी है जो किसी प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं कृषि के अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत बहुत सीमित हैं।

ग्रामीण महिला की दिनचर्या

पाई चित्रण

महिला प्रस्थिति :

महिलाओं की स्थिति समय और देशकाल के अनुसार बदलती रहती है। ग्रामीण समुदाय आज भी अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है व प्राचीन परम्परागत संस्कृति से जुड़ा होने के कारण रूढ़िग्रस्त है। इस कारण यहाँ की महिलायें अत्यन्त पिछड़ी हुई अन्धविश्वासी, रूढ़िवादी मान्यतायों से घिरी परदे के अन्दर कैद हैं। परन्तु पत्नी, माँ, बहन के रूप में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उच्च जाति के महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर तक सीमित है। निम्नजाति की महिलायें मजदूरी एवं खेतों पर भी काम करती हैं।

राजनीति में वही महिलायें जाती हैं जिस क्षेत्र से महिला सीट आरक्षित है इसके अतिरिक्त अन्य महिला राजनीति में नही आती जो राजनीति में आती है उनका कार्य उनके पति अथवा भाई/पिता ही करते हैं। वे हस्ताक्षर के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नही करती हैं।

उच्च वर्ग के लोग अपने घर की लड़कियों को शहर में भेजकर शिक्षा दिलवाते हैं परन्तु जिनके साधन सीमित है वह गाँव में ही अपनी लड़कियों को 8 या 5वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं, खास तौर से छात्रवृत्ति के लिए भी यह शिक्षा दिलायी जाती है।

उच्च वर्ग के घर की औरतों के द्वारा पर्दा अधिक किया जाता है निम्न वर्ग की महिलायें पर्दा कम करती हैं तथा खेतों में काम करने भी जाती है एवं अन्य कार्य में भी हांथ बटाती हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के सामुदायिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत बाँदा जनपद की भौगोलिक स्थिति कुल जनसंख्या, प्रशासनिक विभाजन, साक्षरता एवं शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवाओं, साथ ही साथ बाँदा नगर एवं बड़ोखर खुर्द गाँव का अध्ययन किया गया है। इस गाँव की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता, शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सेवाओं एवं उपलब्ध अन्य सेवाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक संरचना के अन्तर्गत संक्षिप्त रूप से जाति का नगर एवं गाँव में विवरण स्पष्ट किया गया हे। इसी प्रकार आर्थिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक सरंचना के साथ ही महिला प्रस्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है।

अध्याय – 3

उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि

पिछले अध्याय में प्रतिदर्श की महिलाओं के सामुदायिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सका कि महिलायें किस प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण में जीवन यापन कर रही हैं। प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया जायेगा ताकि सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश का पता चल सके जिसमें महिलायें जीवन यापन कर रही हैं। यह एक सामान्यीकृत तथ्य है कि व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृति परिवेश का उसके व्यवहार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण में जैसा सीखता है, वैसी ही उसकी जीवन रीति बन जाती है। जीवन स्वयं जीने की एक कला है जो कि मानव के सीखने के परिणामस्वरूप ही विकसित होती है। यहाँ पर अध्ययन से सम्बन्धित सभी उत्तरदात्रियों की उन सभी विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो कि उसके सामाजिक परिवेश से प्रभावित होती है।

आयु : निर्धारण में भी आयु की समाज में प्रदत्त एवं अर्जित स्थित महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि आयु एक जैविक तथ्य है तथापि समाज में आयु के अनेक अभिप्रेत अर्थ है। सामाजिक जीवन आयु एक ऐसा जैविक तथ्य है जो पद एवं कार्य की सामाजिक परिभाषा की सीमा का निर्धारण करता है। किसी व्यक्ति को किस आयु में कौन सा पद प्रदान किया जायेगा तथा उसकी भिन्न–भिन्न सामाजिक समूहों में क्या भूमिका होगी, इसका निर्धारण आयु के आधार पर होता है। विभिन्न समाजों में पाये जाने वाले आयु वर्गीकरणों से आयु के महत्व का पता चलता है।[1] शैशवावस्था से युवावस्था तक विकास

(1) एस0एन0 आइजेनस्टाट,फ्राम जनरेशन टू जनरेशनः एज ग्रुप एण्ड सोशल स्ट्रक्चर न्यूयार्क,दि फ्री प्रेस 1956

का क्रम जीवन चक्र में विभिन्नतायें उत्पन्न करता है।[2] यह प्रकृति का ऐसा सत्य ह जिससे बचा नही जा सकता। विभिन्न सांस्कृतियों से उनकी आयु की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न–भिन्न प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।[3] साथ ही समाज के एक ही आयु समूह के लोगों का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा कि समाज उनसे उस आयु में अपेक्षा करता है।

यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है जो सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। ऐसा मानना है कि नगरीय महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में अपने संविधान के आधार पर बने वैधानिक अधिकारों की जानकारी कम पायी जाती है। आयु का बढ़ना एक सत्य है जो कि कभी खत्म नही होता है, या ये कहा जा सकता है कि उम्र अगर बढ़ती है तो उस व्यक्ति का ज्ञान और अनुभव भी उतनी ही तीव्रगति से बढ़ता है। ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा नगरीय महिलाओं को आयु का ज्ञान अधिक होता है। महिलाओं के सन्दर्भ में आयु की महत्ता और भी बढ़ जाती है क्योंकि उनमें विवाह की आयु तथा प्रथम प्रसव के समय की आयु उनके भावी जीवन की सम्भावनाओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह एक समाजशास्त्रीय तथ्य है कि कम आयु में विवाहित स्त्रियों की तुलना में अधिक आयु में विवाहित स्त्रियों के अपेक्षाकृत अधिक संचेतना होती है। कम आयु में विवाह परिवार के आकार के साथ–साथ देश विशेष की जनसंख्या वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी होती है जो कि अन्ततः अनेक सामाजिक समस्याओं के जन्म का कारण बनती है। जिसमें स्वयं स्त्रियों का विकास भी अवरूद्ध हो जाता है। इस कारण की वजह से समाज को भी काफी नुकसान होता है। उत्तरदात्रियों की आयु विषयक तथ्य सारिणी 3.1 में प्रस्तुत है।

---

(2) पारसन्स, रालकार, 1942 एज एण्ड सेक्स इन दि सोशल, स्ट्रक्चर आफ दि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका सोशियालाजीकल रिव्यू –7अक्टू0 1604

(3) बेनेडिक्स स्थ 1938,कान्टीन्यूटीज एण्ड डिस्कान्टीन्यूटीज इन कल्चर कन्डीशनिगं,माइकिही वाल्यूम

उत्तरदात्रियों की वर्तमान आयु

क्र0सं0	वर्तमान आयु (वर्षो में)	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	18–35	102	34	102	34	204	34%
2.	35–50	99	33	99	33	198	33%
3.	50 से अधिक	99	33	99	33	198	33%
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 102 ग्रामीण, 102 नगरीय उत्तरदात्रियों 18–35 वर्ष आयु समूह की हैं। (जिनका प्रतिशत 34 है) 35–50 वर्ष आयु समूह की 99 ग्रामीण तथा 99 नगरीय उत्तरदात्रियां है। (जिनका प्रतिशत 33 है) इसी क्रम में 50 से अधिक वर्ष आयु समूह की उत्तरदात्रियों की संख्या का प्रतिशत 33 है।

जातीय स्तर : भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। प्राचीन,काल से ही भारत में जाति प्रथा का अस्तित्व है जो कि सामाजिक संस्तरण का आधार है। समाज में सभी जातियों की स्थिति समान नही होती वरन् ऊँच–नीच का एक संस्तरण पाया जाता है। जो यह जन्म पर आधारित होती है इसलिए इसमें सामान्तयाः परिवर्तन सम्भव नही होता है। पश्चिम में स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है। किन्तु भारत में जाति और वर्ग दोनों हैं। जाति एक ऐसी सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और जो अपने सदस्यों पर खान–पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू करता है। इस प्रकार जाति हिन्दू सामाजिक संरचना का मुख्य आधार है, क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है।[4] जाति एक राजनीतिक इकाई भी है क्योंकि प्रत्येक व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है। और अपने सदस्यों पर उन्हे लागू भी करती है। जाति पंचायत उसके कार्य और सगंठन राजनीतिक पक्ष के

(4) डॉ0 आर0एन0सक्सेना ; भारतीय समाज तथा संस्थायें पेज नं0–45

कारण इसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता रहा है।[5]

वर्तमान में जाति प्रथा को एक निरर्थक एवं हानिप्रद संस्था कहना एक प्रकार का फैशन बन गया है। जाति प्रथा के विरोधी भावों में वृद्धि हो रही है, किन्तु प्राचीनकाल में जाति ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। भारत में जाति की व्यापकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए मजूमदार ने लिखा है– **''भारत में जाति व्यवस्था अनुपम है।''** भारत विभिन्न सम्प्रदाओं की परम्परात्मक स्थली है यहां की हवा में जाति धुली है। मुसलमान एवं ईसाई भी इससे अछूते नही रहे हैं।[6] महिलाओं के सन्दर्भ में जाति की महत्ता और भी बढ़ जाती है।

परम्परागत रूप से जाति के द्वारा महिलाओं के लिए जो कार्य रहे हैं उनमें शिक्षा प्राप्त करने में रोक, धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने पर प्रतिबन्ध, राजनीति में भाग न लेने देना इत्यादि। जाति तारूण्य की अवस्था प्राप्त होने से पूर्व ही लड़कियों के विवाह करने पर बल देते हैं यह बाल विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध लगाती है।[7] इसी प्रकार दलित,पिछड़ी जातियां हर धार्मिक समुदाय में मौंजूद हैं चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई समुदाय हो। दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने से सभी धर्मो के कमजोर तबकों को आरक्षण मिल जाता है। इसी तरह महिलाओं के 33% आरक्षण में भी दलितों और पिछड़ो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर विशेष आरक्षण देना जरूरी है, इसके तहत सभी धर्मो की दलित और पिछड़ी महिलाओं को विशेष आरक्षण मिल जायेगा। सिर्फ सामान्य वर्ग की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से सिर्फ ऊँची जातियों की महिलायें जो पहले से ही राजनीति में उनको लाभ मिल जायेगा। कमजोर जातियों की महिलायें फिर वहीं की वहीं रह जायेगी।[8] उत्तरदात्रियों की जातीय स्तर सम्बन्धी विवरण सारणी नं0 3.2 में प्रस्तुत किया गया है।

---

(5) डॉ0 सक्सेना ; पेज नं0–531

(6) मजूमदार एवं मदान : रेसेज एण्ड कल्चर इन इण्डिया देखें, पुस्तक '' भारतीय सामाजिक संस्थाये: आर0एन0मुखर्जी, पूर्वोत्तर

(7) आहूजा राम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, पेज नं0–25

(8) राणा कौशल ,सुलभ इण्डिया, पेज नं0–4

उत्तरदात्रियों की जातीय स्तर

क्र0सं0	जातीय स्तर	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	सामान्य	100	33.3	100	33.3	200	33.3
2.	अनु0जाति	100	33.3	100	33.3	200	33.3
3.	अनु0जनजाति	00	00	00	00	00	00
4.	पिछड़ा वर्ग	100	33.3	100	33.3	200	33.3
5.	अन्य	00	00	00	00	00	00
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उच्च जाति (सामान्य) की उत्तरदात्रियों की संख्या 100 ग्रामीण एवं 100 नगरीय है (जिनका प्रतिशत 33.3) है। अनु0जाति की 100 ग्रामीण एवं 100 नगरीय उत्तरदात्रियां है (जिनका प्रतिशत 33.3 है) पिछड़े वर्ग की 33.3 उत्तरदात्रियां शामिल हैं।

पारिवारिक पृष्ठभूमि :

परिवार समाज की आधारभूत संस्थाओं में से एक है जिसका व्यक्ति के समाजीकरण से सीधा सम्बन्ध है। परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है जहां पर उसके विचार, विश्वास, धारणायें, भावनायें, सामाजिक मूल्य आदि जन्म लेते हैं तथा साथ ही पनपते भी हैं। इन सभी का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसकी भावी गतिविधियों से सीधा सम्बन्ध होता है। इसी से परिवार मानव समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई ही नही है बल्कि जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक भी है।[9]

भिन्न–भिन्न समाजों में परिवार भिन्न–भिन्न रूपों मे पाया जाता है। कही पर पितृसत्तात्मक, मातृवंशीय तथा मातृ स्थानीय है। किसी समाज में परिवार एक विवाही है तो किसी अन्य में बहुपति विवाही अथवा बहुपत्नी विवाही। हिन्दू समाज में संयुक्त

(9) ग्रीन ए0 डब्लू0, सोशियोलॉजी पेज–389

परिवारों की प्रधानता है, तो किन्हीं अन्य समाजों में एकाकी परिवार की बहुलता है।
मुस्लिम समाज में भी प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवारों की प्रधानता एवं महत्ता रही है।[12] संयुक्त परिवार जहां व्यक्ति में समाष्टिवादी विचारों को जन्म देते हैं वही एकाकी परिवार उसे व्यष्टिवादी बना देते हैं। नगरीय महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओं के परिवार में गृहकलह अधिक होता है। जिसके कारण ग्रामीण महिलायें नगरीय महिलाओं से पिछड़ी हुई हैं।

उक्त सन्दर्भ में उत्तरदात्रियों के पारिवारिक स्वरूप का विवरण निम्नवत् है–

सारणी 3.3

उत्तरदात्रियों के परिवार का स्वरूप

क्र0सं0	परिवार का स्वरूप	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	संयुक्त	204	68%	132	44%	336	56%
2.	एकाकी	96	32%	168	56%	264	44%
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाँव में संयुक्त परिवारों की संख्या 204 (जिनका प्रतिशत 68 है) जो कि नगर के संयुक्त परिवारों 132 (जिनका प्रतिशत 44 है) 32 की अपेक्षा पर्याप्त अधिक है। गाँव में एकांकी परिवारों की संख्या 96 (32 प्रतिशत) है जो कि नगर के एकांकी परिवारों की 168 (56 प्रतिशत) की अपेक्षा पर्याप्त कम है। इससे यह परिलक्षित होता है कि बढ़ती हुई वैयक्तिकता व व्यष्टिवादी विचारधारा का प्रभाव नगरीय अध्ययन क्षेत्र में बढ़ रहा है। परन्तु ग्रामीण अध्ययन क्षेत्र में समष्टिवादी विचार धारा का प्रभाव काफी हद तक बना हुआ है।

शैक्षिक स्तर :

व्यक्ति एवं समाज दोनों के ही द्रष्टिकोण से शिक्षा का अपना विशिष्ट महत्व

(10) कापड़िया के.एम., 1972 मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, कलकत्ता, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस पेज नं0–275

(11) प्रभु पी0एन0 1985, हिन्दू सोशल आर्गेनाइजेशन,बाम्बे (पापुलर बुक डिपो)पेज नं0–217

(12) महमूद यासीन,1988 इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास, अर्टलांटिका पब्लिकेशन,पेज नं0–117–118

है। शिक्षा व्यक्ति का संर्वागीण विकास कर उसे समाज के अनुकूल बनाती है। शिक्षा व्यक्ति के पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर ले जाती है। इसी से समाज के लिए उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण अपने आप हो जाता है। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ–साथ सांस्कृतिक मूल्यों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण में भी सहायक होती है। सामाजिक जीवन की श्रेष्ठता का आधार शिक्षा ही है चाहे वह प्राचीन काल की परम्परागत शिक्षा हो अथवा आधुनिक काल की व्यवसायिक शिक्षा।

शिक्षा ने आज औद्योगिक विकास, आर्थिक संरचना, राजनीति जीवन, सामाजिक पुनर्निमाण और व्यक्तित्व के विकास को एक दूसरे से सम्बद्ध कर दिया है।

सारणी–3.4

उत्तरदात्रियों की शिक्षा

क्र0सं0	शैक्षिक स्तर	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	निरक्षर	210	70	88	293	298	49.6
2.	हाईस्कूल से कम	66	22	91	30.3	157	26.16
3.	हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम	20	6.7	71	23.7	91	15.6
4.	स्नातक एवं उससे ऊपर	04	1.3	50	16.7	54	9
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.4 के अवलोकन से ज्ञात होता है किं 70 प्रतिशत ग्रामीण 29.30 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां निरक्षर हैं तथा साथ ही 22 प्रतिशत ग्रामीण 30.3 प्रतिशत ग्रामीण हाईस्कूल से कम तथा 6.7 प्रतिशत ग्रामीण 23.7 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियां भी हैं साथ ही 1.3 प्रतिशत ग्रामीण तथा 16.7 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रिया स्नातक व उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं।

इस प्रकार 3.4 सारणी इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि वैसे तो गाँव में 64 प्रतिशत नगर तथा गाँव में 62 प्रतिशत निरक्षरता है यानि शिक्षा का स्तर कम है, फिर भी गाँव एवं नगर में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा व उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त महिलायें हैं।

सारणी 3.5

उत्तरदात्रियों के पिता का शैक्षिक स्तर

क्र0सं0	शैक्षिक स्तर	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	निरक्षर	170	56.7	110	36.7	280	46.66
2.	हाईस्कूल से कम	95	31.7	78	31.7	173	28.83
3.	हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम	29	9.6	65	21	92	15.33
4.	स्नातक एवं उससे ऊपर	06	02	49	16.3	55	9.6
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.5 के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्रामीण एवं नगरीय उत्तरदात्रियों के पिताओं में 46.66 प्रतिशत निरक्षरता है जबकि हाई स्कूल से कम शिक्षित व्यक्ति गाँव में 31 प्रतिशत हैं लेकिन नगर में 26 प्रतिशत ही हैं, हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम शिक्षित गाँवों में 9.6 प्रतिशत एवं नगर में 21 प्रतिशत है। स्नातक एवं उससे ऊपर गाँव में 02 प्रतिशत है जबकि नगरों 16.3 प्रतिशत लोग स्नातक से ऊपर शिक्षा प्राप्त हैं।

पारिवारिक शिक्षा का संचेतना पर वास्तविक रूप में प्रभाव देखने के लिए यह भी आवश्यक है कि उत्तरदात्रियों के पिता की शिक्षा के स्तर के साथ–साथ उत्तरदात्रियों की माता की शिक्षा का स्तर भी जानना चाहिये क्योंकि बालिका के विकास में माता पिता दोनों के ज्ञान का प्रभाव संयुक्त रूप से पड़ता है। इस उददेश्य के तहत उत्तरदात्रियों

की माँ का विवरण सारणी 3.6 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी–3.6

उत्तरदात्रियों की माँ की शिक्षा

क्र0सं0	शैक्षिक स्तर	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	निरक्षर	275	91.7	222	74	497	82.8
2.	हाईस्कूल से कम	23	7.7	51	17	74	12.3
3.	हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम	02	0.6	20	6.6	22	3.6
4.	स्नातक एवं उससे ऊपर	00	00	07	2.4	07	1.1
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरदात्रियों के पिता की शिक्षा के स्तर से उनकी माँ की शिक्षा का स्तर कम है फिर भी गाँव में 7.7 प्रतिशत तथा नगर में 17 प्रतिशत महिलायें हाई स्कूल से कम पढ़ी हैं, लेकिन हाई स्कूल से अधिक 3.6 तथा स्नातक एवं उससे ऊपर 1.1 प्रतिशत महिलायें ही पढ़ी हैं। सारणी को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि गाँव की तुलना में नगर की महिलायें अधिक पढ़ी हैं। उत्तरदात्रियों के माता–पिता के शिक्षा का तर ज्ञात करने के पश्चात् यह जानने के लिए उत्तरदात्रियों पर उनके पति की शिक्षा का उनके व्यवहार में कितना प्रभाव पड़ता है। यह सारणी 3.7 में दर्शाया गया है।

उत्तरदात्रियों के पति का शैक्षिक स्तर

सारणी 3.7

क्र0सं0	शैक्षिक स्तर	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	अविवाहित	20	6.7	38	12.7	58	9.7
2.	निरक्षर	106	35.3	25	8.3	131	21.8
3.	हाई स्कूल से कम	129	43	75	25	204	34
4.	हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम	28	9.3	103	34.3	131	21.8
4.	स्नातक एवं उससे ऊपर	17	5.7	59	19.7	76	12.7
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.7 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नगर एवं गाँव में उत्तरदात्रियों की साक्षरता के स्तर से उनके पतियों में साक्षरता का स्तर अधिक है। सम्पूर्ण उत्तरदात्रियों (600) उत्तरदात्रियों में 9.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां अविवाहित है। विवाहित उत्तरदात्रियों के पतियों में 21.8 प्रतिशत निरक्षरता हैं हाई स्कूल से कम 34 प्रतिशत तथा हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम 21.8 प्रतिशत तथा स्नातक एवं उससे ऊपर 12.7 प्रतिशत साक्षरता है।

सारणी 3.6 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्रामीण उत्तरदात्रियों में पतियों की तुलना में नगरीय उत्तरदात्रियों के पति में अधिक शिक्षा है।

विवाह की आयु :

मानव की विभिन्न प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता है। विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था ही नही बल्कि यह व्यक्तियों के

यौन जीवन को सुचारू रूप से चलाने एवं सामाजिक, धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करती है। हिन्दू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। जबकि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। परन्तु विवाह सभी सम्प्रदाओं, समाजों एवं समूहों की वैध पारिवारिक जीवन व्यतीत करने सम्बन्धी अनिवार्यता है। विवाह स्त्री और पुरूष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है।[13] सामान्यतः विवाह वधू को वर के घर में ले जाना है।[14] यह स्त्री पुरूष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा वैध संतान माना जायेगा।[15]

यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में लड़कों एवं लड़कियों का विवाह उनकी परिपक्व आयु में होने की प्रथा थी। **"पी0एन0प्रभू"** ने हिन्दू शास्त्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि प्राचीन भारत में कम आयु में विवाह करना प्रचलन मे नही था। लड़कियों में रजस्वला के बाद विवाह होने की प्रथा का विरोध कुछ हिन्दू लेखकों जैसे– गौतम एवं विष्णु द्वारा किया गया और रजस्वला के पूर्व विवाह करने पर बल दिया गया।[16] जबकि वशिष्ट एवं बोधायन ने 400 वी0सी0 के आस पास रजस्वला के बाद विवाह किये जाने पर बल दिया। इस वैचारिक संघर्ष का अन्त उस समय हो गया जबकि समाज में रजस्वला के पूर्व विवाह करना स्वीकार कर लिया।

200 ए0डी0 के लगभग इस प्रकार के विवाह सामान्यताः होने लगे और धीरे–धीरे विवाह की आयु कम होती गयी। मध्यकाल में अंग्रेजी कानूनों के लागू होने के साा ही अधिकांश विवाहों में विवाह की आयु पाँच वर्ष से भी कम हो गयी। इरावती के अनुसार वह व्यक्ति के लिए सम्मान की बात थी क वह अपनी कन्या के विवाह के लिए रजस्वला से पूर्व ही वर की तलाश कर ले। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों का विवाह उनके जन्म के पूर्व ही निश्चित कर लेते थें।[17]

कम आयु में विवाह का प्रचलन केवल हिन्दुओं में ही नही मुसलमानों में भी

---

(13) ई0 एस0 बोगार्डस, 1957 सोशियोलॉजी पेजन 70
(14) उद्धाहत्व–तेन मार्यात्व सम्पादक ग्रहण विवाहः मनुस्मृति 3/20
(15) लूसी मेयर, सामाजिक नृ–विज्ञान की भूमिका,हिन्दी अनुवाद पेज–10
(16) पी0एन0प्रभु–1963 हिन्दु सोशल आर्गनाइजेशन,बाम्बे पापुलर प्रकाशन पेज–151–52
(17) कर्वे, आई0,1965, किंगशिप आर्गनाइजेशन इन इण्डिया,बाम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस पेज–130

है। मुसलमानों में विवाह के लिए कोई आयु निश्चित नही थी किन्तु मुस्लिम लोगों में विवाह जल्दी ही कर दिये जाते थे।[18] छोटे आयु की लड़कियों का विवाह बड़ी आयु के पुरूषों के साथ कर दिया जाता था। कुछ विदेशी यात्रियों ने उक्त तथ्य को स्वीकार नही किया। सामान्यतः मुस्लिम लोग अपनी बेटियों का विवाह यौवनावस्था होने से पूर्व नही करते थे तथापि हिन्दुओं का अनुकरण करते हुए उनमें भी ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी थी।[19]

उपरोक्त विवरण इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि विवाह की आयु में स्थिरता नही थी। रॉस के अनुसार **"भारत में लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की आयु में समय–समय व स्थान–स्थान और यहां तक कि धर्म जाति एवं भाषा के आधार पर भिन्नता पायी जाती है।"**[20] भारत में कम आयु में विवाह एक सामान्य बात हो चुकी थी। कुछ समाज सुधारकों जैसे राजाराम मोहन राय, एवं ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि ने बाल विवाह के दोषों एवं दुष्यपरिणामों से समाज को अवगत कराया और लोगों में इसके प्रति संचेतना पैदा करने का प्रयास किया। और सरकार पर प्रभाव व दबाव डालकर 1921 में विवाह की आयु के सन्दर्भ में अधिनियम पारित कराया जिसमें लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष व लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी। तदपुरान्त हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (संशोधन 1978) के द्वारा यह आयु क्रमशः 21 व 18 वर्ष निश्चित की गयी। 20 वीं शताब्दी में कुछ महिला समाज सुधार आन्दोलनों ने इस दिशा में और प्रगति की किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही लड़कियां विवाह के बन्धन में बंध जाती हैं। भारत में अशिक्षित ग्रामीण कन्याओं की 13–17 वर्ष की आयु तक विवाह कर देते हैं उनका मानना है कि अधिंक वयस्क कन्या समस्या बन जाती है।

भारत में अब पहले की तुलना में विवाह अधिक आयु में होते हैं। प्रायः अधिक धनी व्यक्ति के बच्चे अधिक आयु में ही विवाह करते हैं। शिक्षित लड़के लड़कियां शिक्षा

---

(18) यासीन महमूद 1988,इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास,सरेरी 111 पृष्ठ 252 पेज–164
(19) यासीन महमूद,1988,पीटर मुडे 11 पेज 180,इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास पेज–64
(20) रॉस,ए0डी0 1961,दि हिन्दु फैमिली इन इट्स अरबन सेटिंग,यू0एस0ए0,यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन्टो प्रेस–236

समाप्त होने तदानुसार रोजगार पाने तक विवाह नही करते। नगरों में तो शिक्षा व देर से विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है, किन्तु गॉवों में नगरों की तुलना में बाल विवाह आज भी प्रचलित है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता है।

महिलाओं के सन्दर्भ में विवाह के समय कम आयु होना अत्याधिक महत्व का विषय है क्योंकि कम आयु में विवाह से महिलाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है और जिम्मेदारियॉ बढ़ जाती है। जिसकी वजह से ग्रामीण एवं नगरीय दोनो ही महिलाओं में संचेतना का अभाव पाया जाता है, यदि विवाह के समय उम्र कम होगी तो शिक्षा तथा सामाजिक अनुभव भी कम होगा जिससे उसमें चेतना का अभाव देखने को मिलेगा यदि उम्र अधिक होगी तो शिक्षा तथा अनुभव दोनों ही अधिक होगा जिससे संचेतना अधिक होगी।

उत्तरदात्रियों के विवाह की आयु विषयक विवरण सारणी 3.8 में प्रस्तुत है।

सारणी 3.8

उत्तरदात्रियों के विवाह की आयु

क्र0सं0	विवाह की आयु	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	15 से कम	216	72.3	126	42	332	55.31
2.	18 तक	62	20.8	103	34.3	165	27.6
3.	22 तक	01	0.3	21	7	22	3.61
4.	22 से अधिक	01	0.3	12	4	13	2.16
5.	अविवाहित	20	6.6	38	12.7	58	9.4
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का विवाह 15 वर्ष से कम आयु समूह के अन्तर्गत हुआ जिसमें गाँव में 72 प्रतिशत महिलाओं का तथा नगर में 42 प्रतिशत महिलायें इसमें शामिल हैं। 18 वर्ष तक जिनका विवाह हुआ उनका प्रतिशत 27.6 प्रतिशत है। 22 वर्ष तक जिनका विवाह है उनका ग्रामीण 0.3 प्रतिशत तथा नगरीय 7 प्रतिशत महिलायें हैं। 22 वर्ष से अधिक आयु समूह में कुल

2.16 प्रतिशत महिलायें ही शामिल हैं कुल 600 उत्तरदात्रियों में 9.4 प्रतिशत उत्तरदात्रियां अविवाहित हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि "बाल विवाह निरोधक अधिनियम" 1929 में पारित होने के बाद भी सर्वाधिक उत्तरदात्रियों का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में कर दिया गया है परन्तु नगर में इसका प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम है।

व्यवसाय :

व्यवसायों के विवरण में कुछ जातियों का सीधा सम्बन्ध होता है। कुछ जातियां ऐसी होती है जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि होती है किन्तु वे स्वयं कृषि नही करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्वयं की भूमि नही होती है भी वह कृषि कार्यो में सलंग्न होते हैं। कुछ लोग कृषि के अतिरिक्त कार्यो में भी संलग्न रहते हैं।

ग्राम्य समाज एवं नगरीय समाज में व्यवसाय का भेद विशेष महत्वपूर्ण है, भारत में ग्रामीण व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत में शहरी समुदाय में व्यक्तियों का एक ही व्यवसाय न होकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं नगरों में अधिकांशतः लोग वाणिज्य व्यापार तथा औद्यौगिक व्यवसाय में लगे होते हैं। यह एक मान्य तथ्य है कि व्यवसाय व्यक्ति की पारिवारिक आर्थिक स्थिति का निर्धारण करती है। पिता, माता एवं पति के व्यवसाय का महिलाओं पर अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। स्वयं का व्यवसाय भी महिलाओं को प्रभावित करता है। व्यवसाय व्यक्ति की पारिवारिक सामाजिक आर्थिक स्थिति का निर्धारक है। अतः यह महिलाओं की जागरूकता को भी प्रभावित करता है। स्वयं उत्तरदात्रियों तथा उनके पिता, माँ एवं पति के व्यवसाय का विवरण क्रमशः सारणी 3.9, 3.10, 3.11 एवं 3.12 में प्रस्तुत है

सारणी—3.9

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय

क्र0सं0	व्यवसाय	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	कुछ नही (गृहणी)	155	51.7	1.78	59.3	333	55.5
2.	निजी व्यवसाय	27	9	50	16.6	77	12.8
3.	कृषि	20	6.6	12	4	32	6.5
4.	नौकरी	0.5	1.7	38	12.7	43	7.1
5.	श्रमिक	93	31	22	7.4	115	19.1
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.9 से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय में आत्मनिर्भर महिलाओं की संख्या—145 (48. 3 प्रतिशत) है तथा नगरीय समुदाय में 122 (40.7 प्रतिशत) है। जबकि घरेलू कामकाज में 55.5 प्रतिशत महिलायें जुड़ी हुई हैं। जिनकी कुल संख्या 333 है।

इन कार्यकर्ता महिलाओं में केवल 9 प्रतिशत ग्रामीण और 16.6 प्रतिशत नगरीय महिलायें ही निजी व्यवसाय करती हैं। कृषि कार्य में 6.6 प्रतिशत ग्रामीण और 4 प्रतिशत नगरीय महिलायें जुड़ी हैं सरकारी नौकरी में 1.7 प्रतिशत ग्रामीण तौर 12.7 प्रतिशत नगरीय महिलायें ही कार्यरत हैं जबकि 51 प्रतिशत गाँव में तथा 24 प्रतिशत नगर में श्रमिक महिलायें हैं। तुलनात्मक रूप से नगर में निजी व्यवसाय तथा नौकरी में ज्यादा महिलायें कार्यरत है। जबकि गाँव में श्रमिक और कृषि में ज्यादा प्रतिशत है। यह इसलिए भी है क्यों कि पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के कार्य पर पड़ता है और ग्रामीण सामाजिक पर्यावरण प्रकृति के सीधे सम्पर्क में है जिसका स्पष्ट प्रभाव ग्रामीण व्यवसाय में होता है।

उत्तरदात्रियों के पिता के व्यवसाय का विवरण सारणी 3.10 में दिखाया गया है:—

सारणी 3.10

उत्तरदात्रियों के पिता का व्यवसाय

क्र0सं0	पिता का व्यवसाय	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	कुछ नहीं	31	10.3	33	11	64	10.7
2.	निजी व्यवसाय	36	12	95	31.1	131	21.8
3.	कृषि	83	27.7	31	10.3	141	19
4.	नौकरी	17	5.7	81	27	98	16.3
5.	श्रमिक	133	44.3	60	20	193	32.3
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.10 से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय में 12 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पिता निजी व्यवसाय करते हैं। नगरीय समुदाय में 31.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पिता निजी व्यवसाय करते हैं जिनमें कुछ का व्यवसाय तो उच्च श्रेणी का है कुछ औसत दर्जे के धन्धों को कर रहे हैं और कुछ निम्न श्रेणी के व्यवसायी हैं ग्राम में 27.7 प्रतिशत तथा नगरीय समुदाय में 10.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पिता कृषि कार्यरत हैं इनमें से कुछ तो भू—स्वामी है, तो कुछ दूसरों के यहाँ खेती करते हैं। समुदाय में सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारी भी है जिनका ग्रामीण प्रतिशत 5.7 तथा नगरीय 27 प्रतिशत है। जो विभिन्न श्रेणियों की सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं। 44.3 प्रतिशत ग्रामीण तथा 20 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियो के पिता श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित है तथा 10.3 प्रतिशत ग्रामीण 11 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियों के पिता ऐसे हैं जो किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। उनमें से कुछ सेवानिवृत्त हैं तथा कुछ काफी वृद्ध हो गये हैं।

सारणी 3.11

उत्तरदात्रियों के माँ का व्यवसाय

क्र0सं0	माँ का व्यवसाय	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	कुछ नही	209	69.6	245	81.6	454	75.8
2.	निजी व्यवसाय	20	6.7	28	9.4	48	08
3.	कृषि	18	6.0	17	5.6	38	5.8
4.	नौकरी	00	00	07	2.4	07	1.1
5.	श्रमिक	53	17.7	0.3	01	56	9.3
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.11 से स्पष्ट होता है कि 6.7 प्रतिशत ग्रामीण तथा 9.4 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियों की माँ निजी व्यवसायरत है। 6.0 प्रतिशत ग्रामीण तथा 5.6 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियों की माँ कृषि कार्यरत हैं जो दूसरों के खेत में काम करने जाती हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्य में 2.4 प्रतिशत महिलायें ही कार्यरत हैं किन्तु ग्रामीण उत्तरदात्रियों में से किसी भी उत्तरदायी की माँ सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यो में भागीदारी नही करती है। 01 प्रतिशत नगरीय तथा 17.7 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदात्रियों की माँ श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित है। 81.6 प्रतिशत नगरीय तथा 69.6 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदायी ऐसी है जिनकी माँ सिर्फ गृह कार्य करती हैं। अर्थात् धनोपार्जन सम्बन्धी कोई भी कार्य नहीं करती हैं।

सारणी 3.12

उत्तरदात्रियों के पति का व्यवसाय

क्र0सं0	पति का व्यवसाय	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	निजी व्यवसाय	43	14.3	85	28.3	128	21.4
2.	कृषि	91	30.3	31	10.3	122	20.4
3.	नौकरी	24	8	97	32.4	121	20.1
4.	श्रमिक	113	37.7	29	9.7	142	23.6
5.	कुछ नही / अविवाहित	29	9.7	58	19.3	87	14.5
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय की उत्तरदात्रियों के 14.3 प्रतिशत तथा 28.3 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियों के पति निजी व्यवसायरत है जिसमें कुछ का व्यवसाय को उच्च श्रेणी का है, कुछ औसत दर्जे के धन्धों को कर रहे हैं और कुछ निम्न श्रेणी के व्यवसायी हैं ग्रामीण समुदाय में 30.3 प्रतिशत तथा नगरीय समुदाय में 10.3 प्रतिशत उत्तरदायी कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीण समुदाय में 8 प्रतिशत तथा नगरीय समुदाय में 32.4 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पति सरकारी कर्मचारी हैं जो विभिन्न श्रेणियों की सरकारी सेवा से जुड़े हैं। 37.7 प्रतिशत ग्रामीण तथा 9.7 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियों के पति श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित हैं। 9.7 प्रतिशत ग्रामीण 19.3 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियों के पति ऐसे भी हैं जो किसी धनोपार्जन सम्बन्धी कार्य को नही करते हैं। इसमें अविवाहित महिलायें भी शामिल हैं।

सामाजिक आर्थिक स्तर :

सांमाजिक आर्थिक स्तर संचेना को प्रभावित करने वाला कारक है। ऐसा मानना है कि आर्थिक प्रगति के पश्चात संचेतना के दौर में व्यक्ति की स्थिति का निध िरण आर्थिक स्तर से किया जाता है और जिसका आर्थिक स्तर जैसा होगा वैसी ही

उसकी सामाजिक स्थिति होती है। परिस्थितियां ही अनुकूल और प्रतिकूल मनोवृत्ति को जन्म देती है जैसे निरक्षरता, कृषि पर अत्याधिक निर्भरता, रहन सहन का निम्न स्तर, धार्मिक रूढ़िवादी विचार, परिवार के सगंठन का ढांचा, परिवार की आय आदि कुछ ऐसे कारक है जो संचेतना में कमी लाते हैं इसके विपरीत शिक्षा, औद्योगीकरण रहन–सहन का उच्च स्तर, आदि कुछ ऐसे कारक है जो संचेना के स्तर को बढ़ाते हैं।

समान्यता यह देखने में आया है कि निम्न आर्थिक स्थिति के लोगों की अपेक्षा उच्च आर्थिक स्थिति के लोगों में संचेतना अधिक होती है। उत्तरदाताओं का सामाजिक आर्थिक स्तर सम्बन्धी विवरण सारणी 3.13 में प्रस्तुत है।

सारणी 3.13

उत्तरदात्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का विवरण

क्र0सं0	परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	उच्च	44	14.7	107	35.7	151	25.2
2.	मध्य	89	29.6	155	51.3	244	40.6
3.	निम्न	167	55.6	38	12.4	205	34.2
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.13 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समुदाय में 25.2 प्रतिशत उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति में है। जिनमें 14.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 35.7 प्रतिशत नगरीय हैं, मध्यम सामाजिक,आर्थिक स्थिति के 40.6 प्रतिशत लोग है जिनमें ग्राम में 29.6 तथा नगर की 51.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियां शामिल हैं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की महिलाओं में 34.2 प्रतिशत उत्तरदात्रियां शमिल हैं जिनमें 12.4 नगर की एवं 55.6 ग्रामीण समुदाय की उत्तरदात्रियां शामिल हैं। विश्लेषण से स्पष्ट है कि नगर की तुलना में ग्राम

में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तरदात्रियां अधिक है।

परिवार की आय :

आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक संगठन परिवार पर निर्भर है। प्राचीन समय से ही भारत में कृषि अथवा छोटे–छोटे लघु उद्योगों पर परिवार की आय आश्रित थी। तत्पश्चात औद्यौगीकरण व नगरीकरण के पश्चात विभिन्न उद्योग, व्यवसाय व्यापार तथा सरकारी सेवायें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकता पूर्ति का आधार बनी। भारतीय परिवार में मुख्यतः पति ही आय का साधन अर्जित करता था पर आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा की प्रगति काफी संख्या में महिलाओं ने पुरूषों की भांति धन कमाना आरम्भ किया फलस्वरूप परिवार की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई। परिवार की आय आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक संगठन का निर्धारण करती है। माना जाता है कि जैसे–जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति उच्च होती होती है वैसे–वैसे संचेतना में वृद्धि होती जाती है। बुन्देलखण्ड में इस सम्बन्ध में लोकोत्ति प्रचलित है कि " पैसा आया आई बुद्धी " अर्थात् हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था व्यक्ति के चेतना को प्रभावित करती है। उत्तरदताओं की स्वयं की आय का विवरण सारणी 3.14 में प्रस्तुत की गयी है।

सारणी 3.14

उत्तरदात्रियों की स्वयं की आय

क्र0सं0	स्वयं की आय	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	0	165	55.1	126	42	291	48.5
2.	500–1000	118	59.3	50	16.6	168	28
3.	2000–5000	16	5.3	109	36.4	125	20.8
4.	5000–10000	01	0.3	10	3.4	20	3.3
5.	10000–से अधिक	00	00	05	1.6	05	0.8
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.14 से स्पष्ट है कि ग्रामीण उत्तरदात्रियों में 55.1 प्रतिशत तथा नगर में 24 प्रशित महिलायें किसी भी तरह से धनोपार्जन नही करती है तथा 59.3 प्रतिशत महिलायें ग्राम में तथा 16.6 प्रतिशत महिलायें नगर में 500—100 तक धनोपार्जन कर लेती हैं। 5.3 प्रतिशत ग्राम में तथा 36.4 प्रतिशत नगर में ऐसी महिलायें हैं जो 2000—5000 तक कमा लेती हैं तथा 5.3 प्रतिशत ग्राम में तथा 3.4 प्रतिशत नगर में ऐसी भी महिलायें हैं जो 5000—10,000 तक कमाती हैं साथ ही 1.6 प्रतिशत नगर में ऐसी महिलायें भी हैं जो 10,000 से अधिक धनोपार्जन करती हैं स्पष्ट है कि ग्राम की तुलना में नगर में उत्तरदात्रियों के आय के साधन अधिक हैं।

सारणी 3.15

उत्तरदात्रियों के पति की आय/परिवार के मुखिया की आय

क्र0सं0	पति की आय	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	500—1000	146	48.7	26	8.6	172	28.7
2.	2000—5000	95	31.7	139	46.4	234	39
3.	5000—10000	23	7.6	91	30.4	114	19.7
4.	10000 से अधिक	36	12	44	14.6	80	13.7
	योग	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.15 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदाय में नगरीय समुदाय की तुलना में सम्पन्नता कम है ग्रामीण उत्तरदात्रियों के पतियों में 48.7 प्रतिशत तथा नगर में 8.6 प्रतिशत आय वर्ग समूह के है। 2000—5000 आय वर्ग समूह के ग्राम में 31.7 प्रतिशत तथा नगर के 46.4 प्रतिशत लोग हैं 5000—10,000 आय वर्ग समूह के ग्रामीण 7.6 प्रतिशत तथा नगर के 30.4 प्रतिशत लोग हैं। 10,000 से अधिक के 14.6 प्रतिशत लोग है। 10,000 से अधिक के 14.6 नगरीय तथा 12 प्रतिशत ग्रामीण लोग शामिल हैं।

उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति :-

प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में वेवाह को महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। क्योंकि विवाह के बाद ही परिवार की उत्पत्ति होती है। विवाह का वास्तविकअर्थ तथा विवाह संस्कार के पीछे मूल भावनाओं को पूर्ण रूप से जानने वाले बहुत कम है। मानव जीवन के आरम्भ से लेकर आज तक कितने विवाह हुए होगें देवी देवताओं के विवाह भी हुए हैं, होते हैं, होते रहेगें। विवाह करके दम्पत्ति जी रही है, कुछ विवाहित स्त्री पुरूष पुनर्विवाह कर रहे हैं। अविवाहित स्त्री पुरूष विवाह करने के लिए तत्पर हैं। कुछ लोग गुड्डे गुड़ियों की शादियां करके आनन्द पा रहे हैं। यानि कि सारी दुनिया विवाह से चल रही है। नगरों में विवाह तथा उसके तौर तरीके अलग होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह अलग तरह से होते हैं।

सारणी—3.16

उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति

क्र0सं0	वैवाहिक स्थिति	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	विवाहित	26.7	85.7	224	74.6	491	8.18
2.	अविवाहित	20	6.7	38	12.6	58	9.6
3.	परित्यागता	05	1.6	12	4.1	17	2.8
4.	विधवा	18	6.0	26	8.7	44	7.3
	योग—	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.16 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदाय में 85.7 प्रतिशत तथा 74.6 प्रतिशत विवाहित है जबकि 6.7 प्रतिशत ग्रामीण तथा 12.6 प्रतिशत नगर में अविवाहित है। 4.1 प्रतिशत नगर में तथा 1.6 प्रतिशत ग्राम में परित्यागता है तथा 8.7 प्रतिशत नगर में तथा 6.0 प्रतिशत ग्रामीण समुदाय में विधवा महिलायें हैं स्पष्ट है कि

नगरों की तुलना में गाँव में विवाह को अधिक जोर दिया जाता है।

पारिवारिक सुविधायें :

(क) मकान का स्वरूप : सामान्यताः सम्पत्ति का आधार मकान, आभूषण आदि को माना जाता रहा है जिन व्यक्तियों के पास जितने मकान व आभूषण मौजूद होते हैं उसी के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। जिनके पास अच्छे बड़े मकान व कीमती भैातिक सामान (गैस, फ्रिज, टी0वी0, वी0सी0आर0, वाशिंग मशीन) तथा आभूषण होते हैं उनकी समाज में उतनी ही उच्च स्थिति होती है तथा जो उक्त वस्तुओं से वंचित हैं स्वयं कच्चे घरों, झोपड़ी में रह रहे हैं, समाज में उनकी निम्न स्थिति होती है।

उत्तरदात्रियों के मकान के स्वरूप सम्बन्धी विवरण सारणी 3.17 में प्रस्तुत हैं :—

सारणी 3.17

उत्तरदात्रियों के मकान का स्वरूप

क्र0सं0	मकान का स्वरूप	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	कच्चा	33	11	139	46.3	172	28.6
2.	पक्का	177	5.9	20	6.7	197	32.8
3.	मिश्रित	90	30	141	47	231	38.6
	योग—	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.17 से यह स्पष्ट होता है कि सार्वधिक उत्तरदात्री 38.6 प्रतिशत मिश्रित मकानों में निवास करते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। 32.8 प्रतिशत मकान पक्के हैं जो नगरों में अधिक 5.9 प्रतिशत है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6.7 प्रतिशत ही हैं। जबकि सबसे कम कच्चे मकानों का प्रतिशत है जो कि 28.6 है।

(ख) भौतिक वस्तुऐं :

आज के आधुनिक भौतिक वादी परिवेश में व्यक्ति की आवश्यकता बिजली,

नल आदि है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में हर समय बिजली, नल, टी0वी0, फ्रिज आदि की उपलब्धता आवश्यक है। इस सब भौतिक वस्तुओं के बिना घर को पूर्ण नही माना जाता है। इन वस्तुओं की वजह से व्यक्ति के सामाजिक स्तर का निर्धारित भी करता है। जिनके घरों में ये साधन हैं उनकी सामाजिक स्थिति उच्च है तथा जिनके यहाँ ये साधन नही है उनकी स्थिति निम्न मानी गयी है।

सारणी 3.18

उत्तरदात्रियों के आवश्यकता के भौतिक साधन

क्र0सं0	भौतिक साधन	ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	नगरीय उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	कुछ नहीं	01	0.3	67	22.3	68	115
2.	सभी कुछ	90	30	44	14.7	134	22
3.	बिजली+नल +गैस+चूल्हा+ स्टोप+टी.वी.+ पलंग+अलमारी +मेज+कुर्सी	155	51.7	89	28.7	244	40.7
4.	बिजली+नल +स्टोप	37	12.3	100	33.3	137	22.9
5.	सभी कुछ +कम्प्यूटर	17	5.7	00	00	17	2.9
	योग–	300	100	300	100	600	100

सारणी 3.18 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदाय में 22.3 प्रतिशत तथा नगरीय समुदाय में 0.3 प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियां है जिनके पास कुछ नही है। अर्थात् आवश्यकतानुसार कमाना और खाना किसी भी तरह की भौतिक

वस्तुओं का ना होना, 14.7 प्रतिशत ग्रामीण तथा 30 प्रतिशत नगरीयउत्तरदात्रियां ऐसी है जिनके पास आवश्यकता की सभी भौतिक साधन है, 28.7 ग्रामीण तथा 51.7 नगरीय ऐसी उत्तरदात्रियां है जिनके पास बिजली, नल, गैस चूल्हा, स्टोप, टी0वी0, पलंग, अलमारी, मेज कुर्सी आदि साधन उपलब्ध हैं, 33.3 ग्रामीण तथा 12.3 नगरीय ऐसी उत्तरदात्रियां है जिनके पास बिजली, नल, स्टोप ही हैं तथा 5.7 नगरीय समुदाय में ऐसी भी उत्तरदात्रियां हैं निजके पास आवश्यकता की सभी भौतिक वस्तुयें होने के साथ ही साथ अत्याधुनिक कम्प्यूटर भी हैं।

प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठ भूमि का विश्लेषण किया और सूक्ष्म स्तर पर उस सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया जिसमें महिलायें निवास करती हैं साथ ही व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से सम्बन्ध और सामजिक परिवेश से प्रभावित होने वाली विशष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय – 4

उत्तरदात्रियों की आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि

पूर्ववर्ती अध्याय में महिलाओं के सामाजिक (सामुदायिक) पृष्ठ भूमिका विश्लेषण किया गया जिससे सूक्ष्य स्तर पर उस सामाजिक परिवेश का ज्ञान हो सका जिसकी महिलायें अभिशक्त हैं। इस अध्याय में संचेतना को प्रभावित करने वाले विभिन्न आर्थिक एवं पारिवारिक कारकों का विश्लेषण नगरीय एवं ग्रामीण महिलाओं के सन्दर्भ में किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति की जागरूकता को उसकी शिक्षा, आयु, जाति एवं सामाजिक आर्थिक कारकों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं।

किसी भी व्यक्ति की जागरूकता परिवार के प्रकार उम्र, शिक्षा, आय, जाति आदि से प्रभावित होती है। अतः मानवीय व्यवहार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने वाले इन्हीं सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों का संचेतना में पड़ने वाले प्रभावों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया गया है। वास्तव में महिलाओं की जागरूकता का निर्धारण उनके सामुदायिक परिवेश के साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। यह सच है कि बालिका जन्म के कुछ समय बाद से ही परिवार के सदस्य उसे कायदे सिखाना प्रारम्भ कर देते हैं। अर्थात एक लड़की को किस तरह बोलना चाहिये, कैसे चलना चाहिये, उठना और बैठना चाहिये अर्थात उसकी सीमायें कहां तक हैं इसका निर्धारण सामाजिक,सांस्कृतिक एवं सामुदायिक संरचना के अन्तर्गत सामाजिक प्रथाओं, परम्पराओं, मूल्यों एवं नैतिक नियमों से सम्बन्धित होता है।

यूरोप तथा विश्व के अन्य विकसित देशों में औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप भैतिकवादी एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के बढ़ने के साथ साथ शिक्षा एवं व्यवसाओं में प्रगति होने के कारण सामाजिक, आर्थिक स्तर बढ़ने, परम्पराओं की जागरूकता में बृद्धि

हुई है। तथा महिला शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। इसके ठीक विपरीत भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ विश्व के समस्त देशों से अधिक महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं वहाँ आज भी समस्त महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत नही हैं। इसके कारण के रूप में हम परम्पराओं के व्यापक प्रभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली, अशिक्षा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर एवं उच्च प्रजनन दर के प्रचलन को देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उच्च सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणक स्थिति जागरूकता को बढ़ाती है तथा निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणक स्थिति कम जागरूकता का कारण है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं तथ्यों को जानने का प्रयत्न सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का सूक्ष्म अध्ययन करके किया गया है।

परिणामों की विवेचना :

इस भाग को दो उपभागों में विभक्त किया गया है। प्रथम उपभाग में महिलाओं की संचेतना को किसी एक सामाजिक आर्थिक चर के परिप्रेक्ष्य जैसे परिवार का प्रकार, जाति, शिक्षा व्यवयाय तथा आय में विश्लेषित किया गया है। दूसरे उपभाग में संचेतना पर किन्ही दो सामाजिक आर्थिक चरों के प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

सारणियों को भी दो उपभागों में विभक्त किया गया है। ग्रामीण उत्तरदात्रियों की संख्याओं को (A) संकेतांक से प्रदर्शित किया गया है तथा नगरीय उत्तरदात्रियों का संकेतांक (B) से सम्बोधित किया गया है।

(अ) एक चर के सन्दर्भ में संचेतना में भिन्नतायें

1. परिवार का प्रकार एवं संचेतना-

यहाँ पर सर्वप्रथम महिलाओं की जागरूकता में विद्यमान विभिन्नताओं का विश्लेषण परिवार के प्रकार के आधार पर किया गया है। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त तथा एकाकी के रूपों में विभक्त है। कृषि प्रधान भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही संयुक्त परिवारों की अधिकता थी। जिनमें प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुसार कार्य नही कर सकता था जबकि एकाकी परिवारों में वैयक्तिक सम्बन्धों की

प्रधानता होती है। तथा व्यक्ति अपने आत्मनिर्णय के अनुकूल कार्य करने हेतु स्वतंत्र होता है। **'लीप्ले'** का विचार है कि स्थाई परम्परागत बड़े परिवार की अपेक्षा वर्तमान समय में परिवर्तनशील केन्द्रीय परिवारों में जन्मदर में कमी आयी है।[1] इसी प्रकार के ऐसे अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की संचेतना का स्तर काफी निम्न होता है। जबकि एकाकी परिवार में महिलायें ज्यादा जागरूक होती हैं।

विश्लेषण के उद्देश्य से महिलाओं के परिवारिक स्तर को दो भागों में विभक्त किया गया है– संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार तथा उनकी जागरूकता के मापन के लिए दो मानदण्डों का निर्धारण किया है, हाँ, नही, ग्रामीण महिलाओं से संकलित तथ्य सारणी 4.1(A) एवं नगरीय्र महिला से संकलित तथ्य सारणी 4.1(B) में प्रस्तुत हैं।

सारणी 4.1 (A)

परिवार का प्रकार तथा संचेतना

संचेतना का स्तर	संयुक्त	एकाकी	योग	माध्य
हाँ	56(18.6%)	30(10%)	86	43
नहीं	148(49.4%)	66(22%)	214	104
योग	204(68.0%)	96(32%)	300	150

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य– 0.44

(12.706) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक

(स्वातन्त्रयांश–1)

सारणी 4.1 (A) के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 204 महिलायें संयुक्त परिवार में रहती हैं जिनमें से 18.6 प्रतिशत महिलायें एवं एकाकी परिवार में रहने वाली 10 प्रतिशत महिलायें ही अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं जबकि 49.4 प्रतिशत संयुक्त परिवार की तथा 22 प्रतिशत एकाकी परिवार की महिलायें अपने अधिकारों के

(1) लीप्ले एफ0, ल रिफारम सोशल इन फ्रौंस डिप्यूडाइट डीले आबजर्वेशन कम्पेरी डेस यूरोपीस वाल्यूम–पेरिस 1866

लिए जागरूक नही हैं।

उक्त निष्कर्षो की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण से भी की गयी है जहाँ पर महिलाओं के परिवारिक प्रकार एवं उनकी संचेतना के मध्य अन्तर अत्याधिक सार्थक है।

सारणी 4.1 (B)

परिवार का प्रकार तथा संचेतना

संचेतना का स्तर	संयुक्त	एकाकी	योग	माध्य
हाँ	85(28.4%)	104(34.6%)	189	94.5
नहीं	47(15.6%)	64(21.4%)	111	55.5
योग	132	168	300	150

काई–स्क्वायर (X^2) मूल्य– 0.0180

0.05 सम्भावित स्तर पर सार्थक है

(स्वतन्त्रयांश–1)

सारणी 4.1 (A) के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगरीय महिलाओं की संचेतना पर परिवार के प्रकार का प्रभाव पड़ता है। संयुक्त परिवार में रहने वाली 28.4 प्रतिशत महिलायें अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तथा 15.6 प्रतिशत महिलायें अनभिज्ञ हैं जबकि एकाकी परिवार में रहने वाली 34.6 प्रतिशत महिलायें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं तथा 21.4 प्रतिशत महिलाओं ने ही अनभिज्ञता दर्शायी। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार की महिलायें अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक है। अर्थात् महिलाओं का पारिवारिक प्रकार उनकी जागरूकता को प्रभावित करता है।

उक्त निष्कर्ष के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं ? भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली प्राचीन काल से आज तक चली आ रही है। यह आवश्यक है कि औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण इसका स्थान धीरे–धीरे एकाकी परिवार ले रहे हैं परन्तु फिर भी यह पूरी तरह से विघटित नही हुई है। संयुक्त परिवार में प्रथाओं एवं परम्पराओं का

विशेष महत्व होता है और परिवार के बुजुर्ग उन्ही के अनुकूल ही प्रत्येक सदस्य को चलने की अनुमति देते हैं। जिससे महिलाओं की जागरूकता प्रभावित होती है।

जातीय स्तर एवं संचेतना :

संचेतना से सम्बन्धित विभिन्नताये महिलाओं के जातीय स्तर से भी प्रभावित होती हैं इसका विश्लेषण भी यहाँ पर किया गया है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था संस्तरणात्मक जाति व्यवस्था के आधार पर स्तरीकृत हैं इसमें ऊँच–नीच के सम्बन्ध पाये जाते हैं और सभी समूह एवं सम्प्रदाय इस व्यवस्था से प्रभावित है। अनेक समाज वैज्ञानिकों का विचार है कि उच्च जातीय स्तर के लोगों में निम्न जातीय स्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक जागरूकता होती है। जातीय स्तर का संचेतना से विपरीत सम्बन्ध होता है।

महिलाओं की संचेतना उनके जातीय स्तर से किस प्रकार प्रभावित होती है इसका विवरण सारणी 4.2 (A) तथा 4.2 (B) में प्रस्तुत है। विश्लेषण के उद्देश्य से अध्ययन से सम्बन्धित ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के अन्तर्गत आने वाली सभी जातियों को भारतीय संस्तरणात्मक क्रम के अनुरूप तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है– उच्च जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जातीय स्तर।

सारणी 4.2 (A)

जातीय स्तर के आधार पर महिलाओं में संचेतना

संचेतना का स्तर	उच्च जाति	पिछड़ी जाति	अनु0जाति	योग	माध्य
हाँ	43(143%)	24(8%)	23(7.6%)	91	30.3
नही	57(19%)	76(25.4%)	77(25.6%)	209	69.7
योग	100	100	100	300	100

काई स्क्वायर (X^2)मूल्य 10.82

0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतंत्यांश–2)

सारणी 4.2(A) से स्पष्ट है कि उच्च जाति की 43, पिछड़ी जाति की 24, अनु0जाति की 23 महिलायें कुल 91 महिलायें ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं तथा 19 प्रतिशत उच्च जाति 25.4 प्रतिशत पिछड़ी जाति की 25.6 प्रतिशत अनु0जाति की महिलायें सचेत नही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च जातीय स्तर की महिलाओं में जागरूकता सबसे अधिक हैं मध्यम जाति की महिलाओं में भी निम्न जाति की महिला की अपेक्षा अधिक संचेतना है। स्पष्ट है कि जातीय स्तर एवं संचेतना के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध हैं।

सारणी 4.2 (B)

ज़ातीय स्तर के आधार पर महिलाओं में संचेतना

संचेतना का स्तर	उच्च जाति	पिछड़ी जाति	अनु0जाति	योग	माध्य
हाँ	68(22.6%)	67(22.4%)	54(18%)	189	63
नहीं	32(10.6%)	33(11%)	46(15.4%)	111	37
योग	100(33.2%)	100(33.4%)	100(33.4%)	300	100

काई स्क्वायर (**X^2**) मूल्य 5.2

0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतंत्यांश–2)

सारणी 4.2 (B) से स्पष्ट है कि नगर की उच्च जाति की 68, पिछड़ी जाति की 67,अनु0जाति की 54 महिलायें सचेत हैं तथा 10.6 प्रतिशत उच्च जाति की 11 प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा 15.4 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं सचेत नही हैं।

उच्च निष्कर्षो की पुष्टि करने हेतु काई स्क्वायर के द्वारा परीक्षण किया गया जिसके अनुसार 0.05 सम्भाविता स्तर पर उत्तर अत्याधिक सार्थक है।

महिलाओं की जागरूकता पर उनके जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है। इसका कारण समभवतः यह है कि अधिकांश उच्च जातीय स्तर का सम्बन्ध उच्च सामाजिक

आर्थिक स्थिति से होता है, इस कारण उच्च जातीय स्तर के लोगों में जागरूकता अधिक पायी जाती है। निम्न जातीय स्तर के लोग निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं अतः उनमें अशिक्षा, अज्ञानता तथा भाग्यवादिता की मान्यताओं के कारण जागरूकता कम होती है।

3. **महिलाओं की उम्र तथा संचेतना :-**

व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण सामान्य रूप से आयु, लिंग तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर होती है। प्रत्येक समाज में छोटी आयु के सदस्यों पर बड़ो की अपेक्षा कम उत्तरदायित्व दिया जाता है और उनकी सामाजिक स्थिति भी निम्न होती है। आयु के बढ़ने के साथ ही साथ उनकी सामाजिक मनोवृत्तियां तथा कार्य क्षमताओं का विकास होता है। देखा गया है कि कम उम्र की महिलाओं की तुलना में अधिक उम्र की महिलाओं में गम्भीर उत्तरदायित्व की भावना पायी जाती है ऐसा भी देखा गया है कि आयु के बढ़ने के साथ ही व्यक्ति के अनुभव तथा समाजिक विषयों के क्षेत्र में ज्ञान का भी संचय होता है उससे भी व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट लक्षण विकसित हो जाते हैं तथा आयु के बढ़ने के साथ–साथ उसे समाज में नया पद भी प्राप्त होता है। जिसके प्रभाव से ज्ञान की वृद्धि होती है।

विश्लेषण के उद्देश्य से महिलाओं की उम्र को तीन आयु वर्ग के समूह में विभक्त किया गया है– 18–35, 35–50, 50 से अधिक तथा विधानों के प्रति महिलाओं की संचेतना के स्तर को जानने के लिए दो संकेतों हाँ (1) नहीं (0) निर्धारित किये गये हैं।

सारणी 4.3 (A)

उत्तरदात्रियों की उम्र एवं संचेतना

संचेतना का स्तर	18–35	35–50	50 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	34(11.4%)	28(9.4%)	20(6.6%)	82	27.4
नही	68(226%)	71(23.6%)	79(26.4%)	218	70.6
योग–	102	99	99	300	100

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य– 97.05

0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है

(स्वतंत्याश–2)

सारणी 4.3 **(A)** के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की जागरूकता पर उनकी उम्र का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। 18–35 आयु वर्ग की 11.4 प्रतिशत 35–50 आयु वर्ग की 9.4 प्रतिशत तथा 50 से अधिक की 6.6 प्रतिशत महिलायें ही जागरूक हैं जबकि 18–35 की 22.6, 35–50 की 23.6 तथा 50 से ऊपर आयु वर्ग की 26.4 प्रतिशत महिलायें जागरूक नही हैं।

सारणी 4.3 (B)

उत्तरदात्रियों की उम्र एवं संचेतना

संचेतना का स्तर	18–35	35–50	50 से अधिक	योग	माध्य
हाँ	66(22%)	60(20%)	55(18%)	181	60.4
नही	36(12%)	39(13%)	44(14%)	119	39.6
योग–	102(34%)	99(33%)	99(33%)	300	100

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य– 271.59

0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है

(स्वतंत्यांश–2)

सारणी 4.3 (**B**) के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगरीय क्षेत्रों में भी महिलाओं की जागरूकता पर उनकी उम्र का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। 18–35 आयु वर्ग की 22प्रतिशत, 35–50 की 20 प्रतिशत तथा 50 से ऊपर की 18 प्रतिशत महिलायें ही जागरूक हैं। क्रमशः 12 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, तथा 14 प्रतिशत महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत नही हैं।

उक्त निष्कर्ष की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण से भी हो जाती है जिसके अनुसार 0.05 सम्भावित स्तर पर सार्थक है। अधिक उम्र की महिलाओं की तुलना में कम उम्र की महिलाओं में संचेतना अधिक है इसके कारण के रूप में हम कह सकते हैं कि 18–35 आयु वर्ग के लोगों में अपने अधिकारों को जानने की रूचि ज्यादा होती है। क्योंकि शिक्षा के विकास, पश्चिम का प्रभाव, औद्यागीकरण और नगरीय करण की वजह से उनकी मानसिकता बदल रही है। अधिक उम्र की महिलाओं में सामाजिक तथा धार्मिक कार्यो में रूचि अधिक बढ़ जाती है।

4. महिलाओं का शैक्षिक स्तर एवं संचेतना :

शिक्षा महिलाओं की संचेतना का प्रभावशाली निर्धारक है। शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान का संचार कर अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करती है। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास का उसके व्यक्तित्व को परिमार्जित करती है इसके माध्यम से व्यक्ति सत्य–असत्य, उचित–अनुचित के बीच अंतर कर तर्क के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है अतः जागरूकता और विवेक के अनुकूल कार्य करने का प्रयास करता है। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं की संचेतना का शैक्षिक स्तर से सम्बन्ध स्पष्ट करने हेतु शिक्षा को चार स्तरों में विभक्त किया गया है– निरक्षर, हाईस्कूल से कम, हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम, स्नातक एवं उससे ऊपर। महिलाओं की संचेतना को समझने के लिए भी दो संकेतांक का प्रयोग किया गया है, हाँ (1) नहीं (0)।

सारणी–4.4 (**A**)

महिलाओं का शैक्षिक स्तर एवं संचेतना

संचेतना का स्तर	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्ना0से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर	योग	माध्य
हाँ	83(27.7%)	28(9.4%)	19(6.3%)	03(0.1%)	133	33.25
नहीं	127(42.3%)	38(12.7%)	01(6.3%)	01(0.1%)	167	41.75
योग–	210	66	20	04	300	75

काई स्क्वायर (**X^2**) मूल्य– 55.07

(3.182)0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतंत्यांश –3)

सारणी 4.4 (**A**) से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण ग्रामीण महिलाओं में से 210 महिला निरक्षर है उनमें से 83 सचेत है साथ ही 28 हाई स्कूल से कम 19 हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम 03 स्नातकएवं उससे ऊपर महिलाये सचेत है। तथा 127 निरक्षर, 38 हाईस्कूल से अधिक, 01 हाई स्कूल से अधिक, स्नातक से कम, 01 स्नातक एवं उससे ऊपर की महिलायें, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं।

सारणी 4.4 (B)

महिलाओं का शैक्षिक स्तर एवं संचेतना

संचेतना का स्तर	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्ना0से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर	योग	माध्य
हाँ	31(10.4%)	60(20%)	60(20%)	43(14.4%)	194	48.5
नहीं	57(19%)	31(10%)	11(3.8%)	7(204%)	106	26.5
योग	88	91	71	50	300	75

काई स्क्वायर (**X^2**) मूल्य 55.07

(3.182)0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतंत्यांश–3)

सारणी 4.4(**B**) से स्पष्ट है कि 31 निरक्षर, 60 हाईस्कूल से कम, 60 हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम, 43 स्नातक एवं उससे ऊपर की उम्र की महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। एवं 57 निरक्षर, 31 हाईस्कूल से कम, 11 हाईस्कूल से अधिक एवं स्नातक से कम, तथा 7 स्नातक एवं उससे ऊपर की महिलायें सचेत नही हैं। इस प्रकार सारणियों के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि जैसे–जैसे महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे–वैसे उनकी संचेतना में भी वृद्धि होती जाती है। परन्तु तुलंनात्मक रूप से नगरीय के ग्रामीण में यह कम पाया जाता है। शिक्षा का महिलाओं की संचेतना पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करने हेतु काई स्क्वायर परीक्षण भी किया गया है जिसके अनुसार 0.05 सम्भाविता स्तर पर अन्तर अत्याधिक सार्थक है।

इस प्रकार सारणी में दर्शाये गये तथ्यों से परिलक्षित होता है कि निरक्षर एवं कम शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा उच्च शिक्षित महिलाओं में संचेतना का स्तर अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षा व्यक्ति को जागरूक बनाकर उसे प्रगतिशील बनाती है। शिक्षित महिलायें वर्तमान समय में अपने अधिकार को समझने तथा उनके प्रयोग में अशिक्षित महिलाओं की तुलना में काफी आगे हैं।

5. महिलाओं के पिता भी शिक्षा के आधार पर संचेतना :

क्या महिलाओं की संचेतना में उनके पति की शिक्षा से प्रभावित होती है ? यहाँ पर इस तथ्य से सम्बन्धित तथ्यों पर भी प्रकाश डालने की योजना है साथ ही यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं के पिता का शैक्षिक स्तर उनकी संचेतना को कहाँ तक प्रभावित करता है प्राप्त तथ्यों का विवरण सारणी 4.5 (**A**) में प्रस्तुत है।

सारणी 4.5(A)

महिलाओं के पिता की शिक्षा के आधार पर उनकी संचेतना

संचेतना का स्तर	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्ना0से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर	योग	माध्य
हाँ	49 (16.9%)	27(9%)	14(4.6%)	3(1%)	93	23.25
नहीं	121(40.3%)	68(22.6%)	15 (5%)	3(1%)	207	51.75
योग–	170	95	29	6	300	75

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य–3.29

(3.182) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतंत्यांश –3)

सारणी 4.5(**A**) के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महिलाओं के पिता की शिक्षा का प्रभाव उनकी संचेतना में पड़ता है 18.6 प्रतिशत ऐसी महिलायें है जिनके पिता निरक्षर हैं जिनमें 16.3 प्रतिशत महिलायें जागरूक है तथा 2.3 में संचेतना नही है। 78 प्रतिशत महिलाओं के पिता हाई स्कूल से कम हैं जिनमें 15 प्रतिशत जागरूक हैं तथा 6 प्रतिशत में संचेतना नही पायी गयी 16.4 प्रतिशत स्नातक एवं उससे ऊपर है जिनमें से 13.4 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना है तथा 3 प्रतिशत महिलाओं जागरूक नही है।

सारणी 4.5(B)

महिलाओं के पिता की शिक्षा के आधार पर संचेतना

संचेतना का स्तर	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्ना0से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर	योग	माध्य
हाँ	49(16.3%)	44(14.7%)	48(15%)	40(13.4%)	178	44.5
नहीं	61(2.3%)	34(11.3%)	18(6%)	9(3%)	122	30.5
योग	110(18.6%)	78(26%)	63(21%)	49(6.4%)	300	

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य–24.12

(3.182)0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतन्त्यांश–3)

सारणी 4.5(**B**) के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि नगरीय उत्तरदात्रियों के पिताओं में से 18.6 प्रतिशत लोग निरक्षर है जिनमें से 16.3 प्रतिशत जागरूक है तथा 2.3 प्रतिशत में संचेतना नही है, हाईस्कूल से कम में 14.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां जागरूक है तथा 11.3 प्रतिशत सचेत नही हैं, हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम में 15 प्रतिशत जागरूक है तथा 6 प्रतिशत अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नही है, स्नातक एवं उससे ऊपर 16.4 प्रतिशत लोग है जिसमें 13.4 प्रतिशत महिलायें सचेत है 3 प्रतिशत महिलायें जागरूक नही है।

महिलाओं के पिता की शिक्षा का उनकी जागरूकता पर पड़ने वाले प्रभाव को काई–स्क्वायर परीक्षण से भी स्पष्ट किया जो 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

सारणियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के पिता की शिक्षा का प्रभाव महिलाओं में भी पड़ता है। परन्तु सामुदायिक परिवेश का प्रभाव अधिक देखने को मिला। ग्रामीणों की तुलना में नगरीय महिलाओं में उनके पिता भी शिक्षा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। परन्तु इस प्रकार के निष्कर्षो के प्राप्त होने का कारण क्या है ? यह जानना भी आवश्यक है। नगरीय लोगों को आवश्यक सुविधायें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, शिक्षा ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत रहते हैं।

6. उत्तरदात्रियों की माँ का शैक्षिक स्तर एवं संचेतना :-

परिवार समाजीकरण का मुख्य अभिकरण है, एवं बच्चे की प्रथम पाठशाला है जिसकी अध्यापिका माँ होती है जिससे बच्चा प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करता है। लड़के अपने पिता के सम्पर्क में ज्यादा रहते हैं तथा लड़कियां माँ के सम्पर्क में अधिक रहती हैं। अतः महिलाओं की जागरूकता में उनकी माँ का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

सारणी 4.6(**A**)

उत्तरदात्रियों की माँ का शैक्षिक स्तर एवं महिला की संचेतना

संचेतना का स्तर	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्ना0से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर	योग	माध्य
हाँ	68(226%)	18(6%)	2(0.6%)	00	88	22
नहीं	207(69%)	5(1.6%)	—	00	212	53
योग–	275(91.8%)	23(7.6%)	02(0.6%)	00	300	75

काई स्क्वायर (x^2) मूल्य– 122.31

(3.182) 0.05 सम्भावित स्तर पर सार्थक है।

(स्वतंत्यांश–3)

सारणी 4.6(**A**) के विश्लेषणं से ज्ञात होता है कि 91.8 प्रतिशत महिलायें निरक्षर है जिसमें 22.6 प्रतिशत महिलायें ही जागरूक हैं 69 प्रतिशत अपने अधिकारों के बारे में नही जानती हैं। हाई स्कूल से कम 6 प्रतिशत जागरूक हैं। 1.6 प्रतिशत संचेतना नही है, हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम 0.6 प्रतिशत महिलाये हैं जो अपने अधिकारों के बारे में सचेत हैं, स्नातक एवं उससे ऊपर की शिक्षा ग्रामीण उत्तरदात्रियों की माँ में नहीं पायी गयी।

सारणी 4.6 (**B**)

उत्तरदात्रियों की माँ की शिक्षा एवं महिलाओं की संचेतना

संचेतना का स्तर	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्ना0से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर	योग	माध्य
हाँ	118(39.3%)	45(5%)	18(6%)	7(2.4%)	188	47
नहीं	104(34.6%)	6(2%)	2(.7%)	—	112	28
योग–	222(73.9%)	51(1.7%)	20(6.7%)	07(2.7%)	300	75

काई स्क्वायरं (x^2) मूल्य–30.76

(3.182) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतन्तयांश–3)

सारणी 4.6 (**B**) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नगरीय समुदाय में रहने वाली 73.9 प्रतिशत निरक्षर महिलाओं में 39.3 प्रतिशत महिलाये जागरूक हैं जबकि 34.6 प्रतिशत महिला जागरूक नही हैं, हाई स्कूल से कम 15 प्रतिशत सचेत हैं 2 प्रतिशत महिला जागरूक नही हैं, हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम 6 प्रतिशत सचेत है 0.7 प्रतिशत जागरूक नही हैं, स्नातक एवं उससे अधिक 2.4 प्रतिशत जागरूक हैं।

महिलाओं की माँ की शिक्षा का संचेतना पर पड़ने वाले प्रभाव की काई स्क्वायर परीक्षण से भी स्पष्ट किया गया जो कि 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

इस प्रकार के निष्कर्षो के प्राप्त होने के कौन से कारण हैं ? यह जानना भी आवश्यक है। यदि मॉ की शिक्षा अधिक है तो बेटी की शिक्षा एवं जागरूकता दोनो ही अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि माँ की शिक्षा का प्रभाव महिलाओं की जागरूकता में पड़ा है जिन उत्तरदात्रियों की मॉ अधिक पढ़ी–लिखी है उनमें संचेतना अधिक पायी गयी है जो कम पढ़ी लिखी है उसकी संचेतना कम है।

7. महिलाओं के पति की शिक्षा एवं संचेतना :

क्या महिलाओं की जागरूकता उनके पति की शिक्षा से भी प्रभावित है ? यहाँ पर इस प्रश्न से सम्बन्धित तथ्यों पर भी प्रकाश डालने की योजना है। साथ ही यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं के पतियों का शैक्षिक स्तर उनकी संचेतना को कहां तक प्रभावित करता है प्राप्त तथ्यों का विवरण सारणी 4.7 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4.7(A)

उत्तरदात्रियों के पति का शैक्षिक स्तर एवं संचेतना

संचेतना का स्तर	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्ना0से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर	अविवाहित	योग	माध्य
हॉ	21(7%)	45(15%)	14(4.6%)	12(4%)	14(4.7%)	106	21.2
नही	85(284%)	84(28%)	14(4.7%)	5(1.6%)	6(2%)	194	38.8
योग	106	129(43%)	28(9.3%)	1.7(5.6%)	20(7.7%)	300	60

काई स्क्वायर (**x^2**) मूल्य–33.88

(2.776) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतन्त्रयांश–4)

सारणी 4.7 के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महिलाओं के पति की शिक्षा भी उनकी संचेतना को प्रभावित करती है। 7 प्रतिशत महिलायें हैं जो जागरूक है तथा उनके पति निरक्षर है 42 प्रतिशत लोग हाई स्कूल से कम है जिनमें 15 प्रतिशत महिला सचेत हैं 28 प्रतिशत जागरूक नही हैं, हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम 9.3 प्रतिशत लोग है जिनमें 4.6 में संचेतना है तथा 4.7 में संचेतना नही है, स्नातक एवं उससे ऊपर 5.6 प्रतिशत लोग हैं जिनमें 4 प्रतिशत जागरूक हैं 1.6 प्रतिशत जागरूक नही हैं 7.7 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं जो अविवाहित हैं तथा 4.7 में संचेतना है 2 में नही है, इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के पतियों की शिक्षा महिलाओं संचेतना को न्यून स्तर पर प्रभावित करती है।

सारणी 4.7 (B)

उत्तरदात्रियों के पति की शिक्षा एवंमहिलाओं की संचेतना

संचेतना का स्तर	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्ना0से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर	अविवाहित	योग	माध्य
हाँ	23(7.7%)	31(103%)	67(22.3%)	50(16.7%)	26(8.7%)	197	39.4
नहीं	9(3%)	46(15.4%)	35(11.6%)	8(2.6%)	5(1.7%)	103	20.6
योग–	32(10.7%)	77(25.7%)	102(33.9%)	58(19.3%)	31(10.4%)	300	60

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य– 44.63

(2.776) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतत्यांश–4)

सारणी 4.7 के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नगरीय महिलाओं के शिक्षित पतियों का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं की तुलना में ज्यादा हुआ है। नगर में 10.7 प्रतिशत निरक्षर है जिनमें 7.7 प्रतिशत जागरूक हैं तथा 3 प्रतिशत जागरूक नही हैं, हाई स्कूल से कम के 10.3 प्रतिशत सचेत है तथा 15.4 प्रतिशत सचेत नही है, हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम में 22.3 प्रतिशत जागरूक है तथा 11.6 प्रतिशत

जागरूक नही हैं, स्नातक एवं उससे ऊपर 16.7 प्रतिशत सचेत है तथा 2.6प्रतिशत सचेत नही हैं, अविवाहित में 8.7 प्रतिशत जागरूक है तथा 10.7 प्रतिशत जागरूक नही है। 300 में कुल 103 महिलायें ही सचेत नही है 197 नगरीय महिला सचेत है जो ग्रामीणों की तुलना में काफी ज्यादा है। अतः हम कह सकते है कि शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति की संचेतना में पड़ता है।

महिलाओं के पति की शिक्षा का उनकी संचेतना पर पड़ने वाले प्रभाव की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण से भी स्पष्ट किया गया जो 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

8. **महिलाओं का व्यवसाय एवं उनकी संचेतना :-**

संचेतना विभिन्नताओं को महिलाओं के व्यवसाय के आधार पर भी विश्लेषित करने का प्रयत्न किया गया है। व्यवसाय का सम्बन्ध मुख्य रूप से व्यक्ति की आर्थिक दशा से होता है किसी भी परिवार का अस्तित्व उस परिवार की आय पर ही आश्रित होता है। वर्तमान समय में पुरूषों के समान महिलायें भी विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कार्यो में सलंग्न है तथा पति के साथ स्वयं भी पारिवारिक आय को बढ़ाने में सहयोग कर रही है। महानगरीय समुदायों की अपेक्षा पिछड़े हुये शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण समुदाओं की महिलाओं में आत्म निर्भरता कम है। फिर भी इन समुदाओं में भी महिलायें स्वावलम्बन हेतु आगे बढ़ रही हैं।

यहाँ पर महिलाओं का व्यवसाय उनकी जागरूकता को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस तथ्य का विश्लेषण करने की योजना है। अतः महिलाओं के व्यवसायिक स्तर को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है– निजी व्यवसाय, कृषि, नौकरी, श्रमिक, गृहणी संकलित आंकड़ो का विवरण सारणी 4.8 में प्रस्तुत है।

सारणी 4.8(A)

महिलाओं का व्यवसाय एवं उनकी संचेतना

संचेतना का स्तर	निजी व्यवसाय	कृषि	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हाँ	13(4%)	5(1.7%)	5(1.7%)	12(4%)	54(18%)	89	17.8
नहीं	14(4.9%)	15(5%)	—	81(27%)	101(53.7%)	211	42.2
योग–	27	20	05	93	155	30	68

काई स्क्वायर मूल्य– (X^2)–27.32

(2.776)0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतत्यांश–4)

सारणी 4.8 में अंकित आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महिलाओं का व्यवसाय उनकी संचेतना को प्रभावित करता है। निजी व्यवसाय करनेवाली महिलाओं में 4 प्रतिशत सचेत है। 4.9 प्रतिशत महिलायें अपने बारे में नहीं जानती हैं। कृषि में 1.7 प्रतिशत जागरूक हैं 5 प्रतिशत जागरूक नही है, नौकरी करने वाली सिर्फ 1.7 प्रतिशत महिलाये हैं और सभी में संचेतना है, श्रमिक महिलाओं में 4 प्रतिशत जागरूक है 27 प्रतिशत अपनें अधिकारों के बारे में नही जानती हैं, गृहणी 18 प्रतिशत ऐसी महिलायें है जो अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं तथा 33.7 प्रतिशत अपने अधिकारों के प्रति सचेत नही है।

सारणी 4.8 (B)

उत्तरदात्रियों के व्यवसाय के आधार पर संचेतना को ज्ञान करना

संचेतना का स्तर	निजी व्यवसाय	कृषि	नौकरी	श्रमिक	गृहणी	योग	माध्य
हॉ	33(11%)	07(2.3%)	34(11.3%)	11(3.6%)	108(36%)	193	38.6
नहीं	17(5.7%)	05(1.7%)	04(1.3%)	11(3.6%)	70(33.4%)	107	21.4
योग–	50	12	38	22	178	300	60

काई स्क्वायर मूल्य (x2) – 13.68

(2.776) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

(स्वतन्त्रयांश–4)

सारणी 4.8 (B) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण उत्तरदात्रियों की भांति ही नगर में जो उत्तरदात्रियां संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र के किसी कार्य में •संलग्न हैं वह तुलनात्मक रूप से ज्यादा सचेत हैं निजी व्यवसाय में 11 प्रतिशत महिलाये सचेत हैं 5.7 में संचेतना नही है 2.3 कृषि कार्यरत महिलाये सचेत है। 1.7 में संचेतना है। नौकरी करने वाली 11.3 प्रतिशत जागरूक हैं 1.3प्रतिशत जागरूक नही है श्रमिक 3.6 प्रतिशत जागरूक हैं, 3.6 प्रतिशत में जागरूकता नही है।, 36 प्रतिशत गृहणी महिलाओं में संचेतना नही है। 33.4 प्रतिशत में संचेतना नही है। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है जाता है कि महिलाओं का उच्च स्तरीय व्यवसाय ही उनकी संचेतना को अधिक प्रभावित करता है, जैसे—सर्वाधिक सरकारी कर्मचारी महिलाओं में ही ऐसी है जिनमें सबसे अधिक संचेतना है निजी कार्यों में संलग्न निजी व्यवसाय एवं श्रमिक कार्यो में सलंग्न महिलाओं में भी गृहणी महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा संचेतना है।

महिलाओं के व्यवसाय का उनकी संचेतना पर प्रभाव का आंकलन करने के लिए काई स्क्वायर परीक्षण किया गया जो कि 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

महिलाओं के व्यवसाय का उनकी जागरूकता पर पड़ने वाले प्रभाव का मुख्य कारण है कि व्यवसाय व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी प्रदान करता है। अतः जो महिलायें स्वावलम्बी है वे आज के युग की प्रगतिशील विचारधारा को समझती हैं तथा अपने सामाजिक संवैधानिक अधिकारों के विषय में जानती हैं। गृहणी महिलायें घर में रहने तथा पति एवं परिवार पर आश्रित होने के कारण अपने विवेक से निर्णय लेने से डरती हैं साथ ही उनमें संचेतना कम पायी जाती है।

9. महिलाओं के पति का व्यवसाय एवं संचेतना :

क्या महिलाओं के पति का व्यवसाय भी उनकी संचेतना को प्रभावित करता है? यहाँ पर इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। सामान्तया सभी परिवारों में आर्थिक आय का स्रोत पति का व्यवसाय ही होता है। पति ही परिवार का मुखिया एवं कर्ता –धर्ता है। उसके निर्णय ही परिवार के लिए मुख्य होते हैं। महिलाओं की जागरूकता उसके पति के व्यवसाय से कहाँ तक प्रभावित होती है, सम्बन्धित तथ्य

सारणी 4.9 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी– 4.9 (A)

महिलाओं के पति के व्यवसाय के आधार पर उनकी संचेतना

संचेतना का स्तर	निजी व्यवसाय	कृषि	नौकरी	श्रमिक	कुछ नही करते	योग	माध्य
हॉ	12(4%)	38(12.7%)	14(4.6%)	18(6%)	12(4%)	94	18.8
नहीं	31(10.7%)	53(17.7%)	10(3.7%)	95(31.6%)	17(5.6%)	206	41.2
योग–	43	91	24	113	29	300	60

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य–20.22

(2.776) 0.05 सम्भाविता स्तर पर

स्वतन्त्रयांश–4

सारणी 4.9 (A) के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि महिलाओं के पति का व्यवसाय उनकी संचेतना को अधिक प्रभावित नही करता है। जिन महिलाओं के पति निजी का व्यवसाय में सलंग्न है उनमें 4 प्रतिशत महिलायें सचेत है तथा 10.7 प्रतिशत में संचेतना नही है, जिन महिलाओं के पति कृषि कार्य में सलंग्न है उनमें 12.7 में संचेतना है 17.7 में संचेतना नही है जिनके पति संगठित अथवा असंगठित में कार्यरत हैं उनमें 4.6 प्रतिशत संचेतना है, 3.7 में संचेतना नही है जिनके पति श्रमिक हैं उनमें 6 प्रतिशत में संचेतना है। 31.6 में संचेतना नही है साथ ही जिनके पति कुछ नही करते अर्थात् किसी भी तरह से धनोपार्जन से सम्बन्धित कार्य नही करते है उनमें 4 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना है 5.6 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना नही है।

सारणी 4.9 (B)

महिलाओं के पति के व्यवसाय के आधार पर उनकी संचेतना

संचेतना का स्तर	निजी व्यवसाय	कृषि	नौकरी	श्रमिक	कुछ नही करते	योग	माध्य
हॉ	55(18.3%)	14(4.6%)	65(21.7%)	15(5%)	45(15%)	194	38.8
नहीं	30(10%)	15(5%)	32(10.7%)	16(5.3%)	13(4.4%)	106	21.2
योग—	85	29	97	13	58	300	60

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य—11.42

(2.776) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है,

स्वतन्त्रयांश—4

सारणी 4.9 (B) के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ग्रामीण महिलाओं की तुलना में नगरीय महिलाओं में उनके पति के व्यवसाय का प्रभाव ज्यादा पड़ा है। जिन महिलाओं के पति निजी व्यवसाय में सलंग्न है उनमें 18.3 प्रतिशत संचेतना है 10 प्रतिशत महिलायें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नही है। जिनके पति कृषि कार्य कर रहे हैं उनमें 4.6 में संचेतना है 5 प्रतिशत में संचेतना नही है, जिनके पति नौकरी कर रहे हैं उनमें 21.7 में संचेतना है तथा 10.7 में संचेतना नही है, जिनके पति श्रमिक है उनमें 5 प्रतिशत में संचेतना है 5.3 में संचेतना नही है तथा जिनके पति किसी धनोपार्जन सम्बन्धित कार्य में सलंग्न नही है उनमें 15 प्रतिशत में संचेतना है तथा 4.4 प्रतिशत में संचेतना नही है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की संचेतना पर उनमें पति के व्यवसाय का उतना प्रभाव नही होता जितना उनमें स्वयं के व्यवसाय का पड़ता है।

इस निषकर्ष की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण से भी हो जाती है जिसके अनुसार अन्तर 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

उत्तरदात्रियों की मासिक आय एवं संचेतना :-

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय एवं उनकी मासिक आय उनकी संचेतना को

प्रभावित करती है विद्वानों का विचार है कि यदि महिलाओं की आय अधिक है तो उनमें जागरूकता ज्यादा होती है यदि कम है तो जागरूकता कम होगी।

जहाँ पर महिलाओं की संचेतना को उनकी आय के आधार पर स्पष्ट किया गया है आय को चार भागों में विभक्त किया गया है– 500–1000, 2000–5000, 5000–10,000, 10,000 से ऊपर प्राप्त तथ्यों का विवरण सारणी 4.10 में अंकित है।

सारणी 4.10 (A)

ग्रामीण उत्तरदात्रियों की मासिक आय एवं संचेतना

संचेतना	500–1000	2000–5000	5000–10,000	10,000 से ऊपर	योग	माध्य
हाँ	31(10.3%)	25(8.3%)	08(2.6%)	24(8%)	88	22
नही	115(38.4%)	70(23.4%)	15(0.5%)	12(4%)	212	53
योग–	146	95	23	36	300	75

काई स्क्वायर मूल्य–(X^2)– 29.54

(3.182) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है

स्वतन्त्रयांश–3

सारणी 4.10 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं की आय का प्रभाव उनकी संचेतना में भी पड़ता है। 500–1000 तक कमाने वाली महिलाओं में 10.3 प्रतिशत जागरूकता हैं 38.4 प्रतिशत में जागरूकता नही है, 2000–5000 तक कमाने वाली महिलाओं में 8.3 प्रतिशत जागरूकता है 23.4 प्रतिशत में जागरूकता नही है 5000–10,000 तक प्राप्त करने वालों में 2.6 प्रतिशत संचेतना है तथा 05 प्रतिशत में संचेतना नही है साथ ही 10,000 से अधिक प्राप्त करने वालों में 8 प्रतिशत में जागरूकता है तथा 4 प्रतिशत में जागरूकता नही है।

सारणी 4.10 (B)

नगरीय उत्तरदात्रियों की मासिक आय एवं संचेतना

संचेतना	500—1000	2000—5000	5000—10,000	10,000 से ऊपर	योग	माध्य
हाँ	12(4%)	85(28.3%)	65(21.6%)	38(12.6%)	200	50
नही	14(4.7%)	56(18.7%)	25(8.4%)	5(1.7%)	100	25
योग—	26	141	90	43	300	75

काई स्क्वायर मूल्य (X^2)—17.83

(3.182) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

स्वतन्त्रयांश—3

सारणी 4.10 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नगरीय समुदाय में 500—1000 पाने वाली 26 महिलायें है जिनमें 4 प्रतिशत जागरूक हैं तथा 4.7 प्रतिशत में जागरूक नही है, 2000—5000 पाने वाली महिलाओं में 28.3 प्रतिशत महिलाये सचेत है तथा 18.7 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना नही है, 5000—10,000 पाने वाली महिलाओं में 21.6 प्रतिशत में जागरूकता है 8.7 प्रतिशत में जागरूकता का अभाव है, 10,000 से अधिक कमाने वाली महिलाओं में 12.6 प्रतिशत में संचेतना है। 1.7 प्रतिशत महिलायें जागरूक नही है।

इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की आय का उनकी संचेतना में अधिक प्रभाव पड़ता है जैसे—जैसे महिलाओं की आय बढ़ती है महिलाओं की जागरूकता बढ़ती जाती है जबकि आय के कम होने से संचेतना में कमी आती है।

निष्कर्ष की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण से भी किया गया हो कि 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

उक्त निष्कर्ष के पीछे छिपे कौन से कारण है ? यह जानना भी आवश्यक है कि सामान्यतः जिनकी आय अधिक होती है। ऐसे धनी व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाने के लिए नये—नये उधोग, व्यापार आदि को करते हैं अनेक लोगों से मिलते हैं हर तरह की जानकारी

प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी जागरूकता में वृद्धि होती है। निम्न आय वाले व्यक्ति अपनी जीविका के लिए तथा अपनी मूल आवश्यकता की पूर्ति में ही लगे रहते हैं जिससे उनमें कम जागरूकता पायी जाती है।

11. परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं संचेतना :-

विद्वानों का विचार है कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक व तकनीकी उन्नति के साथ–साथ संचेतना में वृद्धि होती है उच्च आर्थिक स्तर के लोगों में ज्यादा संचेतना होती है जबकि निम्न आर्थिक स्तर के लोगों में कम संचेतना होती है। जैसे, ऐसे विकसित क्षेत्र जहॉ प्रौद्यौगिक उन्नति, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा का व्यापक प्रसार है तथा समाज परम्परात्मक रीति–रिवाजों के मुक्त है वहॉ संचेतना अधिक है। जबकि विकासशील क्षेत्र जहाँ आज भी कृषि की प्रधानता है, शिक्षा का प्रसार कम है, निरक्षरता एवं परम्पराओं का महत्व है वहाँ संचेतना कम है।

यहॉ पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की संचेतना परिवार में सामाजिक आर्थिक स्तर से प्रभावित होती है। सामाजिक आर्थिक स्तर का संचेतना से सम्बन्ध दर्शाने हेतु उसे तीन स्तरों में विभक्त किया गया है– उच्च , मध्यम, निम्न एकत्रित आंकड़ों का विवरण सारणी 4.11 में प्रस्तुत है।

सारणी 4.11 (A)

परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर एवं संचेतना

संचेतना का स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	28(9.4%)	36(12 %)	25(8.3%)	89	26.7
नहीं	16(5.4%)	53(17.6%)	142(47.3%)	211	70.3
योग–	44	89	167	300	100

काई स्क्वायर मूल्य (X^2) 46.54

(4.303) 0.05 सम्भाविता स्तर पर

स्वतन्त्रयांश–2

सारणी 4.11(A) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समुदाय में 9.4

प्रतिशत उच्च स्तर की ऐसी महिलायें है जिनमें संचेतना है तथा 5.4 में संचेतना नही है, मध्यम स्तर की 12 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना है तथा 17.6 में संचेतना नही है साथ ही निम्न स्तर की 8.3 प्रतिशत महिलाओं में संचेता है तथा 47.3 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना नही है।

सारणी 4.11 (B)

नगरीय उत्तरदात्रियों के परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर

संचेतना का स्तर	उच्च	मध्यम	निम्न	योग	माध्य
हाँ	91(33%)	87(29%)	14(4.7%)	192	64
नहीं	16(5.3%)	68(22.6%)	24(8%)	108	36
योग–	107	155	38	300	100

काई स्क्वायर (X^2) मूल्य–36.03

(4.303) 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक

स्वतन्त्रयांश–2

सारणी 4.11 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नगरीय समुदाय की उच्च स्तर की उत्तरदात्रियों ने 33 प्रतिशत संचेतना दर्शायी तथा 5.3 प्रतिशत ने अनभिज्ञता, मध्यम स्तर की सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं में से 29 प्रतिशत में संचेतना थी, 22.6 प्रतिशत में संचेतना नही थी, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर में रहने वाली महिलाओं में से 4.7 प्रतिशत महिलायें सचेत तथा 8 प्रतिशत महिलायें अपने अधिकारों के प्रति संचेत नही थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ता जाता है महिलाओं में जागरूकता भी बढ़ती जाती है। तथा सामाजिक आर्थिक स्तर में गिरावट होने से संचेतना में भी कमी आती है।

उक्त निष्कर्ष की पुष्टि काई स्क्वायर परीक्षण द्वारा भी की गयी जो 0.05 सम्भाविता स्तर पर सार्थक है।

{ब} दो चरो के सन्दर्भ में संचेतना में विभिन्नतायें :

अभी तक यह देखने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं की संचेतना

उनकी शिक्षा, व्यवसाय, परिवार का प्रकार, परिवार की आय, जातीय स्तर एवं सामाजिक आर्थिक स्तर, पर किस सीमा तक आधारित होती है। अब ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं की संचेतना का विश्लेषण किन्ही दो चरो के आधार पर करने का प्रयास किया गया है क्योंकि चरों का मिश्रित प्रभाव संचेतना पर पड़ता है।

1– परिवार का प्रकार जाति एवं संचेतना :

यहाँ पर ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं की संचेतना को परिवार के प्रकार एवं जाति के स्तर के आधार पर विश्लेषित करने की योजना है जिसका विश्लेषण सारणी 4.12 में प्रस्तुत है।

सारणी 4.12 में अंकित आंकड़ों के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की संचेतना उनकी जातीय स्तर एवं परिवार के प्रकार से प्रभावित होती है। जो महिलायें संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है तथा उच्च जातीय स्तर की है उनमें 33 प्रतिशत महिलायें ग्रामीण एवं 25 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 43 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, संयुक्त परिवार से ही सम्बन्धित जो महिलायें मध्यम जातीय स्तर की है उनमें 13 ग्रामीण एवं 26 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 30 ग्रामीण एवं 19 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है जबकि इसी क्रम में निम्न जातीय स्तर की महिलाओं में 10 ग्रामीण एवं 25 नगरीय महिलायें सचेत हैं तथा 13 ग्रामीण तथा 21 नगरीय महिलाये सचेत नही है। इसी तरह वे महिलायें जो एकाकी परिवार में रहने वाली तथा उच्च जातीय स्तर से सम्बन्धित है उनमें 10 ग्रामीण तथा 43 नगरीय महिलाये सचेत है तथा 14 ग्रामीण तथा 16 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, मध्यम जातीय स्तर की में 8 ग्रामीण तथा 33 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 49 ग्रामीण तथा 22 नगरीय महिलायों में संचेतना नही है, तथा वे महिलायें जो निम्न जातीय स्तर की है उनमें से 7 ग्रामीण तथा 37 नगरीय महिलाओ में संचेतना है तथ 70 ग्रामीण तथा 17 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय में विभिन्न जातीय स्तरों में संयुक्त परिवार की महिलाओं की तुलना में एकाकी परिवार की महिलाओं में संचेतना कम है तथा संयुक्त परिवार की महिलाओं में संचेतना अधिक है। इसके विपरीत

सारणी 4.12

महिलाओं के परिवार के प्रकार एवं जाति के आधार पर संचेतना

	ग्रामीण						नगरीय						
मापदण्ड	उच्च जाति		पिछड़ी जाति		अनु0 जाति		उच्च जाति		पिछड़ी जाति		अनु0 जाति		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
संयुक्त	33	43	13	30	10	13	25	16	26	19	25	21	274
एकाकी	10	14	8	49	7	70	43	16	33	22	37	17	326
योग—	43	57	21	79	21	79	68	32	59	41	62	38	600

नगरीय समुदाय में संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार की महिलाओं में संचेतना अधिक है साथ ही उच्च जातीय स्तर की महिलाओं में निम्न जातीय स्तर की महिलाओं की तुलना में संचेतना अधिक है। ग्रामीण समुदाय में कुल 85 महिलाये सचेत है जबकि नगरीय समुदाय में 189 महिलायें सचेत है इसके कारण के रूप में ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा संयुक्त परिवारों में जातिगत बन्धन एवं पुरानी मान्यताओं का होना है इसके विपरीत नगरीय समुदाय तथा उच्च जातीय स्तर में तथा एकाकी परिवारों में रहने वाले व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते है तथा अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक रहते हैं।

2—परिवार का प्रकार, महिलाओं की शिक्षा एवं संचेतना :-

महिलाओं की संचेतना से सम्बन्धित विभिन्नताओं का विश्लेषण उनके परिवार के प्रकार एवं उनकी शिक्षा के आधार पर सारणी 4.13 में प्रस्तुत है।

सारणी 4.13 के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि महिलाओं की संचेतना उनकी शिक्षा व परिवार के प्रकार से प्रभावित होती है। वे महिलायें जो संयुक्त परिवार की है तथा निरक्षर हैं उनमें 22 ग्रामीण एवं 10 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 108 ग्रामीण एवं 10 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 108 ग्रामीण एवं 31 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है इसी वर्ग से सम्बन्धित हाई स्कूल से कम, महिलाओं में 26 ग्रामीण एवं 28 नगरीय महिलाये सचेत है तथा 29 ग्रामीण तथा 14 नगरीय महिलायें इनके प्रति सचेत नही है तथा हाइ स्कूल से अधिक स्नातक से कम 15 ग्रामीण एवं 19 नगरीय महिलायें में संचेतना है तथा 1 ग्रामीण तथा 13 नगरीय महिलाओं में संचेतना का अभाव है, तथा वे जो महिलायें उच्च शिक्षित है उनमे से 2 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाये सचेत है तथा 1 नगरीय महिला में संचेतना नही है। इसी प्रकार एकाकी परिवार में रहने वाली वे महिलायें जो अशिक्षित है उनमें 16 ग्रामीण एवं 15 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 54 ग्रामीण एवं 32 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इसीवर्ग की हाई स्कूल से कम 9 ग्रामीण एवं 31 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 13 ग्रामीण एवं 18 नगरीय महिलाओं में जागरूकता नही है, तथा हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम 3 ग्रामीण

सारणी 4.13

महिलाओं की शिक्षा एवं परिवार के प्रकार के आधार पर संचेतना

	ग्रामीण								नगरीय								
मापदण्ड	निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
संयुक्त	22	108	26	29	15	1	2	0	10	31	28	14	19	13	16	1	343
एकाकी	16	54	9	13	3	1	1	0	15	32	31	18	32	7	28	5	264
योग–	38	162	35	42	18	2	3	0	25	63	59	32	51	20	44	6	600

एवं 32 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 1 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है तथा वे जो महिलायें उच्च शिक्षित है उनमें से 1 ग्रामीण एवं 28 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 5 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इस प्रकार सारणी में दर्शायी गये आंकड़ो से यह बात सिद्ध हो जाती है कि महिलाओं की शिक्षा एवं परिवार का प्रकार उनकी संचेतना को प्रभावित करता है। जो महिलायें शिक्षित है तथा एकाकी परिवार में रहती है उनमें संचेतना अधिक है इसका मुख्य कारण है कि एकाकी परिवार में रहने वाले लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत रहते हैं साथ ही उनकी शिक्षा उन्हें और भी उदार व प्रगतिशील बना देती है। संयुक्त परिवार में अशिक्षित महिलाओं में संचेतना कम है तथा शिक्षित महिलाओं में संचेतना अधिक है।

3–परिवार का प्रकार महिलाओं के पति की शिक्षा एवं संचेतना:-

महिलाओं की संचेतना को परिवार के प्रकार एवं उनके पति की शिक्षा के अनुसार भी विश्लेषित किया गया है जिसका विवरण सारणी 4.14 में अंकित है।

सारणी 4.14 में दर्शाये गये विवरण से परिलक्षित होता है कि ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं की संचेतना पर उनके पति की शिक्षा का विशेष प्रभाव नही है। किन्तु परिवार के प्रकार का कुछ प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। वह महिलायें जिनके पति निरक्षर है तथा वे संयुक्त परिवार में रहती है उनमें 7 ग्रामीण व 4 नगरीय महिलाये में संचेतना है तथा 62 ग्रामीण एवं 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना नहीं हैं, व जिन महिलाओं के पति हाई स्कूल से कम शिक्षित है उनमें 29 ग्रामीण एवं 22 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 63 ग्रामीण एवं 14 नगरीय महिलाये नही है इसी वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति हाई स्कूल से अधिक एवं स्नातक से कम है उनमें 9 ग्रामीण 31 नगरीय महिलाओ सचेत है तथा क्रमशः 9, 13 महिलाये सचेत नही है, इसी क्रम में जिन महिलाओं के पति स्नातक एवं उससे ऊपर है उनमें 9 ग्रामीण एवं 16 नगरीय सचेत हैं एवं 3 ग्रामीण 10 नगरीय में संचेतना नही है। इसी वर्ग से सम्बन्धित 13 ग्रामीण अविवाहित महिलाओं में से 4 में संचेतना है एवं 0 अनभिज्ञ हैं तथा नगरीय 14 अविवाहित महिलाओं में 11 सचेत है तथा 3 में संचेतना नही है।

सारणी 4.14

महिलाओं के परिवार के प्रकार एवं पति की शिक्षा के आधार पर संचेतना

	ग्रामीण										नगरीय										
मापदण्ड	निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		अविवाहित		निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		अविवाहित		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
संयुक्त	7	62	29	63	9	9	9	3	4	9	4	8	22	14	31	13	16	10	11	3	336
एकाकी	13	24	8	29	4	6	3	2	3	4	5	8	17	22	39	20	25	8	21	3	264
योग—	20	86	37	92	13	15	12	5	7	13	9	16	39	36	70	33	41	18	32	6	600

इसी प्रकार वे महिलायें जो एकाकी परिवार में रहने वाली हैं तथा जिनके पति निरक्षर है उनमें 13 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 24 ग्रामीण 8 नगरीय महिलाओं में नही है इसी वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति हाई स्कूल से कम है उनमें 8 ग्रामीण 17 नगरीय महिलायें सचेत है एवं 29 ग्रामीण एवं 22 नगरीय में संचेतना नही है। इसी क्रम में हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम में 4 ग्रामीण 39 नगरीय महिलायें सचेत है एवं 6 ग्रामीण एवं 20 नगरीय महिलायें सचेत नही है। साथ ही, एकाकीपरिवार से ही सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति उच्च शिक्षित हैं उनमें 3 ग्रामीण 25 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 2 ग्रामीण एवं 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इसी वर्ग से सम्बन्धित 7 ग्रामीण अविवाहित महिलाओं में से 3 में संचेतना है तथा 4 में नही है तथा 24 नगरीय महिलाओं में से 21 में संचेतना है एवं 3 में संचेतना नही है। इसी प्रकार इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की संचेतना पर परिवार के प्रकार का आंशिक प्रभाव है परन्तु उनके पति भी शिक्षा का प्रभाव सार्थक नही है। क्योंकि मात्र पति की शिक्षा से ही पत्नी भी जागरूक का निर्धारण नही होता है बल्कि उसके लिये महिला की शिक्षा भी आवश्यक है क्योंकि जब महिला शिक्षित होती तब ही अपने परिवार तथा स्वयं के अधिकारों के बारे में जागरूक होगी।

4. परिवार का प्रकार महिलाओं का व्यवसाय एवं जागरूकता :

अधिकांश विद्वानों का विचार है कि संचेतना पर दम्पत्तियों के व्यवसाय का प्रभाव भी द्रष्टिगोचर होता है। नौकरी पेशा उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों में मजदूरों एवं लघु व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा संचेतना अधिक होती है। कुछ विद्वानों का विचार है कि पुरूषों के व्यवसाय की अपेक्षा महिलाओं का व्यवसाय उनकी संचेतना को अधिक प्रभावित करता है।

यहाँ पर महिलाओं की संचेतना पर उनके परिवार के प्रकार के साथ–साथ उनके व्यवसाय के प्रभाव का विवरण सारणी 4.15 में प्रस्तुत है।

सारणी 4.15

परिवार का प्रकार महिलाओं का व्यवसाय एवं जागरूकता

	ग्रामीण										नगरीय										
मापदण्ड	व्यवसाय		कृषि		नौकरी		श्रमिक		गृहणी		व्यवसाय		कृषि		नौकरी		श्रमिक		गृहणी		योग
संकेताक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
संयुक्त	7	9	2	12	2	1	9	55	36	68	11	10	4	3	16	9	5	11	34	29	336
एकाकी	4	7	2	4	2	0	6	24	14	34	15	14	4	1	11	2	1	5	68	47	264
योग	11	16	4	16	4	1	15	89	50	102	26	24	8	4	27	1	6	16	102	76	600

सारणी 4.15 में अंकित आंकड़ो से यह स्पष्ट है कि परिवार का प्रकार एवं महिलाओं का व्यवसाय उनकी संचेतना को प्रभावित करते हैं। वे महिलायें जो संयुक्त परिवार में रहती है तथा व्यवसायरत हैं उनमें 7 ग्रामीण एवं 11 नगरीय महिलायें सचेत है एवं 9 ग्रामीण एवं 10 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, कृषि कार्य में सलंग्न महिलाओं में 2 ग्रामीण 4 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 12 ग्रामीण एवं 3 नगरीय में संचेतना नही है। इसी वर्ग से सम्बन्धित संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में से 2 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है इसी वर्ग से सम्बन्धित श्रमिक महिलाओं में क्रमशः 9, 5 महिलाओं में संचेतना है एवं 55 एवं 11 महिलाओं में संचेतना नही है तथा वे महिलायें जो किसी भी धनोपार्जन सम्बन्धित कार्य को नहीं करती है अर्थात् गृहणी है उनमें 36 ग्रामीण एवं 34 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 68 ग्रामीण एवं 29 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इसी प्रकार एकाकी परिवार में रहने वाली निजी व्यवसाय में कार्यरत है तथा 4 ग्रामीण एवं 15 नगरीय महिलायें सचेत है एवं 7 ग्रामीण एवं 14 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, कृषि कार्य में लगीहुई 2 ग्रामीण 4 नगरीय महिलाओं में संचेतना है परन्तु 4 ग्रामीण एवं 1 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। नौकरी करने वाली 5 ग्रामीण महिलाओं में से 4 में एवं 38 नगरीय महिलाओं में से 11 में संचेतना है एवं 1 ग्रामीण एवं 2 नगरीय महिला में संचेतना नही है, श्रमिक महिलाओं में से 6 ग्रामीण, 1 नगरीय महिला में संचेतना नही है वही 24 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, अवैतनिक कार्य से सम्बन्धित यानी गृहणी महिलाओं में से 16 ग्रामीण 34 नगरीय महिलायें सचेत है एवं 34 ग्रामीण एवं 47 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि महिलाओं का व्यवसाय व उनका पारिवारिक स्तर संचेतना को प्रभावित करते हैं यदि महिलायें का॰ ाजी है साथ ही एकाकी परिवार में रहने वाली हैं तो उनमें गृहणी महिलाओं की अपेक्षा संचेतना अधिक है साथ ही महिला का व्यवसायिक

स्तर भी उनकी संचेतना को प्रभावित करते हैं। घर में रहकर श्रमिक के रूप में यह छोटे–छोटे व्यवसाय करने वाली महिलाओं की अपेक्षा सरकारी कर्मचारी महिलाओं में संचेतना का स्तर पर्याप्त कम है क्योंकि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में विकास के अवसर उपलब्ध होना कठित है अतः अपने हित एवं अधिकारों के प्रति पर्याप्त सचेत रहना आवश्यक समझती हैं।

5. परिवार का प्रकार महिलाओं के पति का व्यवसाय एवं संचेतना :

महिलाओं की संचेतना को परिवार के प्रकार एवं उनके व्यवसाय के आधार पर विश्लेषित करने के पश्चात् उनके पति के व्यवसाय के आधार पर भी विश्लेषित किया गयाहै जिसका विवरण सारणी 4.16 में प्रस्तुत है।

सारणी 4.16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि महिलाओं की संचेतना पर परिवार का प्रकार तो ही है परन्तु साथ ही, उनके पति के व्यवसाय के विशेष प्रभाव की भी पुष्टि होती है। वे महिलायें जो संयुक्त परिवारों में रहने वाली हैं तथा जिनके पति का निजी व्यवसाय है उनमें 12 ग्रामीण एवं 11 नगरीय महिलाओं में संचेतना है 18 ग्रामीण एवं 27 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, कृषि कार्य से सम्बन्धित पुरूषों की पत्नियों में 27 ग्रामीण एवं 10 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 43 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिलाओं में संचेतना नहीं है इसी वर्ग से सम्बन्धित संगठित एवं असंगठित कार्य में सलंग्न लोगों से सम्बन्धित महिलाओं में 5 ग्रामीण एव 22 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 7 ग्रामीण एवं 15 में संचेतना नहीं है, श्रमिक कार्य से सम्बन्धित 21 ग्रामीण एवं 9 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 25 ग्रामीण एवं 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है वे व्यक्ति जो किसी धनोपार्जन सम्बन्धित कार्य को नही करते उन 8 ग्रामीण में से 4 में संचेतना है 4 में नही है तथा 11 नगरीय महिलाओं में से 6 में संचेतना है 5 में नही है तथा कुल 58 नगरीय एवं ग्रामीण अविवाहित महिलाओं में से 39 में संचेतना है एवं 9 में संचेतना नही है।

इसी प्रकार वे महिलाये जो एकाकी परिवार में रहती है तथा जिनके पतियों

सारणी 4.16

महिलाओं के पति का व्यवसाय एवं परिवार के प्रकार के आधार पर संचेचना

	ग्रामीण												नगरीय												
मापदण्ड	निजी व्यवसाय		कृषि		नौकरी		श्रमिक		कुछ नहीं		अविवाहित		निजी व्यवसाय		कृषि		नौकरी		श्रमिक		कुछ नहीं		अविवाहित		योग
संकेताक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
संयुक्त	12	10	27	43	5	7	21	50	4	4	4	9	10	27	10	5	22	15	9	8	6	5	11	3	336
एकाकी	3	10	10	11	8	4	10	34	1	0	3	4	28	19	7	9	34	26	6	6	3	6	21	3	264
योग	15	28	37	54	13	11	31	84	5	4	7	13	38	46	17	14	56	41	15	14	9	11	32	6	600

का निजी व्यवसाय है उनमें 3 ग्रामीण एवं 28 नगरीय में संचेतना है तथा इसी क्रम में 10, 19 में संचेतना नही है तथा इसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जिन महिलाओं के पति कृषि कार्य से सम्बन्धित है उन 10 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा क्रमशः 11 ग्रामीण एवं 9 में संचेतना नही है, जिन महिलाओं के पति नौकरी करते हैं उनमें 8 ग्रामीण एवं 34 नगरीय में संचेतना है 4 ग्रामीण एवं 26 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है,जिन महिलाओं के पति श्रमिक है उनमे 10 ग्रामीण एवं 6 नगरीय में संचेतना है 34 ग्रामीण एवं 6 नगरीय में संचेतना नहीं है तथा जिन महिलाओं के पति किसी धनोपार्जन सम्बन्धित कार्य को नही करते है उन में 29 ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में से 14 में संचेतना है एवं 15 में संचेतना नही है। इस प्रकार इस विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि परिवार के प्रकार के साथ–साथ महिलाओं के पति का व्यवसाय भी उसकी संचेतना को प्रभावित करता है। परन्तु व्यवसाय काउच्च स्तर ही संचेतना को बढ़ाता है। जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। आंकड़ो के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि सरकारी कर्मचारियों में संचेतना अधिक होती है। इसका मुख्य कारण है कि वे शिक्षित तथा अनुभवी होते हैं। एकाकी परिवार में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों में संचेतना का स्तर और भी अधिक हो जाने का मुख्य कारण है कि वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कारण समय की मांग के अनुकूल चलते हैं।

6. परिवार का प्रकार महिलाओं के परिवार की मासिक आय एवं संचेतना:-

परिवार के प्रकार एवं मासिक आय का महिलाओं की संचेतना से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। परिवार की अधिक आय संचेतना को बढ़ाने में सहायक होती है साथ ही यदि परिवार एकाकी है व आय काउच्च स्तर है तो संचेतना अधिक हो जाती है। जबकि संयुक्त परिवारों में निम्न स्तरीय आय के कारण संचेतना अधिक होती है। 10 ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में भी संचेतना भिन्नता पायी जाती है। ग्रामीण महिलाओं की तुलना में नगरीय महिलाओं में संचेतना अधिक पायी जाती है। महिलाओं की संचेतना को परिवार के प्रकार एवं परिवार की मासिक आय के आधार पर सारणी 4.17 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4.17

महिलाओं के परिवार के प्रकार एवं परिवार की मासिक आय के अनुसार संचेतना

	ग्रामीण								नगरीय								
मापदण्ड	500–1000		2000–5000		5000–10000		10000 से अधिक		500–1000		2000–5000		5000–10000		10000 से अधिक		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
संयुक्त	50	106	12	26	2	6	0	1	9	5	37	31	26	13	11	3	336
एकाकी	17	47	5	24	4	0	0	0	6	8	39	31	42	14	20	11	264
योग–	67	153	17	50	6	6	0	6	15	13	76	62	65	27	31	11	600

सारणी 4.17 के विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि परिवार का प्रकार ,परिवार की मासिक आय एवं संचेतना के बीच नकारात्मक सह सम्बन्ध होता है वे महिलायें जो संयुक्त परिवार में रहती है तथा जिनकी मासिक आय 500 से 1000 रूपये तक है उन ग्रामीण महिलाओं में 50 एवं नगरीय 9 महिलायें सचेत हैं तथा 106 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिलाओं में सेतचना नही है, जो महिलायें 2000–5000 मासिक आय की श्रेणी में आती है उनमें 12 ग्रामीण एवं 37 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 26 ग्रामीण एवं 31 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, तथा जो 5000 से 10,000 की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं उनमें 2 ग्रामीण एवं 23 नगरीय महिलायें संचेतना है एवं 6 ग्रामीण एवं 13 नगरीय महिलाये में संचेतना नही है किन्तु वे महिलायें जिनकी मासिक आय 10,000 या उससे भी अधिक है उनमें सबसे अधिक यानी 11 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 1 ग्रामीण एवं 3 नगरीय महिला में संचेतना नही है। इसी प्रकार वे महिलायें जो एकाकी परिवार में रहने वाली है तथा जिनकी आय मात्र 500 से 1000 हजार रूपये है उनमें 17 ग्रामीण एवं 6 नगरीय महिला में संचेतना है एवं 47 ग्रामीण एवं 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है एवं जो 2000–5000 हजार की श्रेणी में आती है उनमें 5 ग्रामीण एवं 39 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 24 ग्रामीण एवं 31 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है एवं 5000 से 10,000 हजार की श्रेणी में आने वाली 4 ग्रामीण एवं 42 नगरीय महिलाओं में संचेतना है, 14 नगरीय महिला में संचेतना नही है, एवं 10,000 हजार से अधिक की श्रेणी में आने वाले लोगों में 20 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 8 में संचेतना नही है इस श्रेणी से सम्बन्धित ग्रामीण महिलायें नही है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण इस तथ्य पर आधारित हैं कि जैसे–जैसे परिवार की आय अधिक होती जाती है तथा परिवार एकाकी होता है, वहां संचेतना अधिक होती है तथा संयुक्त परिवार एवं निम्न आय का स्तर होने पर संचेतना स्तर अधिक होता है। इसका कारण यह है कि एकाकी परिवार एवं अधिक आय से सम्बन्धित लोग स्वतन्त्रता पूर्वक रहते हैं तथा अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत होते हैं।

7-जातीय स्तर महिलाओं की शिक्षा एवं संचेतना :-

यहाँ पर महिलाओं की संचेतना के अनेक जातीय स्तर एवं शिक्षा के आधार पर विश्लेषित करने की योजना है जिसे सारणी–4.18 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4.18 से स्पष्ट है कि महिलाओं की संचेतना पर उनकी शिक्षा व जातीय स्तर का प्रभाव पड़ता है वे महिलायें जो उच्च जातीय स्तर की हैं किन्तु निरक्षर है उनमें 10 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिलाओं में संचेतना है परन्तु 36 ग्रामीण एवं 15 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। वे महिलायें जो हाई स्कूल से कम है उनमें 14 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाओं में संचेतना है परन्तु 17 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिला में संचेतना नही है, हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम शिक्षित महिलाओं में 19 ग्रामीण एवं 18 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 1 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिला में संचेतना नही है तथा जो उच्च शिक्षित है उनमें 1 ग्रामीण एवं 27 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इसी प्रकार मध्यम जातीय स्तर से सम्बन्धित जो महिलायें निरक्षर है उनमें 13 ग्रामीण एवं 9 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 66 ग्रामीण एवं 24 नगरीय में संचेतना नही है हाईस्कूल से कम शिक्षित महिलाओं में से 10 ग्रामीण एवं 15 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं क्रमशः 10, 18 में संचेतना नही है, हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम शिक्षित महिलाओं में से 15 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है तथा उच्च शिक्षित महिलाओं में से 9 नगरीय में संचेतना है एवं 1 में नही है। मध्यम जातीय स्तर में ग्रामीण महिलाओं में उच्च शिक्षित महिलायें नही हैं इसी क्रम में निम्न जातीय स्तर की निरक्षर महिलाओं में 10 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 68 ग्रामीण एवं 28 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, हाई स्कूल से कम शिक्षित महिलाओं में 14 ग्रामीण एवं 9 नगरीय महिलाअें में संचेतना है। एवं 15 ग्रामीण एवं 27 में संचेतना नही है तथा हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम शिक्षित महिलाओं में से 1 ग्रामीण एवं 10 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 14 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है तथा स्नातक एवं उससे ऊपर भी शिक्षित महिलाओं में से

सारणी 4.18

जातीय स्तर महिलाओं की शिक्षा एवं संचेतना

	ग्रामीण								नगरीय								
मापदण्ड	निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
उच्च जाति	10	36	14	17	19	1	2	1	5	15	16	6	18	5	27	8	200
पिछड़ी जाति	13	66	10	10	0	1	0	0	9	24	15	18	15	9	9	1	200
अनु0 जाति	10	68	6	15	1	0	0	0	7	28	9	27	10	14	4	1	200
योग–	33	170	30	42	20	2	2	1	21	67	40	54	43	28	40	10	600

4 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 1 में संचेतना नही है, नगरीय समुदाय में निम्न जातीय स्तर की उच्च शिक्षित महिलायें नही है। सारणी में दर्शायी गये आंकड़ों से विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा महिलाओं की संचेतना को बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक है क्योंकि यदि निम्न जातीय स्तर की महिलायें उच्च शिक्षित है तो उनमें भी संचेतना अधिक हो गयी है क्योंकि उच्च शिक्षा एवं उच्च जातीय स्तर दोनो ही व्यक्ति को प्रगतिशील बनाते हैं जिससे व्यक्ति परम्परागत मान्यताओं से हटकर बुद्धि एवं तर्क के आधार पर कार्य करता है। अशिक्षित अज्ञानता के कारण भाग्यवादिता को आश्रय लेकर परम्परागत मान्यताओं का उल्लंघन नही कर पाते।

8. जातीय स्तर पति की शिक्षा एवं महिलाओं की संचेतना:-

उपरोक्त विश्लेषण महिलाओं के जातीय स्तर एवं शिक्षा पर आधारित हैं। उक्त सन्दर्भ में पति की शिक्षा का प्रभाव भी देखने का प्रयास किया गया जिसका विवरण सारणी 4.19 में प्रस्तुत है।

सारणी 4.19 से स्पष्ट है कि महिलाओं का जातीय स्तर एवं पति की शिक्षा का प्रभाव भी महिलाओं की संचेतना पर पड़ता है वे महिलायें जो उच्च जातीय स्तर की है एवं जिनके पति निरक्षर है उनमें 2 ग्रामीण एवं 4 नगरीय में संचेतना है एवं 4 ग्रामीण एवं 3 नगरीय में संचेतना नही है, जिन महिलाओं के पति हाई स्कूल से कम शिक्षित हैं उनमें 15 ग्रामीण एवं 7 नगरीय में संचेतना है एवं 34 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। साथ ही इसी वर्ग समूह की वे महिलायें जिनके पति हाई स्कूल से अधिक स्नातक से कम है उनमें 9 ग्रामीण एवं 19 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 13 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है साथ ही वे महिलाये जिनके पति स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है उनमें 11 ग्रामीण एवं 17 नगरीय महिलाओं में संचेतना है क्रमशः 4,13 में संचेतना नही है। वे महिलायें जो मध्य जाति की है एवं उनके पति निरक्षर है उनमें 7 ग्रामीण एवं 8 नगरीय में संचेतना है एवं 34 ग्रामीण एवं 6 में संचेतना नही है, वे महिलाये जिनके पति हाई स्कूल से कम शिक्षित हैं तथा 30 ग्रामीण एवं 16 नगरीय में संचेतना नही है साथ ही जिनके पति हाई स्कूल से अधिक स्नातक

सारणी 4.19

महिलाओं का जातीय स्तर एवं उनके पति की शिक्षा के आधार पर संचेतना

	ग्रामीण										नगरीय										
मापदण्ड	निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		अविवाहित		निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		अविवाहित		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
उच्च जाति	2	4	15	34	9	13	11	4	8	0	4	3	7	7	19	16	17	13	11	13	200
पिछड़ी जाति	7	34	12	30	3	5	0	2	2	5	8	6	13	16	8	15	15	4	13	2	200
अनु0 जाति	9	40	10	33	1	2	0	0	1	4	4	5	10	19	10	39	8	5	8	1	200
योग–	18	78	37	97	13	20	11	6	11	9	16	14	30	42	37	70	40	21	33	6	600

से कम शिक्षा प्राप्त है उनमें 3 ग्रामीण एवं 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 5 ग्रामीण एवं 15 नगरीय में संचेतना नही है, वे महिलायें जिनके पति स्नातक एवं उससे ऊपर शिक्षा प्राप्त है उनमें 15 नगरीय में संचेतना है एवं 2 ग्रामीण एव 4 नगरीय में संचेतना नही है। वे महिलायें जो अनु0जाति से सम्बन्धित है एवं उनके पति अशिक्षित हैं उनमें 9 ग्रामीण एवं 4 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 40 ग्रामीण एवं 5 नगरीय में संचेतना नही है वे महिलायें जिनके पति हाई स्कूल से कम शिक्षित है उनमे 10 ग्रामीण एवं 10 नगरीय में संचेतना है एवं 33 ग्रामीण एवं 19 नगरीय में संचेतना नही है, जिनके पति हाई स्कूल से अधिक एवं स्नातक से कम शिक्षित है उनमें 10 ग्रामीण एवं 10 नगरीय में संचेतना है एवं ग्रामीण एवं 39 नगरीय में संचेतना नही है साथ ही वे महिलायें जिनके पति उच्च शिक्षा (स्नातक एवं उससे ऊपर)शिक्षा प्राप्त हैं उनमें 8 नगरीय महिलायें शिक्षित है एवं 5 में शिक्षा नही है तथा वे महिलायें जो अविवाहित है उन कुल 59 ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में से 44 में संचेतना है एवं 15 में संचेतना नही है। सारणी से स्पष्ट है कि जाति का महिलाओं की संचेतना में प्रभाव तुलनात्मक रूप से महिलाओं के पति की शिक्षा से अधिक पड़ता है।

9—जातीय स्तर परिवार की मासिक आय एवं संचेतना:-

महिलाओं की संचेतना को उनसे जातीय स्तर एवं उनके परिवार की मासिक आय के अनुसार 4.20 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4.20 के विवरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महिलाओं की संचेतना उनके जातीय स्तर एवं परिवार की आय से प्रभावित होती है वे महिलाये जो उच्च जातीय स्तर की हैं और उनके परिवार की मासिक आय 500—1000 रूपये तक है उनमें 28 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 57 ग्रामीण एवं 3 नगरीय महिला में संचेतना नही है। इसी श्रेणी में आय का स्तर बढ़ने से अर्थात 1000—2000

सारणी 4.20

जातीय स्तर परिवार की मासिक आय एवं संचेतना

	ग्रामीण								नगरीय								
मापदण्ड	500–1000		2000–5000		5000–10000		10000 से अधिक		500–1000		2000–5000		5000–10000		10000 से अधिक		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	`1	0	
उच्च जाति	28	57	3	5	3	3	0	1	5	3	18	11	16	10	30	7	200
पिछड़ी जाति	15	47	8	26	2	2	0	0	2	7	27	30	21	8	3	2	200
अनु0 जाति	16	62	6	15	1	0	0	0	6	2	34	18	28	10	0	2	200
योग–	69	166	17	46	6	5	0	1	13	12	79	59	65	28	33	11	600

रूपये है उनमें 3 ग्रामीण एवं 18 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 5 ग्रामीण एवं 11 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है तथा आय का स्तर और भी अधिक 5000–10,000 रूपये होने पर संचेतना का स्तर बढ़ता दिखायी देता है जो 1 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाओंमें है तथा 10 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है तथा 10,000 रूपये तथा इससे भी अधिक आय से सम्बन्धित महिलाओं में 1ग्रामीण एवं 30 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 7 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इसी प्रकार मध्यम जातीय स्तर (पिछड़ी जाति) से सम्बन्धित जिन महिलाओं के परिवार की आय निम्न स्तर (500–1000) की है उनमें 15 ग्रामीण एवं 2 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 47 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, इसी श्रेणी से सम्बन्धित जिन महिलाओं की मासिक आय 10000–2000 रूपये है उनमें 8 ग्रामीण एवं 27 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 26 ग्रामीण एवं 30 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही हैतथा जो महिलायें 5000–10,000 रूपये या उससे कुछ अधिक है उनमें 2 ग्रामीण एवं 21 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है एवं 2 ग्रामींण एवं 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना नहीं है तथा जिनकी आय 10,000 रूपये या उससे अधिक है उनमें 3 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 2 में संचेतना नही है इस श्रेणी में ग्रामीण महिलाये शून्य है। इसी तरह वेा महिलायें जो निम्न जातीय स्तर की हैं जिनके परिवार की मासिक आय 5000–10,000 रूपये है उनमें 16 ग्रामीण एवं 6 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 62 ग्रामीण एवं 2 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है परिवार की आय बढ़ने 1000–2000 होने पर 6 ग्रामीण एवं 34 नगरीय महिलायें सचेत हैं एवं 15 ग्रामीण एवं 18 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है तथा निम्न जातीय स्तर में परिवार की आय और भी अधिक 5000–10,000 हो जाने पर 1 ग्रामीण एवं 28 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 10 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, तथा इसी वर्ग से सम्बन्धित 10,000 रूपये या उससे अधिक की श्रेणी में आने वाली नगरीय महिलाओं में से 2 में संचेतना नही है एवं इस श्रेणी में ग्रामीण समुदाय की महिलायें शामिल नही है। इस प्रकार सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की संचेतना पर जातीय स्तर का प्रभाव अत्याधिक है। किन्तु इसको परिवार की आय का स्तर भी प्रभावित

करता है। क्योंकि परिवार की आय एवं उच्च जातीय स्तर दोनों मिलकर समाज में व्यक्ति की प्रास्थिति का निर्धारण करते हैं। यदि आय का स्तर अधिक है साथ ही, उच्च जातीय स्तर भी है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को समाज में उच्च सामाजिक–आर्थिक स्थिति संचेतना के स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके विपरीत, यदि परिवार की मासिक आय निम्न स्तर की है तथा जातीय स्तर भी निम्न है तो व्यक्ति को समाज की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति ही प्राप्त होगी तथा यह स्तर संचेतना को कम करने में योगदान देता है।

10. परिवार की मासिक आय पति का व्यवसाय एवं संचेतना:-

सामान्य तौर पर परिवार की आय का सम्बन्ध पति के व्यवसाय से होता है अतः पति के व्यवसाय का स्तर ही परिवार की आय का निर्धारण भी करता है। यहॉ पर पति के व्यवसाय एवं परिवार की आय के आधार पर आंकड़ो का विश्लेषण सारणी 4.21 में किया गया है।

सारणी 4.21 से स्पष्ट है कि पति का व्यवसाय एवं परिवार की आय महिलाओं की संचेतना के निर्धारक है।

जिन महिलाओं के परिवार की मासिक आय 500–1000 है तथा निजी व्यवसाय करते हैं उनमें 8 ग्रामीण एवं 3 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 17 ग्रामीण एवं 4 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है इसी आय वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति कृषि कार्यरत है उनमें 31 ग्रामीण 5 नगरीय महिला सचेत है तथा 34 ग्रामीण एवं 1 नगरीय महिला में संचेतना नही है तथा जिन महिलाओं के पति नौकरी करते है उनमें 1 ग्रामीण महिला में सचेंतना है तथा 4 में संचेतना नही है इसी स्तर की वे महिलायें जिनके पति श्रमिक हैं उनमें 5 ग्रामीण एवं 1 नगरीय महिला में संचेतना नही है एवं 49 ग्रामीण एवं 6 नगरीय महिला में संचेतना नही है तथा इसी वर्ग से सम्बनिधत जिन महिलाओं के पति किसी धनोपार्जन सम्बन्धित कार्य को नही करते उनमें 1 नगरीय महिला में संचेतना है तथा 4 ग्रामीण एवं 3 नगरीय महिला में संचेतना नही है। तथा जो महिलाये 2000–5000 रूपये की श्रेणी में आती है तथा उनके पति निजी व्यवसाय करते

सारणी 4.21

महिलाओं की मासिक परिवारिक आय एवं पति के व्यवसाय के स्तर के आधार पर संचेतना

	ग्रामीण												नगरीय												
मापदण्ड	निजी व्यवसाय		कृषि		नौकरी		श्रमिक		कुछ नहीं		अविवाहित		निजी व्यवसाय		कृषि		नौकरी		श्रमिक		कुछ नहीं		अविवाहित		योग
संकेताक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
500—1000	8	17	21	34	1	4	5	49	0	4	1	2	3	4	5	1	0	0	3	6	1	3	3	0	175
1000—2000	3	5	3	18	1	3	7	43	0	4	5	3	20	15	14	13	19	14	11	8	2	7	9	4	231
2000—[illegible]00	7	1	1	4	2	1	1	4	0	1	1	0	14	7	1	6	26	18	1	0	4	1	12	1	114
5000 से अधिक	0	2	4	6	8	4	0	4	0	1	4	5	14	2	2	0	9	6	0	0	1	1	7	2	80
योग	19	25	29	62	12	12	13	100	0	10	11	10	51	28	22	20	54	38	15	14	10	10	31	7	600

हैं उनमें 3 ग्रामीण एवं 20 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा क्रमशः 5,15 में संचेतना नही है इसी आय वर्ग की वो महिलायें जिनके पति कृषि करते हैं उनमें 3 ग्रामीण एवं 14 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 18 ग्रामीण एवं 13 नगरीय में संचेतना नही है, जिन महिलाओं के पति नौकरी करते है उनमें 1 ग्रामीण एवं 19 नगरीय में संचेतना है एवं 3 ग्रामीण एवं 14 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, तथा जिनके पति श्रमिक हैं उनमें 7 ग्रामीण एवं 11 नगरीय में संचेतना है एवं 43 ग्रामीण एवं 8 नगरीय में संचेतना नही है जिन महिलाओं के पति कुछ नही करते उनमें 2 नगरीय में संचेतना है तथा 4 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिला में संचेतना नही है। जो महिलायें 5000,10000 आय वर्ग से सम्बनिधत हैं तथा निजी व्यवसाय करती हैं उनमें 7 ग्रामीण एवं 14 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 1 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, जिन महिलाओं के पति कृषि से सम्बन्धित है उनमें 1 ग्रामीण एवं 1 नगरीय में संचेतना है तथा 4 ग्रामीण एवं 6 नगरीय महिला में संचेतना नही है, इस वर्ग से सम्बन्धित जिन महिलाओं के पति नौकरी करते हैं उनमें 2 ग्रामीण एवं 26 नगरीय में संचेतना है तथा 18 नगरीय एवं 1 ग्रामीण में संचेतना नही है जिन महिलाओं के पति श्रमिक हैं उनमें 1 ग्रामीण एवं 1 नगरीय महिला में संचेतना है एवं 4 ग्रामीण में संचेतना नही है। जिन महिलाओं के पति किसी धनोपार्जन सम्बन्धित कार्य को नही करते ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में से 5 में संचेतना है 2 में नही है। वे महिलाये जो 10,000 हजार या उससे अधिक की श्रेणी में आती है तथा जिनके पति का निजी व्यवसाय है उनमें 14 नगरीय महिलाओं में संचेतना है 2 ग्रामीण एवं 2 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इसी वर्ग से सम्बन्धित जिनके पति कृषि कार्य से सम्बनिधत है उनमें 4 ग्रामीण एवं 2 नगरीय महिला में संचेतना है 6 ग्रामीण में संचेतना नही है इस वर्ग से सम्बन्धित वे महिलायें जो जिनके पति नौकरी करते हैं उनमें 8 ग्रामीण एवं 9 नगरीय महिलाओं में संचेतना है तथा 4 ग्रामीण एवं 6 नगरीय में संचेतना नही है इस वर्ग की ही वे महिलाये जिनके पति श्रमिक है उनमें 4 में संचेतना नही है तथा नगरीय समुदाय में इस आय वर्ग से सम्बन्धित श्रमिक की संख्या शून्य है, और जिन महिलाओं के पति किसी धनोपार्जन

सम्बन्धित कार्य को नही करते हैं उनमें 1 नगरीय में संचेतना है तथा 1 नगरीय 1 ग्रामीण में संचेतना नही है एवं कुल 57 ग्रामीण एवं नगरीय अविवाहित महिलाओं में से 41 में संचेतना है एवं 17 में संचेतना नही है।

इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिवार की मासिक आय एवं पति का व्यवसाय महिलाओं की संचेतना को प्रभावित करते हैं। जैसा कि सारणी से प्रतीत होता है कि यदि परिवार की आय अधिक है तथा पति का व्यवसाय भी उच्च स्तर से सम्बन्धित है तो संचेतना का स्तर भी ऊँचा होगा। साथ ही यदि परिवार की आय कम है तथा पति का व्यवसाय भी निम्न स्तर है तो संचेतना कम हो जाती है।

11. महिलाओं की वर्तमान आयु महिलाओं की शिक्षा एवं संचेतना :-

यहॉ पर महिलाओं की संचेतना को उनकी वर्तमान आयु एवं उनकी शिक्षा के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं की वर्तमान आयु एवं उनकी शिक्षा के आधार पर प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण सारणी 4.22 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4.22 के विवरण से स्पष्ट है कि महिलाओं की वर्तमान आयु, उनकी शिक्षा एवं संचेतना के बीच गहरा सम्बनध है वे महिलायें जिनकी वर्तमान आयु 18–35 वर्ष के मध्य है तथा वे निरक्षर है उनमें 13 ग्रामीण एवं 4 नगरीय महिला में संचेतना है एवं 50 ग्रामीण एवं 18 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है इसी वर्ग से सम्बन्धित महिलाये जो हाई स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त है उनमें 7 ग्रामीण एवं 13 नगरीय महिलायें सचेत हैं एवं 14 ग्रामीण एवं 8 नगरीय में संचेतना नही है, स्नातक एवं उससे कम शिक्षित महिलाओं में से 1 ग्रामीण एवं 24 नगरीय महिलायें सचेत है एवं 13 ग्रामीण एवं 24 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 13 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में से 1 ग्रामीण एवं 25 नगरीय महिलायें सचेत हैं एवं 1ग्रामीण एवं 3 नगरीय में संचेतना नही है, साथ ही वे महिलायें जो 35–50 आयु वर्ग समूह में आती हैं तथा निरक्षर हैं उनमें 8 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 58 ग्रामीण एवं 18 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, हाई स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त महिलाओं में से 10 ग्रामीण एवं 28 नगरीय महिलायें में संचेतना

सारणी 4.22

महिलाओं की वर्तमान आयु शिक्षा एवं संचेतना

	ग्रामीण								नगरीय								
मापदण्ड	निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
18—35	13	50	7	14	1	13	1	1	4	18	13	8	24	5	25	3	200
35—50	8	58	10	17	1	4	1	2	7	18	28	10	17	8	8	4	200
50 से अधिक	10	71	10	8	1	0	0	0	20	21	23	9	11	7	8	2	200
योग—	31	172	27	37	3	17	1	3	31	56	64	27	52	20	41	9	600

है एवं 1.7 ग्रामीण एवं 10 ग्रामीण में संचेतना नही है, स्नातक एवं उससे कम शिक्षा प्राप्त महिलाओं में से 1 ग्रामीण एवं 10 नगरीय में संचेतना है एवं 4 ग्रामीण एवं संचेतना नही है। उच्च शिक्षा (स्नातक एवं उससे ऊपर) प्राप्त महिलाओं में से 8 ग्रामीण में संचेतना है एवं 2 ग्रामीण एवं 4 नगरीय में संचेतना नही है तथा वे महिलायें जो 50 से अधिक आयु वर्ग समूह से सम्बनिधत है एवं निरक्षर है, उनमें 10 ग्रामीण एवं 20 नगरीय में संचेतना है एवं 71 ग्रामीण एवं 21 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, वे महिलाये जो हाई स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त है उनमें 10 ग्रामीण एवं 23 नगरीय महिलायें सचेत है एवं 8 ग्रामीण एवं 9 नगरीय में संचेतना नही है, साथ ही वे महिलायें जो स्नातक से कम शिक्षा प्राप्त है उनमें 1 ग्रामीण एवं 11 नगरीय में संचेतना है एवं 7 ग्रामीण में संचेतना नही है एवं वे महिलायें जो उच्च शिक्षा प्राप्त है उनमें 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 2 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इसी प्रकार किसी एक आयु वर्ग में शिक्षा के कारक महिलाओं की संचेतना में पर्याप्त अन्तर परिलक्षित होता है। साथ ही शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं में संचेतना अधिक दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण है शिक्षा व्यक्ति को उदार द्रष्टिकोण प्रदान करके समयानुकूल चलने की प्रेरणा प्रदान करता है।

12. महिलाओं की आयु पति की शिक्षा एवं संचेतना :-

यहॉ पर महिलाओं की संचेतना को उनकी वर्तमान आयु एवं उनके पति की शिक्षा के आधार पर भी विश्लेषित किया गया है जिसका विवरण सारणी 4.23 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4.23 से परिलक्षित होता है कि महिलाओं की संचेतना पर उनके पति की शिक्षा व उनकी वर्तमान आयु का प्रभाव भी पड़ता है । 18–35 वर्ष की आयु समूह से सम्बन्धित महिलायें जिनके पति निरक्षर हैं उनमें 5 ग्रामीण 1 नगरीय महिला में संचेतना है एवं 18 ग्रामीण एवं 4 नगरीय में संचेतना नही है वे महिलायें जिनके पति हाई स्कूल से कम शिक्षित है उनमें 14 ग्रामीण एवं 6 नगरीय महिला से संचेतना है एवं 32 ग्रामीण एवं 12नगरीय महिला में संचेतना नही है साथ ही इस वर्ग से सम्बनिधत जिन

सारणी 4.23

महिलाओं की आयु पति की शिक्षा के आधार पर संचेतना

	ग्रामीण										नगरीय										
मापदण्ड	निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		अविवाहित		निरक्षर		हाईस्कूल से कम		हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम		स्नातक एवं उससे अधिक		अविवाहित		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
18–35	18	5	32	14	8	4	0	5	4	10	1	4	6	12	12	24	8	5	25	3	200
35–50	29	8	32	12	2	6	3	5	3	0	3	6	8	11	14	25	19	8	3	3	200
50 से अधिक	29	16	31	8	4	5	3	1	3	0	7	6	23	18	7	17	6	4	4	1	200
योग–	76	29	95	34	14	14	6	11	10	10	11	16	37	41	33	66	38	19	32	6	600

महिलाओं के पति हाई स्कूल से अधिक एवं स्नातक से कम शिक्षित हैं उनमें 4 ग्रामीण एवं 12नगरीय महिलायें सचेत हैं तथा 8 ग्रामीण एवं 24 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, वे महिलायें जिनके पति स्नातक एवं उससे ऊपर शिक्षा प्राप्त है उनमें 4 ग्रामीण एवं 8 नगरीय महिला में संचेतना है एवं 1 ग्रामीण एवं 5 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। इसी प्रकार वे महिलायें जो 35–50 वर्ष आयु समूह की है तथा जिनके पति निरक्षर हैं उनमें 8 ग्रामीण एवं 3 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 29 ग्रामीण एवं 6 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है, वे महिलायें जिनके पति हाई स्कूल तथा उससे कम शिक्षा प्राप्त हैं उनमें 12 ग्रामीण एवं 11 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है साथ ही इसी वर्ग से सम्बन्धित उन महिलाओं में जिनके पति हाई स्कूल से अधिक एवं स्नातक से कम है उनमें 4 ग्रामीण एवं 14 नगरीय महिलाओं में संचेतनाहै एवं 4 ग्रामीण एवं 25 नगरीय में संचेतना नही है, वे महिलायें जिनके पति उच्च शिक्षित है उनमें 5 ग्रामीण एवं 19 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 3 ग्रामीण एवं 8 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है। साथ ही वे महिलाये जिनके पति 50 से अधिक वर्ष आयु समूह के है तथा उनके पति निरक्षर है उनमें 16 ग्रामीण एवं 7 नगरीय में संचेतना है एवं 29 ग्रामीण एवं 6 नगरीय में संचेतना नही है, वे महिलायें जिनके पति हाई स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त है उनमें 8 ग्रामीण एवं 23 में संचेतना है एवं 31 एवं 18 में संचेतना नही है। साथ ही वे महिलाये जिनके पति हाई स्कूल से अधिक एवं स्नातक से कम है उनमें 5 ग्रामीण एवं 7 नगरीय महिलायें सचेत हैं एवं 4 एवं 6 में संचेतना नही है इसी आयु वर्ग से सम्बन्धित वे महिलायें जिनके पति उच्च शिक्षा प्राप्त हैं उनमें 1 ग्रामीण एवं 11 नगरीय सचेत है एवं 3 ग्रामीण एवं 6 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है विभिन्न आयु वर्ग से सम्बन्धित कुल 58नगरीय एवं ग्रामीण अविवाहित महिलाओं में से 42 में संचेतना है एवं 16 में संचेतना नही है। इस प्रकार इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की

संचेतना उनकी वर्तमान आयु से अधिक किन्तु पति की शिक्षा से कम प्रभावित होती है, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा उनकी संचेतना को बढ़ाती है।

13. महिलाओं की आयु परिवार की मासिक आय एवं संचेतना :-

यहॉ पर महिलाओं की संचेतना को उनके परिवार की मासिक आय एवं वर्तमान आयु के आधार पर सारणी 4.24 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4.24 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की संचेतना उनकी वर्तमान आयु एवं परिवार की मासिक आय से प्रभावित होती है वे महिलायें जो 18—35 वर्ष आयु वर्ग के अन्तर्गत आती है तथा जिनके परिवार की मासिक आय 500—1000 रूपये है उनमें 18 ग्रामीण एवं 3 नगरीय में संचेतना है एवं 32 ग्रामीण एवं 6 नगरीय में संचेतना नही है, वे महिलायें जो 2000—5000 रूपये के अन्तर्गत आती है 24 ग्रामीण एवं 31 नगरीय में संचेतना नही है। साथ ही वे महिलाये जो 5000—10,000 रूपये के अन्तर्गत आती है उनमें 2 ग्रामीण एवं 16 नगरीय सचेत हैं एवं 2 ग्रामीण एवं 5 नगरीय में संचेतना नही है, इसी आयु वर्ग से सम्बन्धित है जो 10,000 से अधिक मासिक आय से सम्बन्धित हैं उनमे 10 ग्रामीण एवं 12 नगरीय महिलायें सचेत है जिनकी मासिक आय 500—1000 हजार रुपये है साथ ही वे महिलायें जो 35—50 वर्ष के अन्तर्गत आती है उनमें 10 ग्रामीण एवं 3 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 51 एवं 5 में संचेतना नही है, इसी आयु समूह से सम्बन्धित वे महिलायें जो 2000—5000 रूपये मासिक आय से सम्बन्धित है उनमें 9 ग्रामीण 20 नगरीय महिला में संचेतना है तथा 15 ग्रामीण एवं 20 नगरीय महिला में संचेतना नही है वे महिलायें जो 5000—10,000 आय वर्ग से सम्बन्धित है उनमें 1 ग्रामीण एवं 21 नगरीय महिलायें सचेत है तथा 19 नगरीय महिलाओं में संचेतना नही है साथ ही 10,000 हजार से अधिक आय वर्ग से सम्बन्धित महिलाओं में से 6 ग्रामीण एवं 11 नगरीय

सारणी 4.24

महिलाओं की वर्तमान आयु एवं उनकी परिवारिक मासिक आय के आधार पर संचेतना

	ग्रामीण								नगरीय								
मापदण्ड	500—1000		2000—5000		5000—10000		10000 से अधिक		500—1000		2000—5000		5000—10000		10000 से अधिक		योग
संकेतांक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
18—35	18	32	2	24	2	2	10	10	3	6	22	31	16	5	12	5	200
35—50	10	57	9	15	1	0	6	8	3	5	20	20	21	19	11	1	200
50 से अधिक	9	26	16	29	9	9	0	2	6	3	26	20	16	14	10	5	200
योग—	37	115	27	68	12	11	16	20	12	14	68	71	53	38	33	11	600

में संचेतना है एवं 3 ग्रामीण एवं 1 नगरीय में संचेतना नहीं है वे महिलायें जो 50 से अधिक वर्ष के अन्तर्गत आती हैं तथा जिनके परिवार की मासिक आय 500—1000 रुपये हैं उनमें 9 ग्रामीण एवं 6 नगरीय में संचेतना है एवं 25 ग्रामीण एवं 3 नगरीय में संचेतना नही है साथ ही वे महिलायें जो 1000—5000 आयु वर्ग से सम्बन्धित है उनमें 16 ग्रामीण एवं 25 नगरीय में संचेतना है तथा 25 ग्रामीण एवं 20 नगरीय में संचेतना नहीं है वे महिलायें जो 5000 से 10,000 आय वर्ग से सम्बन्धित है उनमें 9 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाओं में संचेतना है एवं 9 ग्रामीण एवं 14 नगरीय में संचेतना नही है साथ जो 10,000 से अधिक आय वर्ग से सम्बन्धित महिलाओं में से 10 नगरीय में संचेतना है तथ 2 ग्रामीण एवं 5 नगरीय में संचेतना नही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संचेतना उनकी वर्तमान आयु से अत्याधिक प्रभावित होती है परन्तु मासिक आय का प्रभाव न्यून है।

इस अध्याय के अन्तर्गत महिलाओं की संचेतना को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं पारिवारिक कारकों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया गया। समस्त विश्लेषण से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की संचेतना पर उनके सामाजिक आर्थिक स्तर का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। प्राप्त परिणामों से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि संचेतना एवं पारिवारिक आर्थिक कारकों के बीच सकारात्मक सह—सम्बन्ध होता है। साथ ही उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर संचेतना के स्तर को बढ़ाने में सहायक है जबकि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर संचेतना को कम करने में सहायक होता हैं।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं की तुलना में नगरीय महिलाओं में संचेतना अधिक है, इसका मुख्य कारण है कि अध्ययन से सम्बन्धित अधिकांश महिलाये निम्न सामाजिक—आर्थिक स्तर में जीवन यापन कर रही हैं इस शोध के अन्तर्गत

महिलाओं की संचेतना को सामाजिक, आर्थिक कारणों यथा परिवार का प्रकार, जाति, शिक्षा, व्यवसाय परिवार की मासिक आय आदि चरों के आधार पर विश्लेषित किया गया है जिससे प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है।

महिलाओं में संचेतना संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकाकी परिवार में ज्यादा पायी गयी, इस प्रकार संचेतना के सन्दर्भ मे परिवार के प्रकार का प्रभाव भी सार्थक प्रतीत होता है। साथ ही जातीय स्तर भी उनकी संचेतना को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। उच्च जातीय स्तर के लोगों में निम्न जातीय स्तर के लोगों की अपेक्षा अधिक संचेतना पायी जाती है।

शिक्षा, महिलाओं की संचेतना को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावी कारक है। वर्तमान समय में महिलाओं के आधुनिकीकरण एवं सामाजिक प्रस्थिति के दृष्टिकोण से शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शिक्षा एवं संचेतना के मध्य की नकारात्मक सम्बन्ध होता है। साथ ही संचेतना के सन्दर्भ में महिला की शिक्षा विशेष महत्वपूर्ण है, यदि महिला का शैक्षिक स्तर उच्च है तो महिलाओं में संचेतना अधिक होगी इसके विपरीत अशिक्षित महिलायें कम सचेत होती है इस अध्ययन के निष्कर्ष भी इसी तथ्य की ओर संकेत देते हैं संचेतना के सन्दर्भ में महिला एवं उनके पति की शिक्षा के प्रभाव का अवलोकन करने हेतु शिक्षा की चार श्रेणियां रखी गयी हैं: निरक्षर, हाईस्कूल से कम, हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम, स्नातक एवं उससे ऊपर शिक्षित है। जिसके विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि निरक्षर की तुलना में स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलायें ज्यादा सचेत हैं साथ ही उनके पति की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा संचेतना को अधिक प्रभावित करती है।

महिलाओं के संचेतना के स्तर पर उनके व्यवसायिक स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि गृहणी एवं छोटे

व्यवसाय से सम्बन्धित महिलाओं की अपेक्षा उच्च व्यावसायिक अथवा सरकारी पदों पर कार्यरत महिलाओं में संचेतना ज्यादा होती है। महिला संचेतना पर उनके पति के व्यवसाय का प्रभाव सार्थक प्रतीत नही होता है।

भारतीय मूल में रची–बसी जाति प्रथा प्राचीनकाल से ही व्यक्ति के सामाजिक–आर्थिक स्तर को प्रभावित करती आ रही है। समकालीन सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप यद्यपि इसका महत्व कम हो रहा है किन्तु फिर भी यह आज भी पिछड़े समुदाओं पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति के व्यवसाय को प्रभावित करती है। अतः महिलाओं की संचेतना के स्तर पर भी इसका सार्थक प्रभाव परिलक्षित होता है। महिलाओं की संचेतना पर जातीय स्तर के प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से जातीय स्तर को तीन स्तर उच्च, (सामान्य) मध्यम (पिछड़ी जाति) निम्न (अनुसूचित जाति)। जिनके विश्लेषण के परिणाम यह दर्शाते है कि उच्च जातीय स्तर की महिलाओं में निम्न जातीय स्तर की तुलना में संचेतना अधिक है।

संचेतना एवं आय से बीच सह–सम्बन्ध का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आय का स्तर कम होने पर संचेतना कम होती है एवं आय का स्तर अधिक होने पर संचेतना ज्यादा पायी गयी है।

संचेतना पर परिवारिक–आर्थिक स्तर के प्रभाव का सूक्ष्म स्तर पर विवेचन करने के उद्देश्य से एक साथ दो चरों के प्रभाव का आंकलन भी किया गया। शिक्षा एवं परिवार के प्रकार तथा संचेतना के मध्य नकारात्मक सह–सम्बन्ध देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार में ही निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा शिक्षा का स्तर हाई स्कूल से अधिक एवं स्नातक से कम होने पर 150 ग्रामीण एवं 19 नगरीय महिलायें सचेत है एवं स्नातक एवं उससे ऊपर होने पर 21 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाओं में संचेतना पायी गयी अर्थात् परिवार के प्रकार से ज्यादा शिक्षा के स्तर का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। व्यावसायिक स्तर का प्रभाव पारिवारिक स्तर के साथ देखने पर भी यह

स्पष्ट हो जाता है कि यदि व्यवसाय का स्तर उच्च एवं परिवार एकाकी है तो संयुक्त परिवार की अपेक्षा संचेतना अधिक होती है। महिलाओं के व्यवसाय का प्रभाव परिवार के प्रकार के प्रभाव को अवश्य कम कर देता है। इसी प्रकार परिवार के प्रकार एवं मासिक आय का प्रभाव संचेतना पर देखने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि परिवार की मासिक आय इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण है।

महिलाओं की संचेतना पर जातीय स्तर एवं उनकी व उनके पति की शिक्षा का प्रभाव भी अधिक सार्थक प्रतीत होता है। जाति का उच्च स्तर एवं उच्च शिक्षा संचेतना को ज्यादा करने का सबसे प्रभावी कारक है। इसी तरह, जातीय स्तर एवं आय का महिला की संचेतना पर स्पष्ट प्रभाव द्रष्टिगोचर होता है। उच्च जातीय स्तर एवं आय का स्तर भी उच्च होने पर संचेतना अपेक्षाकृत कम हो जाती है।

इसी प्रकार महिला की वर्तमान आयु व उनकी तथा उनके पति की शिक्षा के आधार पर विश्लेषण के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि आयु एवं शिक्षा दोनो ही संचेतना को अत्याधिक प्रभावित करते हैं। वर्तमान आयु एवं आय का प्रभाव संचेतना पर देखने के पश्चात यह संकेत मिलता है कि आय की अपेक्षा आयु संचेतना के स्तर को अधिक प्रभावित करती है।

अध्याय–5

सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार

पूर्ववर्ती अध्याय में प्रतिदर्श की उत्तरदाता महिलाओं के आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया। सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि वास्तव में आर्थिक एवं पारिवारिक विशेषताओं का प्रभाव महिलाओं की संचेतना पर पड़ता है। खास तौर पर विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय संविधान ने जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव और छुआछूत को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार ने लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये हैं। आज भारत में प्रजातंत्र का मूल आधार वयस्क मताधिकार है। राजनीति के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में तेजी आयी आज स्त्री, पुरूष उच्च एवं निम्न जाति के सभी लोग उच्च राजनीतिक पदों के लिए खुलकर प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। महिलायें भी पीछे नही हैं। वे अपने अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ जीवन के हर क्षेत्र में सहभागिता एवं अधिकार का दावा पेश कर रही हैं। नारी–मुक्त आन्दोलन भी शहरों में काफी तेजी से पकड़ रहा है। पितृसत्तात्मक मूल्यों के खिलाफ भारतीय महिलायें जेहाद छेड़ चुकी हैं। महिलाओं को घर एवं घर के बाहर समुचित स्थान एवं सम्मान मिल सके इसके लिए बहुत सारी स्वयं सेवी संस्थायें काम कर

रही हैं। भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं को कार्यान्वित किया है।

प्रस्तुत अध्याय में संविधान के उन विभिन्न धाराओं निदेशक, सिद्धान्तों संहिताओं और कानून का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा भारतीय संविधान में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। इसकी जानकारी के लिए यहाँ प्रस्तावना, मूल अधिकार, समानता के अधिकार और महिला–प्रगति व कल्याण के लिए समय–समय पर पारित सम्बन्धित कानून का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

संवैधानिक उपबंध

प्रस्तावना

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़ सकंल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।[1]

मूल अधिकार

प्रारम्भ में संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे, किन्तु 44वें संवैधानिक संशोधन (1978) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

1–समानता का अधिकार

---

(1) व्होरा आशारानी– वही–पेज 166

2– स्वतन्त्रता का अधिकार

3– शोषण के विरूद्ध अधिकार

4– धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

5– सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

6– संवैधानिक उपचारों का अधिकार

1– समानता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समानता, नागरिक समानता,सामाजिक समानता और आर्थिक समानता सुलभ हो। संविधान के 5 अनुच्छेद 14,15,16,17 और 18 समानता के अधिकारों की व्याख्या करते हैं।

2–**स्वतन्त्रता के विरूद्ध अधिकार** : भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान में केवल समानता का ही उल्लेख नही मिलता, बल्कि विविध स्वतंत्रताओं का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या की गयी है।

3–**शोषण के विरूद्ध अधिकार** : के अन्तर्गत मानव के पण्य (विक्रय और व्यापार) और बलात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 और परिसंकटमय नियोजन में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में किया गया है।

4–**धार्मिक स्वतंत्रता** का अभिप्राय है कि किसी भी धर्म में आस्था रखने या न रखने के बारे में राज्य कोई हस्तक्षेप नही करता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं।

5–**संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार** के सम्बन्ध में अनुच्छेद 29 बना है जिसमें नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने के अधिकार की गारंटी देता है। शिक्षा संस्थायें कायम करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है।

6–संवैधानिक उपचारों का अधिकार: संविधान न केवल अधिकारों की एक शानदार सूची प्रस्तुत करता है बल्कि उन अधिकारों की रक्षा की भी व्यवस्था करता है। अधिकारों की रक्षा का उंत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय तथा उच्च्य न्यायालयों को सौंपा गया है।

संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को द्रष्टि में रखते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने कहा था'' यदि कोई मुझसे यह पूंछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जायेगा तो इस अनुच्छेद (32) को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नही कर सकता। यह संविधान का ह्दय एवं आत्मा है।'' यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है।[2]

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान

1– **अनुच्छेद 14** : महिलाओं के लिए कानून के समक्ष समानता।

2– **अनुच्छेद 15(1)** : सेक्स के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा अर्थात् महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

3– **अनुच्छेद 15(3)** : राज्य बालकों एवं महिलाओं के हित में किसी भी प्रकार के विशेष उपबन्ध कर सकता है।

4– **अनुच्छेद 16** : राज्य के अधीन रोजगार एवं नियुक्ति में महिलाओं को भी बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किये गये हैं।

5– **अनुच्छेद 39(क)** : राज्य इस प्रकार की नीति बनायेगा, जिससे पुरूष एवं महिला दोनों को ही जीवन यापन के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सके।

6– **अनुच्छेद 39(घ)** : पुरूषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिये।

7– **अनुच्छेद 39(ड.)** : पुरूष एवं महिला कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग

(2) स्पेक्ट्रम सामान्य अध्ययन– पेज–23, 24, 25, नई दिल्ली।

न हो, इसके लिए राज्य को कानून बनाने चाहिये, जिससे आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर वह ऐसे रोजगार में न पड़ जायें जो उनकी शक्ति के अनुकूल न हो।

8– **अनुच्छेद 39(क) :** राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए नियत बनाना चाहिये, जिससे निर्धनता एवं किसी अन्य निर्योग्यता के आधार पर व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह जाये, इसका तात्पर्य यह है कि महिलाओं के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है।

9– **अनुच्छेद 42 :** काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

10– **अनुच्छेद 46 :** राज्य जनता के दुर्बल वर्गो विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। (इसमें महिलायें भी शामिल हैं)।

11– **अनुच्छेद 47 :** राज्य को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए कार्य करना चाहियें (इसमें महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है)।

12– **अनुच्छेद 51क (ड.) :** भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो।

13– **अनुच्छेद 243 घ (3) :** प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या मे कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगें।

14– **अनुच्छेद 243 घ (4) :** प्रत्येक स्तर पर पंचायतों अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगें।

15– **अनुच्छेद 243 न (3) :** प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे–जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित

रहेगें।

16– अनुच्छेद 243 न (4) : नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद महिलाओं के लिए इस प्रकार आरक्षित किये जायेगें जिस प्रकार से राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा निर्धारित करे।[3]

इन मूल अधिकारों के आश्वासन के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी यह अधिकार दिये गयें है कि वे समय–समय पर ऐसे विधान लागू करे जो महिलाओं के हितों की रक्षा करते हो तथा महिलाओं के साथ व्यवहार में उन्हें वरीयता दी जाये। इस आधार पर सरकार समय–समय पर ऐसे वैधानिक उपाय करती रहती है जिनसे सामाजिक व्यवस्था एवं न्याय बने रहें।

गत चार–पाँच दशकों में काफी संख्या में विधान लागू किये गये हैं एवं कुछ में सुधार किया गया है जिनसे महिलाओं के समान स्तर एवं अवसरों को सुनिश्चित किया गया है। इन विधानों का मूल्यांकन तीन स्तरों पर किया जा सकता है सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक।

इन तीन स्तरों के मूल्यांकन से पूर्व प्राचीन भारतीय महिलाओं की स्थिति में दृष्टिपात करना भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी सभ्यता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है क्योंकि आधी जनसंख्या महिलाओं की होती है। 'पुरूष और महिला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।' भारतीय दर्शन में महिलाओं के विविध रूपों को उजागर किया गया है– देवी शक्ति, माँ, सरंक्षिका, बहन, पुत्री, पत्नी और बीमार होने पर नर्स के रूप में सहायिका आदि। कहा जाता है कि यदि हम जीवन में सम्पन्नता चाहते हैं तो हमें देवी की पूजा करनी चाहिये।' स्वामी विवेकानन्द ने अपने उपदेशों में कहा है, ''जो राष्ट्र महिलाओं का आदर नही करता वह कभी उन्नति नहीं कर सकता और उसका न कोई भविष्य हो सकता है।'' परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिला को

---

(3) व्होरा आशारानी– भारतीय नारी दशा दिशा–दिल्ली– पेज 116–122

भारत में महिलाओं की प्रस्थिति

पुरूष से निम्न समझा जाता है। राजा राम मोहन राय, महात्मा फूले, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डा0 अम्बेडकर आदि समाज सुधारकों ने पहले भी कई प्रयास किये हैं जिससे महिला की परम्परागत निम्न स्थिति में सुधार हो। इस दिशा में कई अधिनियम पारित किये गये और विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद कई विकास कार्यक्रम अपनाये गये, जिससे महिलाओं की कानूनी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। परन्तु इतने प्रयत्नों के बावजूद भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त नही है। समाज में उसके प्रति व्यवहार इस प्रकार किया और देखा जाता है जैसे उससे कोई सम्बन्ध ही न हो, जिससे उसकी आर्थिक निर्भरता, निर्धनता, कुपोषण, अस्वस्थता, महिला भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज हत्या, बलात्कार, सार्वजनिक रूप से महिलाओं को नग्न प्रदर्शित करना, अबोध बच्चियों के साथ दुराचार आदि। महिलाओं की स्थिति इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है।[4]

> "जो दुर्गा है सरस्वती है लक्ष्मी है, जो आस्था हमारी है,
> आज हमारे सभ्य समाज में वही वेदनाओं की मारी है,
> वह अर्धांनिगी है, ग्रहणी है, पर निर्दयता से भगाई जाती है,
> फिर भी भारतीय नारी भारत शक्ति कहलाती है।
> सब कुछ सह लेती है दम्भ क्रूरता की शिकार
> महिला सुधार का नारा बुलन्द करती सरकार फिर
> भी महिला होती बेकार।"

भारतीय समाज़ में महिलाओं की प्रस्थिति–

मानवीय जीवन में नारी के महत्व को आर्थिक महत्वपूर्ण माना गया है। निष्पक्ष रूप से विचार करने पर सत्य प्रतीत होता है। मानव जीवन का प्रारम्भ ही नारी की गोद से होता है। वह अपने कर्तव्य के भार को सहर्ष वहन करती हुई मानव को संसार चक्र को चलाने के लिए सक्षम बनाती है। वेदान्त में भी नारी रूप माया के महत्व को स्वीकार

---

(4) श्री जगन्नाथ– संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, लखनऊ राज्य नियोजन संस्थान।

किया गया है।

इतना होते हुए भी भारतीय समाज में उसके स्थान के विषय में विरोधी विचार दिखाई देते हैं। जहाँ एक ओर उसे 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता' (जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं)। गृहस्थी ग्रहमित्याहन ग्रह ग्रहणी बिना। ग्रहणी को ही घर कहा गया है, ग्रहस्थी के बिना ग्रह नही शमशान है, कहा गया है। दूसरी ओर 'द्वार किमेक' नरकस्य नारी (नरक का दरवाजा क्या है ? नारी) कहा गया है जहाँ उसे अति निन्दित बतलाया गया है। वास्तव में इतने विरोधी विचार किसी अन्य के बारे में नही है जितना की नारी के बारे में विरोधी विचार बनते हैं या विरोधी विचार बनाये जाते हैं।

आज हमारे समाज में महिला को अधिकार तो नही मिल रहा है। किन्तु उसका शोषण अधिक तीव्र गति से हो रहा है। अगर महिलायें उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं तो उस आवाज को बन्द कर दिया जाता है। हमारा समाज पुरूष प्रधान समाज है जहाँ महिलाओं को तो महत्व दिया जाता है परन्तु महिला विचार को दबा दिया जाता है।

प्राचीन भारतीय महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति का मूल्यांकन विभिन्न धर्म ग्रन्थों एवं ऐतिहासिक आलेखों से किया जा सकता है। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय समाज में महिला की स्थिति में भी परिवर्तन अधिक तेज गति से हुआ है।

प्रागैतिहासिक युग :

ज्ञात इतिहास के पूर्व प्रागैतिहासिक युग के गठन एवं पुरातात्विक अन्वेषण के बाद भी इस काल की स्थिति बहुत कुछ अनुमानों पर आधारित है। कुछ विद्वानों के अनुसार तत्कालीन समाज में विवाह–पद्वति नही थी। स्त्री पुरूष छोटे–छोटे सामाजिक समूहों में रहते हुए प्रकृति से संघर्ष करते थे। यौन–सम्बन्धों में मनुष्य अर्धमानव, अर्धपशु

परिवार मातृसत्तामक थे। आर्थिक जीवन में नारी को विशेष अधिकार प्राप्त थे लेकिन आर्यो के भारत में आगमन से पूर्व के जो अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि की खुदाईयों में मिले हैं उनके अध्ययन से उस समय की उच्च नागरिक सभ्यता का पता चलता है। उस काल की मूर्तियों में देवदत्त पद पर भी स्त्री को सुशोभित करने के प्रमाण है। तत्कालीन संस्कृति के निर्माण में उनका प्रमुख हाथ रहा होगा ऐसा कला शिल्प के प्राप्त नमूनों और घरो में उन्नत व सुसंस्कृत स्तर के अवशेषों से पता चलता है।[5]

वैदिक युग-

आर्यो की सभ्यता संस्कृति के प्रसार में भी महिलाओं का योगदान कम नही रहा। आर्यो के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद, जो कि हिन्दुत्व की बुनियाद माना जाता है, में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिनमें उस युग के समाज में स्त्रियों की उन्नत स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है उस समय सर्वोच्च शिक्षा (ब्रह्मज्ञान) प्राप्त करने में भी महिलाओं पर कोई प्रतिबन्ध न था। वेद और शास्त्रों में परांगत होने के अतिरिक्त व ऋचाओं की रचना भी करती थी। ऋग्वेद के अनेक सूत्र और मंत्र उस समय की लेखिकाओं ऋषिकाओं और ब्रम्हचारिणियों द्वारा भी लिखे गये।[6]

आज भी हमारे घरों में पत्नी, बहन, माता इन सब शब्दों के ऊपर लक्ष्मी और देवी शब्दों को अधिक श्रृद्धा से व्यक्त किया जाता है। धन की देवी लक्ष्मी, ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी दुर्गा से क्या अर्थ निकलता है ? अवश्य ही प्राचीन भारतीय नारी इन सब शक्तियों की अधिकारिणी रही है तभी तो 'देवी' के रूप में पूजी गयी और विख्यात हुई। ऋग्वेद में सरस्वती को 'वाक् शक्ति' कहा गया है जो उस समय की नारी की वक्तत्व कला और विद्धता की परिचायक है। इससे यह सिद्ध होता है कि महिलायें उच्च शिक्षा की अधिकारिणी थी। लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में अर्थसत्ता की स्वामिनी थी।

(5, 6) व्होरा आशारानी– भारतीय नारी– दशा–दिशा, दिल्ली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पेज–3।

17–18 वर्ष की आयु से पूर्व लड़कियों के विवाह नही होते थे। शिक्षा–काल में लड़कियाँ भी लड़कों की तरह ही ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। गुरूओं के आश्रमों में गुरू पत्नी के संरक्षण में एक लम्बे समय तक रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली अनेक स्त्री–ब्रह्मचारियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में कई स्थानों पर है इसके बाद लड़के और लड़की को अपने जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी। ज्ञान के पठन–पाठन के लिए ब्रह्मवादिनी युवतियों को आजन्म कुमारी रहने की अनुमति थी। बाल विवाह की प्रथा नही थी। ऋग्वेद में यद्यपि परिवार पितृसत्तात्मक ही थे और बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख भी मिलता है, पर विधवाओं के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नही था बल्कि उन्हें 'नियोग' का भी अधिकार था। सामाजिक और धार्मिक सभाओं में भी उनका प्रमुख स्थान था।

वैदिक युग की महिला धार्मिक जीवन में पति की सहयोगिनी थी। पति पत्नी दोनों के लिए प्रचलित 'दाम्पत्य' शब्द से सिद्ध है कि परिवार के सभी कार्यो और धर्मपालन में पत्नी को समान अंधिकार था। क्योंकि उपासना 'दम्पत्ति' मिलकर करते थे। पारिवारिक यज्ञों में नारी का क्रियात्मक सहयोग रहता था। स्त्रियां वैदिक शिक्षा के साथ यज्ञ आदि सम्पादन कर सकती थी उसका भी पुरूषों के समान ही उपनयन संस्कार होता था। वेदों में अनेक जगह लोपामुछा, रोमसा, धोषा, सूर्या, अपाला, विलोमी, सावित्री,ययी, विशम्भरा श्रृद्धा कामायनी, देवयानी आदि नाम मिलते हैं जिन्हें विद्धता के आधार पर ऋषिका और ब्राम्हणी कहा गया है। इन उच्च शिक्षित विदुषियों के लिए वैसे ही योग्य वरों की तलाश का भी उल्लेख मिलता है और स्वयं चुनाव के लिए स्वयंवर प्रथा का भी उल्लेख मिलता है।[8]

आर्थिक क्षेत्र में भी महिला को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे न कही नौकरी करती थी और न धन अर्जन क्योंकि उनके लिए यह आवश्यक नही था । घर उत्पादन

---

(7) व्होरा आशारानी– भारतीय नारी– दशा–दिशा, दिल्ली पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पेज–3।

(8) व्होरा आशारानी– पेज–5।

का केन्द्र था वस्त्र बनाने का काम घर पर नही होता था। महिला कृषि कार्यो में भी अपने पति की सहायता करती थी। कुछ महिलायें अध्यापन कार्य में भी व्यस्त होती थी।

सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में महिला को कोई अधिकार प्राप्त नही थे। यद्यपि पुत्री के रूप में महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नही होता था। फिर भी प्रत्येक अविवाहित पुत्री को अपने भाइयों को मिलने वाले पितृ धन का एक चौथाई भाग प्राप्त करने का अधिकार था। मृत्यु के पश्चात् माँ की सम्पत्ति पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों में समान रूप से बांटी जाती थी। विवाहित पुत्रियों को केवल सम्मान स्वरूप थोड़ा ही भाग मिलता था। स्त्री धन की उत्तराधिकारी केवल अविवाहित पुत्रियां होती थी। पत्नी के रूप में महिलाओं का अपने पति की सम्पत्ति में कोई प्रत्यक्ष भाग नही होता था। परन्तु परिपक्वता को अपने पति के धन का एक तिहाई भाग प्राप्त करने का अधिकार था। यदि पत्नी गरीब होती थी तो पति उसके भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य था। किन्तु यदि सम्पत्ति का बंटवारा पति के जीवन काल में ही हो तो पत्नी को पुत्रों के बराबर का भाग मिलता था। विधवा महिला को संयमी व वैरागी जीवन व्यतीत करना पड़ता था।[9]

अतः उसे अपने पति को सम्पत्ति से कोई भाग देय नही होता था। विधवा माँ के रूप में उसे कुछ अधिकार थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि महिलाओं के साथ सम्पत्ति से अधिकार के विषय में पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता था फिर भी पत्नी और पुत्री के रूप में उन्हें कुछ संरक्षण प्राप्त था। महिलाओं की राजनैतिक स्थिति देश में राजनैतिक दशा एवं विसमान राजनैतिक प्रणाली पर निर्भर करती है। प्राचीन भारत में राजनैतिक प्रणाली राजतंत्र पर आधारित थी। इसलिए विधान सभा राजनैतिक दल, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि नही थे। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को मताधिकार या चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता का प्रश्न ही नही उठता था।

---

(9) आहूजा राम– भारतीय सामाजिक व्यवस्था–पेज–23

महिलाओं को सभाओं में प्रवेश की अनुमति नही थी क्योंकि इन स्थानों का प्रयोग राजनैतिक विचार–विमर्श के अलावा जुआं तथा मद्यपान आदि के लिए भी किया जाता था। कुछ उदाहरण ऐसे अवश्य है जबकि महिलायें अपने पति के साथ युद्ध स्थल में जाती थी। मैगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त मौर्य के महल में सशक्त महिला अंगरक्षकों का संदर्भ दिया है, कौटिल्य ने भी 'अर्थशास्त्र' में सशक्त महिला अंगरक्षकों की बात कही है। जो तीर कमान से सुसज्जित सैनिकों के रूप में होती थी। अतः जब पुरूषों को ही राजनैतिक अधिकार प्राप्त नही थे तब महिलाओं की अपनी अलग से राजनैतिक प्रस्थिति कैसे हो सकती थी।[10]

उत्तर वैदिक काल या ब्राह्मण काल-

उपनिषदों में भी इसी परम्परा को आगे बढ़ाया गया है 'अल्तेकर' के अनुसार इस काल में भी ऊँची जाति में पुरूषों के समान महिलाओं का भी 'उपनयन संस्कार' किया जाता था। उन्हें आध्यत्मिक ज्ञान और दर्शन शास्त्र की शिक्षा देना अनिवार्य था। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी 'स्त्री ही ब्रह्म बभूवित' यानी उन्हें ब्रह्मा (सृजक) तक कहा गया है। पर शिक्षा ग्रहणं करने के लिए उन्हें गुरूकुलों में न भेजकर योग्य रिस्तेदारों के घर भेजा जाता था। धार्मिक कार्य करने योग्य केवल शिक्षित महिला ही मानी जाती थी। स्त्री–धन का प्रायः अभाव था पर धर्म और समाज क्षेत्र में उन्हें पूर्व स्वतन्त्रता प्राप्त थी। राम ऋषियों का तत्कालीन दार्शनिकों की सभाओं में जब विभिन्न विचारधाराओं के लोग जुड़कर दार्शनिक व आध्यात्मिक चर्चाओं और विवादों में भाग लेते थे, इनमें महिलाओं की भी सफलतापूर्वक भागीदारी होती थी। ऊँचे स्तर की इन चर्चाओं में उद्‌दालिका, अतिभाग, विदग्धा, अवशबला, गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषियों के भाग लेने का अर्थ है कि उपनिषद काल में भी महिलायें उच्च शिक्षा से विभूषित थी।

गार्गी द्वारा जनक की एक सभा में विख्यात ऋषि याज्ञवल्क्य को अपने प्रश्नों

---

(10) आहूजा राम– सामाजिक व्यवस्था, पेज–83।

का उत्तर देने के लिए चुनौती देना उसे एक महापंडित सिद्ध करता है।[11]

इस काल में पुरूष राज्यों को जीतने और उन्हें एक सूत्र में बांधने में लगे हुये थे, तो स्त्रियां खेती का काम देखना, कपड़े बुनने, तीर कमान बनाने आदि कामों के साथ घर ग्रहस्थी की देखभाल में समय बिताती थी। बाल–विवाह का प्रचलन नही था और विवाह में पति चुनने की स्वतंत्रता थी।

यद्यपि बौद्धिकता में स्त्रियां पुरूषों से हीन नहीं थी, तो भी धीरे–धीरे वर्ण व्यवस्था के नियमों में कड़ाई आने से साथ महिलाओं के पद में क्रमिक ह्वास होने लगा था। बाद में बहुपत्नी प्रथा और 'अनुलोम विवाह' प्रथा के कारण महिलाओं का दर्जा और हीन हो गया। आर्यो की दक्षिण विजय के साथ ही ये प्रथायें प्रचलित हो गयी थी। यहीं से यानी, उत्तर वैदिक काल से ही भारतीय नारी की स्थिति में गिरावट का प्रारम्भ होना मान लिया जाये तो अनुचित न होगा।

महाकाव्यों का समय पौराणिक काल में महिलायें

रामायण और महाभारत में महिलाओं का वर्णन विदुषियों के रूप में कम और त्याग नम्रता,पति सेवा, आदि गुणों से विभूषित गृहस्वामिनी के रूप में अधिक मिलता है। अर्थात् पौराणिक काल में महिलाओं की स्थिति में कमी आयी। (हिन्दु समाज में धार्मिक ग्रन्थों का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार से है :– वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, गृहसूत्र, धर्मशास्त्र, स्मृतियां, रामायण व महाभारत और पुराण) सामाजिक क्षेत्र में पूर्व मौन परिपक्व, विवाह का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। बहुपत्नी प्रथा बढ़ी, विधवा विवाह निषेध होने लगा। विवाह प्रत्येक लड़की के लिए अनिवार्य माना जाने लगा।

महिलाओं का प्रमुख गुण व कर्तव्य, पति सेवा और आज्ञापालन हो गया, पति को स्त्री के लिए भगवान का स्तर दिया जाने लगा। महाभारत काल में पांड़वों द्वारा अपनी पत्नी द्रोपदी को जुंए के दांव पर लगा देना और रामायण काल में एक धोबी द्वारा

---

(11) व्होरा आशारानी– भारतीय नारी दशा दिशा, पेज–5।

संदेह व्यक्त करने पर राम जैसे महापुरूष को भी सीता को वनवास दे दिया पत्नी पर पति के मनमाने अधिकारों की पुष्टि करता है।[12]

महिलाओं के लिए शिक्षा का पूर्ण निषेध प्रारम्भ हुआ। सती प्रथा प्रचलन में आई, पर्दा प्रथा प्रारम्भ हुआ। अनुलोम विवाह से प्राप्त पत्नियां संस्कृत भाषा में ज्ञान के अभाव में धार्मिक प्रथाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। संभवतः किन्ही आर्यो द्वारा अपनी अयोग्य, अनार्य पत्नियों को यज्ञ में सहयोगिनी बनाया गया होगा तो उसके परिणाम देख इस सभ्यता के समाधान के लिए सारी महिलाओं को समाज–विधान में धार्मिक क्रियाओं के लिए अनाधिकारिणी घोषित कर दिया गया होगा।[13]

बहु विवाह की प्रथा प्रचलन में आ गयी थी इसलिए इस तरह के विलासी समाज में महिला केवल उपयोग की वस्तु समझी जाने लगी। वैदिक काल में सरल कर्मकाण्ड का अध्ययन महिलायें 16–17 वर्ष की आयु तक कर लेती थी तो 18–20 वर्ष की आयु तक सामान्य लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। पर इस युग में कर्मकाण्ड–सम्बन्धी साहित्य इतना विस्तृत हो गया कि उसका अध्ययन तभी सम्भव था जब नारी 22–24 वर्ष की अवस्था तक अविवाहित रहती अतः उसे शिक्षा से वंचित रखकर अल्प आयु में ही विवाह योग्य समझ लिया गया। शिक्षा की कमी से महिलाओं का धार्मिक तथा सामाजिक स्तर क्रमशः नीचा होता चला गया। आगे चलकर उपनयन संस्कार की अवस्था ही विवाह की अवस्था समझी जाने लगी। लड़की की निजी सम्पत्ति का विवाह में कोई अर्थ न रह गया था। विधवा विवाह का निषेध होने लगा। नैतिकता के मापदण्ड बदलने लगे। पतिव्रत धर्म ही सर्वोच्च धर्म और स्वर्ग की प्राप्ति का साधन समझा जाने लगा। इसी का परिणाम कालांतर में सती प्रथा के रूप में सामने आया होगा।[14]

"एक पत्नी और गुलाम सम्पत्ति के अधिकारी नही होते, मान्यता के आधार पर महिलाओं को उसके पति की सम्पत्ति में भाग से वंचित कर दिया गया। धार्मिक क्षेत्र

(12) आहूजा राम– सामाजिक व्यवस्था– रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पेज–84।
(13,14) व्होरा आशारानी– वही, पेज–6।

में स्त्री को बलिदान भेद करने से, प्रार्थना से हठ योग से तथा तीर्थ यात्रा करने स वाचत कर दिया गया।''[15]

लगभग 800 ई0पू0 तक महिलाओं को पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार न था। इसी काल में भारतीय समाज सुधारक मनु ने यह नियम बनाया कि वे बचपन में माता–पिता के युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के आश्रय में रहकर जीवन बिताये। इन्ही नियमों के अधीन आगे चलकर महिलाओं ने स्वयं अपना भला बुरा सोचने की शक्ति ही समाप्त होने लगी।

अतः स्मृति काल में आकर महिलाओं की स्थिति में और अधिक गिरावट आयी। वह केवल माता के रूप में ही आदर की पात्र रह गयी। एक स्त्री, पत्नी और प्रेयसी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा न रही। विवाह की आयु और घट गयी, और विवाह की आदर्श व्यवस्था 8–9 साल मानी जाने लगी। इससे शिक्षा भी नाम मात्र की रह गयी। स्मृतिकारों ने महिलाओं के अधिकांश अधिकारों का अपहरण कर लिया। मनु ने एक ओर लिखा है ''यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राकलाः क्रियाः।[16]

दूसरी ओर कहा– पिता रक्षति कौमारे पती रक्षति यौतने।

रक्षति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र यर्महति।[17]

अर्थात् उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरूष के आश्रय में रखा और आचार संहिता के रूप में अनेकानेक बधंनों से जकड़ दिया। लेकिन वह स्मरणीय है कि अक्षिका, बाल विवाह आदि बंधन उत्तर व मध्यभारत में शक, हूण आदि विदेशी आक्रमण के बाद स्त्री सुरक्षा की दृष्टि से ही लगाये गये थे।[18]

प्रभाती मुखर्जी ने पौराणिक काल में महिलाओं की निम्न स्थिति में कारणों को

---

(15) राम आहूजा– सामाजिक व्यवस्था–रावत पब्लिकेशन्स– जयपुर, पेज–85।
(16) मनुस्मृति अध्याय 111, श्लोक 5–6।
(17) मनुस्मृति अध्याय IX, श्लोक 3।
(18) व्होरा आशारानी– भारतीय नारी दशा दिशा, पेज–6।

बताते हुए अल्टेकर विन्टरनिज,मित्तर और चौधरी को उद्धत किया और कहा– सम्पूण समाज पर ब्राहम्णों द्वारा थोपे गये समयों के कारण जाति प्रथा द्वारा लगाये प्रतिबन्धों के कारण, संयुक्त परिवार के कारण महिलाओं के लिए शिक्षा की कम सुविधा के कारण आर्य परिवार में गैर आर्य पत्नी का प्रवेश तथा विदेशी आक्रमणों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई।[19]

मध्यकाल में महिलाएं

भारत पर मुगलों का प्रथम आक्रमण आठवीं शताब्दी में हुआ और उसके बाद धीरे–धीरे मुगलों ने कई आक्रमण किये और अपने राज्य की स्थापना की मुगलों के राज्य के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आयी। ब्राह्मणों ने रक्त की शुद्धता, स्त्री, सतीत्व की रक्षा और हिन्दु धर्म की रक्षा के नाम पर उसे इतने सामाजिक बंधनों से जकड़ दिया कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व का नामोनिशान नही रहा। लड़कियों की शिक्षा एकदम समाप्त हो गयी। मुस्लिम आक्रमणों के दौरान लड़कियों के अपहरण की घटनाये बढ़ी तो हिन्दुओं में छोटी–छोटी बच्चियों का विवाह किया जाने लगा। पर्दा प्रथा भी प्रारम्भ हो गया। लड़कियाँ जरा सयानी हुई कि घर से बाहर निकलना बन्द। ससुराल में घर के लोगों से भी पर्दा। महिलाओं के जीवन का दायरा चहारदीवारी तक सीमित हो गया। सती प्रथा चरम सीमा तक पहुँच गयी। विधवा विवाह नीची जातियों के अतिरिक्त सभी मध्य व ऊंचे वर्गो में बुरा माना जाने लगा। नौकरी में केवल निम्न वर्ग की महिलायें ही कर सकती थी। महिलाओं के समस्त अधिकार छीन लिये गये। स्वतंत्रता नाम मात्र की रह गयी। दमन चक्र दसवीं शताब्दी में भारत पर विदेशियों के आक्रमण के साथ चलना शुरू हुआ, सोलहवीं शताब्दी में मुगलों के भारत आगमन के साथ गतिशील हुआ और 19वीं शताब्दी तक अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया।

---

(19) प्रभाती मुखर्जी– मैन इन इण्डिया, 1964, पेज–267।

आधुनिक काल में महिलाओं का प्रस्थान

1. ब्रिटिश शासन काल :

तत्कालीन समाज—वैसे तो भारतीय समाज पश्चिमी समाज के सम्पर्क में 15वीं शती के अन्त में वास्कोडिगामा नामक एक पुर्तगाली नाविक के कालीकट आने के साथ ही आने लगा था, किन्तु पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसियों के बाद 17वीं शताब्दी से जब अंग्रेज आने लगे, तब विदेशियों से सम्पर्क अधिक बढ़ा। इस समय तक मुगल साम्राज्य जीर्ण–शीर्ण हों गया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में आयी, लेकिन बाद में देश की बिगड़ती सामाजिक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए पूरे देश में शासन स्थापित कर लिया। इस उद्देश्य को उसने अंशकों में प्राप्त किया। 1757 को बंगाल में प्लासी का युद्ध इस प्रक्रिया का प्रारम्भ किया तथा 1841 में पंजाब पर शासन के बाद 1857 तक रियासतों पर भी पूरा अधिकार उसका अंत था[20]। विलासी व अयोग्य मुस्लिम शासकों ने देश की उन्नति व विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया तथा प्राचीन सामाजिक व आर्थिक सरंचना ही अस्तित्व में बनी रही। किन्तु ब्रिटिश शासन काल में उससे जुड़ी आर्थिक व सांस्कृतिक शक्तियों ने देश को एक नया रूप दिया। इग्लैण्ड में इस समय तक औद्योगिक व आधुनिक समाज की स्थापना हो चुकी थी व नित नये क्रान्तिकारी परिवर्तन आ रहे थे, सामाजिक,आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में, जिन्होनें भारत में विकास की दिशा को पहले ही तय कर दिया था। यहां पर भी भैतिकवाद व व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला तथा धर्म व जन्म से प्राप्त अधिकारों का महत्व कम हुआ। 1850 से भारत में औद्योगीकरण के साथ ही शहरीकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। नयी आर्थिक व्यवस्था व केन्द्रीय शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा एक ओर यातायात एवं संचार के साधनों जैसे रेलवे, डाक व तार सेवा, टेलीफोन व्यवस्था आदि का प्रसार करके उपयोग किया गया, तो दूसरी ओर

---

(20) स्टोवले व मेजन– 1970, 268–278, द बुक आफ नॉलेज, लन्दन।

कर्मचारी प्राप्त करने के लिए औपचारिक शिक्षण संस्थाओं का जाल पूरे देश में बिछा दिया गया[21]।

इसी समय भारत में राजाराम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद व अन्य विद्वानों द्वारा समाज सुधार आन्दोलन भी चलाया गया, जिसमें मुख्यतः धार्मिक कर्मकाण्डों, मूर्तिपूजा, जातीय भेदभाव व महिलाओं की निम्न स्थिति आदि का विरोध किया गया। इसी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए प्रजातांत्रिक सभ्यता व संस्कृति तथा समानता व स्वतंत्रता के मूल्यों से प्रेषित होकर, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, पति की सम्पत्ति पर अधिकार आदि से सम्बन्धित सामाजिक विधान भी बनाये गये, महिलाओं भी जागरूक हुई जैसा कि देसाई (1977) के अनुसार घुरये (1947:106–107) ने लिखा था[22]।

वैसे तो 1857 में ही झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे चुकी थीं तथा भारतीय सैनिकों द्वारा क्रांति का प्रयास भी किया जा चुका था, किन्तु 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही व्यवस्थित रूप से ब्रिटिश शासन हटाकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आन्दोलन चलाया गया। गाँधी जी ने बीसवीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के समय जब नेतृत्व संभाला तो आन्दोलन में महिलाओं को भी सम्मिलित किया। इसके बाद एक ओर महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाये तो दूसरी ओर राजनैतिक क्षेत्र में मतदान करने व चुनाव लड़ने का अधिकार भी माँगा। 1930 में उच्च वर्ग की महिलाओं को सीमित राजनैतिक अधिकार मिला। स्वतंत्रता के आंदालेन में कुछ उदार व सहिष्णु मुस्लिम नेताओं ने बीच–बीच में हिन्दुओं का साथ दिया, किन्तु अनुदार कट्टर मुस्लिम नेता पहले तो अलग चुनाव क्षेत्रों की मांग करते रहे और जब यह पूरी न हुई तथा देश की स्वतंत्रता अवश्यम्भावी हो गयी तो अलग देश की ही मांग करने लगे। गाँधी जी ने देश के बंटवारे

(21) देसाई नीरा, 1977–48, वूमेन इन इण्डिया, बाम्बे।
(22) घुरिये, जी0एस0 1947, कल्चर एण्ड सोसायटी, 106–107।

को रोकने का हर प्रयास किया, किन्तु ब्रिटिश शासकों की मुसलमानों के साथ सहानुभूति के कारण, अंत में देश स्वतंत्र होने के साथ ही हिन्दुस्तान व पाकिस्तान नामक दो भागों में बंट गया।

स्त्रियों की प्रस्थिति-ब्रिटिश शासन काल में स्त्रियों की स्थिति ऊँचा उठाने का हर संभव प्रयत्न किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके विभिन्न बंधनों में ढील द्रष्टिगोचर हुई। 19वीं सदी के समाज सुधार आन्दोलन के कारण जनमानस में महिला स्वतंत्रता के लिए चेतना आयी व संगठन बने। इसी चेतना के कारण बीसवीं सदी में स्त्रियों के स्वंतत्रता आन्दोलन में भाग लेने के साथ–साथ अपनी पूर्ण स्वतंत्रता व समानता के लिए नारी आन्दोलन चलाया व स्वतंत्र संगठन बनाये। शिक्षा व व्यवसाय के क्षेत्र मे भी वे आगे आयीं। ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1872 में सिविल मैरिज अधिनियम, 1874 में विवाहित पत्नी सम्पत्ति अधिनियम, 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम आदि सामाजिक विधानों द्वारा भारतीय महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के प्रयास किये। परिणामस्वरूप महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनैतिक असमर्थताओं की पीड़ा से मुक्ति मिली। इस तरह जीवन के प्रत्येक पक्ष में उन्हें व्यवहार में लाने की प्रक्रिया इस युग में बहुत उत्साह के साथ आरम्भ की गयी[23]। स्त्रियों के मध्य शिक्षा का प्रसार हुआ, उन्हें अर्थोपार्जन के अवसर उपलब्ध हुये। राजनैतिक आंदोलन ने नारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। उससे ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि जिससे कई सामाजिक बंधन व अंधविश्वास टूट गये तथा स्त्रियों ने सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अपना कर्तव्य व अधिकार समझा। उन्होनें अपने जीवन का महत्व समझा, अपनी योग्यताओं को परखा व स्वयं आगे बढ़कर, अपने हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष में जुट गयी। उन्होने शिक्षा लेकर आर्थिक स्वतंत्रता के लिए

---

(23) कुप्पू स्वामी, 1990, सोशल चेन्ज इन इण्डिया, देलही।

व्यवसाय चुने व विवाह को कम महत्व दिया। परिणामस्वरूप विवाह की उम्र बढ़ान क साथ–साथ वर के चुनाव में उनकी अपनी इच्छा को भी माता–पिता द्वारा महत्व दिया जाने लगा। पर्दा प्रथा कम हुई व विधवाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ तथा पत्नी व पति की सम्पत्ति पर अधिकार भी मिला। औद्योगीकरण, शहरीकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं से पारिवारिक संरचना में परिवर्तन आया। संयुक्त परिवार टूटकर केन्द्रीय परिवारों में परिणित हुये। जिनमें महिलाओं की स्थिति मे परिवर्तन प्रारम्भ हो गया।

इस प्रकार हम देखते है कि ब्रिटिश युग में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया व उनके जीवन के सभी पक्षों में उन्नति हुई। किन्तु इन सब सुविधाओं का लाभ शहरी उच्च वर्ग की स्त्रियाँ भी सीमित मात्रा में ही उठा पाई। आम भारतीय स्त्रियों की सामाजिक,आर्थिक,पारिवारिक एवं राजनैतिक निर्योग्ताएं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वतंत्रता प्राप्ति तक भी कम नही हो पायी थीं, और इसका कारण पारम्परिक भारतीय समाजिक व्यवस्था की कई हजार वर्ष पुरानी गहरी जड़े थीं, जिन्हें सरलता से हिलाया नही जा सकता और न ही रातोंरात परिवर्तन आधारभूत रूप में लाया जा सकता है।[24] किन्तु इतना अवश्य हुआ कि इस समय तक पूरे देश के लोगों ने स्त्रियों से संबंधित विषयों पर एक नये द्रष्टिकोण के साथ विचार करना प्रारंभ कर दिया, जो स्वयं अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है।

2. स्वतंत्रता पश्चात् :

तत्कालीन समाज–1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ ही भारतवर्ष हिन्दुस्तान व पाकिस्तान दो देशों में विभाजित हो गया। आजादी के समय ही देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जो कि विभाजन से और भी बिगड़ गयी। डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान की रचना की, कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई व पं.जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। हिन्दुओं व मुसलमानों के आपसी वैमनस्य के कारण इस समय

---

(24) देसाई नीरा, 1977।

काफी साम्प्रदायिक दंगे हुये। इसी समय गांधी जी की हत्या कर दी गयी, जिससे देश में अव्यवस्था का वातावरण बना, जिसे सावधानी से संभाल लिया गया। राष्ट्रीय एकता की समस्या उत्पन्न हुई, जो कि सरकार के लिए एक चुनौती थी। पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आये, जिनके पुर्नवास के लिए सरकार को काफी धन खर्च करना पड़ा। देश को एक धर्मनिरपेक्ष एवं कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिये गये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों द्वारा उसे अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक कल्याण के लिए निरन्तर प्रयास करने के, तथा समाज के पिछड़े हुए कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए विशेष प्रयास करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये[25]। अतः 1950 एवं 1960 के दशक में श्रमिक, कृषक, हरिजन व महिलाओं आदि के कमजोर व शोषित वर्गो की स्थिति सुधारने के लिए काफी कानूनी व्यवस्थायें की गयी, नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जहाँ एक ओर राष्ट्रीय आय व जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक नियोजन द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर, कृषि व उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन व विकास के कार्यक्रम निश्चित किये गये, वहीं दूसरी ओर परिवार नियोजन द्वारा अपर्याप्त साधनों से मेल न खाने वाली व तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या पर जन्म दर कम करके अंकुश लगाया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति की सामाजिक स्थिति ऊंची उठाने के लिए संरक्षण नीति के अंतर्गत शिक्षा व नौकरी के साथ–साथ राजनैतिक क्षेत्र में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गये। समाज कल्याण के क्षेत्र में केन्द्रीय एवं राजकीय सामाजिक कल्याण बोर्डस् ने स्वैच्छिक कल्याणकारी संस्थाओं को भी मार्गनिर्देशन एवं आर्थिक सहायता प्रदान की। परिणामस्वरूप देश की स्थिति कुछ सुधरने लगी थी कि सीमा विवाद को लेकर 1962 में चीन के साथ व 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुये। 1991 में पुनः पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। 1975 में देश मे आपत्तिकाल घोषित किया गया

---

(25) भारतीय संविधान, 1988, 3–15

तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा 1975 के बीच महिला दशक की घोषणा के कारण महिला कल्याण पर जोर दिया गया, 1948 में प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी व 1991 में प्रधान मंत्री राजीव गाँधी की हत्या हुई। इन घटनाओं के समय पर अनेक बार राष्ट्रीय एकता की समस्या पैदा हुई, जिसे कि सरकार द्वारा सावधानी से नियंत्रित किया गया। आजादी के बाद से शिक्षा के प्रचार–प्रसार व रोज़गार के अवसर प्रदान करने का प्रयास निरंतर चलता रहा है।

स्त्रियों की प्रस्थिति- स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं, इसलिए वर्तमान समाज में उनकी स्थिति परम्परागत समाज से काफी अच्छी हो गयी है। 1921 के बाल विवाह अवरोधक अधिनियम में 1989 में संशोधन करके लड़की की विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गयी है। 1961 के दहेज निरोधक अधिनियम में हालांकि व्यावहारिक रूप से कोई लाभ नही हुये हैं, किन्तु फिर भी प्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगने की प्रथा कम से कम पढ़े–लिखे सभ्य परिवारों में तो कम हो ही रही है। इसी प्रकार 1955 के "हिन्दु विवाह के तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम" और 1954 के "विशेष विवाह अधिनियम" ने स्त्रियों को धार्मिक व जातीय प्रतिबंधों से दूर विवाह करने की आज्ञा व आवश्यकता पड़ने पर विवाह बंधन तोड़ने की अनुमति दे दी है। अब बहुपत्नी विवाह गैर कानूनी है तथा विधवा पुनर्विवाह को भी कानूनी मान्यता प्राप्त है।1956 के उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा हिन्दु स्त्रियों को भी पुरूषों के समान ही सम्पत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। व्यवहार में इस कानून से भी उनको अधिक लाभ नही मिला है, फिर भी इसके कारण विवाह के बाद भी वे पिता या भाई के घर कुछ दिन अधिकार पूर्वक रह तो सकती ही हैं। 1971 के गर्भपात सम्बन्धी अधिनियम से भी उन्हें छोटा परिवार रखने एवं अविवाहित मातृत्व से छुटकारा पाकर सामान्य जीवन जीने का अवसर मिला है। इन सभी कानूनी व्यवस्थाओं से परिवार के अन्दर स्त्री की स्थिति काफी सुधरी है।

शिक्षा के हर क्षेत्र में व हर स्तर पर अब मध्यम वर्ग की भी स्त्रियाँ अधिक दिखाई देती है तथा व्यवसाय के हर क्षेत्र में वे पुरूषों के समान ही सेवारत रहकर अर्थोपार्जन कर रही हैं। राजनैतिक क्षेत्र में भी अब काफी बड़ी संख्या में उनकी सहभागिता द्रष्टिगोचर होती है। उनकी सामाजिक गतिवधियों में सहभागिता भी बहुत बढ़ रही है। क्योंकि अब उन्हें घर से बाहर स्वतंत्र रूप से जाने व पुरूष वर्ग से भी मिलने–जुलने पर बहुत अधिक बंधनों की जकड़ नही है। फलतः उनमें सामाजिक चेतना, आत्म सम्मान व पुरूषों के समान ही योग्यता– प्रदर्शन की इच्छा दृढ़ से दृढतर होती जा रही है। संयुक्त परिवार टूट रहा है तथा केन्द्रीय परिवार में भी अब उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति, औद्योगीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण के प्रभाव, तथा यातायात व संचार के साधनों में उन्नति से उनके प्रस्थिति संबंधी अभियान को गति मिली है। सारांश यह कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।[26]

परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी, जैसा कि देसाई (1977) ने कहा है, पहला तथ्य जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, वह यह है कि, अधिकतर ग्रामीण परिवारों न नगरों के भी परम्परागत परिवारों में स्त्री की स्थिति में अधिक सुधार नही आया है। आधुनिक नगरीय परिवारों में भी कुछ अपवादों को छोड़कर ,उनकी स्थिति सुधरी तो है,किन्तु '' पुरूष के समान ही स्थिति'' का लक्ष्य अभी काफी दूर है, जिसे पाने के लिए बहुत लम्बी यात्रा तय करना शेष है।, जैसा कि यादव(1985) ने भी अपने अध्ययन में पाया है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस सम्बन्ध में याद रखने योग्य यह है, जैसा कि कुप्पू स्वामी (1990) ने कहा है कि हिन्दू समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति पर विचार करते समय हम आमतौर पर उच्च एवं मध्यम वर्गो की ओर वह भी विशेषकर नगरों की स्त्रियों की स्थिति से ही मुख्यतःसंबंधित है। निम्न वर्ग की स्त्रियों की स्थिति सदा से उच्च व

---

(26) श्री निवास, 1978

मध्यम वर्गो की स्त्रियों की स्थिति से भिन्न रही है। उन पर इतने बंधन सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक, वैवाहिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में, कभी भी नही रहे हैं और अब भी उनकी स्थिति में अधिक परिवर्तन नही आया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न–मध्यम वर्ग की स्त्रियां भी सदैव ही कृषि कार्य में अपने खेतों में पुरूषों के साथ मिलकर कार्य करती रही हैं यद्यपि अन्य और निर्योग्यताओं का शिकार वे रही हैं, फिर भी विभिन्न कार्यो से घर के बाहर जाने के अवसर उन्हें प्राप्त होते रहे हैं। इसके बाद तीसरा तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भारतीय स्त्रियों की बात करते समय समाज में हिन्दू स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण हम प्रायः उन्हीं से, विशेषकर प्राचीन भारत की बात करते समय, संबंधित होते है।

अल्पसख्ंयक धार्मिक समुदायों में महिलाओं की प्रस्थिति

चूँकि भारत में बौद्ध, जैन व सिख धर्मो की शाखायें मूलतः हिन्दू धर्म से ही प्रस्फुटित हुई थीं, अतः इन धर्मो के बहुत ही अल्पसंख्यक अनुयात्रियों की जीवन पद्यति एवं उनके लिए कानूनी व्यवस्थायें प्रायः एक जैसी ही हैं, इन सभी धर्मो का विकास हिन्दु, ब्राहम्णवाद के विरोध में हुआ था, इसलिए ब्राहम्णों द्वारा स्थापित जातीय भेदभाव एवं धार्मिक कर्मकाण्डों के विरोध के साथ ही इन धर्मो ने स्त्रियों को भी हिन्दु धर्म की तुलना में ऊंची स्थिति प्रदान की। जहाँ हिन्दु धर्म मे उस समय स्त्रियों पर विभिन्न धार्मिक प्रतिबंध थें। वहाँ उन्हें बौद्ध धर्म में '' बौद्ध भिक्षुणी'' तथा जैन धर्म में '' जैन साध्वी'' बनने की अनुमति थी। सिख धर्म के अंतर्गत भी स्त्री को सभी गुरूओं ने महत्व दिया। गुरूनानक उसकी सम्माननीय मानते थे, क्योंकि वहीं पुरूषों को जन्म देती है। गुरू गोविन्द सिंह ने पुरूषों को '' सिंह'' की उपाधि दी तो स्त्रियों को भी ''कौर'' की, जिसका अर्थ '' सैनिक'' होता है। मुसलमानों से संघर्ष के लिए उन्हें भी घर से बाहर निकलकर पुरूषों की भांति ही साहस एवं शूरवीरता का प्रदर्शन करने का आव्हान किया एवं स्वतंत्रता दी। परन्तु व्यावहारिक द्रष्टि से इन धर्मो में भी स्त्रियों की स्थिति हिन्दु धर्म से कुछ विशेष भिन्न नही है तथा आम स्त्री, पुरूष के आधीन रहकर, उसकी इच्छाओं के अनुरूप ही जीवन यापन करती रही है। आधुनिक काल में संवैधानिक व्यवस्थाओं व

सामाजिक विधानों तथा शिक्षा व रोजगार के अवसरों के कारण अवश्य ही उनकी स्थिति में हिन्दु स्त्रियों के समान ही उत्कर्ष की दिशा में परिवर्तन आ रहा है।

भारतीय ईसाई समाज के व्याप्त पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के कारण स्त्रियों का कार्यक्षेत्र केवल घर के अंदर तक ही सीमित नही है। वे पुरूषों के समान घर से बाहर निकलकर अर्थोपार्जन का कार्य भी करती है तथा सामाजिक गतिविधियों में भाग भी लेती है। इस समाज में पर्दा प्रथा नही है तथा स्त्री पुरुष के मध्य कठोर दीवार भी नही है। परन्तु चूँकि अधिकतम भारतीय ईसाइयों के पूर्वजों ने हिन्दु समाज के निम्न वर्ग से निकलकर ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, वे अभी भी हिन्दु परम्पराओं एवं सामाजिक व्यवस्था के प्रावधानें से प्रभावित होते रहते हैं। इसाई समाज में अधिकतर लड़की की परिपक्वता की उम्र के बाद, यहाँ तक कि शिक्षा व व्यवसाय लेने के बाद, उसकी इच्छानुसार ही विवाह सम्पन्न होताहै। विवाह विच्छेद भी सहज ही संभव है, हालांकित इसके संबंध में '' भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969'' लागू होता है, जिसमें पति व पत्नी के अधिकारों में भेद है। पत्नी के दुष्चरित्र होने पर केवल इसी आधार पर तलाक लिया जा सकता है, जबकि पति के दुष्चरित्र होने पर, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण(प्रताड़ना या दूसरा विवाह) भी सिद्ध करना होता है। किन्तु तलाक होने पर उसे भी भरण पोषण का अधिकार है। उत्तराधिकार के संबंध में केरल, गोवा व पाण्डिचेरी के तथा अन्य ईसाइयों के लिए लागू कानूनों में विविधता है, पर सभी कानूनों में स्त्रियों के पुरूषों की बिल्कुल बराबरी के अधिकार नही है। अतः यह कहा जा सकता है कि ईसाई स्त्रियों की हिन्दू स्त्रियों की तुलना में ऊँची स्थिति होते हुए भी पुरूषों के समान स्थिति नही है।

परसी समाज में '' पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1965'' के अन्तर्गत 16 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह के मामले किसी भी न्यायालय में नहीं लाये जा सकते हैं, अर्थात् उसको विवाह माना ही नही जाता है। '' पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936'' में सामान्य आधारों के अतिरिक्त पत्नी उस समय भी तलाक लेने की अधिकारी है, जब उसका पति उससे वेश्यावृत्ति करवाना चाहता हो। तलाक होने पर उसे भरण पोषण का अधिकार है।

अधिकतर पारसी स्त्रियां अर्थोपार्जन का कार्य न करके पुरूषों पर आश्रित रहती हैं। उत्तराधिकार के मामले में पारसी लड़कियों की माँ की सम्पत्ति पर लड़कों के बराबर ही हिस्सा मिलता है, लेकिन पिता की सम्पत्ति में उन्हें लड़कों से कम हिस्सा मिलता है। इस प्रकार के भेदभाव के कारण, हम यह कह सकते है कि पारसी स्त्री की स्थिति भी पारसी पुरूष से निम्न है।

भारतीय मुस्लिम समाज देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, अतः विचारणीय भाग है। जहाँ तक मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न है, उन्हें परम्परागत रूप से इस्लाम धर्म के अन्तर्गत, हिन्दू स्त्रियों की तुलना में काफी संतोष जनक अधिकार मिले हुए हैं। मुस्लिम कानून के अनुसार सामान्यतः स्त्रियों का विवाह 15 वर्ष की आयु के बाद ही होना चाहिये, अतः बाल विवाह की स्वीकृति मुस्लिम समाज में नहीं रही है। इस्लाम धर्म के अनुसार निकाह का समझौता तब तक पूरा नही होता, जब तक लड़की अपनी स्वीकृति न दे दे। विवाह विच्छेद के संबंध में मुस्लिम स्त्रियों को कुछ अधिकार इस अर्थ में प्राप्त हैं कि "खुला" और "मुबारत" ये दो विवाह विच्छेद के ऐसे सामाजिक तरीके हैं, जिनमें से प्रथम में पत्नी की इच्छा पर और द्वितीय मे पति–पत्नी की पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हो सकता है। मुसलमान लड़की के विवाह के लिए लड़के वालों की ओर से विवाह का प्रस्ताव आता है तथा विवाह के समय " मेहर" के रूप में पति, पत्नी को कुछ धनराशि देता है। इस तरह लड़की के माता–पिता को वरमूल्य चुकाने की आवश्यकता न होने के कारण, मुस्लिम परिवारों में लड़की को भार नही समझा जाता है। मुसलमान स्त्री को सम्पत्ति पर पुरूषों के समान ही अधिकार नही होता है। यद्यपि माँ, पत्नी व लड़की व लड़के, पति व पिता की सम्पत्ति पर अधिकार होता है। लेकिन सम्पत्ति का विवाह पुरूषों से आधा होता है। तलाक के तीन माह बाद तक ही उन्हें भरण पोषण का अधिकार है और वह भी तब, जब पति पत्नी की पहुँच तक रहे व उसके आदेश माने।

जहाँ तक बहु पत्नी–विवाह, पर्दा प्रथा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, सामाजिक मेल–मिलाप संबंधी अधिकारों का प्रश्न है, हिन्दू स्त्रियों व मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति प्रायः एक–सी ही रही है। आधुनिक काल में हिन्दू स्त्रियों की

करने का अधिकार, सामाजिक मेल–मिलाप संबंधी अधिकारों का प्रश्न है, हिन्दू स्त्रियों व मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति प्रायः एक–सी ही रही है। आधुनिक काल में हिन्दू स्त्रियों की उपर्युक्त सभी विषयों से संबंधित स्थिति में परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से हो रहे हैं, जबकि मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में बहुत धीमी गति से परिवर्तन आ रहे हैं। मुस्लिम स्त्रियाँ शिक्षा के अभाव, व अत्याधिक पर्दा प्रथा के कारण अपने अधिकारों का व्यावहारिक रूप में प्रयोग नही कर पा रही हैं। स्वतंत्र भारत में मिली संवैधानिक सुरक्षाओं का लाभ केवल गिने–चुने उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की स्त्रियां अपवादों के रूप में उठा रही हैं। सामान्य रूप से वे घर की चहारदीवारी में कैद जीवन ही जी रही हैं तथा धार्मिक कुसंस्कारों के कारण, उनकी स्थिति काफी निम्न है।

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत के सभी धार्मिक संप्रदाओं के अंतर्गत स्त्रियों की प्रस्थिति पुरूषों से व्यावहारिक स्तर पर निम्न है, यद्यपि सैद्धान्तिक स्तर पर, उसे समान समझा जाता रहा है।

सामाजिक विधान

महिलाओं से सम्बधित तथा उनके सामाजिक विधानों से सम्बन्धित चार प्रमुख मामले हैं विवाह, गोद लेना, संरक्षकता एवं गर्भपात जिनके सम्बन्ध में समय–समय पर अनेक विधान बनाये गये हो निम्न है।

(A) विवाह

समाज वैज्ञानिकों ने विवाह संस्था की कल्पना विविध प्रकार से की है। विवाह के सम्बन्ध में प्रचलित विचार यह है कि यह महिला और पुरूष के बीच का संयोग (संजोग) है जबकि लॉबी, मरडॉक, तथा वेस्टरमार्क जैसे मानवशास्त्रियों ने इस संयोग में सामाजिक स्वीकृति पर बल दिया है और इस तथ्य पर कि यह विविध संस्कारों एवं समारोहों द्वारा किस प्रकार सम्पन्न होता है। ब्लड, लाज और स्नाइडर, वोमन, बाबर जैसे समाजशास्त्रियों का विचार है कि विवाह प्राथमिक सम्बन्धों की भूमिकाओं की एक व्यवस्था है। भारत शास्त्री विवाह को एक संस्कार या धर्म मानते हैं। परम्परागत एवं आधुनिक विवाह व्यवस्था एवं उससे सम्बन्धित विधानों के विवरण से पूर्व विवाह की

अवधारणा एवं सामाजिक महत्व को समझना आवश्यक है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक प्रस्थिति प्राप्त होती हैं जिनके अनुसार भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है या यह कहा जा सकता है कि जीवन अनेक भूमिकाओं का एक संकुल है जिन्हें विविध संस्थाओं के परिवेश में निभाना होता है। विविध भूमिकाओं में से दो भूमिकायें अहम होती है पहली आर्थिक और दूसरी पारिवारिक जिसमें विवाह के द्वारा प्रवेश माना जाता है। प्रथम भूमिका निः सन्देह ही प्रमुख है क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन का एक बड़ा भाग इसी भूमिका में लगाता है। प्रायः व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन 21 से 24 वर्ष की आयु में प्रारम्भ करता है और 60 से 62 वर्ष की आयु तक निरन्तर इस कार्य में व्यस्त रहता है तथा नित्य आठ या दस घंटे अपने काम पर खर्च करता है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी आर्थिक भूमिका हमारा कितना समय लेती है। वैवाहिक भूमिका में भी जीवन के 40 से 50 वर्ष व्यतीत होते हैं। किन्तु इन दोंनो भूमिकाओं में से आर्थिक भूमिका की अपेक्षा वैवाहिक भूमिका ही अहम् है क्योंकि आर्थिक भूमिका में प्राथमिक सम्बन्ध है। यह प्राथमिक सम्बन्ध अन्य प्राथमिक समूहों से भिन्न होते हैं।

प्राथमिक सम्बन्ध के प्रथम प्रकार में मित्र मण्डली, पड़ोस, गाँव आदि सम्मिलित है जिसके मूल में असीमित उत्तरदायित्व, विशिष्ट, भावनात्मक, परार्थवादी एवं शाश्वता का गुण निहित है द्वितीय प्रकार में यौन सम्बन्धों पर आधारित है और यौन सम्बन्ध स्त्री पुरूष के बीच स्थायी तथा निकटतम सम्बन्ध स्थापित करते हैं। विवाह में प्राथमिक सम्बन्ध दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, आवश्यकता पूर्ति तथा सामाजिक नियन्त्रण। यह व्यक्ति की जैविक (यौन सन्तुष्टि) मनोवैज्ञानिक (स्नेह और सहानुभूति) और आर्थिक (भोजन ,कपड़ा एवं निवास) की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है एवं नैतिक एवं

नीतिशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र का कार्य करता है[28]।

प्रारम्भिक काल में व्यक्ति विवाह इसलिए करता था क्योंकि जीवन यापन की समस्या उनके सामने थी आर्थिक कारणों से मनुष्य को बच्चों की आवश्यकता होती थी, जो न केवल उन्हें काम में मदद करें, बल्कि जब माता–पिता कार्य करने योग्य नही रहे तब बच्चे बीमा के समान उनके काम आ सके। उन्हें खेतों पर काम करने के लिए अधिक महिलाओं की आवश्यकता होती थी। इसका यह अर्थ नही है कि प्रारम्भिक काल में विवाह में प्रेम और सहयोग नही था और केवल व्यावहारिक कारण ही अधिक महत्वपूर्ण थें। वोमैन– के अनुसार विवाह के मूलभूत उद्देश्य है, यौन सन्तुष्टि, घर और बच्चों की इच्छा, मित्रता, सामाजिक स्थिति और सम्मान, तथा आर्थिक सुरक्षा एवं संरक्षण। मजूमदार के अनुसार–यद्यपि नियमित तथा समाजिक मान्यता प्राप्त यौन संन्तुष्टि विवाह का मूल कारण है फिर भी यह एक मात्र और अंतिम कारण नही है। उन्होने सेमा नागाओं का उदाहरण दिया है जिनमें एक बच्चा अपने पिता की विधवा (माँ के अलावा) से विवाह कर लेता है ताकि उसकी सम्पत्ति पर अधिकार कर सके, क्योंकि उनके जनजातीय रिवाजों के अनुसार पुरूष की विधवा सम्पत्ति की अधिकारी होती है, न की बच्चे। इस प्रकार मजूमदार की मान्यता है कि विवाह के उद्देश्य है यौन सन्तुष्टि, बच्चों के लालन–पालन के विश्वसनीय सामाजिक तरीके, संस्कृति का संक्रमण,आर्थिक आवश्यकतायें एवं सम्पत्ति का उत्तराधिकार ।[29]

वर्तमान में परम्परागत समाज आधुनिक समाज मे बदल रहा है, विवाह के लिए इन व्यवहारिक कारणों का महत्व कम होता जा रहा है। आज विवाह के जो प्रेरक कारक माने जा रहे हैं वे है एकाकी पन की भावना से छुटकारा तथा दूसरों के माध्यम से जीवित रहने के उद्देश्य। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज विवाह का प्रमुख्य उद्देश्य मित्रता या सहयोग प्राप्ति होता है। यौन सन्तुष्टि इसके क्षेत्र से परे नही

---

(28) वोमेन, हेनरी ए0–मैरिज फॉर मोडेक्स, 1948 ।

(29) मजूमदार डी0 एन0–दि फर्टिनेन्स प्रीमिटिव ट्राइब्स, बाम्बे।

है परन्तु यह अब मित्रता की अपेक्षा गौण हो गया है।

विवाह सम्बन्धी कानून :

1961 में राज्य सभा में जब असमान विवाह विधेयक पर बहस हो रही थी ,एक सदस्य ने हिन्दू विवाह संख्या में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के विरूद्ध महाकाव्यों से उदाहरण दियें। तत्कालीन राज्य सभा के अध्यक्ष डॉ0 राधाकृष्णन ने कहा था, ''प्राचीन इतिहास आधुनिक समाज की समस्याओं का समाधान नही कर सकता है''। एक ही वाक्य में यह उत्तर इन आलोचकों के लिए है जो सामाजिक कानूनों और जनमत के बीच दूरी बनाये रखना चाहते हैं। कानून जनता की समाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिये और क्योंकि सामाजिक, सामाजिक आवश्यकतायें बदलती रहती है तो विधान भी समय–समय पर बदलते रहने चाहिये। सामाजिक विधानों का कार्य यह है कि यह उस समाज में कानून व्यवस्था का सामन्जस्य करे जिससे वह व्यवस्था निरन्तर विस्तृत होती जाती है। पुराने नियमों और आधुनिक आवश्यकताओं की बीच की खाई को समाप्त किया जाना चाहिये। आधुनिक भारत में औद्योगीकरण, नगरीयकरण, शिक्षा का विकास एवं पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप आये परिवर्तनों में से एक है विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन, इसलिए विवाह के विभिन्न पक्षों पर कानूनों की आवश्यकता है[30]।

समाज में निम्न विषयों पर कानून लागू किये गये हैं।

1. विवाह आयु।
2. जातीय साथी चुनाव के सम्बन्ध में।
3. विवाह में पति या पत्नी की संख्या।
4. विवाह विच्छेद।
5. दहेज लेना या देना।
6. पुनर्विवाह

इन छः विधानों से सम्बद्ध विविध विधान इस प्रकार है :–

1– बाल विवाह निगृह अधिनियम –1929 (विवाह आयु के सम्बन्ध में)

---

(30) आहूजा राम– वही, पेज –125

2–हिन्दु विवाह निर्योग्यता निवारक अधिनियम, 1946 तथा हिन्दु विवाह वैधता अधिनियम 1949 (साथी के चुनाव के सम्बन्ध में)

3– विशेष विवाह अधिनियम 1954 (विवाह आयु–माता–पिता की सहमति के बिना बच्चों को विवाह की स्वतंत्रता द्विपत्नी विवाह, विवाह विच्छेद से सम्बन्धित)

4–हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (विवाह की आयु, माता–पिता की सहमति से, द्विपत्नी विवाह, तथा विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में)

5– दहेज़ अधिनियम 1961

6– विधवा पुर्नविवाह अधिनियम, 1856

बाल विवाह निग्रह अधिनियम :

विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था ही नही बल्कि यह व्यक्तियों के यौन जीवन को सुचारू रूप से चलाने एवं सामाजिक, धार्मिक, उद्देश्य को पूरा करती है। हिन्दु विवाह को एक धार्मिक संस्कार एवं मुस्लिम विवाह को एक संविदा माना जाता है।

प्राचीन भारत में लड़के लड़कियों का विवाह परिपक्व आयु में होनें की प्रथा थी। पी0एन0 प्रभु हिन्दू शास्त्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि प्राचीन भारत में कम आयु के विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों ने रजस्वला के बाद विवाह होने की प्रथा का विरोध कुछ हिन्दु लेखकों जैसे गौतम एवं विष्णु द्वारा किया गया। वशिष्ट और वौद्धायन 400 बी0सी0 के आस पास रजस्वला के बाद विवाह करने पर बल दिया। ईसा से लगभग 400 वर्ष से पूर्व से लड़कियों की विवाह योग्य आयु में धीमें–धीमें कमी आयी और 8 से 10 वर्ष लड़कियों की विवाह में वृद्धि होने लगी। कम आयु में विवाह का प्रचलन केवल हिन्दुओं में नही बल्कि मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में भी विवाह के लिए कोई निश्चित आयु नही थी। सामान्यतः मुस्लिम लोग अपनी बेटियों का विवाह यौनारम्भ होने से पूर्व नही करते थे। तथापि हिन्दुओं का अनुकरण करते हुए उनमें भी ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी। बाल विवाहों के विनाशकारी प्रभावों ने समाज सुधारकों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे विधि निर्माण द्वारा इन विवाहों पर रोक लगवायें। अतः 1929में बाल विवाह रोक अधिनियम पास किया गया एवं 1 अप्रैल 1930 में लागू

किया गया जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु पुरूषों के लिए 18 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 14 वर्ष रखी गयी। जिसे बाद में लड़की की आयु बढ़ांकर 15 वर्ष कर दी गयी। बाल विवाह को माता–पिता या इसका निष्पादन करने वाले के लिए यह दण्डिक अपराध तो मान लिया गया किन्तु इस प्रकार के विवाहों की विधि मान्यता को अछूता ही छोड़ दिया गया जिससे कि उन पर पूर्णतः रोक लगाना सम्भव न हो सका। यह अधिनियम सभी समुदाओं पर समान रूप से लागू होता है। 1978 में इस अधिनियम को संशोधित करके लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गयी है। अधिनियम के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है लेकिन विवाह स्वयं में वैध रहता है। अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय है और इसके अन्तर्गत माता–पिता, वर संरक्षक और पण्डित तक के लिए तीन माह का साधारण कारावास और 1000 रूपया तक का अर्थदण्ड है। किसी महिला को कारावास का दण्ड सम्मिलित नही है। अधिनियम में बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का भी प्राविधान है। लेकिन अपराध के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है यदि आरोपित विवाह को एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है।

इसी तरह मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 1939 की धारा–2(Vii) जिसमें यह प्रावधान है कि अगर किसी लड़की का निकाह उसके पिता या अन्य संरक्षक से 15 साल की होने पर कर दिया हो तो वह लड़की 15 साल होने के बाद मगर 18 साल की होने पहले मानने से इंकार कर सकती है और अदालत में यात्रिका दायर कर तलाक ले सकती है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के अलावा समस्त भारत के सभी धर्म के लोगों पर लागू है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1939 (शारदा एक्ट) और विशेषकर हिन्दुओं के लिये बने हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(iii) में विवाह के लिए अन्य आवश्यक शर्तो के साथ यह भी है कि विवाह के लिए दुल्हन की उम्र 18 वर्ष एवं दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। लेकिन किसी भी कानून के अन्तर्गत अगर इससे कम उम्र में की गयी शादी अवैध, गैर कानूनी व रद्द मानी जायेगी।

बाल विवाह के सन्दर्भ सबसे अधिक हास्यास्पद कानूनी प्रावधान हिन्दु अल्पव्यस्कता और संरक्षकता अधिनियम , 1956 की धारा–6 है। उपधारा– (C) में उल्लेख है कि '' अविवाहित बेटी का प्राकृतिक संरक्षक पिता और पिता के बाद प्राकृतिक संरक्षक माता होगी '' उपधारा (C) में कहा गया है कि ''विवाहित लड़की के मामले में प्राकृतिक संरक्षक उसका पति होगा।

बहुपत्नी विवाह :

जीवन अनेक भूमिकाओं का एक संयोग है जिन्हें विविध संस्थाओं के परिवेश में निभाना होता है। एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। हिन्दु समाज के उच्चवर्गो में विशेषकर बंगाल के कुलीनों में बहुपत्नी विवाह की कुप्रथा प्रचलित थी। मुसलमानों में आज भी बहुपत्नी की विवाह प्रचलित हैं।

'अपस्तम्ब' धर्म सूत्र के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी प्रथम विवाह दस वर्ष के बाद पुनः विवाह कर सकता था यदि उसकी पत्नी बांझ हो या वह 13 या 15 वर्ष बाद पुनः विवाह कर सकता था यदि केवल उसकी पुत्री हो और पुत्र की कामना से भी विवाह कर सकता था। मनु '' पुरूष अपनी प्रथम पत्नी को अधिकार से हटा सकता है यदि वह 8 वर्ष तक बांझ रही हो या उसके द्वारा जन्में बच्चे जीवित न रहते हो या केवल पुत्रियों को ही जन्म दिया हो या पत्नी झगड़ालू या कठोर हो।'' महाभारत में कहा गया है , ''जो व्यक्ति अकारण ही दो बार विवाह करता है वह ऐसा पाप करता है कि जिसका कोई प्रायश्चित नही है।

नन्दा (Nanda) '' जो व्यक्ति दो बार विवाह करता है उसे साक्ष्य के लिए स्वीकार नही करना चाहिये। दफ्तरी (वहीः 158) ने कहा है कि निःसन्देह एक व्यक्ति एक अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता था फिर भी एक विवाह ही प्रचलित था। आजकल बहुपत्नी विवाह वैधानिक रूप से निषेधित है बम्बई में 1946 में मद्रास में 1949 में और सौराष्ट्र में 1950 में इस संदर्भ में विधान पारित एवं लागू किये गये और दण्ड का प्रावधान किया गया। 1955 में सभी विधान रद्द कर दिये गये जबकि केन्द्रीय सरकार

ने हिन्दु विवाह अधिनियम पारित किया। आजकल ,वैधानिक प्रतिबन्धों के अतिरिक्त भी लोग बहुपत्नी विवाह को नही अपनाते।

हिन्दू विवाह निर्योग्यता निवारक अधिनियम 1946 :

हिन्दुओं में कोई भी विवाह यदि निषेधों की सीमा में आपस में सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच हुआ है तो वैध नही है जब तक ऐसा विवाह रिवाजों द्वारा मान्यता प्राप्त न हो । इस अधिनियम के अन्तर्गत एक ही गोत्र और प्रवर के व्यक्तियों के बीच विवाह वैध करार दिया गया। हिन्दु विवाह अधिनियम 1953 के पारित होने के बाद यह अधिनियम निरस्त हो गया है।

हिन्दु विवाह वैधता अधिनियम-1949 :

1940 तक हिन्दुओं के प्रतिलोम विवाह अवैध और अनुलोम विवाह अनुमन्य था यद्यपि इस प्रकार के विवाहों की वैधता के विरूद्ध न्यायिक निर्णय थे। 1949 के अधिनियम में वे सभी विवाह वैध घोषित कर दिये गये जो भिन्न जातियों, धर्मो, उपजातियों एवं विश्वासों के लोगों के बीच सम्पन्न हुये थें। लेकिन एक हिन्दु व मुसलमान के बीच विवाह को वैध नही माना गया 1955 के अधिनियम के बाद यह नियम भी निरस्त हो गया है।

हिन्दु विवाह अधिनियम-1955

यह अधिनियम 18 मई, 1955 से प्रभावी हुआ और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है। इस अधिनियम में ''हिन्दु'' शब्द में जैन, बौद्ध,सिख और अनुसूचित जातियां सम्मिलित हैं।

किन्ही दो हिन्दुओं के बीच इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्ते प्रदान की गयी हैं।

1. किसी भी पक्ष के पास जीवित पति या पत्नी नहीं है।
2. कोई भी पक्ष पागल या मूर्ख नही है।
3. वर की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष पूरी होनी चाहिये। 1978 के संशोधन के अनुसार लड़के की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष कर दी गयी है।

4. दम्पत्तियों में से कोई भी निषिद्ध सम्बन्धों के स्तर के निकट का नही होना चाहिये जब तक कि रिवाज उन्हें विवाह की अनुमति न दे।

5. दोनों में से कोई भी सपिण्ड नहीं होना चाहिये जब तक रिवाज अनुमति न दे।

6. जहाँ बधू 18 से कम और वर 21 से कम आयु का हो उनके विवाह में उनके माता–पिता या संरक्षक की सहमति आवश्यक है। जिन लोगों की सहमति लेना आवश्यक है उनका वरीयताक्रम है, पिता, माता, दादा, दादी , भाई, चाचा, नाना, नानी और मामा।

अधिनियम के विवाह सम्पन्न करने के लिए किसी विशेष स्वरूप का प्राविधान नहीं है सम्बद्ध पक्षों की स्वतंत्रता है कि वे प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार विवाह सम्पन्न करें।

अधिनियम न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह निरस्त करने की प्रक्रिया की अनुमति देता है। कोई भी पक्ष चार आधारों पर न्यायिक पृथक्करण ले सकता है। दो वर्ष तक निरन्तर त्याग, निर्दयी व्यवहार, कोढ़ व्यभिचार।

विवाह को निम्नलिखित चार आधारों पर निरस्त किया जा सकता है।

1. विवाह के समय विवाहित स्त्री का या पुरूष नपुसंक रहा हो तथा कार्यवाही होने तक भी नपुसंक स्थिति जारी रहे।

2. विवाह के समय दोनों में से एक पागल या मूर्ख रहा हो।

3. माता–पिता या संरक्षक की सहमति बलात ली गयी हो या धोखे से ली गयी हो।

4. विवाह के समय पत्नी पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से गर्भ धारण कर चुकी हो।

विवाह विच्छेद व्यभिचार, धर्म परिवर्तन, अस्वस्थ्य मस्तिष्क कोढ़ बेनीरल बीमारी (Veneral) सन्यास, सात वर्ष तक परित्याग तथा न्यायिक पृथक्करण के बाद दो वर्ष तक समागम न किया जाना आदि, आधारों पर हो सकता है। पत्नी भी तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है यदि उसका पति विवाह से पहले भी एक पत्नी रखता हो और वह बलात्कार या पशुता का दोषी हो।

सन् 1986 का संशोधन परस्पर सहमति तथा असंगत्ता के आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति देता है। न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र तभी दिया जा सकता है जब कि विवाह के बाद तीन वर्ष पूरे हो चुके हो। 1986 के संशोधन के बाद यह अवधि दो वर्ष कर दी गयी है। विवाह विच्छेदित पक्ष पुनर्विवाह नहीं कर सकते जब तक कि विच्छेद की डिक्री (आदेश) को एक वर्ष समाप्त न हो । अधिनियम में पृथक्करण के बाद गुजारा भत्ता तथा विच्छेद के बाद निर्वाह व्यय का प्राविधान है, न केवल पत्नी बल्कि पति भी गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकता है।

विशेष विवाह अधिनियम- (1954) यह अधिनियम 1 अप्रैल 1955 को प्रभावी हुआ। यह अधिनियम के पश्चात 1872 का विशेष विवाह अधिनियम निरस्त हो गया जो उन व्यक्तियों को, जो वर्तमान स्वरूपों का पालन नहीं करना चाहते थे, एक नया स्वरूप दिया। 1872 के अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान था कि जो व्यक्ति विवाह के इच्छुक होते थे उन्हें घोषणा करनी होती थी कि वे जैन, बौद्ध, सिख ,मुस्लिम, पारसी, ईसाई या हिन्दू किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। 1923 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत जो व्यक्ति विवाह का इच्छुक हो उसे ऐसी कोई भी घोषणा नही करनी होती थी। प्रत्येक पक्ष को केवल इतनी ही घोषणा करनी होती थी कि वह किस धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा अर्न्तजातीय विवाह को मान्यता प्राप्त हो गयी ।

आयु, जीवित पत्नी, निषिद्ध सम्बन्ध और मानसिक दशा आदि शर्ते 1955 के अधिनियम में भी वैसी ही है जैसे कि 1954 के अधिनियम में दी गयी थी। 1954 के अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अफसर द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। दोनो पक्षों को कम से कम विवाह से एक माह पूर्व सूचना देनी होती है। दोनो पक्षों में से एक के लिए उस विवाह अफसर के कार्यालय के जिले का निवासी होना आवश्यक है। एक माह की अवधि के भीतर कोई भी उनके विरूद्ध आपत्ति उठा सकता है। यदि सूचना के तीन माह की अवधि के बीच विवाह सम्पन्न नही होता है तो फिर एक सूचना की आवश्यकता होगी। विवाह के समय दो साक्षियों की आवश्यकता होती है।

तथा निर्वाह व्यय आदि का भी प्रावधान है। इनके आधार वही हैं, जो हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में दिये गये है।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम– 1856

स्मृति काल के बाद से आगे तक विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नही थी। मनु के अनुसार " एक विधवा जो पुनर्विवाह करती है स्वयं को अपमानित करती है, अतः उसे अपने स्वामी के स्थान से बाहर निकल जाना चाहिये।" 1856 के अधिनियम ने हिन्दू विधवाओं के विवाह में जाने वाली सभी कानूनी अड़चनों को दूर किया। उद्देश्य था जन कल्याण तथा उच्च आदर्शो को प्रोत्साहन देना। यह अधिनियम घोषित करता है कि ऐसी विधवा जिसका पति उसके दूसरे विवाह के समय से ही स्वर्गवासी हो गया हो,का पुनर्विवाह वैध है और ऐसे विवाह की कोई भी संतान अवैधानिक नहीं होगी। ऐसे मामलो में जहाँ पुनर्विवाह करने वाली विधवा अल्पव्यस्क है, उसके माता–पिता, सगे सम्बन्धियों ,भाई की सहमति आवश्यक है। सहमति के अभाव में कोई भी किया गया विवाह निष्प्रभावी होगा। अधिनियम विधवा के प्रथम पति की सम्पत्ति में से निर्वाह अधिकार प्राप्त करने से वंचित करता है।

दहेज :

दहेज समस्या का मूल्यांकन आज केवल इसलिए महत्वपूर्ण व सामयिक नही है क्योंकि नव–वधुओ को जलाने के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है बल्कि इसलिए भी कि बड़ी संख्या में लड़कियां विवाह की आयु पार करने के उपरान्त भी माता–पिता द्वारा दहेज न देने में असमर्थ होने के कारण अविवाहित रह जाती है। दीर्घ समय तक कुवारेपन की समस्या उत्पन्न होती है जिनके अपने ही समाज शास्त्रीय परिणाम होते हैं।

सामान्य रूप से दहेज वह सम्पत्ति है जो पुरूष पक्ष कन्या पक्ष से स्वेच्छा से प्राप्त करता है परन्तु वर्तमान समय में धीरे–धीरे इसनें एक भयावह रूप धारण कर पूरे समाज में अपनी जड़े फैला ली हैं।

यह कुप्रथा भारतीय समाज के माथे का कलंक बन गयी है जिस कारण से

हमारे समाज को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष नारी के सम्मान को प्रभावित करता है यह निर्दोष मासूम जीवन को अभिशापित कर विकास को बाधित कर रहा है और तेजी से बेमेल विवाह को प्रोत्साहित कर रहा है। दिनोदिन दहेज की समस्या समाज में बढ़ावा दे समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना को चोट पहुँचा रही है। दहेज प्रथा के उन्मूलन में समाज और शासन दोनों का ही प्रयत्न करना चाहिये।

मैक्स रोडिन ने दहेज की परिभाषा इस प्रकार दी। "वह सम्पत्ति जो व्यक्ति विवाह के समय अपनी पत्नी व रिश्तेदारों से प्राप्त करता है।"

ब्रिटैनिका विश्वकोष (Encyclopedea of Britannica) में दी गयी है जिसके अनुसार दहेज " वह सम्पत्ति है जो एक स्त्री को उसके विवाह के समय दी जाती है।"

युगों में दहेज का चलन था जिसमें राजा महाराजा एवं कुलीन परिवारों के लोग विवाह के समय वर को उपहार दिये जाते थे और विवाह में दिया जाने वाला उपहार पिता की इच्छा पर आधारित होती थी।

मध्यकाल में अपरिपक्व अवस्था जगदीश चन्द्र जैन (Like in anieul India 1951) के संदर्भ में कहा है। बौद्ध काल में दहेज का प्रचलन था। मुस्लिम काल, राजपूताना काल में भी है लेकिन मध्य युग में दहेज प्रथा में भयानक रूप धारण कर लिया था। ब्रिट्रिश काल में द्रव्यीकरण तथा व्यवस्थित खण्ड , जैसे तथ्यों को खुली छूट दे दी।

एक लेखक (princep Qualid by m.n. Srinivas,1989:103) के अनुसार लोग जिनके पास कलकत्ता विश्वविधालय की स्नातक डिग्री होती थी (1951) में 10,000 रू0 तक दहेज में लेते थे।

एम0एन0 श्रीनिवास ने बीसवीं शताब्दी के मध्य में धनी व उच्च वर्गीय लोग वांछित वर प्राप्त करने के उद्देश्य से दहेज के रूप में बड़ी रकम दिया करते थे (वही: 14)

आधुनिक समाज में अब यह बहुत ही बुराई बन गयी है।दक्षिण भारत की कुछ जातियों में " वधूमूल्य " का जो प्रचलन था वह भी अब दहेज के रूप में बदल गया है"

वधू मूल्य का उद्देश्य लड़की के माता पिता के नुकसान की पूर्ति करता था जो उन्हें उसके विवाह के कारण उठाना पड़ता था। वधू मूल्य चुकाने वाले समूह या तो गरीब होते है या निम्न जाति के या फिर उच्च जातियों के गरीब तबके के लोग होते हैं दहेज की अपेक्षा'' वधूमूल्य की राशि बहुत कम होती है। उदाहरणार्थ एम0एन0 श्रीनिवास (1989:106) ने कर्नाटक में श्री बेगोपाटन के ओक्कलिगाओ के सन्दर्भ में कहा है।

सन् 1974 में महिलाओं की स्थिति पर बनी समिति ने इंगित किया है स्त्रियां की उत्पादन क्रियाओं से प्रत्याहरण तथा उनके उत्पादन निपुणता के कम होने का परिणाम है।

दहेज प्रथा में बढ़ाने वाले तत्व है उच्च तथा धनवान परिवार में विवाह की इच्छा, सामाजिक प्रथा, जाति का दबाव, अनुलोम विवाह, सामाजिक स्तर का भ्रामक विचार, उपचक्र ऐसे कारण है जो दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं।

दहेज की समाज शास्त्रीय आशय कुछ लोगों में दहेज के प्रति द्विविधात्मक धारणा हो सकती है, दहेज में अत्याधिक बुराईयों को जन्म दिया था। इसमें आर्थिक तंगी अनैतिकता है जिससे मनोवैज्ञानिक सकंट उत्पन्न हुआ जिससे भावात्मक आघात लगातार बढ़ता जा रहा है और स्त्रियों की स्थिति निम्नता की ओर बढ़ रही है और माँ–बाप बाल विवाह की ओर उन्मुख हो रहे हैं दहेज प्रथा में दिनो–दिन बढ़ रही हत्या व आत्म हत्या होती है। आंकाक्षाओं के अनुरूप दहेज न मिलने पर समूचे भारत में दहेज हत्या बढ़ती जा रही है।

उच्च वर्ग की अपेक्षा मध्यवर्ग इसकी चपेट में है दहेज के कारण जिनकी लड़कियों की हत्या होती है अगर परिपक्व अवस्था साहसी और दृढ़ विश्वास हो तो विरोध कर सकता है।

सत्ताधारी सास व असहयोगी पति वाले घरों में अत्याचार की दर अधिक होती है।पीड़ित लड़की के जनन परिवार के सदस्यों के सामाजिक समायोजन की अस्तव्यस्त प्रतिमान बढ़ाता दहेज मामले में अपराधी क्रूर और निरंकुश होते हैं आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में दहेज विरोधी विधान पारित हुये। केन्द्रीय स्तर पर दहेज

निषेध विधेयक 27, 1959 को तत्कालीन विधि मंत्री श्री ए0के0सेन द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया किन्तु राज्य सभा द्वारा दो बार अस्वीकार कर दिया गया तब दोनो सदनों ने संयुक्त कमेटी को सौंपा गया इसके सुझावों का आखिर 20 मई 1961 को यह अधिनियम पारित हो गया इसके अन्तर्गत आभूषणों, वस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं के रूप में दहेज दिये जाने की अनुमति का प्रावधान है जिसका मूल्य 2000 रू0 से अधिक न हो मुसलमानों को छोड़कर सभी पर यह प्रावधान लागू होते हैं इसका उल्लघंन करने पर 6 माह का कारावास 5000 रू0 अर्थदण्ड है। 1984 में और फिर जून 1986 में संशोधन किया गया और अधिक कठोर बनाया। दहेज के विरूद्ध अपराध तब गैर जमानतीय अयोगिक है तथा निर्दोषिता का प्रमाण अभियुक्त को ही देना होता है।

गुजारा भत्ता :

भरण पोषण का अधिकार वैधानिक व सामाजिक रूप से दोनों रूप में है। भरण पोषण अधिनियमः 1956 धारा–18 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हिन्दु विवाह अधिनियम के अनतर्गत पत्नी भरण पोषण की अधिकारी है।

नि0लि0 अवस्था पर वह कानूनी और सामाजिक रूप से भरण पोषण की हकदार होगी।

यदि उसका पति अभित्यधन अर्थात् मुक्तिमुक्त कारण के बिना और उसकी सम्पत्ति के बिना या उसकी इच्छा के विरूद्ध परित्याग करने या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है जिससे उसके मन में अशंका पैदा हो जाये कि पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा। यदि पति उग्र कुष्ठ से पीड़ित है। यदि पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है।

यदि पति उसी घर में जिस घर में उसकी पत्नी रहती है । कोई उपपत्नी रखता है या किसी अन्य स्थान में उपपत्नी के साथ निवास करता है। यदि उसका पति कोई अन्य धर्मो में सम्परिवर्तित होने के कारण हिन्दू नहीं रह जाता है। और यदि पत्नी का प्रथक रहने का कोई न्यायोचित कारण है तो वह हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 की धारा–19 में विधवा भरण पोषण की व्यवस्था की गयी है। कोई हिन्दू पत्नी चाहे वह इस

अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् विवाहित हो अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने श्वसुर से भरण पोषण की हकदार होगी। अपने पति या माता पिता की सम्पदा से या अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो या उसकी सम्पदा से।

यदि श्वसुर के अपने कब्जे में कि ऐसी सहदायिकी की सम्पत्ति से जिसमें से पुत्रबधु से कोई अंश अभिप्राप्त नहीं हुआ श्वसुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है तो उपधारा–(1) के अधीन किसी बाध्यता का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसी बाध्यता का पुत्र वधु के पुनर्विवाह पर अन्त हो जायेगा। इस अधिनियम की धारा–(20) में अपव्यों और वृद्धों के भरण पोषण की व्यवस्था है। कोई भी हिन्दु अपने जीवनकाल में अपने धर्मज या अधर्मज अपव्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। जब कोई धर्मज या अधर्मज अपव्य अप्राप्तवय रहे वह अपने माता पिता से भरण पोषण के लिए दावा कर सकेगा। किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या शिथिलांगों जनकों का या किसी पुत्री का जो विवाहिता हो भरण पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक कि जनक या अविवाहिता पुत्री, यथास्थिति स्वयं अपने अपधिकों या अन्य सम्पत्ति से से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत सौतेली माता की व्यवस्था है।

अधिनियम की धारा–22 में आश्रितों की व्यवस्था की गयी है आश्रितों से तात्पर्य माता–पिता एवं विधवाओं से है। अधिनियम की धारा–22 की उपधारा(1) (2) में आश्रितों के भरण पोषण की व्यवस्था है। धारा– (23) में भरण पोषण की रकम स्थिति के अनुसार दावेदार किसी अन्य जगह निवास करता हो भरण पोषण हकदार की संख्या को ध्यान में रखकर धारा–(24) में भरण पोषण के दावेदार हिन्दू होना चाहिये। (25) में परिस्थितियों में तब्दील होने पर भरण पोषण की रकम में परिवर्तन किया जा सकेगा। (26) में ऋणों की पूर्विकता की व्यवस्था है धारा (27) में भरण पोषण कब भार होगा का विवरण है धारा (28) में भरण पोषण के अधिकार पर सम्पत्ति के अन्तरण का प्रभाव है।

विवाह विच्छेद :

परम्परागत हिन्दू समाज में जब विवाह एक धार्मिक कृत्य समझा जाता था, आज कल यह धर्म निरपेक्ष होता जा रहा है। विवाह को मतैक्य सम्बन्धी मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सन् 1950 के दशक के मध्य तक हिन्दू विधान में तलाक की अनुमति नही थी, यद्यपि कुछ व्यक्तियों ने स्थानीय रिवाजों के अनुसार कुछ धनराशि देकर विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती थी। यह राशि जिसे झगड़ा कहा जाता था और जो जाति के बुजुर्गो द्वारा तय की जाती थी, पति को दी जाती थी, चार दशक पूर्व हमारे देश के विधि निर्माताओं ने हिन्दू समाज को अशिक्षित व कठोर स्थिति से आधुनिक विचारधारा की ओर मोड़ दिया और विवाह अब 'पवित्र धार्मिक संस्कार ' से पारस्परिक सहमति से विवाह–विच्छेद में बदल गया है। विवाह–विच्छेद हिन्दुओं में एक अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग होता था।

विवाह के ढांचे में दो तरह से दरार उत्पन्न होती है पहला परित्याग और दूसरा विवाह विच्छेद। परित्याग चाहे स्थाई हो या अस्थाई, अवैधानिक व अनाधिकारिक होता है पति या पत्नी का घर छोड़ना एक गैर जिम्मेदारी का कार्य है क्योंकि परिवार भटकने की स्थिति में छोड़ दिया जाता है। जबकि विवाह–विच्छेद वैधानिक रूप से वैवाहिक बन्धनों को तोड़ता है। तथा यद्यपि विवाह की अंतिम समाप्ति है। परित्याग आमतौर पर उच्च सामाजिक व आर्थिक वर्गो की अपेक्षा निम्न जातियों और वर्गो में अधिक प्रचलित है। अधिकतर पति ही अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं विवाह–विच्छेद सदैव एक दुखद स्थिति है, क्योंकि अस्वीकृत साथी अपमानित, तिरष्कृत व पीड़ित अनुभव करता है, किन्तु परित्याग के सामाजिक दुष्यपरिणाम अधिक दुखदायी एवं अव्यावहारिक होते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व भावनात्मक आघातों का सामना करना पड़ता है। भवानात्मक आधार पर उसे सदैव यही अनुभव होता है कि उसकें पति द्वारा उसे तिरस्कृत रूप से अस्वीकार किया गया है तथा बेकार की वस्तु समझकर फेंक दिया गया है। सामाजिक दृष्टि से उसे इस तरह दुख भोगना पड़ता है कि उसे यह निश्चित रूप से पता नही रहता कि उसका पति वापस

आयेगा या नहीं और बच्चों को वह अपने पिता की अनुपस्थिति के बारे में क्या बताये। आर्थिक द्रष्टि से जो महिला को आघात लगता है वह आर्थिक संसाधनों की कमी, जिससे उसे अपने और बच्चों के भरण पोषण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परित्याक्ता महिला स्वयं को न तो विवाहिता की श्रेणी में रख पाती है (क्योंकि उसे न तो संरक्षक का और न आर्थिक समर्थन का वैवाहिक अधिकार प्राप्त है। और न विधवा क्योंकि उसका पति अभी जीवित है और न तलाकशुदा क्योंकि वह पुनः विवाह नही कर सकती)। विवाह विच्छेद आंशिक भी हो सकता है पूर्ण भी। आंशिक विवाह –विच्छेद को ''न्यायिक पृथक्करण'' कहा जाता है। यह विवाह को समाप्त नही करता जिस कारण पति या पत्नी तब तक पुनः विवाह नही कर सके जब तक केस अंतिम रूप से निर्णीत न किया जाये पूर्ण विवाह –विच्छेद वैवाहिक सम्बन्धों को वैधानिक रूप से सम्मति है। यह दोनो साथियों को एक अकेले अविवाहित व्यक्ति की प्रस्थिति प्रदान करता है।[31]

पूर्वकालीन भारत के धर्मशास्त्रों में विवाह–विच्छेद का खण्डन मिलता है, किन्तु कौटिल्य ने चार अधार्मिक विवाहों (असुर, गन्धर्व, पैशाव तथा राक्षस) में विच्छेद की आज्ञा दी है। कौटिल्य के अनुसार एक महिला के लिए विवाह–विच्छेद तब मान्य है जबकि उसका पति दुश्चरित्र हो, उसका ठौर–ठिकाना ज्ञात न हो, रिश्तेदारों के पति विश्वासघती है, पत्नी के जीवन को खतरा पहुँच रहा है, जाति नियमों का उल्लघंन किया हो , या नपुंसक हो। परन्तु इस (अधार्मिक) विवाहों में भी वैवाहिक सम्बन्धों को तोड़ने के लिए पारस्परिक अनुमति आवश्यक थी । कौटिलय के अनुसार एक पत्नी के दिल मे पति के लिए नफरत होते हुए भी पति की इच्छा के विरूद्ध विवाह समाप्त नही कर सकती थी और न ही पति पत्नी की इच्छा के विरूद्ध विवाह–विच्छेद के समय मिली हुई वस्तुओं पत्नी को लौटानी होती थी। पत्नी को भी अपने पति की सम्पत्ति में हिस्से से वंचित होना पड़ता था। चूँकि लगभग सभी विवाह ''ब्राह्म'' प्रकार होते थे अर्थात् धार्मिक विवाह थे यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में विवाह–विच्छेद की प्रथा नही थी।

विवाह–विच्छेद से सम्बद्ध सर्वप्रथम विधान हिन्दुओं के लिए कोल्हापुर राज्य

---

(31) आहूजा राम–सामाजिक व्यवस्था, पेज –154–156

में 1920 में ईसाइयों के हित के लिए 1869 में भारतीय तलाक अधिनियम के नाम से, तथा पारसी विवाह–विच्छेद अधिनियम 1936, के नाम से तथा पारसी विवाह विच्छेद अधिनियम 1936, में लागू किया गया। तत्पश्चात 1942 में बड़ौदा राज्य ने, 1947 में बम्बई राज्य ने तथा 1949 में मद्रास राज्य ने भी इसी क्रम में विधान बनाये। बडौदा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत जिन कारकों से विवाह–विच्छेद का प्रावधान किया गया वे थे, धर्म परिवर्तन, सात वर्ष से अधिक अवधि तक परित्याग, द्विविवाह, अत्याचार, मद्यपान, यह व्यक्ति गमन आदि। बम्बई प्रान्त में हिन्दू विवाह विच्छेद अथवा न्यायिक पृथक्करण की अनुमति प्रदान की गयी। नंपुसक होना, सात वर्ष से अधिक पागलपन, कम से कम सात वर्ष तक कोढ़ से पीड़ित होना, चार वर्ष तक लगातार परित्याग तथा दूसरा पति या पत्नी होना बाम्बे अधिनियम के पारित एवं प्रभावित होने के पांच वर्ष के भीतर ही बम्बई के विभिन्न न्यायालयों मे 5,500 प्रार्थना पत्र विवाह–विच्छेद हेतु प्रस्तुत किये गये, जिनमें से 60 प्रतिशत प्रार्थना पत्र मांत्र महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका आधार द्विविवाह था। समस्त भारत के लिए 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा सन् 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट 1955 पारित किया गया। यह अधिनियम हिन्दू, सिख, जैन व बौद्ध लोगों को विवाह–विच्छेद की अनुमति देते हैं, परन्तु अनुसूचित जनजातियों पर यह अधिनियम लागू नही होता। लेकिन पश्चिमी समाज के विपरीत भारतीय समाज में विवाह–विच्छेद को आज भी हतोत्साहित किया जाता है, और केवल उन्हीं प्रकरणों में इसकी अनुमति दी जाती है जहाँ परम कठोर परिस्थितयों के कारण इसे सर्वथा आवश्यक माना जाता है या जहाँ एक जीवन साथी का दूसरे के साथ रहना असम्भव समझा जाता है। भारत में 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम जिसमें सन् 1976 व 1981 में व्यापक संशोधन किया गया, जिसमें न्यायिक पृथक्करण विवाह विच्छेद, विवाह निरस्त आदि के प्रावधान किया गये हैं विवाह सम्पन्न होने के दो वर्ष पश्चात ही विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जा सकता है। किन्तु प्रारम्भ में दो वर्ष के लिए न्यायिक पृथक्करण ही स्वीकृत किया जाता है ताकि इस अवधि में पति–पत्नी में समझौते की सम्भावना बन सके। अतः न्यायिक पृथक्करण को हम पति पत्नी के इकट्ठे रहने व सोने

के अधिकार से वंचित करना कह सकते हैं । इस अवधि में पति भरण पोषण भत्ता पत्नी को देता रहता है। यदि इन दो वर्षो की अवधि में मेल नही हो पाता तो विवाह–विच्छेद की डिक्री (आदेश) प्रदान कर दी जाती है।

विवाह विच्छेद के आधार निम्न हो सकते हैं महिला या पुरूष द्वारा व्याभिचारी जीवन बिताना, धर्म परिवर्तन, महिला या पुरूष का तीन साल तक पागल रहना, कोढ़ से पीड़ित रहना, गुप्त रोग से पीड़ित रहना, गुप्त रोग से पीड़ित रहना, सात वर्ष तक लापता , द्विविवाह आदि 1976 में संशोधन अन्तर्गत यह अनुमति प्रदान की गयी है कि पति पत्नी परस्पर सहमति से तलाक ले सकते हैं किन्तु उन्हें यह दर्शाना होगा कि वे एक वर्ष से अलग–अलग रह रहे हैं और उनमें मेल सम्भव नही हो सका है। इस प्रकार सम्बन्ध विच्छेदन के बाद दोनो पक्षों में से कोई भी यदि दूसरा विवाह करना चाहे तो तलाक के एक वर्ष उपरान्त कर सकता है। पति पत्नी को अपनी व उसकी आय व सम्पत्ति के आधार पर निर्वाह व्यय देता है।[32]

सहजीवन -

इलाहाबाद उच्च्च न्यायालय की एक खण्डपीठ के न्यायमूर्तियों ने पिछले दिनों एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी पुरूष (विवाहित –अविवाहित) किसी भी महिला (बालिक, अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा) के साथ बिना विवाह किये भी रह सकता है और यह कोई कानूनी अपराध नही है। बिना विवाह किये सहजीवन व्यतीत करने वाले स्त्री पुरूष (उत्तर आधुनिक) इस निर्णय को न्याय की दिशा में नया कदम मान सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पुरूषों के पक्ष में सुनाया गया और एक न्यायिक फैसला नही है ? इससे पूर्व उच्च्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के भी अनेक फैसले उपबंध है। कहना कठिन है कि माननीय न्यायमूर्ति के कानून की भाषा को नई परिभाषा दी है या पितृसत्ता

---

(32) आहूजा राम, वही, पेज 159–160।

के सदियों पुरानी समांती कानूनों को पुरूष वर्ग के हितों में ही पुनः परिभाषित किया है।

(B) गोद लेना-(दत्त ग्रहण और बच्चों का संरक्षक)

प्राचीन समय में धार्मिक विधान में केवल लड़कों को ही गोद लिया जाता था व महिलाओं को संतान गोद लेने का अधिकार नही था। लेकिन हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956 में अविवाहिता, विधवा अथवा तलाक शुदा होने की स्थिति में महिला को दत्त ग्रहण का अधिकार दिया गया है। इसमें गोद लेने व रखने के मामले में महिलाओं को सहमति की भी आवश्यक माना गया है तथा पुत्र एवं पुत्री किसी के भी दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा है। विवाहिता महिला अकेले केवल तभी गोद ले सकती है जबकि उसका पति सन्यासी या पागल हो गया हो। जो भी है इस अधिनियम ने महिलाओं की स्थिति में सुधार अवश्य किया है अब पति विहीन व संतान विहीन अकेली महिलायें अपने नीरस जीवन में सार्थकता का अनुभव कर परिवार के सुख का अनुभव कर सकती हैं।[33]

हिन्दु व्यस्क और संरक्षण अधिनियम, 1956 पिता को लड़कों तथा अविवाहित लड़कियों का प्रथम प्राकृत संरक्षण मानता है व माता को दूसरा स्थान देता है। पहले पिता वसीयत संरक्षक की नियुक्ति करके माता को इस अधिकार से वंचित रख सकता था किन्तु पिता ने अब यह अधिकार खो दिया है। माता के प्राथमिक अधिकार को केवल पांच वर्ष के बच्चों की अभिरक्षा तक ही मान्यता दी गयी है। विशेष परिस्थितियों में पिता के जीवित रहते हुएभी बच्चों में कल्याण के लिए न्यायालय माता को प्राकृत संरक्षकता सौंप सकता है। मुस्लिम कानून में पिता के संरक्षक के अधिकार बहुत व्यापक हैं। पिता की मृत्यु के बाद भी माता को प्राकृतिक संरक्षक नही माना जाता है। अन्य समुदाओं पर संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 लागू होता है जिसके अन्तर्गत पिता के अक्षम हो जाने तक वही संरक्षक होता है और कोई नही बन सकता है। इस प्रकार संरक्षक के

---

(33) मिश्रा सरस्वती, वही, पेज 103–104।

अधिकार महिला व पुरूष में काफी भेदभाव पूर्ण उनमें सुधार करके बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर किसी को भी संरक्षकता सौंप दिये जाने की व्यवसथा होनी चाहिये। बाद में कानून में संशोधन कर जो संरक्षक नही है उसे बच्चों से मिलने का अधिकार दिया गया है तथा 12 वर्षो से अधिक उम्र के बच्चों से स्वयं उनकी इच्छा के बारे में पूंछने की व्यवस्था भी की गयी है। यह एक अच्छा कदम है इससे महिला पूरी तरह बच्चों के समीप सुख से वंचित नही रहती है व बड़े होने के बाद माता व बच्चों में प्रगांढ़ सम्बन्ध बनाने में सहायतता मिलती है।[34]

(C) गर्भपात-

1970 तक गर्भपात को वैधानिक दृष्टि से अपराध माना जाता था। 1971 में चिकित्सा गर्भ समापन अधिनियम पारित किया गया जिसके माध्यम से गर्भवती महिला व गर्भपात शल्यकय दोनो को ही गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी गयी। यह अधिनियम अप्रैल, 1972 से लागू किया गया तथा यह केवल बारह सप्ताह तक के गर्भ के गर्भपात की अनुमति केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर को देता है। गर्भ के केवल इन परिस्थितियों में ही समाप्त करने की अनुमति दी गयी है, यदि गर्भवती महिला के जीवन को जोखिम हो या फिर इस बात का भय हो कि गंभीर हानि की आशंका हो या फिर इस बात का भय हो कि जन्म लेने वाला बच्चा अपंग या शारीरिक व मानसिक असमानताओं के साथ जन्म लेगा। गर्भपात ऐसे मामले में भी स्वीकृति होता है जहाँ का कारण बलात्कार या गर्भ निरोधक विधियों की असफलता रहा हो। इस अधिनियम का उपयोग परिवार नियोजन अपनाने में कम तथा अविवाहित मातृत्व से छुटकारा पाने के लिए अधिक होता है। हांलाकि ऐसी स्थितियों कम ही पैदा होती है फिर भी इस अधिनियम में स्त्रियों के बिगड़ते हुए जीवन को संवारने की संभावनायें बढ़ा दी हैं।

आर्थिक विधान-

वैधानिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए चाहे कितने ही

(34) मिश्रा सरस्वती-. भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति, पेज 102, दिल्ली।

कदम उठाये गये हैं, व्यावहारिक द्रष्टि से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। तथा उनका तिरस्कार,अपमान व प्रताड़ना अभी भी जारी है परन्तु कल की अपेक्षा आज भी स्त्रियों अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है।

आर्थिक अधिकारों के अन्तर्गत निम्न विषयों को सम्मिलित किया गया है।

1—सम्पत्ति का अधिकार

2—समान पारिश्रमिक

3— कार्य करने की दशायें

4—प्रसूति लाभ

5—कार्य सुरक्षा

सम्पत्ति का अधिकार -

स्वतंत्रता पूर्व भारत में हिन्दुओं के बीच उत्तराधिकार की कई प्रणालियां प्रचलित थी जिनमें से अधिकांश में महिलाओं की स्थिति पराक्षित की भी और उनमे स्वत्वाधिकार नही के बराबर थे। जहाँ उनको कुछ अधिकार प्राप्त भी थे तो वे माता जीवन के अधिकार थे, पूर्ण स्वामित्व के नहीं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने कुछ आमूल परिवर्तन किये इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन एक ही श्रेणी (भाई बहिन, पुत्र और पुत्री) के महिला और पुरूष वारिसों के बीच उत्तराधिकार के बराबर अधिकार है। इस पूरे भारत पर लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में महिलाओं के विरासत के अधिकार को मान्यता दी गयी है। लेकिन साथ ही परम्परागत प्रतिरोध के कारण पुत्रों और पुत्रियों के बीच असमानता बनाये रखने वाले कारक मिताक्षर बपौती, को बनाये रखना पड़ा है जिसके अनुसार केवल लड़को को जन्म से ही परिवार की सम्पत्ति में साझीदार सदस्य मान लिया जाता है। जबकि लड़कियों को पिता की मृत्यु के बाद पिता द्वारा अर्जित सम्पत्ति में लड़कों के बराबर सम्पत्ति मिलती है। तथा पिता के बपौती के हिस्से के वारिसों में किये गये हिस्सो में से अपना हिस्सा मिलता है, लड़को को लड़कियों के बराबर सम्पत्ति मिलने के अलावा बपौती में उनका हिस्सा अलग से मिलता है। यह व्यवस्था मिताक्षर प्रणाली के है दाय भाग में नही। यह असमानता दूर करने की

आवश्यकता है। जिसके लिए बपौती प्रथा को खत्म करना पड़ेगा। इसमें दाय प्रथा के समान ही विरासत के अधिकार हर प्रकार की सम्पत्ति में महिलाओं को देना पड़ेगें। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम मे राज्य कानूनों के अन्तर्गत आने वाले कृषि जोतो पर काश्तकारी अधिकारों के हस्तांतरण को अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है और अधिकतर राज्य कानूनों में महिलाओं का नम्बर काफी बाद में आता है, मालिकाना हक के मामले में इंसी प्रकार आवासीय घरों से सम्बन्धित विरासत के अधिकार में भी कानून अविवाहित, विधावा या परित्याक्ता लड़कियों को तो घर में रहने की अनुमति देता है। यह विवाहित लड़की को नही इसभेदभाव को भी खत्म करने की आवश्यकता है। वैसे भी भाई अब तक विभाजन न करना चाहे लड़कियों घर का विभाजन नहीं करवा सकती हैं। इस व्यवस्था के कारण भाई तो हिस्सा देने के भय से कभी विभाजन नही करवायेगें यह संभावना बढ़ गयी है। ये सब तो कानून में कमियों की बात है। कानूनन लड़की को जो सम्पत्ति मिल सकती है वह भी उसे नही दी जाती है, यह व्यवहार में प्रचलित तथ्य है न के बराबर घरो में ही पिता की सम्पत्ति को लड़कों व लड़कियों के बीच समानता के अधिकार के आधार पर बांटा जाता होगा। लड़की के विवाह में दिये गये दहेज का बहाना बनाकर उसे विरासत के अधिकर से वंचित कर दिया जाता है तथा लड़की की भाईयों से अच्छे संबंध बनाये रखने के लिए अपना अधिकार मंगाने की पहल करने की स्थिति में नही होती है। सब मिलाकर स्थिति यह है कि इस कानून से लड़कियों को कोई सम्पत्ति तो नही मिलती पर इतना अवश्य है कि वे भाईयों के यहाँ जाकर दो चार दिन अधिकार पूर्वक रह अवश्य सकती है। मुस्लिम कानून महिलाओं को विरासत अधिकार की मान्यता तो देता है लेकिन एक ही श्रेणी के पुरूष व महिला वारिसों के भेदभाव भी करता है। यथा महिलाओं का हिस्सा पुरूष के हिस्से से आधा होता है। ईसाइयों पर केरल में 1916 मे पास किये गये उत्तराधिकार अधिनियम लागू होते हैं इनमें भी अचल सम्पत्ति की विरासत में प्राप्त करने वाली महिलाओं को केवल जीवन यापन का अधिकार दिया जाता है जो उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह से खत्म हो जाता है। जिन मामलों में लड़की के हकदार माना जाता है वहां उसे बहुत कम हिस्सा मिलता है। इस प्रकार हम देखते है

कि लड़कियों के सम्पत्ति पर अधिकार को प्रायः व्यवहार में नही लाया जाता है और जहाँ लाया भी जाता है तो बहुत थोड़ा हिस्सा देकर उसे बहला दिया जाता है।[35]

समान परिश्रमिक-

पहले महिलाओं के लिए अलग तरह के कार्य निश्चित करके उनको कम वेतन दिया जाता था और समान कार्यो में भी यदि महिलाओं को लगाने की आवश्यकता होती थी तो उन्हें पुरूषों से कम वेतन दिया जाता था। उसका कारण यह बतलाया जाता रहा है कि महिलाओं का योगदान, उनमें शक्ति व कार्य क्षमता कम होने के कारण कम होता है। उनका ध्यान घर व बच्चों में लगे रहने के कारण वे कार्य को एकाग्र चित होकर नही कर पाती है व उनके बीच अनुपस्थिति व काम छोड़ने की प्रवृत्ति बहुत होती है। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 महिला तथा पुरूषों श्रमिकों की समान कार्य या समान स्वरूप के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक और रोजगार के मामले में महिलाओं के साथ किसी प्रकार के भेदभाव के विरूद्ध व्यवस्था करता है। अधिनियम के उपबंध सभी प्रकार के रोजगारों पर लागू किये गये हैं सरकारी प्रतिष्ठानों तथा बड़े पैमाने के निजी प्रतिष्ठानों में इस नियम का पालन पूरी तरह से किया जाता है किन्तु मध्यम व छोटे पैमाने के निजी क्षेत्र में अभी भी इससे बचने के बहुत प्रयत्न किये जाते हैं और महिलाओ के साथ रोजगार व वेतन दोनो के विषय में पुरूषों से भेदभाव किया जाता है।

कार्य करने की दशायें-

कार्य अवधि में कार्य दशाओं का नियंत्रण फैक्ट्री अधिनियम, 1948 से होता है फिर कार्य घंटे, साप्ताहिक विश्राम, सफाई के स्तर, प्रवास व्यवस्था, तापमान, मशीनों की सीमा बंदी, प्राथमिक उपचार की सुविधा, विश्राम गृह आदि प्राविधानों के अतिरिक्त इस विधान में बच्चों के शिशु गृह स्थापित करने की तथा महिलाओं के लिए पृथक से प्रसाधन स्थापित करने का प्रावधान है। महिलाओं के लिए एक दिन में अधिकतम नौ घंटे तथा रात्रि में 10 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच कोई भी कार्य न करने देने का प्रावधान भी इस कानूनं में है।

---

(35) मिश्रा सरस्वती– वही, पेज 101–102।

मातृत्व संरक्षण-

(प्रसूति लाभ) एक महिला के जीवन में गर्भावस्था व प्रसूति ऐसी अवस्था है जबकि उसे पर्याप्त देखरेख आराम व सुविधा की आवश्यकता होती है। यह माता और संतान दोनो के हित में आवश्यक है। उद्योगपति पहले तो महिलाओं को काम पर रखना ही नही चाहते थे और यदि रखते भी थे तो गर्भ धारण करने की स्थिति में उन्हें काम से निकाल देते थे क्योंकि वे अच्छी तरह काम नही कर पाती थी। तथा प्रसूति के लिए वे छोटे बच्चे के पालन के लिए अनुपस्थित रहती थी। इस प्रकार की असुरक्षा महिला श्रमिकों को बहुत कठिनाईयों में डाल देती थी। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रसूति के समय 12 सप्ताह की पूरी मजदूरी के साथ छुट्‌टी दी जाये। गर्भपात या अपरिपक्व तथा मृत बच्चे के जन्म के समय भी आवश्यकतानुसार वेतन सहित छुट्‌टी देना आवश्यक है। यदि प्रसूति शल्य चिकित्सा द्वारा हुई है तो आवश्यकतानुसार अधिक छुट्‌टी ली जा सकती है पर वेतन कम होता चला जायेगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में चिकित्सा की भी व्यवस्था की गयी है।

राजनैतिक संरक्षण-

किसी भी देश में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति देश की राजनैतिक दशाओं एवं विद्यमान राजनैतिक प्रणाली पर निर्भर करती है। प्राचीन भारत में राजनैतिक प्रणाली प्रजातंत्र पर आधारित थी। राजतंत्र व्यवस्था राजा पर आधारित व्यवस्था है। रामायण और महाभारत के काल में राजतंत्र वह व्यवस्थाथी जिसमें राजा का मुख्य प्रयोजन राज्य या रंजन ही माना जाता था। शांति पर्व में राजा के संदर्भ में लिखा गया है कि " उस महात्मा ने धर्म पूर्वक लोभ का शासन किया, उसने सब प्रजा का रंजन किया इसी कारण वह राजा कहा जाता है। अर्थात् राजा के हांथ में सर्वोच्च सत्ता थी उस समय विधान सभा राजनैतिक दल कूटनीतिज्ञ सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि नही थे। ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को मताधिकार या चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता का प्रश्न ही नही उठता था। महिलाओं को सभाओं में प्रवेश की अनुमत नही थी। क्योंकि इन स्थानों का प्रयोग राजनीतिक विचार विमर्श के अलावा जुआं तथा मद्यपान आदि के लिए किया जाता

है। कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जबकि महिलायें अपने पति के साथ युद्ध स्थल में जाती थी।

मध्य कालीन भारत में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति में कोई खास बदलाव नही आया परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की राजनीतिक चेतना में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं को दो प्रमुख्य अधिकार हैं–

(1) महिलाओं को मताधिकार

(2) विधान मण्डल

महिला मताधिकार की मांग सर्वप्रथम 1917 में की गयी, किन्तु साउथ बरो फ्रेन्चाइज कमेटी ने 1918 में इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 1919 में सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया कि वे मताधिकार के सम्बन्ध में अलग विधानलागू करें। इस प्रकार के विधान राजकोट में 1923 में ट्रावन्कोर कोचीन में 1924 में , मद्रास व उत्तर प्रदेश में 1925 में, पंजाब व आसाम में 1926 में, तथा बिहार और उड़ीसा में 1929 में पारित किया गया।[36] 1935 के भारत सरकार अधिनियम में शैक्षिक योग्यता के आधार पर महिला मताधिकार प्रदान किया गया। फलस्वरूप 1937 में 56 महिलाओं ने चुनाव के माध्यम से विधान मण्डलों में प्रवेश किया। स्वतंत्रता के बाद महिला मतदाताओं की संख्या तथा राज्य विधान मण्डलों तथा लोक सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी सदी के आखिरी दशक में हुए तेरहवीं लोकसभा के चुनाव में भी संसद तक पहुँचने वाली महिलायें दस प्रतिशत का आंकड़ा पार नही कर पायी। हालांकि इस बार चुनाव जीतने वाली महिलाओं की संख्या में मामूली बढ़ोतरी अवश्य हुई है, लेकिन यह इतनी नही कि उत्साहवर्धक कही जाये। इस बार अब तक चुने गये 537 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 46 है, जो पिछली बार से ज्यादा है। बहरहाल यह संख्या अब तक की सभी लोक सभाओं से ज्यादा है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े इसके लिए कुछ वर्षो से महिला संगठनों द्वारा पैरवी की जाती रही है। सभी राजनीतिक दल भी इस पर अपनी सहमति जताते नही सकुचाते। फिर भी लोकसभा में महिलाओं की

(36) माटसन जॉन– 1971 : 108–110।

संख्या 19 से लेकर 46 के बीच ही झूलती रही है। इससे पहले सबसे ज्यादा महिलायें राजीव गॉधी के समय में जीती थी। सबसे कम यानी 19 महिलायें छठी लोकसभा में रही। 1952 में 22, 1957 में 27, 1962 में 34, 1.67 में 31, 1971 में 22, 1977 में 19, 1980 में 28, 1984 में 44, 1989 में 27, 1991 में 39, 1996 में 39 और 1998 में 43 महिलायें चुनाव जीती। ये आंकड़े यह साबित करते है कि राजनीति में महिलायें अभी पुरूषों से काफी पीछे हैं। यह विडम्बना ही है कि जिस देश में महिला मतदाताओं की तादाद तो कुल आबादी की लगभग आधी हो, लेकिन लोकसभा में उनका दस प्रतिशत प्रतिनिधित्व भी न हो।

इस अध्याय के अन्तर्गत महिलाओं के सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है विवरण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय महिलाओं की विवाह, परिवार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, एवं राजनैतिक मताधिकार आदि के अधिकार प्रदान किये गये।

अध्याय 6

ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना

पूर्ववर्ती अध्याय में प्रतिदर्श की उत्तरदाता महिलाओं के सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों का विश्लेषण किया गया है। सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन के आधार पर पाया गया कि प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी परन्तु धीरे–धीरे उनकी स्थिति निम्न से निम्नतर होती चली गयी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में उन्हें बराबरी का अधिकार प्रदान किया गया तथा उन अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ विधान बनाये गये। प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं में उन विधानों के प्रति संचेतना का स्तर जानने का प्रयत्न किया गया है।

भारतीय संस्कृति का विकास पारिवारिक कबीलों से समुदाय की ओर हुआ है नगरीय सभ्यता में आर्यो का कोई स्थान नही था, जहॉ कहीं भी नगरीय संस्कृति का विकास होता था इन्द्र अनवरत युद्ध करके उसे वहॉ से खत्म कर देता था। इसीलिए इन्द्र का नाम पुरन्दर भी है। इससे स्पष्ट है कि भारत में संस्कृति का विकास भी गॉवों से हुआ है। प्रत्येक गाँव आज भी कर्म के अनुसार और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यरत लोगों का एक संकुल है जिसमें वैद्य, कुशल–कारीगर, यथा–लोहार, कुम्हार, बढ़ई, चर्मकार, श्रमिक एवं कृषक तथा बौद्धिक वर्ग का एक समुच्चय रहा है।

वैदिक काल में महिला प्रधान समाज विकसित था और वंश व गुणों की पहचान माँ से होती थी जिसके परिणाम स्वरूप स्यंवर प्रथा और गन्धर्व विवाहों की उत्पत्ति हुयी यह वह युग था जब प्रत्येक समुदाय में शिक्षक कविराज गुरू एवं वैद्य के रूप में समाज को दिशा बोध देते थे और समाज में गणों का विकास था और प्रजातांत्रिक

रूप से उसी गण में से गणनायक चुने जाते थे जो सुरक्षा, बाह्य, नीतियों, ज्ञान के आदान प्रदान में नेतृत्व करते थे, यद्यपि महिला गणनायकों का कही उल्लेख नही है। परन्तु शास्त्र ज्ञाता, नीति–ज्ञाता व युद्ध कौशल में अनेक महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें महिला और पुरूष की समानता प्रतिध्वनित होती है। बाह्य आक्रमणों से महिलाओं के प्रभावित होने पर धीरे–धीरे कालान्तर में महिलाओं को सुरक्षित रखने की भावना से पर्दा प्रथा, बाल विवाह व घर की चार दीवारी में कैद करने की बाध्यता उत्पन्न हुई और महिलायें शिक्षा से विरत हुई, चूँकि प्रारम्भ से ही असंगठित राज्यों व अन्तर देशीय सीमा विवादों व युद्ध की विजय में महिलाओं को उपहार के रूप मे या विजय चिन्ह के रूप में ले जाने की परम्परा ने महिलाओं की असुरक्षा की भावना को और बढ़ाया जिससे महिलायें घर की चार दीवारी में कैद होने के लिए धीरे–धीरे मानसिकता बनाने लगी अशिक्षा, असुरक्षा व लूट–पाट के भय से महिलाओं को दीर्घ काल से प्राप्त अधिकार उनके हांथ से कब छिटक गये उन्हें बोध ही नही हुआ। ईसा–पूर्व से महिलाओं के धर्म–तन्त्र में उदय व भ्रमण के उदाहरण है परन्तु ईसा के बाद वर्तमान काल गणना में भारतीय समाज अनेकानेक बाह्य आक्रमणों व आक्रान्ताओं से पीड़ित रहा है। स्वतंत्रता आन्दोलन चाहे वो धार्मिक सन्तों या कुछ गिने चुने राज वंशों द्वारा चलाये गये, उनमें महिला शक्ति को पूज्यनीय स्थान पर रखने का आन्दोलन हुआ और 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' परन्तु यह सैद्धान्तिक पक्ष ही रह गया, व्यवहार पक्ष में महिलायें घरेलू काम–काजी उपकरण मात्र रह गयी। इसका प्रभाव इतना गहरा रहा कि आज भी ग्रामीण परिवेश की महिलायें इससे मुक्त नही हो पा रही है और वे त्रिस्तरीय जीवन जी रही है। प्रारम्भ में माता–पिता के अधीन द्वितीय चरण में पति के अधीन और तृतीय चरण में पुत्र के अधीन जीने के लिए बाध्य हैं आज के गाँव इस कथानक के पात्रों के रूप में ही दिखाई देते हैं।

ग्रामीण समुदाय की महिलायें को तीन वर्गो में बाँटा जा सकता है।

1– अशिक्षित एवं घरेलू महिलायें।

2– अल्पशिक्षित कामकाजी महिलायें।

3– शिक्षित एवं सेवारत महिलायें।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अशिक्षित एवं घरेलू महिलायें बड़ी संख्या में गाँवों में परम्परागत रूप से जीवन निर्वाह कर रही है सामाजिक अधिकारों में दलित व कुछ पिछड़े वर्गो की महिलायें विधवा विवाह, अक्षम, असमर्थ, पति के स्थान पर दूसरा पति चुनने व जीवन निर्वाह के लिए स्वतन्त्रता पूर्वक शहरों में ग्रामीण उत्पाद बेचने तथा साग सब्जी, घी, दूध आदि का व्यवसाय करने में संलग्न हैं परन्तु उच्च जाति की महिलायें किसी सामाजिक अधिकार के प्रति सचेत नही है। उपयोग से तो उनका दूर का नाता नही है। पंचायतों आदि में आरक्षण के कारण जो कुछ नाम दिखाई देते हैं वे भी मात्र पति के आदेशों का अनुसरण ही है। इस प्रकार इस संवर्ग में राजनैतिक व सामाजिक अधिकारों की संचेतना लगभग शून्य है, सरकार द्वारा कई स्तरों से इस दिशा में किये गये प्रचार–प्रसार भी निष्प्रभावी ही प्रतीत होते हैं।

द्वितीय वर्ग में अल्पशिक्षित कामकाजी महिलायें आती है जिनका अध्ययन करने से पता चलता है कि सरकार की अनेक ग्रामीण योजनाओं के कारण एवं इस वर्ग की महिलाओं में थोड़ी शिक्षा के कारण उन्हें कुछ स्थान मिले हैं, जिनमें मानदेय ही मिल रहा है। जिससे वे स्वयं परिवार का भरण पोषण करने का पूर्ण सामर्थ्य नही पा सकती और मुक्त रूप से सामाजिक अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग वे नही कर पा रही है परन्तु इस दिशा में उनको ज्ञान अवश्य है और इनके प्रयोग की छटपटाहट उनमें जाग चुकी है।

तृतीय संवर्ग में शिक्षित एवं राजकीय सेवारत महिलाओं के व्यवहार को रखा गया है। इनका जीवन मध्य वर्गीय शहरी महिलाओं की तरह होने के कारण ग्रामीण परिवारों में से पृथक दिखाई देती है। अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग पारिवारिक परिवेश में भले ही न कर सके परन्तु समान में वे उन अधिकारों का प्रयोग करती हैं। निम्न मध्य वर्गीय परिवारों का होने के कारण सामाजिक अधिकारों को आज भी मर्यादा के अनुसार पालन करती हुई दिखाई देती है।

प्रस्तुत अध्ययन में इन्ही तीन वर्गो से सम्बन्धित बड़ोखर खुर्द की 300 महिलाओं का अध्ययन किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं में संचेतना के स्तर को ज्ञात करने हेतु उनसे कुछ प्रश्न किये गये जो निम्न है–

1– क्या आपको मालूम है कि सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार हेतु विभिन्न विधान बनाये गये हैं ?

1.1– यदि हाँ तो किस क्षेत्र में ?

2– लड़के के विवाह की उम्र क्या होनी चाहिये ?

2.1– लड़की के विवाह की उम्र क्या होनी चाहिये ?

3– क्या विवाह के समय लड़की की सहमति लेनी चाहिये ?

4– क्या लड़कियों को जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता है ?

5– आप अपने बच्चों का विवाह किस जाति में करना पसन्द करेगीं ?

6– आप अपने बच्चों का विवाह किस ढंग से करना पसन्द करेगीं ?

7– आप दहेज लेना पसन्द करती है या करेगीं ?

8– आपका विभिन्न प्रथाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण हैं ?

9– आप अपने लड़के एवं लड़की को समान शिक्षा दिलाना चाहती हैं ?

10– आप अपनी लड़की को विवाह से पूर्व आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं ?

11– क्या आप जानती है कि महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार हैं ?

12– क्या महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार है ?

13– घर के कार्यो में आपकी सहमति ली जाती है ?

14– क्या आपका शोषण हो रहा है, यदि हाँ तो किस तरह का ?

15– क्या युवा वर्ग में बढ़ते हुए सह सम्बन्ध उचित हैं ?

16– आपके या आपके पति के किसी अन्य पुरूष अथवा स्त्री के साथ यौन सम्बन्ध है (विवाहेत्तर) ?

17– यदि आपके पति के किसी अन्य महिला से संतान हो तो आप क्या करेगीं ?

18– क्या आप जानती है कि पिता एवं पति की सम्पत्ति में आपका हिसा है?

18.1– क्या आप अपनी सम्पत्ति का प्रयोग करती हैं ?

19– क्या आप जानती है कि महिला–पुरूष पारिश्रमिक में भेद करने पर दण्ड

का प्रावधान है ?

19.1– महिलाओं को कितने घन्टे काम करना चाहिये ?

20– क्या आप मताधिकार का प्रयोग करती हैं ?

20.1– यदि हाँ तो किस आधार पर ?

20.2– पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है ?

20.3– क्या महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिये ?

20.4– क्या आप राजनीति में जाना चाहती हैं ?

ग्रामीण समुदाय की महिलाओं से पहला प्रश्न पूंछा गया क्या आप जानती है कि सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार हेतु विधान बनाये गये हैं ?

इस प्रश्न से सम्बन्धित आंकड़ों को सारणी 6.1 एवं 6.1 (A) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.1

महिलाओं के लिए सरकार द्वारा बनाये गये विधानों के प्रति संचेतना

क्र0सं0	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की सं0	प्रतिशत
1	हॉ	91	30.3
2	नहीं	209	69.7
	योग	300	100

सारणी 6.1 से स्पष्ट है कि कुल 300 ग्रामीण उत्तरदात्रियों में 91 (30.3 प्रतिशत) महिलायें ही विधानों के प्रति सचेत है और 209 (69.7 प्रतिशत) महिलाओं में संचेतना नही है।

महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न विधानों के प्रति संचेतना को सारणी 6.1(A) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.1(A)

विभिन्न विधानों के प्रति संचेतना

क्र0सं0	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की सं0	प्रतिशत
1.	सामाजिक	16	5.3
2.	आर्थिक	15	5
3.	धार्मिक	00	00
4.	राजनैतिक	27	9
5.	सभी	14	4.7
6.	नहीं जानती (निल)	228	76
	योग–	300	100

सारणी 6.1(A) से स्पष्ट है कि कुल 300 ग्रामीण उत्तरदात्रियों में सबसे अधिक राजनैतिक 27 (9 प्रतिशत) महिलाओं विधानों के प्रति जागरूकता है। जबकि धार्मिक विधानों के बारे में ग्रामीण महिलाओं में संचेतना नहीं है जिनका प्रतिशत शून्य है। आर्थिक विधानों से 15 (5 प्रतिशत) महिलाओं में संचेतना है एवं 16 (5.3 प्रतिशत) महिलाओं में सामाजिक अधिकार के प्रति संचेतना है, 14 (4.7प्रतिशत) महिलाये ऐसी हैं जो सभी अर्थात् सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अधिकारों के बारे में जागरूक हैं एवं 228 (76 प्रतिशत) महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति संचेतना नहीं हैं।

ग्रामीण अंचल की महिलाओं में शासन द्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से प्राप्त सामाजिक व विकास की पृष्ठभूमि से उपजे आर्थिक अधिकारों के प्रति संचेतना का यह न्यून प्रतिशत को साक्षात्कार अनुसूची को भरने के दौरान अवलोकन तथा तत्कालीन अनुभव के आधार पर विश्लेषित किया गया है। संचेतना वाली महिलाओं के पारिवारिक परिवेश, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक सम्मान की पृष्ठ भूमि में उनके परिवारों में चार संसाधनों के अवलोकनों के आधार पर विवेचित किया जा सकता है।

1. इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रभाव (टी0वी0, वी0सी0आर0, टेलीफोन आदि)
2. प्रिंट मीडिया का प्रभाव (समाचार पत्र, पत्रिकायें एवं धार्मिक पुस्तकें)
3. भ्रमण का प्रभाव (श्रमिक संगठनों के रूप में एवं कार्य के लिये भ्रमण)

4. विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी प्रयासों का प्रभाव

संचेतना स्तर की 91 महिलाओं में से 20 में संचेतना का इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रभाव मिला। मात्र 5 महिलायें द्वितीय वर्ग की मिली एवं 30 ऐसी महिलायें हैं जो भ्रमण के प्रभाव से जागरूक हैं एवं 36 महिलायें ऐसी हैं जो विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के अनेकानेक कार्यों तथा शैक्षिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, जल शुद्धता सम्बन्धी, मातृशिशु कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों से अनेकानेक जानकारियाँ होने पर संचेतना स्तर का विकास हुआ।

सारिणी 6.1(A) के विश्लेषण से सम्बन्धित 3 बिन्दुओं में महिलाओं को धार्मिक अधिकारों की संचेतना का स्तर शून्य पाया जाना इस तथ्य को उजागर करता है। धार्मिक वृत्ति की महिलायें संस्कारगत व परम्परागत मान्यतायें दृढ़ आस्था व विश्वास रखती हैं। प्रायः सभी का मानना है कि वे अधिकार न ही सरकार दे सकती है और न समाज थोप सकता है। धार्मिक अधिकार सहज रूप से जन्म से अर्जित होता है और मृत्यु तक चलता है.इसलिये शून्य परिणाम प्राप्त होना कोई चौंकाने वाला तथ्य नहीं है। अपितु प्रश्न के प्रति उदासीनता मात्र है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संचेतना के प्रतिदर्श का स्तर लगभग बराबर है। जिससे स्पष्ट होता है जो राजनैतिक रूप से सचेत है वह आर्थिक रूप से सचेत है।

महिलाओं से समाजिक अधिकारों से सम्बन्धित चर यथा विवाह, लड़के एवं लड़की की विवाह की उम्र, विवाह के समय लड़की की सहमति, जीवन साथी के चुनाव, जातीय एवं अर्न्तजातीय विवाह, विवाह के स्वरूप, विभिन्न प्रभाव, दहेज, विवाह–विच्छेद तथा विवाहेत्तर सम्बन्धों आदि से सम्बन्धित प्रश्न पूंछे गये।

गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की महत्वपूर्ण संस्था विवाह है। भारतीय समाज में यदि परिवार एक सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई है तो उसका अस्तित्व द्वारा विवाह द्वारा ही रहता है। विवाह की संस्था सभी समाजों में होती है। जीवन साथी अथवा पति या पत्नी को प्राप्त करने के प्रत्येक समाज में कुछ वैध तौर–तरीके होते हैं। इन तरीकों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप

से संगठित रहने के लिये लड़के और लड़की के विवाह के लिये उनकी उम्र निश्चित की गयी है।

इसके सम्बन्ध में 'पी0एन0 प्रभु' ने कहा है कि हिन्दुओं में लड़की का विवाह तब हो जाना चाहिये जब वह रजस्वला में आ जाय इससे स्पष्ट है कि प्राचीन और मध्यकाल में छोटी आयु में ही विवाह हो जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में बाल–विवाह का प्रचलन बहुत अधिक था राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा ज्योतिर्बा फुले जैसे समाज सुधारकों ने बाल–विवाह का विरोध किया। जिसके परिणाम स्वरूप लड़के एवं लड़की के विवाह की उम्र निश्चित की गयी। इस आयु तक लड़के और लड़कियां स्वयं अपने निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार लड़के की उम्र एवं लड़की की उम्र के सम्बन्ध में पूछे ाये प्रश्नों के उत्तर सारिणी 6.2 में प्रस्तुत है।

सारणी 6.2

लड़के एवं लड़की के विवाह की उम्र के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्र0सं0	मापदण्ड	लड़के की उम्र एवं महिला संचेतना	प्रतिशत	लड़की की उम्र एवं महिला संचेतना	प्रतिशत	योग
1.	15 से कम	10	3.3	75	25	85
2.	15 से 18 तक	110	36.7	174	58	284
3.	18 से 25 तक	166	55.3	49	16.3	215
4.	25 से अधिक	14	4.7	02	0.7	16
	योग	300	100	300	100	600

सारणी 6.2 एवं 6.2(A)के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 15 से कम उम्र में लड़के के विवाह के सम्बन्ध में 3.3 प्रतिशत एवं लड़की के विवाह के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत महिलाओं में सहमति दी एवं 15 से 18 वर्ष में विवाह करने के सम्बन्ध में 36.7 प्रतिशत लड़कों के लिए एवं 58 प्रतिशत ने लड़कियों के विवाह की सही उम्र मानी, 18 से 25 वर्ष

की उम्र में विवाह करने के सम्बन्ध में 55.3 प्रतिशत लड़के की एवं 16.3 प्रतिशत लड़की की उम्र को विवाह के लिए उचित माना, 25 से अधिक उम्र को 4.7 प्रतिशत ने लड़के लिए एवं 0.7 प्रतिशत ने लड़की की उम्र को सही बताया। उक्त विश्लेषण से सरकार की आशा के अनुकूल है क्योंकि शासन के द्वारा अनेक प्रकार के संसाधनों से कम उम्र के विवाहों को हतोत्साहित किया जा रहा है तथा बाल विवाह को अनुचित माना जा रहा है। प्राप्त परिणाम से महिलाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि लड़कों के लिये 18 से 25 वर्ष की आयु उपयुक्त है जिनका प्रतिशत 55.3 है जो बहुमत है और सरकारी निर्धारित आयु 21 वर्ष के अनुरूप है। 25 और 18 का मध्यमान भी 21.5 है। इसी प्रकार लड़कियों के लिये भी 15 से 18 वर्ष की ग्राहता 58 प्रतिशत महिलाओं में पायी गयी जिसका मध्यमान 16.5 हुआ जो शासन द्वारा घोषित आयु 18 वर्ष के निकट है उपरोक्त परिणामों से यह भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तर पर भी 18 वर्ष की आयु को मताधिकार दिया जाना तर्क सम्मत व विवेकपूर्ण निर्णय है।

सारणी 6.3

विवाह के समय लड़की की सहमति एवं महिला संचेतना

क्र0सं0	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	131	43.7
2.	नहीं	169	56.3
	योग	300	100

सारणी 6.3 से स्पष्ट है कि विवाह के समय लड़की की सहमति के पक्ष में 131 (43.7 प्रतिशत) महिलायें हैं एवं विपक्ष में 169(56.3 प्रतिशत) महिलायें शमिल है। जीवन साथी के चुनाव के सम्बन्ध में पूंछे गये प्रश्नों का उत्तर सारणी 6.4 में प्रस्तुत है।

सारणी 6.5

जातीय एवं अर्न्तजातीय विवाह के सम्बन्ध में

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	अपनी जाति	292	97.3
2.	अन्य जाति	08	2.6
	योग	300	100

सारणी 6.5 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 300 उत्तरदात्रियों में 97.3 प्रतिशत महिलायें अपने बच्चे का विवाह अपनी जाति में ही करना चाहती है जबकि 2.6 प्रतिशत अन्य जाति में करने के पक्ष में है। स्पष्ट है कि सामाजिक नियम एवं जातीय कानून के प्रति ग्रामीण महिलाओं में संचेतना अधिक है परन्तु संवैधानिक अधिकार के प्रति उत्तरदात्रियों में संचेतना नहीं है। सजातीय वैवाहिक बन्धन परम्परा की पोषक 97.3 महिलायें इस बात की प्रमाण प्रतीत होती हैं कि विवाह संस्कार के प्रति प्रचलित सामाजिक मान्यता से वे मुक्त नहीं है। सजातीय विवाहों की श्रेष्ठता उन पर स्थापित है परन्तु विजातीय विवाहों के प्रति उन पर अधिक नहीं देखा गया। इस दिशा में सामाजिक व सरकारी प्रोत्साहन सफल प्रतीत नहीं होते।

आधुनिकता के इस दौर में सम्पूर्ण समाज परिवर्तित होता जा रहा है अनेक संस्थाओं में परिवर्तन आ चुका है उसमें विवाह भी एक ऐसी संस्था है जिसमें पहले की तुलना में काफी परिवर्तन हुआ। उसका स्वरूप भी परम्पराओं को तोड़कर आधुनिकता की दुनिया में कदम रख चुका है लेकिन ग्रामों में अभी भी लोग परम्परागत विवाह को उचित मानते हैं विवाह के सम्बन्ध में ग्रामीण महिलाओं के विचार सारिणी 6.6 में प्रस्तुत हैं।

सारणी 6.6

विवाह का कौन सा स्वरूप अधिक उचित है

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	परम्परागत	196	92
2.	आधुनिक	15	05
3.	कोर्ट मैरिज	01	0.3
4.	प्रेम विवाह	08	2.7
	योग	300	100

सारणी 6.6 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 300 उत्तरदात्रियों में सबसे अधिक परम्परागत तरीके से ही विवाह करने के पक्ष में है जिनकी संख्या 196 (92 प्रतिशत) है, एवं आधुनिक ढंग से सिर्फ 15 (5 प्रतिशत) महिलायें ही करने के पक्ष में है सिर्फ 3 प्रतिशत ही कोर्ट मैरिज के पक्ष में एवं 2.7 प्रतिशत महिलायें प्रेम विवाह के पक्ष में है उनमें अधिकांशः पिछड़ी जाति से सम्बन्धित महिलायें है उच्च जाति की महिलायें परम्परागत विवाह के ही पक्ष में हैं। परम्परागत विवाहों के पक्ष में अब भी पूर्ण सामाजिक बहुमत महिलाओं में दिखायी देता है समाचार पत्रों में समय–समय पर प्रेम विवाहों के प्रति हिंसा के समाचार ऐसी ही मानसिकता की परिवृत्ति हो सकती है। प्रेम विवाहों के प्रति 2.7 प्रतिशत रुझान होना वर्तमान ग्रामीण अंचल में इसको अस्वीकार करने का प्रमाण है। स्पष्ट है कि भारतीय समाज में विवाह जैसे संस्कार में अन्तःनिहित धार्मिक, सामाजिक अभिव्यक्ति ही इसके विरोध का कारण हो सकती है। दहेज के प्रति महिलाओं में संचेतना के आंकड़े सारणी 6.7 में प्रस्तुत है।

सारणी 6.7

दहेज के प्रति महिलाओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	दहेज लेना उचित है।	174	58
2.	दहेज लेना अनुचित है।	126	42
	योग–	300	100

सारणी 6.7 से स्पष्ट है कि 300 उत्तरदात्रियों में से 58 प्रतिशत उत्तरदात्रियां दहेज लेना उचित समझती है तथा 42 प्रतिशत दहेज लेने को अनुचित समझती हैं आंकड़े इस बात की पुष्टि करते है कि ग्रामीण समुदाय की महिलाओं आज भी परम्परागत व्यवस्था से निकलने का प्रयत्न नही कर रही हैं।

महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिये और विधवा को किस तरह रहना चाहिये यह फैसला आज भी रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता है और पुरुषों के मुकाबले में औरतों पर कहीं अधिक बन्धन लागू हैं। देश के अनेक भागों में पर्दा प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा से महिलाओं के उन क्षेत्रों में भाग लेने में बाधा आती है, जिनमें पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक दृष्टिकोण में आज भी पुरुषों के प्रति पक्षपात छाया हुआ है।

पर्दा प्रथा कई प्रथाओं के विकास का कारण है–

उपर्युक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह का कारण है। बाल विवाह से विधवा पुनर्विवाह की समस्या उत्पन्न होती है। पर्दा प्रथा को इन सभी का जिम्मेदार इसलिये माना गया क्योंकि पर्दा ही लड़कियों को स्वतन्त्र सहमति की अनुमति नहीं देता जिससे बाल विवाह सम्पन्न होता है और युवा विधवाओं के द्वारा अपनी समस्याओं अथवा अपनी सहमति को अन्य के कारण उदघोषित न कर पाना और अन्य

के द्वारा इस ओर ध्यान न देना विधवा पुनर्विवाह में बाधा उत्पन्न करता है जिससे विधवा पुनर्विवाह की समस्या सामने आती है। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह एवं पर्दा प्रथा एक–दूसरे से अन्त–सम्बन्धित हैं। सारिणी 6.8 में विभिन्न प्रथाओं के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.8

विभिन्न प्रथाओं के प्रति महिलाओं की संचेतना

क्र0	मापदण्ड	पर्दा प्रथा	प्रतिशत	बाल विवाह	प्रतिशत	विधवा विवाह	प्रतिशत
1.	पक्ष	239	79.7	118	39.3	138	46
2.	विपक्ष	55	17.3	176	58.7	148	49.3
3.	तटस्थ	09	03	06	02	14	4.7
	योग	300	100	300	100	300	100

सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 79.7 प्रतिशत महिलायें पर्दा प्रथा के पक्ष में है, 17.3 प्रतिशत विपक्ष में एवं 3 प्रतिशत ने तटस्थता दर्शायी गयी है। बाल विवाह के प्रति 39.3 प्रतिशत ने पक्ष में उत्तर दिया तथा 58.7 प्रतिशत विपक्ष में उत्तर दिया तथा 02 प्रतिशत इसके प्रति तटस्थ रहीं, विधवा विवाह के पक्ष में 4.6 प्रतिशत महिलायें है तथा विपक्ष में 49.3 प्रतिशत हैं और 4.7 प्रतिशत महिलायें तटस्थ थी। स्पष्ट है कि बाल विवाह एवं विधवा विवाह के प्रति महिलाओं में संचेतना आयी है परन्तु पर्दा प्रथा के सम्बन्ध में आज भी महिलायें परम्परागत व्यवस्था को छोड़ने का प्रयत्न नही कर रही हैं। इसके कारण के रूप में सामाजिक मर्यादा को स्वीकार करती है। शिक्षा को अपने आप में साध्य तथा अन्य वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन इन दोनों रूपों में माना जाता है। यह लोगों के व्यक्तित्व तथा बुद्धि का विकास करती है। उन्हें कतिपय आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सम्पन्न करने योग्य बनाती है और इसके द्वारा उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को उन्नत करती है। इसे एक ऐसे उपकरण के रूप

में मान्यता दी गई है जिसका उपयोग समाज में परिवर्तन तथा विकास की प्रक्रिया को अभीष्ट लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करने के लिये कर सकते हैं। शिक्षा समाज में गतिशीलता लाती है और विभिन्न सामाजिक स्तरों से आने वाले लोगों के बीच समानता की स्थिति लाने में सहायता पहुँचाती है। केवल शैक्षिक प्रणाली ही वह संस्था है जो महिला पुरुष के बीच असमानता की उन गहरी जड़ों को उखाड़ सकती है जो समाजीकरण की प्रक्रिया के जरिये लोगों के मन जमी हुई है। इसलिये विश्व भर में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये शिक्षा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। शिक्षा न केवल महिलाओं को उनमें पत्नी और माता के परम्परागत कर्तव्यों का पालन करने में अपेक्षाकृत अधिक योग्य बनाती है वरन् उन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास की प्रक्रिया में समाज का अधिक दक्ष व सक्रिय सदस्य बनाती है। महिला शिक्षा एकं ऐसा उपकरण है जो नई समाज व्यवस्था का निर्माण करने के लिये महिलाओं को सक्षम बनाता है। उक्त तथ्यों को ध्यान रखते हुये महिलाओं से बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण एवं उनकी संचेतना को जानने का प्रयास किया गया है, जिसे सारिणी 6.9 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.9

बालिका शिक्षा के प्रति महिलाओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षा दिलाने के पक्ष में	205	68.3
2.	शिक्षा दिलाने के विपक्ष में	95	31.7
	योग–	300	100

सारणी के अवलोकन से इस बात की पुष्टि होती है कि 68.3 प्रतिशत महिलायें बालिका को शिक्षा दिलाने के पक्ष में हैं। सिर्फ 31.7 प्रतिशत ही विपक्ष में है। शिक्षा बजट में भी महिला शिक्षा के प्रति विशेष व्यवस्था होने के बावजूद भी लड़को और लड़कियों की शिक्षा में अन्तर देखने को मिल रहा है क्योंकि आज भी लोग लड़कों की

शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं। क्योंकि अधिकांश महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया कि पोषाहार एवं वजीफा के लिए ही वे अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजती हैं। सारणी 6.10 में लड़की को विवाह से पूर्व आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में महिलाओं की संचेतना को स्पष्ट किया गया है।

सारणी 6.10

लड़की को विवाह के पूर्व आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	आत्मनिर्भरता के पक्ष में	106	35.3
2.	आत्मनिर्भरता के विपक्ष में	194	64.7
	योग–	300	100

सारणी 6.10 से स्पष्ट है कि 64.7 प्रतिशत महिला अपनी पुत्रियों को आत्मनिर्भर नही बनाना चाहती हैं परन्तु 35.3 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में नही हैं। 64.7 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि विवाह के पहले आत्मनिर्भर बनाने से लड़कियां अपने वश में नही रहती हैं, इसलिए ससुराल जाने के बाद वो जिस कार्य को करना चाहें करे परन्तु शादी के पहले वे किसी भी तरह के कार्य को कराने के पक्ष में नही हैं। हमारे देश में और विशेषकर हिन्दू जातियों में विवाह की अवधारणा का विशिष्ट अर्थ लिया जाता है हमारे यहाँ सिद्धान्त रूप में विवाह अविभाज्य है। जिसमें तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। विवाह के इस धार्मिक चरित्र के होते हुये भी अपवाद रूप में यह सुविधा अवश्य है कि अपरिहार्य कारणों से हिन्दू जातियों में भी विवाह विच्छेद हो सकता है। पति का पागल होना, कहीं उसका अता–पता न लगना या गुमनाम हो जाना, किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित होना जो लाइलाज हो, विवाह विच्छेद का कारण बन जाती हैं। इस प्राविधान के होते हुये भी व्यवहारिक जीवन में कम से कम ऊँची जातियों में विवाह विच्छेद नहीं होता। यह अवश्य है कि निम्न जातियों में विवाह विच्छेद की सम्भावना अधिक रहती है। विवाह विच्छेद (तलाक) के सम्बन्ध में

महिलाओं में संचेतना सारिणी 6.11 प्रस्तुत है।

सारणी 6.11

विवाह विच्छेद (तलाक) के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	185	61.7
2.	नहीं	115	38.3
	योग–	300	100

सारणी 6.11 से स्पष्ट है कि 300 ग्रामीण उत्तरदात्रियों में से 185 (61.7 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में संचेतना है एवं 115 (38.3 प्रतिशत) में संचेतना नही है विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय में अधिकांशतः महिलाओं में संचेतना है। परन्तु इनमें से अधिकांश पिछड़ी जाति की महिलायें संवैधानिक अधिकार के आधार पर सचेत नही है बल्कि समाज द्वारा प्रदान सामाजिक अधिकार के आधार पर विवाह विच्छेद की बात करती है। सारणी 6.12 में गुजारा–भत्ता के सम्बन्ध में महिलाओं की संचेतना का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 6.12

गुजारा भत्ता के अधिकार के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	259	86.3
2.	नहीं	41	13.7
	योग–	300	100

सारणी 6.12 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 86.3 प्रतिशत महिलायें जागरूक हैं एवं 13.7 प्रतिशत महिलाओं में जागरूकता नही आयी है, परन्तु जागरूकता के स्तर में वृद्धि सकारात्मक है। इसके कारण के रूप में समाज द्वारा प्रदत्त सामाजिक अधिकार को

देखा जा सकता है। क्योंकि अक्षम पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करने एवं उससे अपने खाने–पीने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था का प्रचलन आज भी निम्न जाति में देखा जा सकता है। सारणी 6.13 में घर के कार्यो के सम्बन्ध में महिलाओं की सहमति एवं संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया।

सारणी 6.13

घर के कार्यो में महिलाओं की सहमति एवं संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	156	48
2.	नहीं	144	52
	योग–	300	100

सारणी 6.13 से स्पष्ट है कि ग्रामीण उत्तरदात्रियों से यह पूंछे जाने पर कि क्या घर के कार्यो में आपकी सहमति ली जाती है, के सम्बन्ध में 48 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनसे सहमति ली जाती है परन्तु 52 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनसे सहमति नहीं ली जाती है। 48 प्रतिशत महिलायें जिनसे घर के कार्यो में सहमति ली जाती है उनमें 35 से अधिक उम्र की महिलायें एवं किसी धनोपार्जन सम्बन्धित कार्य में सलंग्न रहने वाली महिलायें शामिल है साथ ही यह अधिकार निम्न जाति की या विधवा महिलाओं को दिया जाता है अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि उच्च जाति की महिलाओं में पर्दा प्रथा ज्यादा है और उनसे घर के महत्वपूर्ण फैसलों में राय नही ली जाती है। अध्ययन से यह तथ्य भी सामने आया है कि घरेलू कामकाज का अधिकतर बोझ अब भी महिलाओं को ढोना पड़ता है। समाज गृहणी रूप को ही महिला की मुख्य भूमिका मानता है। गाँवों में तो यह मान्यता और भी पक्की है। घर को चलाने की जिम्मेदारी औरतों की ही है। परन्तु रुपया–पैसा सम्बन्धित निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया है। विशेष रूप से पैसा लगाने के बड़े फैसले पुरुष ही करते हैं। परिवारों में खासकर ग्रामीण परिवारों में एक और आम बात देखने में यह आती है कि

भोजन, वस्त्र, अन्य खर्च शिक्षा जैसे मामलों में साधनों के बंटवारें में लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है।

भारत में 45 प्रतिशत महिलायें अपने जीवनकाल में शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा का यह आंकड़ा अन्य विकासशील देशों की तुलना में अपने देश में कहीं अधिक है क्योंकि इजिप्ट (मिस्र) में 34 प्रतिशत और बारबडोस में 30 प्रतिशत निकारगुआ में 28 प्रतिशत, मालडोवा 14 प्रतिशत व फिलीपीन्स में केवल 10 प्रतिशत महिलायें ही घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं।

यह तथ्य इनक्लेन में इन्टरनेशनल सेन्टर ऑफ रिसर्च आन व्हीमेन (आई0सी0आर0डब्लू0) के सहयोग से भारत में प्रौढ़ महिलाओं पर घरों में होने वाली हिंसा पर किये सर्वेक्षण में सामने आये हैं। इस सर्वेक्षण में भारतीय परिवेश की 10 हजार महिलाओं में किया गया है। इस सर्वेक्षण में 3611 महिलायें ग्रामीण क्षेत्रों की, 3172 महिलायें शहरी क्षेत्रों की उच्चतम, मध्यम वर्गीय थी। सर्वेक्षण के अनुसार देश में 45 फीसदी महिलाओं ने बताया कि अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार उन्हें शारीरिक तथा मानसिक हिंसा का शिकार होना पड़ा है। इन महिलाओं में से 43.5 फीसदी ने बताया कि वे अपने जीवनकाल में कम से एक बार मानसिक प्रताड़ना से गुजरी हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 26.1 फीसदी महिलायें गम्भीर प्रताड़ना के दौर से गुजरीं। जैसे– धक्का देना, लात मारना और पिटाई आदि। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण महिलाओं से प्रश्न पूछे गये, जिसे सारणी 6.14 एवं (A) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.14

शोषण एवं शोषण के स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	शारीरिक	23	7.8
2.	मानसिक	43	14.3
3.	आर्थिक	02	0.7
4.	सभी	18	0.6
5.	पता नहीं	163	54.3
6.	शारीरिक एवं मानसिक	43	14.3
7.	शारीरिक एवं आर्थिक	07	2.3
8.	मानसिक एवं आर्थिक	01	0.3
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 7.8 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनका शारीरिक शोषण हो राह है तथा 14.3 ने कहा कि उनका मानसिक शोषण हो रहाहै तथा 0.7 प्रतिशत महिलाये ऐसी थी जिनका आर्थिक शोषण हो रहा है यह शोषण खास तौर पर उन लोगों का अधिक था जो नौकरी पर नही थी या धनोपार्जन सम्बन्धित किसी भी कार्य को कर रही थी 0.6 ने कहा कि उनका सभी तरह से होता है। 14.3 प्रतिशत ने शारीरिक एवं मानसिक, 2.3 प्रतिशत ने स्वीकारा शारीरिक एवं आर्थिक तथा 0.3 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनका मानसिक एवं आर्थिक शोषण हो रहा है। 54.3 प्रतिशत महिलायें अपने साथ होने वाले शोषण के सम्बन्ध में सचेत नही है उनमें से कुछ ने कहा कि अपने लिए सोचने का समय नही मिलता है। स्पष्ट है कि 45.7 प्रतिशत ऐसी महिलायें है जिनका शोषण हो रहा है। सारणी 6.14 (A) में उससे बचने के प्रयास के प्रति महिलाओं में संचेतना का स्तर मापने का प्रयास किया गया है।

सारणी 6.14 (A)

शोषण से बचने के प्रयास एवं महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	परिवार के बड़े सदस्यों से मदद मांगेगीं	20	7
2.	प्रतिकार करेगी	17	5.7
3.	आपसी समझौता करेगी	99	27
4.	पुलिस के पास जायेंगीं	01	0.3
5.	पता नहीं	163	54.3
6.	प्रतिकार करेगी/पुलिस के पास जायेगीं।	—	—
	योग—	300	100

प्रस्तुत सारणी 6.14 (A) के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोषण से बचने के प्रयास के सम्बन्ध में 7 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो परिवार के बड़े सदस्यों से मदद मांगेगी, प्रतिकार करने वाली महिलाओं की संख्या 5.7 प्रतिशत है, तथा 27 प्रतिशत महिलायें ऐसी है जो आपसी समझौता करने के पक्ष में है, 0.3 प्रतिशत ही ऐसी महिलायें है जो पुलिस के पास जाने की बात को स्वीकारती है तथा 54.3 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में तटस्थ रही तथा प्रतिकार करने एवं पुलिस के पास जाने के दोनो के सम्बन्ध में महिलाओं की संख्या शून्य रही। सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आज भी महिलायें परम्परागत बन्धनों से बंधी हुई एवं सभी कष्टों को सहते हुए जीवन यापन करने में सुख का अनुभव महसूस कर रही हैं तथा परम्परागत बन्धनों के प्रति सचेत होते हुये भी तोड़ने के पक्ष में नही है। सारणी 6.15 (A), 6.15 (B), 6.15 (C) में युवा वर्ग में बढ़ते हुए सह सम्बन्ध के प्रति महिलाओं में संचेतना जानने का प्रयास किया गया है।

सारणी 6.15

युवावर्ग में बढ़ते हुए सह सम्बन्ध. के प्रति संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	50	16.7
2	नहीं	250	83.3
	योग	300	100

सा़रणी 6.15 से स्पष्ट है कि 16.7 प्रतिशत युवावर्ग में बढ़ते हुए सह सम्बन्ध के पक्ष में है एवं 71.3 प्रतिशत महिलाओं ने इन सम्बन्धों को उचित नही माना है।

सारणी 6.15 (A) विवाहेतर सम्बन्ध एवं महिला संचेतना का वर्णन किया गया है।

सारणी 6.15 (A)

विवाहेतर सम्बन्ध और महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	63	21.9
2	नहीं	237	78.1
	योग	300	100

सारणी 6.15(A) के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 21.9 प्रतिशत महिलायें विवाहेतर सम्बन्ध के पक्ष में है एवं 78.1 प्रतिशत इसके पक्ष में नही है यानी 237 महिलायें इन सम्बन्धों को उचित नही मानती है। 16.7 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकारा है कि उनका अथवा उनके पति का किसी दूसरे पुरूष अथवा स्त्री के साथ सम्बन्ध है। इसके कारण के रूप में ग्रामीण समुदाय के श्रमिक उच्च व्यवसायी नौकरी करने वाले वर्ग से सम्बन्धित पुरूषों का अधिक समय तक गाँव के बाहर, काम की वजह से रहना है। सारणी 6.15 (B) अवैध संतान के प्रति महिलाओं की संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.15 (B)

अवैध संतान के प्रति महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	स्वीकार करेगी	79	26.3
2	बराबरी का अधिकार देंगी	73	24.3
3	अस्वीकार कर देगी	127	42.4
4	पता नही (तटस्थ)	21	7.0
	योग	300	100

सारणी 6.15 (B) से स्पष्ट है कि अवैध संतानों को बराबरी के अधिकार देने के सम्बन्ध में 24.3 प्रतिशत महिलायें हैं 26.3प्रतिशत महिलाये स्वीकार करती है परन्तु बराबरी का अधिकार देने के पक्ष में नही है तथा 42.4 प्रतिशत महिलायें अवैध संतानों कोस्वीकार करने के पक्ष में ही नही है तथा 7 प्रतिशत महिलायें इस सम्बन्ध में तटस्थ रहीं। स्पष्ट है कि सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों से सिर्फ 24.3 प्रतिशत महिलायें ही सचेंत है। 86.7 प्रतिशत में संचेतना नही है। सारणी 6.16 सम्पत्ति अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में महिला जागरूकता का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.16

सम्पत्ति अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	पिता की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा	09	3
2	पति की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा	232	77.3
3	पिता/पति की सम्पत्ति बराबरी का हिस्सा	59	19.3
	योग	300	100

सारणी 6.16 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 3 प्रतिशत महिलायें पिता की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है के सम्बन्ध में सचेत है, 77.3 प्रतिशत पति की सम्पत्ति में बराबरी के हिस्से के प्रति सचेत है तथा 19.3 प्रतिशत महिलायें पिता तथा पति दोनो की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा के प्रति जागरूक हैं।

स्वयं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना का स्तर सारणी 6.16(B) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.16(A)

स्वंय की सम्पत्ति के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	166	47.7
2	नहीं	134	55.3
	योग	300	100

स्वयं की सम्पत्ति के उपयोग के सम्बन्ध में 47.7 प्रतिशत महिलायें सचेत हैं 55.3 में संचेतना नही है। महिलायें संगठित या असंगठित किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो उन्हें अपने घर में पिता–पति या अन्य सदस्यों को विवरण देना होता है कुछ महिलाओं ने बताया कि हम अपने पैसे को अपनी मर्जी से खर्च नही कर सकते हैं अर्थात् पैसा घर आते ही या उनके पति उनका पैसा हांथ से ले लेते हैं अथवा पैसे का पूरा विवरण लेते हैं। इसके कारण के रूप में विधानों के सिद्धान्तों तक ही सीमित रखना है जैसा कि देसाई ने व्यक्त किया है भारतीय महिला आर्थिक दृष्टि से पराश्रित होती है। कानून द्वारा महिलाओं को पारिवारिक सम्पत्ति में अन्य वारिसों के समान हिस्सा मिलने का अधिकार दिया गया है। जैसा कि चौधरी ने कहा है जहाँ तक पिता की सम्पत्ति का प्रश्न है लड़कियों को लड़कों के समान तो क्या, बिल्कुल भी हिस्सा प्राप्त न होना एक सामान्य बात है, हाँ लड़के न होने के स्थिति में अवश्य कुटुम्ब के अन्य लोगों के पास सम्पत्ति जाने के बजाय लड़कियों को प्राप्त होती है। पुत्र की सम्पत्ति से भी माता को हिस्सा

दिया जाना व्यवहार में प्रचलित नहीं है[1]। पति की सम्पत्ति में अवश्य पत्नी को अन्य वारिसों के समान तथा नाबालिग बच्चे होने के स्थिति में उनके बालिग होने तक पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। महिला धन पर कानूनन महिला का पूर्ण अधिकार होता है। जिसे कोई भी व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उपयोग में नहीं ला सकता है। किन्तु व्यवहार में होता यह है कि आवश्यकता पड़ने पर पति अपनी पत्नी को स्त्री धन देने पर मजबूर कर देता है। घर की स्थिति सामान्य बनाये रखने के लिये उसे यह त्याग करना पड़ता है। यह तो फिर भी ठीक है। निम्न वर्ग में अशिक्षित मूर्ख पति अक्सर अपने व्यसनों या बुरी आदतों की सन्तुष्टि के लिये अपनी पत्नियों के जेवर आदि बेच देते हैं। वे जो पैसा कमाती हैं वह भी उड़ाने खाने व मजे–मौज के लिये ले लेते हैं तथा मना करने पर झगड़ा करने व मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। निम्न वर्ग में निठल्ले, निकम्मे पुरुष भी महिलाओं पर बहुत अत्याचार करते हैं[2]। जैसे कि खान ने व्यक्त किया है, मध्यम वर्ग में भी कामकाजी महिलाओं को अपनी आय को अपनी इच्छानुसार खर्च करने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। प्रायः खर्च भी उन्हें पति की सहमति से करने पड़ते हैं। पति जो पैसे अपनी पत्नी को गृहस्थी चलाने के लिये देता है उसका हिसाब उसे देना पड़ता है। खर्च अधिक करने पर दोषारोपण कर पति जब चाहे तब पत्नी पर अपना क्रोध प्रदर्शित करता है। इस तरह आर्थिक मामलों को लेकर गृह कलह होना भारतीय परिवार में एक आम बात है[3]।

सारणी 6.17 महिला–पुरूष परिश्रमिक में भेद एवं महिला संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

---

(1) देसाई, नीरा 1977, वूमेन इन मार्डन इण्डिया, बाम्बे।
(2) चौधरी, रूपा 1961 – वही।
(3) खान मुमताज 1982, स्टेटस आफ रोल वूमेन इन इण्डिया, न्यू देहली।

सारणी 6.17

महिला-पुरूष पारिश्रमिक में भेद एवं महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	सही	94	31.3
2	गलत	206	68.7
	योग	300	100

सारणी 6.17 के विवरण से स्पष्ट है कि 31.3 प्रतिशत महिलाओं को जानकारी है कि महिला–पुरूष पारिश्रमिक अलग–अलग देने पर मालिक को दण्ड दिया जाता है तथा 68.7 में संचेतना नही है। सारणी 6.17(A) में काम के समय के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना है।

सारणी 6.17(A)

काम के घण्टे एवं महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	50	17
2	नहीं	250	83
	योग	300	100

सारणी 6.17(A) के अवलोकन से स्पष्ट है कि 17 प्रतिशत महिलायें ही काम के घन्टों के प्रति सचेत है तथा 83 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना नही है। जिन महिलाओं में संचेतना है वह कहीं न कही श्रमिक के रूप में काम करती हैं उन्हें ही श्रम के घन्टों का ज्ञान है परन्तु जो महिलायें घर में रहती है या किसी अन्य लघु व्यवसाय में सलंग्न है उनको इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। सारणी 6.18 (A, B, C, D, E) में राजनीति में महिला भागेदारी से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राजनीति क्षेत्र में महिलाओं का वास्तविक पर्दापण 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में

मानना होगा क्योंकि प्रथम दशक में कांग्रेस के स्वदेशी आन्दोलन में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और दूसरे दशक में वे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़ी। ऐनी बेसेंट (1971 में कलकत्ता अधिवेशन में) कॉग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनीं जो देश की राजनीति में महिलाओं का पहला कदम था।

1917 का वर्ष भारतीय महिलाओं की वर्तमान राजनीतिक भूमिका में पहला महत्वपूर्ण वर्ष था जिसमें उसने एक साथ कई दिशाओं में कदम रखे। पर शिक्षा, ज्ञान–विज्ञान, व्यवसाय के क्षेत्र में महिलायें जिस प्रकार आगे बढ़ी है, राजनीति में उसी तरहआगे नहीं आयी है, जो अभी तक हुए लोक सभा चुनाव में महिलाओं की भागेदारी के चार्ट (1952–1999) में देख सकते हैं।

इस सदी के आखिरी दशक में हुए तेहरवीं लोकसभा के चुनाव में 537 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 46 थी जो पिछली बार से तीन ज्यादा है परन्तु अब तक ससंद में पहुंचने वाली महिलायें दस प्रतिशत का आंकड़ा पार नही कर पायी। यह विडम्बना ही है कि जिस देश में महिला मतदाताओं की तादाद तो कुल आबादी की लगभग आधी है

लेकिन राजनीति में उनका दस प्रतिशत प्रतिनिधित्व भी न हो। इस तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं से राजनीति से सम्बन्धित 5 प्रश्नों को पूछा गया ।

1— क्या आप मताधिकार का प्रयोग करती हैं ?

2— मताधिकार का प्रयोग किस आधार पर करती हैं ?

3— क्या पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ?

4— क्या आरक्षण विधेयक पास होना चाहिये ?

5— आप राजनीति में जाना पसन्द करेगीं ?

इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों को सारणी 6.18, 6.18(A), 6.18 (B), 6.18 (C), 6.18 (D) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.18

मताधिकार का प्रयोग एवं महिला जागरूकता

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	मताधिकार का प्रयोग करती है	268	89
2.	मताधिकार का प्रयोग नही करती	33	11
	योग—	300	100

सारणी 6.18 से स्पष्ट है कि 89 प्रतिशत महिलाये मताधिकार का प्रयोग करती है एवं 11 प्रतिशत महिलायें अपने मताधिकार का प्रयोग नही करती है। सारणी 6.18 (A) से मताधिकार के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत है।

महिला आरक्षण विधेयक आज भी उतना ही विवादास्पद है जितना कि वह 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किये जाने के समय था। यही नहीं इसके पूर्व भी यह विधेयक भी विवादास्पथा था। जैसे आरक्षण के बाद भी विगत 50 वर्षों में अधिकांश वर्ग इसके लाभ से वंचित रह गये हैं। मात्र क्रीमी लेयर (मलाई पर्त) को छोड़कर अब अति पिछड़े और अति दलितों के लिये आरक्षण का नारा दिया जाने लगा है। वैसे ही महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिये महिला आरक्षण बिल भी महिलाओं की स्थिति सुधारने में का याब होगा। इस विषय में सन्देह है यह निराभ्रम है कि आरक्षण किसी भी वर्ग के सभी मर्जों का इलाज है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण महिलाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में उनके विचार पूछे गये। जिसे सारणी 6.18 (C) में वर्णित किया गया है।

सारणी 6.18 (C)

महिला आरक्षण विधेयक के स बन्ध में महिलाओं में जागरूकता

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदा यों की संख्या	प्रतिशत
1.	सही	249	83
2.	गलत	51	17
	योग	300	100

सारणी 6.18 (C) के अवलोकन से स्पष्ट है कि 83 प्रतिशत महिलायें चाहती है कि महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिये एवं 17 प्रतिशत महिलायें इसके पक्ष में नही हैं। सारणी 6.18 (D) में महिलाओं का राजनीति में जाने की इच्छा के प्रति संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.18 (D)

राजनीति में प्रवेश एवं महिला जागरूकता

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	152	49
2.	नही	148	57
	योग	300	100

सारणी 6.18 (D) के अवलोकन से स्पष्ट है कि 49 प्रतिशत महिलायें राजनीति में जाने की इच्छुक नही है जो महिलाये राजनीति में जाना चाहती है उनमें से 17.3 प्रतिशत महिलायें पंचायत में आरक्षण के प्रति सचेत है और पंचायत का चुनाव लड़ना चाहती है परन्तु अन्य ने अपने पिता अथवा पति के कहने पर चुनाव लड़ने की बात कही। इसके कारण के रूप में महिलाओं में शिक्षा का अभाव एवं महिलाओं का स्वयं निर्णय लेने में अक्षमता है।

प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का विश्लेषण किया गया और सूक्ष्म स्तर पर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि ग्रामीण वातावरण का प्रभाव महिलाओं की संचेतना पर कितना पड़ता है। साथ ही विभिन्न प्रथाओं एवं सामाजिक समख्याओं के प्रति महिलाओं का द्रष्टिकोण भी जानने का प्रयत्न किया गया है।

अध्याय–7

नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना

पूर्ववर्ती अध्ययन में ग्रामीण प्रतिदर्श की उत्तरदात्री महिलाओं का विभिन्न विद्वानों के प्रति संचेतना का स्तर जानने का प्रयत्न सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन के आधार पर किया गया है। अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि 30.3 प्रतिशत महिलायें ही यह जानती है कि संविधान द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विधान बनाये गये हैं। उनमें से 24 प्रतिशत ही विभिन्न विधानों के प्रति सचेत है। इसी से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रश्न भी पूंछे गये जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि निम्न जाति की तुलना में उच्च जाति की महिलायें, निम्न शिक्षित की तुलना में उच्च शिक्षित महिलायें, निम्न आर्थिक स्थिति की तुलना में उच्च आर्थिक स्थिति की महिलाओं में एंव अधिक उम्र की तुलना में कम उम्र की महिलाओं में संवैधानिक अधिकार के प्रति संचेतना अधिक पायी जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में नगरीय समुदाय की महिलाओं का विभिन्न विधानों के प्रति संचेतना का स्तर मापने का प्रयत्न किया गया है।

भारतीय गणराज्य के नगरों में मुख्यतः चार वर्गों की महिलायें हैं :—

1—उच्च वर्गीय विदेशों से कारोबार व सूचना तन्त्र से जुड़ी हुई है महिलायें।

2—उच्च वर्गीय व्यावसायिक घरानों व राजनेताओं तथा उच्च अधिकारियों की पत्नियों या परिजनों के रूप में।

3—मध्यवर्गीय व्यावसायिक घरानों, मंध्यवर्गीय घरानों, मध्यवर्गीय सेवा कर्मियों व स्वयं सेवारत महिलायें।

4—श्रमिक वर्गीय स्वयं श्रमिक या स्वयं लघु व्यवसाय में रत महिलायें।

भारत में यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं की छाप संस्कार के रूप में प्रत्येक वर्ग में विद्यमान है। परन्तु आधुनिक इलेक्ट्रानिक मीडिया, संचार तन्त्र, साहित्य एवं महिला जागरण के बिखरे कार्यक्रमों का प्रभाव अवश्यमेव उक्त चारों वर्गो में देखा जा सकता है विशेषकर प्रथम दो वर्गो में इसका प्रभाव अधिक गहरा है।

प्रथम संवर्ग में वे महिलायें हैं जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बड़ी भारतीय कम्पनियों के निकट से सम्बद्ध है उनके प्रबन्धन, वितरण या वित्तीय प्रबन्ध से जुड़ी महिलायें इन्टरनेट व कम्प्यूटर चैटिंग के माध्यम से आधुनिक विकास प्रक्रिया में इतनी तेजी से जुड़ी हैं कि पारिवारिक सम्बन्धों की संवेदनायें कुंठित हो रही हैं और संयुक्त परिवार टूटकर एकाकी परिवार में एवं अधिक मात्रा में विवाहेत्तर पति पत्नी से ही परिवार परिभाषित होने लगे हैं। यद्यपि पश्चिमी और यूरेशिया के इस्लामी प्रभाव से विकसित राष्ट्रों की महिलाओं की तरह भारत की दिनचर्या व परिवेश भी नही है तथापि उनके अन्धानुकरण से इस वर्ग में बच्चों के पालन पोषण की परिस्थितियां उक्त राष्ट्रों की भांति ही हो रही हैं। जिससे किशोर व बाल मन में जापान की तरह माता पिता से मिल रहे प्रेम की कमी व अकेलेपन में जीने की भावना विकसित हो रही है, सारे भौतिक संसाधनों के होने के बाद भी धनाढ़य वर्गो के बालक अनेक कुंठाओं से ग्रस्त दिखाई देते हैं। समाचार पत्रों में अनेक ऐसे प्रकरण प्रकाशित हुए तथा होते रहते हैं जिससे उक्त वर्ग के किशारों व किशोरियों में संस्कार शून्यता के प्रमाण मिलते हैं।

इस वर्ग में महिलायें अपने अधिकारों का तो भरपूर प्रयोग कर रही हैं परन्तु कर्तव्यों में बुरी तरह पिछड़ गयी हैं अगली पीढ़ी के विपरीत घटना क्रमों में उनकी चिंताये कुछ क्षण को होती हैं परन्तु अब वह सहज भारतीय परिवेश का जीवन जीने में हीनता का अनुभव करती हैं यद्यपि इस वर्ग का यह बाध्य आचरण मात्र है अतः मन में बार–बार भारतीय संस्कार उन्हें आकृष्ट करते हैं इसीलिए अनेक धार्मिक उत्सवों, धार्मिक प्रवचनों व सामाजिक कार्यो में उनकी बढ़ चढ़ कर भागेदारी दिखाई पड़ती है।

द्वितीय संवर्ग में उच्च वर्गीय व्यवसायी व उच्चवर्गीय अधिकारियों के परिवारों

को रखा गया है जिनमें भारतीय संस्कारों की बहुलता प्रौढ़ महिलाओं में दिखाई देती है। इस वर्ग की महिलायें जहाँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं । वही कर्तव्यों के प्रति गंभीर दिखाई देती हैं क्लबों, पार्टियों व संचार माध्यमों के प्रभाव इनमें प्रथम वर्ग की भांति स्थाई नही है और हर समय अपने बच्चों व परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का भाव प्रधानता से रहता है धार्मिक कार्यो में भी अपेक्षाकृत अधिक अभिरूचि व स्थायित्व है। संवैधानिक व समाज के प्रदत्त अधिकारों की जानकारी होने के कारण उत्पीड़न के प्रकरण अधिक नही हैं जहाँ कहीं भी ऐसे प्रकरण दिखाई देते हैं। वे उद्वग्निका या अति महत्वाकांक्षा में लिए गये जल्दबाजी के परिणाम होते हैं और उनकी प्रायः बाह्य अभिव्यक्ति भी नही होती है।

तृतीय वर्ग जो मध्यवर्गीय परिवारों की महिलाओं का है। इनमें उच्च शिक्षा प्राप्त, अल्प शिक्षा प्राप्त व न्यूनतम शिक्षा प्राप्त तीनों उपवर्गो की महिलायें शामिल हैं। इस वर्ग की महिलायें पति पर पूर्णतः आश्रित है जो स्वयं भी संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं वे भी पति के प्रभाव से मुक्त नही हैं। उनमें प्राचीन संस्कारों की जड़ता व आधुनिकता की चमक के प्रति ललक का अन्तर्द्वन्द्व दिखाई देता है। पुरूष की प्रधानता के प्रति कुंठा भी 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में पायी जाती है। कुछ की अभिव्यक्ति होती है, कुछ अन्तर्मन में इस प्रभाव को लेकर जीती हैं। निर्णयों में भागीदारी कम है। प्रायः सम्मिलित परिवार के परम्परागत दायित्वों को भी बोझ के रूप में ही बुझे मन से स्वीकार करती हैं अधिकारों के लिए संघर्ष, असंगठित होने के कारण यत्र तत्र ही दिखाई देते हैं परन्तु कर्तव्य बोध प्रायः सभी में दिखाई देता है।

चतुर्थ वर्गीय महिलायें नगरों में प्रायः ग्रामीणं अचंल से आकर श्रमिक के रूप में या घरेलू कर्मचारी के रूप में या छोटे मोटे व्यवसाय करने वाली महिलायें हैं, जातीय विभाजन के अनुसार इनमें से प्रायः वैश्य, पिछड़े वर्गो और दलित वर्ग की हैं। ग्रामीण परिवेश से आने के कारण और शिक्षा की कमी के कारण अधिकार बोध इनमें नही है जो संगठित क्षेत्र से जुड़ी महिलायें है और अधिकारों के लिए किसी संगठन के द्वारा दीक्षित की गयी है वे विभिन्न संगठनों में जुड़कर के अधिकारों के लिए लड़ती हुई दिखाई देती हैं। उच्च व मध्य वर्ग की महिलाओं के नेतृत्व में स्वंयसेवी संगठनों के सदस्य के रूप में

महिला आन्दोलन या अधिकारों की लड़ाई के लिए इनको अस्त्र के रूप में रखा जाता है परन्तु स्वयं इनमें अधिकार बोध अति न्यून है। परिवार के भरण पोषण व संयुक्त परिवारों से मुक्ति के लिए संघर्षरत है। धार्मिक रूढ़ियों तथा परम्परागत संस्कारों के दृढ़ बन्धन इनकी क्रिया कलापों में विशेष प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं। पारिवारिक कठिनाइयों के निवारण का संघर्ष ही इनके जीवन को बोझिल करता है और मन मस्तिष्क से ग्रामीण संस्कृति के प्रभाव को छिपाने का मानसिक द्वन्द इनके व्यवहार से परिलक्षित होता है।

बाँदा नगर में तृतीय चतुर्थ वर्ग से सम्बन्धित महिलायें निवास करती हैं एवं 2 प्रतिशत के लगभग महिलायें द्वितीय वर्ग से भी सम्बन्धित है। उन महिलाओं में से 300 महिलाओं का अध्ययन किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में जातीय समुदाय की महिलाओं मे संचेतना का स्तर ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न पूंछे गये जो निम्न हैं :—

1. क्या आप जानती है कि सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार हेतु विभिन्न विधान बनाये गये हैं ?

1.1. यदि हाँ तो किस क्षेत्र में ?

2. लड़के एवं लड़की के विवाह की उम्र क्या होनी चाहिये ?

3. क्या विवाह के समय लड़की की सहमति लेनी चाहिये ?

4. क्या लड़कियों को जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता है ?

5. आप अपने बच्चों का विवाह किस जाति में करना पसन्द करेगीं ?

6. आप अपने बच्चों का विवाह किस ढंग से करना पसन्द करेगीं ?

7. आप दहेज लेना या देना उचित समझती है ?

8. आपका विभिन्न प्रथाओं के प्रति क्या द्रष्टिकोण है ?

9. आप अपने लड़के या लड़की को समान शिक्षा दिलाना चाहती हैं ?

10. आप अपनी लड़की को विवाह से पूर्व आत्मनिर्भर बनाना चाहती है ?

11. क्या आप जानती है कि महिलाओं को विवाह विच्छेद(तलाक) का अधिकार है?

12. क्या महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार है ?

13. घर के कार्यो में आपकी सहमति ली जाती है ?

14. क्या आपका शोषण हो रहा है यदि हाँ तो किस तरह का ?

14.1 कि यदि हाँ तो किस तरह का है ?

15. क्या युवा वर्ग में हुए सह–सम्बन्ध उचित हैं ?

16. आपके या आपके पति के किसी अन्य पुरूष या महिला के साथ यौन सम्बन्ध हैं। (विवाहेत्तर)

17. आपके पति के किसी अन्य महिला से संतान हो तो आप क्या करेगीं ?

18. क्या आप जानती है कि पिता एवं पति की सम्पत्ति में आपका हिस्सा है ?

18.1. क्या आप अपनी सम्पत्ति का प्रयोग करती हैं ?

19. क्या आप जानती है कि महिला पुरूष पारिश्रमिक में भेद करने पर दण्ड का प्रावधान है।

19.1. महिलाओं को कितने घण्टे काम करना चाहिये ?

20. क्या आप मताधिकार का प्रयोग करतीं हैं ?

20(A). यदि हाँ तो किस आधार पर ?

20(B). पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण हैं ?

20(C). क्या महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिये ?

20(D). क्या आप राजनीति में जाना चाहती हैं ?

महिलाओं से पहला प्रश्न पूंछा गया कि क्या आपको मालूम है कि सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार हेतु विधान बनाये गये हैं इस प्रकार के प्रश्न महिलाओं की जागरूकता एवं उनके सामुदायिक वातावरण की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं।

उत्तरदात्रियों के सामुदायिक वातावरण का प्रभाव उनकी जागरूकता के स्तर पर पड़ना स्वाभाविक है। महिलाओ से सम्बन्धित विधानों के प्रति संचेतना के आंकड़ों को सारणी 7.1 एवं 7.1(A) में प्रस्तुत किया गया हैं।

सारणी 7.1

महिलाओं से सम्बन्धित विधानों के प्रति संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	110	36.7
2.	नहीं	190	63.3
	योग	300	100

सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल 300 नगरीय उत्तरदात्रियों में 110 (36.7 प्रतिशत) महिलायें ही विधानों के प्रति सचेत है और 190(63.3 प्रतिशत) महिलाओं में संचेतना नही हैं।

महिलाओ से सम्बन्धित विभिन्न विधानों के प्रति संचेतना को सारणी 7.1(A) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.1(A)

विभिन्न विधानों के प्रति संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1.	सामाजिक	32	10.7
2.	आर्थिक	12	4.1
3.	धार्मिक	7	2.1
4.	राजनैतिक	44	14.7
5.	सभी	71	23.7
6.	कुछ नहीं जानती	134	44.7
	योग	300	100

सारिणी 7.1(A) स्पष्ट है कि कुल 300 नगरीय उत्तरदात्रियों में सबसे अधिक राजनैतिक अधिकारों के प्रति 44 (14.7 प्रतिशत) महिलायें सचेत हैं एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति 32 (10.7 प्रतिशत) महिलायें सचेत हैं। आर्थिक अधिकारों के प्रति

12 (4.1 प्रतिशत) महिलायें सचेत हैं। परन्तु धार्मिक विधान के प्रति सबसे कम 7 (2.1 प्रतिशत) महिलायें ही सचेत हैं। 71 (23.7 प्रतिशत) ऐसी भी हैं जो सभी अधिकारों के प्रति सचेत हैं साथ ही 134 (44.7 प्रतिशत) ऐसी भी हैं जो किसी भी विधान के बारे में जागरूक नहीं हैं।

सारिणी 6.1 एवं 7.1 की तुलना से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ग्रामीण महिलाओं की तुलना नगरीय महिलाओं में संचेतना अधिक है। जहाँ नगरीय 110 (36.7 प्रतिशत) महिलाओं में संचेतना है, वहीं ग्रामीण 91 (30.3 प्रतिशत) महिलाओं में संचेतना है। परन्तु राजनीति के प्रति अन्य विधानों की तुलना में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों समुदाय की महिलाओं में संचेतना अधिक है। जो सारिणी 6.1(A) एवं सारिणी 7.1(A) के अवलोकन से स्पष्ट होता है।

इसी के साथ ही विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में अलग–अलग जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछे गये हैं।

सारणी 7.2

लड़के एवं लड़की के विवाह की उम्र के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्र0सं0	मापदण्ड	लड़के की उम्र एवं उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	लड़की की उम्र एवं उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत	योग
1.	15 से कम	11	3.6	30	10	41
2.	15 से 18 तक	45	15	125	42.7	170
3.	18 से 25 तक	197	65.7	130	43.3	327
4.	25 से अधिक	47	15.7	15	5	62
	योग	300	100	300	100	600

सारणी 7.2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 15 से कम उम्र में लड़के के विवाह के सम्बन्ध में 3.6 प्रतिशत एवं लड़की के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत महिलाओं ने सहमति दी एवं 15 से 18 वर्ष में विवाह करने के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत लड़कों के लिए एवं 42.7 प्रतिशत ने लड़कियों के विवाह की सही उम्र मानी, 18 से 25 की उम्र में विवाह करने के सम्बन्ध में 65.7 प्रतिशत लड़के की एवं 43.3 प्रतिशत ने लड़की की उम्र को विवाह के लिए उचित माना, 25 से अधिक उम्र को 15.7 प्रतिशत ने लड़के के लिए एवं 43.3 प्रतिशत ने लड़की की उम्र सही को बताया। उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 65.7 प्रतिशत लड़कों के सम्बन्ध में एवं 42.7 प्रतिशत लड़कियों के विवाह की उम्र के सम्बन्ध में महिलायें सचेत हैं।

सारिणी 6.2 एवं 7.2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि लड़के एवं लड़की के विवाह की सही उम्र ग्रामीण की तुलना नगरीय महिलाओं में अधिक है। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ ग्रामीण महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि पहले बाल विवाह होते थे, जिससे कम उम्र में ही सन्तानें उत्पन्न हो जाती थीं और 25–30 वर्ष महिलायें ही प्रौढ़ और बुजुर्ग जैसी दिखाई देती थी। उनका स्वास्थ्य भी कम उम्र में बच्चे होने के कारण खराब हो गया। यह अनुभूति पायी गयी। वे अनुभव करती हैं कि 16–17 वर्ष से पहले विवाह नहीं होना चाहिये परन्तु ग्रामीण अंचल में सामाजिक सुरक्षा में कमी आने के कारण इतनी उम्र तक उच्च शिक्षा के अभाव में संरक्षित रखना भी एक समस्या है। इसी कारण न चाहते हुये भी 13–14 वर्ष की आयु में अब भी विवाह सम्पन्न हो जाते हैं। जबकि शहरी महिलाओं में लड़की को कम से कम स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना उचित ठहराया है। और 17 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह को वे अनुचित मानती हैं।

विवाह के समय लड़की की सहमति लेनी चाहिये या नही इस सम्बन्ध में भी महिलाओं से जानकारी प्राप्त की गयी जिसका विवरण सारणी 7.3 में प्रस्तुत है।

सारणी 7.3

विवाह के समय लड़की की सहमति के सम्बन्ध में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	213	71
2	नहीं	87	29
	योग	300	100

सारणी 7.3 से स्पष्ट है कि विवाह के समय लड़की की सहमति के पक्ष में 213 (71 प्रतिशत) महिलायें हैं एवं विपक्ष में 87 (29 प्रतिशत) महिलायें शामिल हैं।

सारिणी 6.3 एवं 7.3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं की 43.7 प्रतिशत एवं नगरीय 71 प्रतिशत महिलायें विवाह के समय लड़की की सहमति के पक्ष में हैं, जो तुलनात्मक रूप से नगरीय महिलाओं में अधिक हैं। इसके कारण पूछने पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने कहा कि लड़कियों की सहमति आवश्यक नहीं है। माता–पिता और परिवार के सदस्य मिलकर लड़की की भलाई के लिये ही निर्णय लेते हैं। लड़की न तो गाँव के बाहर घूमी–फिरी है और न ही उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। अतः उससे सहमति लेने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि इससे लड़कियों में स्वेच्छाचारिता की भावना पनप सकती है। जबकि शहरी क्षेत्रों में लड़कियों की सहमति लेने सम्बन्धी विचार के प्रति 7.1 महिलायें थीं, शेष की स्थिति ग्रामीण महिलाओं के जैसी पायी गयी।

जीवन साथी के चुनाव के सम्बन्ध में लड़कियों की स्वतन्त्रता के बारे में भी महिलाओं से प्रश्न पूंछा गया जिसका विवरण 7.4 में प्रस्तुत है।

सारणी 7.4

जीवन साथी के चुनाव के सम्बन्ध में महिलाओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	210	30
2	नहीं	90	70
	योग	300	100

सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जीवन साथी के चुनाव की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में महिलाओं की संचेतना 70 प्रतिशत है तथा 30 प्रतिशत सचेत नही है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि नगरीय महिलायें ज्यादा सचेत है। परन्तु उन 70 प्रतिशत महिलाओं में से 30 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि संवैधानिक रूप से उनको अधिकार तो मिले है परन्तु हमारे परिवार में लड़कियों की सहमति नही ली जाती है।

सारिणी 6.4 एवं 7.4 की तुलना से स्पष्ट है कि नगरीय महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में संचेतना कम है। इस प्रश्न के पूछे जाने पर ग्रामीण महिलाओं में स्वैच्छिक वर–चयन को सिरे से नकार दिया और इसके कारण के रूप में अनेक सामाजिक मान्यताओं के टूटने की आशंका जाहिर की और कहा अपरिपक्व निर्णय लड़की के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। नगरों की 70 प्रतिशत महिलाओं ने इसे स्वीकार किया।

जातीय एवं अर्न्तजातीय विवाह के सम्बन्ध में महिलाओं की संचेतना सारणी 7.5 में प्रस्तुत है।

सारणी 7.5

जातीय एवं अन्र्तजातीय विवाह के सम्बन्ध में महिला जागरूकता

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	अपनी जाति में	224	74.7
2	अन्य जाति में	76	25.3
	योग	300	100

सारणी 7.5 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 300 उत्तरदात्रियों में 74.7 प्रतिशत महिलायें अपने बच्चे का विवाह अपनी जाति में ही करना चाहती हैं जबकि 25.3 प्रतिशत अन्य जाति में विवाह करने के पक्ष में हैं।

सारिणी 6.5 एवं 7.5 के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि नगरीय की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता कम है। इस प्रश्न के पूछे जाने पर ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों की महिलाओं ने जाति बन्धन की प्रगाढ़ता एवं संस्कारगत रूढ़ियों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। ग्रामीण अंचल में तो प्रायः सभी महिलाओं ने सजातीय विवाह को ही श्रेष्ठ एवं अनिवार्य रखने पर बल दिया। उनमें से कुछ पढ़ी–लिखी महिलाओं ने इसके पक्ष में रक्त संरक्षण आदि के तर्क भी दिये। दूसरी जाति में चाहे वे अपने से ऊँची हो तो विवाह को उचित नहीं मानती और नीची जाति के विवाह को तो सिरे से नकारा है। कुछ उत्तरदाताओं ने सरकारी प्रोत्साहन की बात करने पर सरकार की भी आलोचना की। नगरीय क्षेत्रों में 74.7 प्रतिशत महिलाओं ने ग्रामीण महिलाओं की ही भांति सजातीय विवाहों और गोत्रों की श्रेष्ठता आदि पर विश्वास जताया तथा सजातीय व गोत्र तुलना की श्रेष्ठता के आधार पर विवाहों को उपयुक्त माना है। उच्च स्तरीय परिवारों की महिलाओं के अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाहों को भी उचित माना है परन्तु जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने परिवार में इस दिशा में क्या प्रयास कर रही हैं तो उनमें से बड़े प्रतिशत एक ही उत्तर रहा कि अभी हमारे परिवारों में यह सब नहीं चलता, मात्र 5 से 10 प्रतिशत तक ऐसे परिवारों की महिलाओं ने अन्तर्जातीय विवाहों का समर्थन किया।

जिनके परिवारों ने किसी लड़की या लड़के का विवाह अन्तर्जातीय हो चुका है। ऐसी महिलाओं ने इसके पक्ष में तर्क देते हुये कहा कि लड़की एवं लड़के की पसन्द सर्वोपरि होनी चाहिये। क्योंकि जीवन उन्हें जीना है। जाति का बन्धन इसमें बीच में नहीं आना चाहिये।

विवाह का कौन सा स्वरूप अधिक उचित है के सम्बन्ध में भी महिलाओं से प्रश्न पूंछा गया जिसका विवरण 7.6 में प्रस्तुत है।

सारणी 7.6

विवाह के स्वरूप के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	परम्परागत	169	56.4
2	आधुनिक	94	31.3
3	कोर्ट मैरिज	10	3.3
4	प्रेम विवाह	27	9
	योग	300	100

सांरणी 7.6 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 300 उत्तरदात्रियों में सबसे अधिक परम्परागत तरीके से ही विवाह करने के पक्ष में है, जिनकी संख्या 56.4 प्रतिशत है, तथा 31.3 प्रतिशत आधुनिक, 9 प्रतिशत प्रेम विवाह एवं 3.3 प्रतिशत महिलायें ही कोर्ट मैरिज के पक्ष में है। सारणी 7.7 में दहेज के प्रति महिलाओं की संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारिणी 6.6 एवं 7.6 के सम्बन्ध में अब तक ज्ञात विलुप्त प्रायः विवाह परम्परा यथा स्वयंवर प्रथा, गन्धर्व विवाह, देव–साक्षी विवाह, परम्परागत वैदिक विवाह, एग्रीमेन्ट आधारित निकाह एवं चर्च के विवाहों की पृष्ठभूमि में जब यह प्रश्न ग्रामीण महिलाओं से पूछा गया कि वे अपने बच्चों का विवाह किस ढंग से करना पसन्द करेंगी तो वह इस्लाम धर्म व क्रिस्चयन धर्म की महिलाओं में अवधारणा अपनी धार्मिक परम्परा पर दृढ़ पायी

गयी। ग्रामीण अंचलों में ठाठ–बाठ से गाजे–बाजे के साथ बारात द्वारा वैदिक ढंग से विवाह को उचित माना गया। गायत्री परिवार व कुछ अन्य मिशनों से जुड़ी महिलाओं ने प्रचलित विवाहों में धन के दुरुपयोग की चर्चा करते हुये अपने मिशन के सिद्धान्तों पर विवाह को अच्छा माना लेकिन इनका प्रतिशत अति न्यून रहा। निर्धन परिवार में एवं उच्च वर्गों में सामूहिक विवाह में जाकर करने को ठीक माना गया परन्तु उनके मन में भी परम्परागत विवाह की श्रेष्ठता कहीं न कहीं परिलक्षित दिखाई पड़ी। शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में भी स्वधर्म की परम्परागत विवाहों को ही अपने लिये सही माना गया। 5 से 10 प्रतिशत विभिन्न मिशनों व सामाजिक सुधार के धार्मिक वर्गों से जुड़ी महिलाओं ने अपने मिशनों की चर्चा करते हुये उनके द्वारा स्थापित आदर्श विवाहों को अच्छा बताया परन्तु उनके अपने मनोभावों को कार्यरूप से परिणित करने में परिवार से सहयोग न मिलने का भी इस वर्ग की महिलाओं ने किया। सामूहिक विवाहों को आज भी आवश्यक बताते हुये उच्च और मध्यम वर्ग की महिलाओं ने ऐसे समारोहों में ऐसे बच्चों के विवाह के लिये खुले मन से हाँ नहीं किया। 24 घण्टे में विवाहों की प्रचलित परम्परा आज के व्यस्त माहौल में कम करके 12 से 18 घण्टे में सम्पूर्ण रस्म पूरे करने की अभिसंख्य महिलाओं ने सहमति दी परन्तु बड़ी संख्या में परम्परागत गाजे–बाजे आतिशबाजी एवं भव्यता के साथ विवाहों को अच्छा बताया जबकि उन्हीं महिलाओं में इनमें हो रहे अपव्यय को अनुचित भी कहा।

सारणी 7.7

दहेज के प्रति महिलाओं की संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	दहेज लेना उचित है	136	45.3
2	दहेज लेनां अनुचित है	164	54.4
	योग	300	100

सारणी 7.7 से स्पष्ट है कि 300 उत्तरदात्रियों मे से 45.3प्रतिशत ने दहेज लेने को उचित मानती है एवं 54.4 प्रतिशत ने अनुचित बताया आंकड़े इस बात की पुष्टि करते है कि नगरीय समुदाय की महिलाओं में संचेतना का स्तर बढ़ रहा है।

सारिणी 6.7 एवं 7.7 की तुलना से यह तथ्य सामने आते हैं कि ग्रामीण 58 प्रतिशत एवं शहरी 45.3 प्रतिशत महिलायें यह मानती हैं कि दहेज लेना अनुचित है यह तुलनात्मक रूप से ग्रामीण महिलाओं में अधिक है। इसके कारण के रूप में लड़कियों के अधिकार के रूप में दहेज (सम्पत्ति) को मानती हैं।

सारणी 7.8 में विभिन्न प्रथाओं के प्रति महिलाओं की संचेतना का स्तर प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.8

विभिन्न प्रथाओं के प्रति महिलाओं की संचेतना

क्र0	मापदण्ड	पर्दा प्रथा	प्रतिशत	बाल वि0	प्रतिशत	विधवा वि0	प्रतिशत
1	पक्ष	134	44.7	60	20	200	66.6
2	विपक्ष	134	44.7	232	77.3	83	27.7
3	तटस्थ	32	10.6	08	2.7	17	5.7
	योग	300	100	300	100	300	100

सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 20 प्रतिशत महिलायें बाल विवाह के पक्ष में है, 77.3 प्रतिशत विपक्ष में एवं 2.7 प्रतिशत महिलाओं ने तटस्थता दर्शायी। विधवा विवाह के प्रति 66.6 प्रतिशत ने पक्ष में उत्तर दिया तथा 27.7 प्रतिशत ने विपक्ष में उत्तर दिया तथा 5.7 प्रतिशत महिलायें इसके प्रति तटस्थ रहीं, पर्दा प्रथा के पक्ष में 44.7 प्रतिशत महिलायें है तथा विपक्ष में 44.7 प्रतिशत है तथा 10.6 महिलायें तटस्थ रही। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि विधवा विवाह के प्रति अन्य प्रथाओं से ज्यादा महिलाओं में संचेतना आई है।

सारिणी 6.8 एवं 7.8 की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह अधिक है परन्तु विधवा

विवाह के पक्ष नगरीय महिलायें अधिक हैं।

सारणी 7.9 में बालिका शिक्षा के प्रति महिलाओं के संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.9

बालिका शिक्षा के प्रति महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षा दिलाने के पक्ष में	252	84
2	शिक्षा दिलाने के विपक्ष में	48	16
	योग	300	100

सारणी के अवलोकन से इस बात की पुष्टि होती है कि 84 प्रतिशत महिलायें बालिका को शिक्षा दिलाने के पक्ष में है सिर्फ 16 प्रतिशत ही विपक्ष में हैं एवं शिक्षा बजट में भी महिला शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था होने के बावजूद भी लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अन्तर देखनें को मिल रहा है क्योंकि आज भी लोग लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं।

सारिणी 6.9 एवं 7.9 का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण की तुलना में नगरीय महिलायें अधिक बालिका शिक्षा के पक्ष में है। ग्रामीण अंचल में महिलाओं ने समान शिक्षा दिलाने की इच्छा तो व्यक्त की परन्तु घरेलू कामकाज लड़कियों को दक्ष करने को शिक्षा से भी ऊपर मानते हुये तथा लड़कियों के लिये प्रथक विद्यालय न होने पर उन्हें स्कूल भेजना आवश्यक नहीं समझतीं। परन्तु 10 से 15 प्रतिशत महिलायें लड़कियों को गाँव से बाहर भेजने एवं शिक्षा दिलाने में पक्षधर भी मिलीं, जो प्रायः सवर्ण एवं साधन सम्पन्न महिलायें थी। श्रमिक वर्ग महिलाओं में वे लड़कियों को शिक्षा देने के बजाय मजदूरी के कार्यों में अपने साथ शामिल रखने की प्रवृत्ति पायी गयी। नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के एक बड़े प्रतिशत ने लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा देने वकालत की परन्तु उनमें भी लड़कों के लिये अधिक संसाधन व सुविधायें देने की

प्रवृत्ति मिली। श्रमिक वर्ग की महिलायें शहरों में भी ग्रामीण महिलाओं की ही भांति लड़कियों को लड़के के समान शिक्षा की पक्षधर नहीं मिली तथा अपने साथ मजदूरी करने में ज्यादा संरक्षित मानती हैं।

सारणी 7.10 में लड़कियों को विवाह से पूर्व आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में महिलाओं की संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.10

लड़की के विवाह के पूर्व आत्मनिर्भरता के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	आत्मनिर्भरता के पक्ष में	227	75.7
2	आत्मनिर्भतरता के विपक्ष में	73	24.3
	योग	300	100

सारणी से स्पष्ट है कि 75.7 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्रियों को आत्म निर्भर बनाना चाहती है परन्तु 24.3 प्रतिशत महिलायें अपनी पुत्रियों को आत्म निर्भर बनाने के पक्ष में नही है। इस विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि नगरीय समुदाय में शिक्षा के विकास एवं औद्योगीकरण एवं नगरीयकरण के साथ ही साथ महिलाओं में जागरूकता आयी है।

सारिणी 6.10 एवं 7.10 की तुलना से यह तथ्य स्पष्ट हुये कि नगरीय महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में विवाह के पूर्व आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में जागरूकता कम है। इसके कारण पूछे जाने पर लड़की का विवाह कर देना ही उचित है क्योंकि ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि लड़की तो पराया धन है। उसे श्वसुराल की इच्छानुरूप चलना पड़ता है परन्तु कुछ शिक्षित उच्च वर्ग की महिलाओं ने लड़कियों में ऐसे ज्ञान या व्यवसाय या दक्षता का अनुभव महसूस किया जो आपातकाल में या उसके जीवन की विषम परिस्थितियों में लड़की को परिवार के निर्वहन में मदद करे परन्तु ऐसे प्रशिक्षणों का अभाव वे अनुभव करती हैं और जो ज्ञान या दक्षता उन्होंने स्वयं

प्राप्त कर रखा है उसका स्थानान्तरण मात्र कर रहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में लड़कियों के विवाह के पूर्व आत्म निर्भर रहने की आवश्यकता 75.7 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार की और वे इस दिशा में प्रयत्नशील भी दिखाई दीं किन्तु 25 प्रतिशत ऐसी महिलायें भी थीं जो ग्रामीण मानसिकता से ग्रसित थीं और घर के अन्दर सिलाई, कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण खुद ही देकर कर्तव्य का इति श्री मानती थी।

सारणी 7.11 में विवाह–विच्छेद (तलाक) के सम्बन्ध में महिलाओं की संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.11

विवाह विच्छेद (तलाक) के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	234	78
2	नही	66	22
	योग	300	100

सारणी 7.11 से स्पष्ट है कि 300 नगरीय उत्तरदात्रियों में से 234 (78 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में संचेतना है एवं 66 (22 प्रतिशत) में संचेतना नही है विश्लेषण से स्पष्ट है कि नगरीय समुदाय में अधिकांशतः महिलाओं में संचेतना है।

सारिणी 6.11 एवं 7.11 से यह तथ्य सामने आये कि 78 प्रतिशत नगरीय एवं 61.7 प्रतिशत ग्रामीण में संचेतना है। इस प्रश्न के पूछे जाने पर 38.3 प्रतिशत महिलाओं ने इसके प्रति अज्ञानता जाहिर की और सरकार के इस नियम को नैतिकता व धर्म के विरुद्ध भी कहा, ऐसी महिलाओं में से 80 प्रतिशत ने पति के अधीन रहने को ही धर्म कहा, भले ही कितनी यातनाएं सहनी पड़ी किन्तु 61.7 प्रतिशत महिलायें समाज एवं सरकार द्वारा बनाये गये इन नियमों से परिचित अवश्य थीं। परन्तु इन नियमों के उपयोग की स्थिति बनने पर भी जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण विच्छेद को असम्भव मानती हैं। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण अंचल से आयी हुई महिलाओं की स्थिति ग्रामीण की ही भांति थी

एवं अन्य में तलाक की जानकारी होते हुये भी ऐसी परिस्थितियों को सृजित होना धर्म विरुद्ध या नैतिकता के प्रतिकूल माना परन्तु उनमें से 10 प्रतिशत महिलायें अत्यन्त विषम स्थिति में इस अधिकार के प्रयोग को उचित मानती हैं।

सारणी 7.12 में गुजारा भत्ता के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना का स्तर का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.12

गुजारा भत्ता एवं महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	245	81.7
2	नही	55	18.3
	योग	300	100

सारणी 7.12 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 81.7 प्रतिशत महिलायें जागरूक हैं एवं 18.3 प्रतिशत महिलायें में जागरूकता नही आयी है। परन्तु जागरूकता के स्तर में वृद्धि सकारात्मक है।

सारिणी 6.12 एवं 7.12 के तुलनात्मक अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ग्रामीण महिलाओं की तुलना में नगरीय महिलाओं में गुजारा भत्ता के अधिकार के सम्बन्ध में संचेतना अधिक है। इस प्रश्न को ग्रामीण महिलाओं से पूछे जाने पर इस नियम के सम्बन्ध में जानने की उत्सुकता दिखायी। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि उनका गुजारा तो पति के साथ ही है परन्तु वह उन्हें छोड़ेगा तो गुजारा मिलना ही चाहिये। शहरी महिलाओं में भी गुजारा भत्ता अधिकार के प्रति जागरूकता व जानकारी स्पष्ट रूप से पायी गयी।

सारणी 7.13 में घर के कार्यो में महिलाओं की सहमति एवं महिलाओं में संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.13

घर के कार्यो में महिलाओं की सहमति एवं संवेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	210	70
2	नही	20	30
	योग	300	100

सारणी 7.13 से स्पष्ट है कि नगरीय उत्तरदात्रियों से यह पूंछे जाने पर कि क्या घर के कार्यो में आपकी सहमति ली जाती है ? के सम्बन्ध में 70 प्रतिशत महिलाओं ने कहाकि उनसे सहमति ली जाती है परन्तु 30 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनसे सहमति नही ली जाती है।

सारिणी 6.13 एवं 7.13 की तुलना करने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घर के कार्यों में नगरीय महिलाओं की तुलना ग्रामीण महिलाओं से कम सहमति ली जाती है। ग्रामीण समुदाय में घरेलू कार्यों महिलाओं की सहमति लिये जाने की बात स्वीकार की गयी। परन्तु महत्वपूर्ण नीति विषयक कार्यों में उनकी सहमति न लेकर परिणाम अवगत कराये जाते हैं या अनुपालन के निर्देश दिये जाते हैं परन्तु शहरी परिवेश में घर के प्रायः सभी कार्यों में महिलाओं की भागीदारी निर्णय में पायी गयी किन्तु कुछ महिलाओं में घर के व्यवसाय आदि के महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी भागीदारी शून्य मानी और इसमें इसके लिये ज्यादा उत्सुक भी दिखाई नहीं दीं।

महिलाओं के शोषण के सम्बन्ध में उत्तरदात्रियों से दो प्रश्न पूंछे गये पहला "क्या आपका शोषण हो रहा है ?" तथा दूसरा शोषण से बचने के क्या प्रयास करेंगी/करती हैं। इन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आंकड़ों को विवरण सारणी 7.14 एवं 7.14 (A) में प्रस्तुत किया।

सारणी 7.14

शोषण के स्वरूप के प्रति महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	शारीरिक	18	6.1
2	मानसिक	43	14.3
3	आर्थिक	05	1.7
4	सभी	31	10.3
5	पता नही	166	55.3
6	शारीरिक एवं मानसिक	31	10.3
7	शारीरिक एवं आर्थिक	04	1.3
8	मानसिक एवं आर्थिक	02	0.7
	योग	300	100

प्रस्तुत सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 6.1 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उनका शारीरिक शोषण हो रहा है तथा 14.3 ने कहा कि उनका मानसिक शोषण हो रहा है तथा 1.7 प्रतिशत महिलायें ऐसी थी जिनका आर्थिक शोषण हो रहा है यह शोषण खास तौर पर उन लोगों का अधिक था जो नौकरी करती थी या धनोपार्जन सम्बन्धित किसी भी कार्य को कर रही थीं, 10.3 ने कहा कि उनका सभी तरह से शोषण हो रहा है तथा 55.3 ने कहा कि उन्होनें उस सम्बन्ध में ध्यान नही दिया एवं 10.3 ने कहा कि उनका शारीरिक एवं मानसिक दोनो ही तरह का शोषण हो रहा है इसमें वे महिलायें शामिल है जो नौकरी कर रही हैं एवं 1.3 प्रतिशत महिलाऐं ऐसी है जिन्होने कहा कि उनका शारीरिक एवं आर्थिक शोषण हो रहा है एवं 0.7 प्रतिशत ही ऐसी महिलायें है जिन्होने कहा कि उनका मानसिक एवं आर्थिक शोषण हो रहा है विश्लेषण से स्पष्ट है कि उन महिलाओं की संख्या अधिक है जो अपने स्वंय के बारे में जागरूक नही हैं।

सारणी 7.14 (A)

शोषण से बचने के प्रयास एवं महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	परिवार के बड़े सदस्यों से मदद	20	6.7
2	प्रतिकार करेगी	38	12.7
3	आपसी समझौता करेगी	62	21.4
4	पुलिस के पास जायेगी	12	40
5	पता नही	166	55.4
6	प्रतिकार करेगी+ पुलिस के पास जायेगीं	02	0.8
	योग	300	100

सारणी 7.14 (A) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदात्रियों से यह पूंछे जाने पर कि इस शोषण से बचने के लिए आप क्या प्रयास करती है या करेगी के सम्बन्ध में 6.7 प्रतिशत ने कहा कि वह परिवार के बड़े सदस्यों से मदद मांगेगी एवं 12.7 प्रतिशत ने कहा कि वे प्रतिकार करेगी तथा 21.4 प्रतिशत ने कहा कि वह आपसी समझौता करती हैं अथवा करेगी एवं 4 प्रतिशत महिलाओं ने ही कहा कि वह पुलिस के पास जायेंगी साथ ही 55.4 प्रतिशत ऐसी भी महिलायें थी जिन्होने कहा कि वह इस सम्बन्ध में कुछ नही कह सकती है इनमें 0.8 प्रतिशत ऐसी भी महिलायें थी जिन्होने कहा कि पहले प्रतिकार करेगें यदि बात नही बनती तो पुलिस के पास जायेगीं। इस निष्कर्ष के प्राप्त होने का कारण पितृसत्तात्मक समाज है क्योंकि औरत को बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक किसी न किसी पुरूष के संरक्षण में रहना पड़ता है। साथ ही समझौता करना पड़ता है। प्रारम्भ में पिता के युवावस्था में भाई के यौवनवास्था में पति के और वृद्धावस्था में बेटे के संरक्षण में रहती है यही कारण है कि महिलायें समझौता करने में ज्यादा हितकर समझती है। और अपने अधिकारों को जानने का प्रयत्न नही करती है या

करना नही चाहती है।

सारिणी 6.14 (A) एवं 7.14 (A) की तुलना करने से स्पष्ट है कि ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में से 54.3 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं जो अपनी शोषण के प्रति सचेत नहीं हैं एवं 54.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं नगरीय ऐसी महिलायें हैं जिनका किसी न किसी तरह शोषण होता है।

युवा वर्ग में बढ़ते हुए सह सम्बन्ध एवं विवाहेत्तर सम्बन्ध और उनसे उत्पन्न संतानों के सम्बन्ध में तीन प्रश्न पूंछे गये पहला क्या युवा वर्ग के बढ़ते हुए सह–सम्बन्ध उचित हैं, दूसरा प्रश्न पूंछा गया कि आपके पति के किसी अन्य महिला या पुरूष से सम्बन्ध हैं ? तथा तीसरा प्रश्न पूंछा गया यदि आपके पति के किसी अन्य महिला से संतान है तो क्या आप इसे स्वीकार करेगीं ? इस सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ो को सारणी 7.15, 7.15 (A), 7.15 (B) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.15

युवा वर्ग में बढ़ते हुए सह-सम्बन्ध एवं महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	85	28.3
2	नही	215	71.7
	योग	300	100

सारणी 7.16(A) के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 28.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने ही युवा वर्ग में बढ़ते हुए सह सम्बन्ध को उचित माना एवं 71.7 प्रतिशत उत्तरदात्रिया इन सम्बन्धों को सही मानती हैं।

सारणी 7.15 (A)

विवाहेत्तर सम्बन्ध और महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	50	16.7
2	नही	250	83.3
	योग	300	100

सारणी 7.16 (B) के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 16.7 प्रतिशत महिलायें विवाहेत्तर सम्बन्धों के प्रति सचेत है साथ ही इस बात को भी स्वीकारती हैं कि उनके किसी अन्य पुरूष अथवा महिला के साथ सम्बन्ध भी है एवं 83.3 प्रतिशत महिलायें इसके प्रति सचेत नही है।

सारणी 7.15 (B)

अवैध संतान के प्रति महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	स्वीकार करेगी	65	21.7
2	बराबरी का अधिकार देगी	38	12.7
3	अस्वीकार कर देगी	166	55.3
4	पता नही	31	10.3
	योग	300	100

सारणी 7.15 (B) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवैध सन्तानों की बराबरी के अधिकार देने के सम्बन्ध में 12.7 प्रतिशत महिलायें हैं एवं 21.7 प्रतिशत महिलायें स्वीकार करती हैं परन्तु 55.3 प्रतिशत इस अधिकार का विरोध करती हैं एवं 10.3 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं जो इस सम्बन्ध में तटस्थ हैं। इसके कारण के रूप में बहुपत्नी विवाह से सम्बन्धित परम्परागत मान्यतायें भी हैं।

सारिणी 6.15, 6.15 (A), 6.15 (B) एवं 7.15, 7.15 (A), 7.15 (B), की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिलाओं की तुलना नगरीय महिलायें युवा वर्ग में बढ़ते हुये सह–सम्बन्ध को उचित मानती हैं। ग्रामीण की तुलना में नगरीय महिलाओं में विवाहेत्तर सम्बन्ध कम हैं। अवैध सन्तान के प्रति 89 प्रतिशत नगरीय एवं 92 प्रतिशत ग्रामीण महिलायें किसी न किसी सम्बन्ध से अवैध सन्तानों के प्रति सचेत हैं।

सम्पत्ति अधिकार के सम्बन्ध में महिलाओं से दो प्रश्न पूंछे गये पहला प्रश्न था क्या पिता अथवा पति की सम्पत्ति में अथवा दोनों की सम्पत्ति में आप का अधिकार है ?, दूसरा प्रश्न पूंछा गया कि क्या आप स्वय की सम्पत्ति को अपने इच्छानुसार खर्च कर सकती हैं ? इन प्रश्नों से प्राप्त आंकड़ों को सारणी 7.16 एवं 7.16 (A) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.16

सम्पत्ति अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	पिंता की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है	40	13.4
2	पति की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है	142	47.3
3	पिता/पति दोनों की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है।	118	39.9
	योग–	300	100

सारणी 7.16 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि समग्र उत्तरदात्रियों में से 13.4 प्रतिशत महिलायें ही ऐसी हैं जो पिता की सम्पत्ति में अपने अधिकार के बारे में जागरूक हैं एवं 47.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पति की सम्पत्ति मे बराबरी के हिस्से के प्रति सचेत

हैं, साथ ही 39.9 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पिता और पति दोनो की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है, के प्रति सचेत है। सारणी 7.16 में स्वयं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.16 (A)

स्वयं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	218	72.7
2	नही	82	27.3
	योग	300	100

सारणी 7.16(A) के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 300 नगरीय उत्तरदात्रियों में से 218 (72.7 प्रतिशत) महिलायें सचेत है तथा 82 (27.3 प्रतिशत) महिलायें अपनी सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में सचेत नही है जबकि महिलाओं का अपनी सम्पत्ति के पूर्व प्रयोग व अधिकार है।

सारिणी 6.16, 6.16 (A) एवं 7.16, 7.16 (A) की तुलना से स्पष्ट है कि सम्पत्ति का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में पिता की सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार के सम्बन्ध में 3 ग्रामीण एवं 13.4 नगरीय में चेतना है, जो ग्रामीण की तुलना में अधिक है। पति की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है, के सम्बन्ध में ग्रामीण महिलाओं की तुलना नगरीय का प्रतिशत कम है एवं पिता एवं पति की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है, के सम्बन्ध में 19.3 ग्रामीण एवं 39.3 नगरीय महिलाओं में संचेतना है, जो ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक है।

स्वयं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगरीय महिलाओं की ग्रामीण महिलाओं में कम चेतना है।

सारणी 7.17 महिला पुरूष पारिश्रमिक भेद के सम्बन्ध में महिलाओं की संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.17

महिला पुरूष पारिश्रमिक भेद के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	185	61.7
2	नहीं	115	38.3
	योग	300	100

सारणी 7.17 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 300 नगरीय उत्तरदात्रियों में से 185 (61.7 प्रतिशत) महिलाओं में संचेतना है एवं 115 (38.3 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों में संचेतना नही है। सारणी 7.17 (A) में महिलाओं की काम के समय के सम्बन्ध में संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.17 (A)

काम के घण्टे एवं महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	सही	146	48.7
2	गलत	154	51.3
	योग	300	100

सारणी 7.17 (A) के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 154 (51.3 प्रतिशत) महिलायें काम के समय के सम्बन्ध में सचेत है एवं 146 (48.7 प्रतिशत) में संचेतना नही है। जो महिलायें सचेत है वे संगठित या असंगठित क्षेत्रों से सम्बन्धित है सिर्फ 5 प्रतिशत गृहणी महिलाओं में संचेतना है।

सारिणी 6.17, 6.17 (A) एवं 7.17, 7.17 (A) के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगरीय महिलाओं में ग्रामीण महिलाओं की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा संचेतना है। काम

के समय से सम्बन्धित संचेतना ग्रामीण महिलाओं की तुलना में नगरीय महिलाओं में अधिक है। नगर में 48.7 प्रतिशत एवं ग्राम में 17 प्रतिशत महिलाओं में इस अधिकार के प्रति सचेत हैं।

सारणी 7.18 (A) में मताधिकार का प्रयोग एवं महिलाओं में संचेतना के स्तर का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.18

मताधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	265	88.3
2	गलत	35	11.7
	योग	300	100

सारणी 7.18 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नगरीय समुदाय की 88.3 प्रतिशत उत्तरदात्रियां अपने मताधिकार का प्रयोग करती है परन्तु 11.7 प्रतिशत अपने मताधिकार का प्रयोग नही करती हैं। मताधिकार के प्रयोग न करने के सम्बन्ध में कुछ महिलाओं ने कहा कि कोई उम्मीदवार समझ में नही आये कुछ का मानना था कि चुनाव जीतने के बाद नेता किसी भी आशा को पूरा नही करते हैं इस लिये हम वोट नही डालते हैं। सारणी 7.18 (A) में मताधिकार प्रयोग के आधार का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.18 (A)

मताधिकार प्रयोग का आधार एवं महिला संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	पार्टी	104	34.7
2	उम्मीदवार	95	31.7
3	जातीय	30	10.0
4	क्षेत्रीय	10	3.3
5	जिसमें कह देगें	26	8.6
6	पता नहीं	35	11.7
	योग	300	100

सारणी 7.18 (A) से स्पष्ट है कि 34.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां पार्टी को देखकर वोट देती हैं, एवं 31.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां उम्मीदवार की योग्यता को देखकर वोट देती हैं तथा 10 प्रतिशत महिलायें उम्मीदवार को जातीय आधार पर वोट देती है एवं 3.3 प्रतिशत महिलायें ही क्षेत्र पर ध्यान देती है एवं 8.6 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं जो अपने पति/पिता अथवा परिवार के सदस्यों के कहने पर ही वोट डालती हैं परिवार के सदस्य जिसमें कह देगें वे उसी में वोट डाल देती हैं तथा 11.7 प्रतिशत वोट नही डालती हैं।

सारिणी 6.18, 6.18 (A) एवं 7.18, 7.18 (A) की तुलना से स्पष्ट है कि मताधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में 89 प्रतिशत संचेतना है। ग्रामीण समुदायों में दलित व अनुसूचित जाति की महिलाओं में मताधिकार के प्रति अभिरूचि दिखाई। उनका मानना था कि वोट डालने अवश्य जाना चाहिये परन्तु क्यों इसका उत्तर वे प्रौढता नहीं दे सकीं। सवर्ण जातीय महिलाओं में वोट डालने जाने के प्रति उत्सुकता नहीं थी। फिर भी पारिवारिक जनों के साथ आवश्यकता पड़ने पर दायित्व का निर्वाह करने की बात स्वीकार की। प्रायः सभी महिलाओं में स्व विवेक या स्वनिर्णय

न करने की बात स्वीकार की गयी परिवार के शिक्षित व्यक्ति या परिवार के मुखिया की राय पर उससे पूछ कर मतदान करना उचित बताया। नगरीय समुदाय में 50 प्रतिशत से अधिक महिलायें ग्रामीण मानसिकता की ही मिली परन्तु 40 प्रतिशत महिलायें अपना मताधिकार का प्रयोग स्व विवेक एवं रुचि के अनुसार ही करती हैं।

सारणी 7.18 (B) में पंचायत में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.18 (B)

पंचायत में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में संचेतना

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	सही	124	41.3
2	गलत	176	58.7
	योग	300	100

सारणी 7.18(B) से स्पष्ट होता है कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हैं इसके सम्बन्ध में 41.3 प्रतिशत महिलायें सचेत है एवं 58.7 प्रतिशत में संचेतना नही है। सारणी 7.18 (C) में आरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.18 (C)

आरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में महिलाओं में जागरूकता

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	260	86.7
2	नहीं	40	13.3
	योग	300	100

सारणी 7.18 (C)से स्पष्ट है कि 86.7 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिये एवं 13.3 प्रतिशत का मानना है कि महिला

आरक्षण विधेयक पास नही होना चाहिये। सारणी 7.18 (D) में राजनीति में जाने के सम्बन्ध में महिलाओं में संचेतना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 7.18 (D)

राजनीति में प्रवेश एवं महिला जागरूकता

क्रमांक	मापदण्ड	उत्तरदात्रियों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	120	40
2	नहीं	180	60
	योग	300	100

सारणी 7.18 (D) से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ही ऐसी हैं जो राजनीति में जाना चाहती हैं और 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियां ऐसी है जो राजनीति में जाना पसन्द नही करती हैं 40 प्रतिशत जो राजनीति में जाना चाहती हैं उनमें से 20 प्रतिशत स्वयं की इच्छा से एवं 20 प्रतिशत अपने घर के सदस्यों के या पिता अथवा पति के कहने पर ही राजनीति में जाना चाहती हैं।

सारिणी 6.18(B), 6.18(C), 6.18(D) एवं 7.18(B), 7.18(C), 7.18(D) की तुलना से स्पष्ट है कि पंचायत में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में ग्रामीण महिलाओं की तुलना में नगरीय महिलाओं में संचेतना अधिक है। महिला आरक्षण के सम्बन्ध में 85 प्रतिशत ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं ने आरक्षण को सही कहा एवं 17 प्रतिशत ने इसे गलत कहा। राजनीति में प्रवेश के सम्बन्ध में ग्रामीण महिलाओं में 49 प्रतिशत एवं नगरीय महिलाओं में 40 प्रतिशत महिलायें राजनीति में जाना चाहती हैं। नगरीय महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत राजनीति में जाने के प्रति अधिक है।

प्रस्तुत अध्याय में नगरीय महिलाओं की सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का विश्लेषण किया गया और सूक्ष्म स्तर पर यह ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया कि नगरीय समुदाय का कितना प्रभाव महिलाओं की संचेतना पर पड़ता है एवं

कितने प्रतिशत महिलायें विभिन्न विधानों के प्रति सचेत है। साथ ही व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश से सम्बन्ध और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होने वाली विशिष्टताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलायें अपना जीवन चलाने में धार्मिक परम्पराओं से बहुत प्रभावित होती हैं। अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकला कि इन परम्पराओं का स्वरूप एक जैसा नहीं है और जीवन में अन्य क्षेत्रों विशेषकर आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में हुये परिवर्तनों के कारण इनमें भी कई तरह के परिवर्तन आये हैं। फिर भी विषमतायें परिवर्तित रूप में ही सही, आज भी विद्यमान हैं। महिलाओं के विवाह तथा माँ बनना आज भी सम्मानजनक तथा धार्मिक दृष्टि से स्वीकार्य उपलब्धि माना जाता है। तलाक, जीवनयापन, खर्च, संरक्षण तथा उत्तराधिकार से सम्बन्धित कानूनों में महिलाओं को कम महत्व प्राप्त है। बलात्कार, दहेज, दुल्हनों के जलाने जैसे अत्याचार एवं अपमानजनक कुरीतियाँ महिलाओं के विकास में बाधक बनी हुई हैं।

अध्याय – 8

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन का अभिप्राय सूक्ष्म स्तर ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार के प्रति संचेतना का स्तर जानना है। इस अध्ययन को भारतीय समाज के ग्रामीण (बड़ोखर खुर्द गाँव) एवं नगरीय (बाँदा नगर) समुदाय की 600 महिलाओं तक सीमित किया गया है। उक्त प्रक्रिया अध्ययन का उद्देश्य है ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में संचेतना के निम्न स्तर के कारणों की खोज करना तथा विभिन्न विधानों के प्रति उनके दृष्टिकोण को ज्ञात करना। साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं को न्यून संचेतना के स्तर का विस्तार करना एवं संचेतना के स्तर को बढ़ाने के सुझाव प्रस्तुत करना भी उक्त अध्ययन का उद्देश्य है।

समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका न केवल बच्चों के विकास के लिये उत्तरदायी है बल्कि वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौगोलिक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ महिलायें उत्कृष्ट भूमिका निभा रही हैं। एक ओर जहाँ शहरी महिलायें स्कूलों, कालेजों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर देश के विकास में संलग्न हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलायें प्रारम्भ से ही खेत–खलिहानों तथा अन्य विविध क्षेत्रों में रात–दिन काम करके अपने परिवार एवं देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान देती रहीं हैं। इसके बावजूद समाज में महिलायें पुरुष से हेय समझी जाती हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें और भी अधिक उपेक्षित हैं। देश की कुल आबादी की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं, जो घोर अशिक्षा, अन्धविश्वास व रुढ़ियों से ग्रस्त हैं। अतः देश के विकास में ग्रामीण भारत की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की

आवश्यकता है। यदि भारत में महिला वर्ग की आधी से ज्यादा इस आबादी का विकास नहीं हुआ तो देश व समाज का विकास नहीं हो सकता। किन्तु देश की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ एवं परम्पराओं के कारण ग्रामीण महिलाओं के योगदान को न तो महत्व दिया गया है और न ही अवसर प्रदान किया गया है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने महिलाओं को अपना अनुगामी बनाये रखा तथा उन्हें अनेक प्रकार के रुढ़िगत सामाजिक और आर्थिक बन्धनों में जकड़े रखने में अपना महत्व प्रतिपादित किया। इस कारण सम्पूर्ण देश तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियाँ अत्यन्त शोचनीय रही है।

विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिला पुरूष की तुलना में अपने अधिकारों के सन्दर्भ में सदैव उपेक्षित रही है, इसीलिए प्रत्येक समाज में महिलाओं के साथ शोषण, अन्याय और अत्याचार होता रहा है। इस शोषण के पीछे उनमें व्याप्त अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता की कमी, पुरूष प्रधान मानसिकता, रूढ़िवादिता तथा आर्थिक आधार पर पुरूषों पर निर्भर रहना आदि कारण उत्तरदायी रहे हैं। इतिहास के इस दौर में महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक युग में महिलाओं की स्थिति भिन्नतायुक्त रही है। विभिन्न सामाजिक एवं दार्शनिक विद्वानों ने अपने समाज एवं देश की परिस्थितियों के अनुरूप महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रस्तुत किये तथा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों में भी सक्रियता दिखायी परन्तु एक ओर जहाँ महिलाओं की स्वाधीनता के सम्बन्ध में विचार दिये वहीं दूसरी ओर उनकी पराधीनता की भी बात की।

आज विश्व के सभी देशों में सिविल समाज के आन्दोलन के अन्तर्गत महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि महिलाओं ने एक लड़ाई जीत ली है। आज शासन राजनीति, विज्ञान, शिक्षा,

समाजकल्याण, संस्कृति, ट्रेडयूनियन, उद्योग, व्यापार सभी महिलाएं महत्वपूर्ण और दायित्वपूर्ण पद सम्भाले हुए हैं। पर दूसरी लड़ाई जीतनी अभी शेष है। यह लड़ाई है सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय दूर करने की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों और 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम–संगठन' के नियमानुसार महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समानाधिकार प्राप्त हैं परन्तु यह सिद्धान्त की बात है, व्यवहार में भेदभाव हर जगह विद्यमान है। आपसी व्यवहार में वेतनमान में, मजदूरी में, शिक्षा में एवं कलाओं में और संगठित और असंगठित क्षेत्रों तथा सरकारी सेवाओं में यहाँ तक परिवारों में। शिक्षा एवं समानाधिकार की बात 'यूनेस्को' के आंकड़ो में एक व्यंग्य सी लगती है। संसार के 80 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों में से 50 करोड़ निरक्षर महिलाएं है और आज़ भी विकासशील देशों की 60 प्रतिशत महिलाएं वोट के अधिकार से वंचित हैं।[4]

इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक महिला–अधिकार सभी देशों में किसी न किसी रूप में बाधित होते रहे हैं। उसके बाद नव–जागरण काल से धीरे–धीरे अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्न आंरभ हुए। सभी देशों में इन स्थिति में सुधार के लिए दो मुख्य कारण रहे एक, महिलाओं में सामाजिक अन्याय के प्रति विरोध और मानवीय आधार पर बराबरी के अधिकारों के प्रति उनकी जागृति–चेतना। दूसरा विभिन्न सरकारों व समाज–सुधारकों का ध्यान भी इस समस्या की ओर आकर्षित होना है ताकि आधी जनसंख्या शक्तियों की व्यर्थता न तो राज्य एवं समाज के हित में है, न स्वयं पुरूषों के और इन सम्मिलित प्रयत्नों का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय अधिकारों की गारण्टी देने वाली एजेंसियों पर पड़ना भी स्वाभाविक था। आज परिवर्तन की जो गति दिखाई दे रही है उसे लाने में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों का मूल्य किसी भी तरह कम नही आंका जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने विशेष रूप से महिलाओं के दर्जो सम्बन्धी आयोग ने महिलाओं को मानवीय आधार पर विवाह और परिवार, शिक्षा, रोजगार, कानून, सुरक्षा आदि सभी क्षेत्रों पुरूषों के बराबरी के अधिकार दिलाने के लिए क्रमशः कई ठोस प्रयत्न किये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में बराबरी के लिए महिलाओं की स्थिति में एक

सामान्य स्तर की निर्धारित लिंग व जातीय भेद–भाव उन्मूलन–सम्बन्धी घोषणा–पत्र तथा समय–समय पर विभिन्न राष्ट्रों के लिए गये तत्सम्बन्धी आदेश सुझाव विश्व में महिलाओं की स्थिति सुधारने में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं।

स्वतन्त्रता के उपरान्त 20वीं सदी के मध्य में बने भारतीय संविधान में बिना लिंग जाति, वर्ण, सम्प्रदाय भेद के सभी भारत के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, किन्तु महिलाएं आज भी पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता से इन सम्बन्धित अधिकारों से वंचित है। इसलिए उन अधिकारों की रक्षा करने एवं समाज में उनकी प्रस्थिति को ऊँचा उठाने के लिए अनेक विधानों को निर्मित किया गया है। क्योंकि अभी भी भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बन्धित परम्परागत मूल्यों व समाज के दृष्टिकोण में कोई विशेष अन्तर प्रकट नही हो रहा, साथ ही स्वयं महिला वर्ग भी, यानी आधे से अधिक आबादी अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों के प्रति सजग नही है। निरन्तर महिला वर्ग में बढ़ती हुई समस्याओं के मद्देनजर भारतीय संविधान के सामाजिक अधिकारों को संवैधानिक व कानूनी आधार प्रदान किया गया ताकि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति में सुधार हो सके। परन्तु सूक्ष्म अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये समस्त विधान सैद्धान्तिक पक्ष ही रखते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से महिलाओं के साथ आज भी सामाजिक, आर्थिक, शोषण व असमानता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। आज भी परिवार से लेकर संगठित सम्भावित देशों में कार्यरत महिलाओं के साथ अनेक प्रकार का शारीरिक, मानसिक शोषण व असमान व्यवहार किया जा रहा है।

महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के मद्देनजर बहुत लम्बे समय से ही उनके सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया किन्तु दुर्भाग्यवश स्वयं महिलायें अशिक्षा एवं अज्ञानता के दलदल में फंसी होने के कारण इन अधिकारों के प्रति सचेत नही हैं। प्रस्तावित अध्ययन ऐसे ही कारकों की खोज से सम्बद्ध है जिनके कारण ग्रामीण एवं नगरीय महिलाएं अभी भी समानता को प्राप्त नहीं कर पायीं।

प्रस्तावित अध्ययन उक्त उद्देश्यों की पूर्ति का एक प्रयत्न है, जिसमें संचेतना को प्रभावित करने वाले कारकों का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने का प्रयास

किया गया है।

वर्तमान अध्ययन के प्रमुख अध्ययन हैं–

1. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना के स्तर का मापन।
2. समाज में समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं के विकास क़ी दशा का आंकलन करना।
3. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास की स्थिति का आंकलन करना।
4. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं अन्धविश्वास का वास्तविक मूल्यांकन करना।
6. उच्च्य जाति, पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों की महिलाओं का सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन।
7. 21वीं सदी के प्रारम्भिक वर्ष में महिला सशक्तिकरण की धारणा को ज्ञात करना।
8. उन कारणों को ज्ञात करना, जिनके कारण ग्रामीण एवं नगरीय महिलायें अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करतीं।
9. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं से सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति उनकी राय जानना तथा सुझाव प्रस्तुत करना।

उपर्युक्त विवरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध का अभिकल्प अन्वेष्णात्मक, वर्णनात्मक तथा निदानात्मक है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश में महिलाओं की सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार के प्रति संचेतना एवं अधिकार

के प्रति उनके दृष्टिकोण का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना है। साथ ही कुछ परिकल्पनाओं जिनका निर्माण भारतीय समाज में प्रचलित दशाओं तथा उपलब्ध अनुसंधान सामग्री पर आधारित है, का परीक्षण भी करना है। इसके अतिरिक्त अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर समस्या के समाधान के लिये सुझाव प्रस्तुत करना भी वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य है।

पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षो एवं उद्देश्यों के आधार पर हमारी विशिष्ट परिकल्पनायें निम्नलिखित हैं–

1. नगरीय महिलायें, ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा अधिक जागरूक हैं।
2. भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अन्धविश्वासों एवं जाति संरचना व पुरुष सत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रायः ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में संचेतना का अभाव है।
3. ग्रामीण एवं नगरीय समाज में उच्च सामाजिक, आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध महिलाओं की तुलना में निम्न सामाजिक, आर्थिक स्थिति की महिलायें अधिक रुढ़िगत है।
4. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति उनके जागरूकता की स्थिति को निर्धारित करती है।
5. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की उच्च जाति की महिलाओं में पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं से अधिक अधिकार चेतना होने की सम्भावना है।
6. सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति अचेतना का प्रमुख कारण सामाजिक विधानों को सुचारू रूप से लागू व प्रचलित न करना है।
7. शिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिलाओं में कम जागरूकता होने की सम्भावना है।

प्रस्तावित अध्ययन भारत के उत्तर प्रदेश प्रान्त के बुन्देलखण्ड संभाग में स्थित चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जिला बाँदा जनपद एवं उसके एक गाँव बड़ोखर खुर्द की महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है।

द्वितीय अध्याय में सामुदायिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बाँदा जनपद का ऐतिहासिक नगर बाँदा एवं उससे 6 किमी0 की दूरी में बसा गाँव बड़ोखर खुर्द है। प्राचीनकाल में यह वामदेव ऋषि का निवास स्थान था। इसी कारण उन्हीं के नाम पर इसका नाम बाँदा पड़ा।

बाँदा जनपद यमुना नदी और विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4171.09 वर्ग किमी0 है।

बाँदा जनपद की कुल जनसंख्या सन 2001 की जनगणना के अनुसार से 40,52,050 है जिसमें 21,76,954 (53.71 प्रतिशत) पुरुष एवं 18,75,096 (46.29 प्रतिशत) महिलायें हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कुल जनसंख्या 2,69,485 है। जनपद में हिन्दी बोलने वालों की कुल जनसंख्या 18,21,386, उर्दू बोलने वाले 39,684 पंजाबी 81, बंगाली 47 तथा 884 अन्य भाषा बोलते हैं। जनपद में 17,41,760 हिन्दू, 1,18,434 मुसलमान, 716 ईसाई, 254 सिक्ख, 39 बौद्ध, 839 जैन हैं तथा 54 अन्य धर्मावलम्बी हैं।

प्रशासनिक सुविधा हेतु जनपद में 4 तहसीलें तथा 8 विकास खण्ड हैं। सभी विकास खण्डों के अन्तर्गत 100 न्याय पंचायत तथा 800 ग्राम सभायें हैं। जनपद में कुल 2 नगरपालिका तथा 8 टाउन एरिया है।

जनपद में कुल साक्षर लोग 93,277 तथा 6 महाविद्यालय, 58 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 385 सीनियर बेसिक स्कूल, 1317 जूनियर बेसिक स्कूल, 700 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ 14 एलोपैथिक, 20 आयुर्वेदिक, 26 होम्योपैथिक, 4 यूनानी चिकित्सालय हैं। साथ ही यहाँ कुल 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 19 परिवार एवं मातृशिशु कल्याण तथा 201 उपकेन्द्र हैं। 1 क्षयरोग चिकित्सालय तथा 1 कुष्ठरोग निवारण केन्द्र भी है। 814 बालवाड़ी आंगनवाड़ी केन्द्र भी हैं।

अन्य सुविधाओं में 17 पुलिस स्टेशन, 7 नगरीय तथा 10 ग्रामीण, जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंक 33 तथा 50 ग्रामीण बैंक शाखायें, 11 सहकारी बैंक शाखायें, 3 सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक की शाखायें हैं। जनपद में 143 बस स्टेशन तथा बस स्टाप हैं। 19 रेल्वे स्टेशन हैं। बाँदा में विद्युतीकृत आबाद ग्राम 539 हैं।

बाँदा जनपद में जो 2 नगरपालिकायें हैं, उनमें से एक बाँदा नगरपालिका तथा उसके करीबी बड़ोखर खुर्द गाँव अध्ययन का क्षेत्र है।

बाँदा नगर का क्षेत्रफल 11.29 वर्ग किमी0 है। नगर की पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 6 किमी0 तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 8 किमी0 है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 1,38,145 है। जिसमें 75,461 (54.62 प्रतिशत) पुरुष तथा 62684 (45.38 प्रतिशत) महिलायें हैं।

नगर में कुल 93,277 साक्षर लोग हैं, जिसमें 55,470 पुरुष एवं 37,807 महिलायें हैं। यहाँ शिक्षा के लिये 35 हायर सेकेण्ड्री स्कूल बालकों के लिये तथा 12 बालिकाओं के लिये हैं। 200 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 78 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 6 महाविद्यालय हैं। 2 मान्यता प्राप्त सिटी माण्टेसरी स्कूल हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं में 14 एलोपैथिक चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र, 3 आयुर्वेदिक औषधालय एवं 1 होम्यापैथिक चिकित्सालय तथा 3 परिवार एवं मातृशिशु कल्याण. केन्द्र हैं।

बाँदा नगर पिछड़ा किन्तु विकासशील नगर है यहाँ की अर्थव्यवस्था

अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के व्यवसायों व लघु एवं गृह उद्योगों से प्रभावित हैं। जनपद मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सरकारी एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थायें हैं।

ग्राम बड़ोखर खुर्द जनपद बाँदा के मुख्यालय से 6 किमी0 दूरी पर इलाहाबाद–झाँसी से मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, जो अम्बेडकर ग्रामों की सूची में आता है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार गाँव की कुल जनसंख्या 2601 है। जिसमें 1316 पुरुष, 1285 महिलायें एवं 785 अनुसूचित जाति के व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें 410 पुरुष एवं 375 महिलायें हैं

गाँव में कुल साक्षर व्यक्ति 1074 हैं, जिसमें 686 पुरुष एवं 388 महिलायें शामिल हैं। यहाँ शिक्षा के लिये 3 प्राथमिक विद्यालय एवं 1 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। स्वास्थ्य केन्द्र में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, 1 विकास खण्ड संसाधन केन्द्र, 1 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र, 2 उपभोक्ता उचित दर पर राशन की दुकान, तालाबों की संख्या 5, हैण्डपम्प 67, डाकघर 1 है। विद्युत एवं पंचायत भवन की सुविधा भी गाँव में उपलब्ध है।

वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, अन्त्योदय अन्य योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना चलायी जा रही है। उसमें कुल जनसंख्या में 326 लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

ग्राम बड़ोखर खुर्द की कुल आबादी 2601 है, जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं, परन्तु वैश्य वर्ण के लोग यहाँ नहीं है। यह सामान्य वर्ग में 13 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग में 55 प्रतिशत, अनुसूचित जाति में 30 प्रतिशत और 2 प्रतिशत अल्पसंख्यक निवास करते हैं।

यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। गाँव में कुछ लोग नौकरियों में हैं, जो समय–समय पर गाँव आते–जाते रहते हैं। मध्यम वर्ग की जो स्थिति नगरीय समुदाय की है, वही व्यक्ति गाँव में उच्च वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

तृतीय अध्याय में महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है और सूक्ष्म स्तर पर सामाजिक परिवेश को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। जिसमें महिलायें निवास करती हैं।

आयु समूह के अन्तर्गत 34 प्रतिशत ग्रामीण एवं 34 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां 18–35 आयु वर्ग की हैं। 35–50 आयु वर्ग की 33 ग्रामीण एवं 33 नगरीय उत्तरदात्रियां शामिल हैं। 50 से अधिक आयु वर्ग में 33 ग्रामीण एवं 33 नगरीय उत्तरदात्रियां शामिल हैं।

जातीय स्तर के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सामान्य वर्ग की 33.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 33.3 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां तथा अनुसूचित जाति की 33.3 प्रतिशत ग्रामीण 33.3 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां शामिल हैं। साथ ही पिछड़े वर्ग की 33.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 33.3 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां शामिल हैं।

पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि 68 प्रतिशत ग्रामीण एवं मात्र 44 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां संयुक्त परिवार से सम्बन्धित हैं एवं 32 प्रतिशत ग्रामीण एवं सर्वाधिक 56 प्रतिशत नगरीय महिलायें एकांकी परिवार से सम्बद्ध है।

उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर का अवलोकन किया गया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उत्तप्रदाताओं में निरक्षरों का सर्वाधिक 70 प्रतिशत ग्रामीण एवं 29.3 प्रतिशत नगरीय है। हाईस्कूल से कम 22 प्रतिशत ग्रामीण एवं 30.3 प्रतिशत नगरीय है। हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम 6.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 23.7 प्रतिशत नगरीय

उत्तरदात्रियां हैं। जबकि 1.3 प्रतिशत ग्रामीण 16.7 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां शिक्षित हैं।

उत्तरदात्रियों के पिता का शैक्षिक स्तर का आंकलन करने पर स्पष्ट है कि 56.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 36.7 प्रतिशत नगरीय है। हाईस्कूल से कम 31.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 31.7 प्रतिशत नगरीय है, हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम मात्र 9.6 प्रतिशत ग्रामीण एवं 2 प्रतिशत नगरीय है। स्नातक एवं उससे ऊपर 2 प्रतिशत ग्रामीण एवं 16.3 प्रतिशत नगरीय है।

उत्तरदात्रियों की माँ की शिक्षा का आंकलन करने से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 91.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 74 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियों में निरक्षरता है। हाईस्कूल से कम 7.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 17 प्रतिशत नगरीय है तथा हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम 2 प्रतिशत ग्रामीण एवं 6.6 प्रतिशत नगरीय है। साथ ही स्नातक एवं उससे ऊपर ग्रामीण उत्तरदात्रियों का आभाव है परन्तु 2.4 प्रतिशत नगरीय हैं।

उत्तरदात्रियों के पति के शिक्षा के अवलोकन से स्पष्ट है कि 35.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 8.3 प्रतिशत नगरीय महिलाओं के पति निरक्षर हैं। हाईस्कूल से कम 43 प्रतिशत ग्रामीण एवं 25 प्रतिशत नगरीय में शिक्षा है। हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम में 9.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 34.3 प्रतिशत नगरीय में शिक्षा है। स्नातक एवं उससे ऊपर 5.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 19.7 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियों के पति में शिक्षा है। साथ ही 6.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 12.7 प्रतिशत नगरीय महिलायें अविवाहित हैं।

विवाह के समय आयु का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 72 प्रतिशत ग्रामीण एवं 42 प्रतिशत नगरीय महिलाओं का विवाह 15 से कम आयु में हुआ। 18 वर्ष की आयु तक 20.8 प्रतिशत ग्रामीण एवं 34.3 प्रतिशत

नगरीय महिलाओं का 0.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 7 प्रतिशत नगरीय महिलाओं का विवाह 22 वर्ष की उम्र तक हुआ। साथ ही 0.3 प्रतिशत ग्रामीण 4 प्रतिशत नगरीय महिलाओं का विवाह 22 से अधिक आयु वर्ग में हुआ तथा 6.6 प्रतिशत ग्रामीण एवं 12.7 प्रतिशत नगरीय महिलायें अविवाहित हैं।

इसी क्रम में जब उत्तरदाताओं के व्यवसाय का पता किया गया जिसमें ज्ञात हुआ कि 9 प्रतिशत ग्रामीण एवं 16.6 प्रतिशत नगरीय महिलायें निजी व्यवसाय में संलग्न हैं। 6.6 प्रतिशत ग्रामीण, 4 प्रतिशत नगरीय महिलायें कृषि कार्य से सम्बन्धित हैं। 1.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 12.7 प्रतिशत नगरीय महिलायें नौकरी करती हैं तथा 31 प्रतिशत महिलायें ग्रामीण एवं 7.4 प्रतिशत नगरीय महिलायें श्रमिक हैं, साथ ही 51.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 59.3 प्रतिशत नगरीय महिलायें ग्रहणी हैं।

उत्तरदात्रियों के पिता के व्यवसाय की स्थिति को भी स्पष्ट किया, जिससे स्पष्ट है कि 12 प्रतिशत ग्रामीण एवं 31.7 प्रतिशत नगरीय महिलाओं के पति निजी व्यवसाय करते हैं। 27.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 10.3 प्रतिशत नगरीय कृषि से सम्बन्धित हैं एवं 5.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 2.7 प्रतिशत नगरीय नौकरी करते हैं एवं 44.3 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत नगरीय श्रमिक कार्य से सम्बन्धित हैं, साथ ही 10.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं के पिता किसी कार्य से सम्बन्धित नहीं है।

इसी क्रम में उत्तरदात्रियों के माँ का व्यवसाय स्पष्ट किया गया, जिसमें 6.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 9.4 प्रतिशत नगरीय निजी व्यवसाय से, 6.0 प्रतिशत ग्रामीण एवं 5.6 प्रतिशत नगरीय कृषि से 2.4 प्रतिशत नौकरी से सम्बन्धित हैं। इसमें ग्रामीण महिलाओं की संख्या निल है, साथ ही 17.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 1 नगरीय महिलायें श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित हैं एवं 75.8 प्रतिशत ग्रामीण एवं नगरीय महिलायें किसी कार्य से सम्बन्धित नहीं है।

उत्तरदात्रियों के पतियों के व्यवसाय का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हुआ कि 14.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 28.3 प्रतिशत नगरीय निजी व्यवसाय से, 30.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 10.3 प्रतिशत नगरीय कृषि से, 8 प्रतिशत ग्रामीण एवं 32.4 प्रतिशत नगरीय नौकरी से, साथ ही 37.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 9.7 प्रतिशत नगरीय महिलाओं के पति श्रमिक वर्ग से सम्बन्धित हैं तथा 14.5 प्रतिशत ऐसे भी हैं जो धनोपार्जन सम्बन्धित कार्य में संलग्न नहीं हैं।

उक्त के अतिरिक्त उत्तरदात्रियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 14.7 प्रतिशत ग्रामीण, 35.7 प्रतिशत नगरीय उच्च सामाजिक, आर्थिक स्थिति की है। 29.6 प्रतिशत ग्रामीण एवं 51.3 प्रतिशत नगरीय महिलायें मध्यम सामाजिक, आर्थिक स्थिति की हैं। 55.6 प्रतिशत ग्रामीण, 12.4 प्रतिशत नगरीय निम्न सामाजिक, आर्थिक स्थिति के परिवार की हैं।

इसी क्रम में उत्तरदात्रियों की स्वयं की आय का विश्लेषण किया गया, जिसमें 55.11 प्रतिशत ग्रामीण, 42.9 प्रतिशत नगरीय ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, 59.3 प्रतिशत ग्रामीण एवं 16.6 प्रतिशत नगरीय महिलायें 500—1000 आय वर्ग की श्रेणी में आती हैं, 5.3 प्रतिशत ग्रामीण, 36.4 प्रतिशत नगरीय महिलाएं 2000—5000 आय वर्ग की श्रेणी में आती हैं, 0.3 प्रतिशत ग्रामीण, 3.4 प्रतिशत नगरीय 5000—10000 आय वर्ग समूह में आती हैं, साथ ही 1.6 प्रतिशत नगरीय महिलायें 10000 से अधिक आय वर्ग के समूह में आती हैं, ग्रामीण संख्या शून्य है।

उत्तरदात्रियों के पति की आय के सम्बन्ध में स्पष्ट हुआ कि 48.7 प्रतिशत ग्रामीण, 8.6 प्रतिशत नगरीय महिलाओं के पति 500—1000 आय वर्ग समूह के हैं। 31.7 प्रतिशत ग्रामीण, 46.4 प्रतिशत नगरीय 2000—5000 आय वर्ग के एवं 5000—10000 की श्रेणी में 7.6 प्रतिशत ग्रामीण, 30.4 प्रतिशत नगरीय महिलाओं के

पति हैं। साथ ही 12 प्रतिशत ग्रामीण एवं 14.6 प्रतिशत नगरीय महिलायें 10000 से अधिक आय वर्ग समूह के हैं।

उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति भी स्पष्ट की गयी, जिसके अन्तर्गत 85.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 74.6 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां विवाहित हैं। 6.7 प्रतिशत ग्रामीण एवं 12.6 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां अविवाहित, 1.6 प्रतिशत ग्रामीण एवं 4.1 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां परित्याग्यता हैं, साथ ही 6.0 प्रतिशत ग्रामीण एवं 8.7 प्रतिशत नगरीय उत्तरदात्रियां विधवा महिलायें शामिल हैं।

अध्याय 4 में महिलाओं की आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया। अध्ययन से ज्ञात निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की संचेतना पर उनमें पारिवारिक, आर्थिक कारकों के बीच सकारात्मक सह–सम्बन्ध होता है। साथ ही उच्च सामाजिक, आर्थिक स्तर संचेतना के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। जबकि निम्न सामाजिक, आर्थिक स्तर संचेतना को कम करने में सहायक होता है। महिलाओं की संचेतना एवं पारिवारिक, आर्थिक कारकों के बीच सह–सम्बन्ध ज्ञात करने हेतु दो चरों के आधार पर भी अध्ययन किया गया। इसके अन्तर्गत परिवार का प्रकार जाति, शिक्षा, व्यवसाय, परिवार की मासिक आय आदि चरों के आधार पर विश्लेषित किया गया है।

सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि जातीय स्तर एवं परिवार का प्रकार, महिलाओं की संचेतना को प्रभावित करता है। ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार में रहने वाली उच्च जाति की 33, पिछड़ी जाति की 13, अनुसूचित जाति की 10 महिलाओं में संचेतना है जबकि नगरीय समुदाय में संयुक्त परिवार से सम्बन्धित 25 उच्च जाति, 26 पिछड़ी जाति, 26 अनुसूचित जाति की महिलाओं में संचेतना है। एकाकी परिवार में रहने वाली ग्रामीण समुदाय से सम्बन्धित 10 उच्च जाति, 8 पिछड़ी जाति, 7 अनुसूचित जाति की महिलायें सचेत हैं। नगरीय समुदाय

की उच्च वर्ग से सम्बन्धित 43, पिछड़ी जाति की 33, अनुसूचित जाति की 37 महिलाओं में संचेतना है। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय में विभिन्न जातीय स्तरों में संयुक्त परिवार की महिलाओं की तुलना में एकाकी परिवार की महिलाओं में संचेतना कम है तथा संयुक्त परिवार की महिलाओं में संचेतना अधिक है। इसके विपरीत नगरीय समुदाय में संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार की महिलाओं में संचेतना अधिक है। साथ ही, उच्च जातीय स्तर की महिलाओं में निम्न जाति स्तर की महिलांओं की तुलना में संचेतना अधिक है।

शिक्षा एवं परिवार के प्रकार तथा संचेतना के मध्य नकारात्मक सह–सम्बन्ध देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार में ही निरक्षर महिलाओं की अपेक्षा शिक्षा का स्तर हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम होने पर 150 ग्रामीण एवं 19 नगरीय महिलायें सचेत हैं एवं स्नातक एवं इससे ऊपर होने पर 2 ग्रामीण एवं 16 नगरीय महिलाओं संचेतना पायी गयी अर्थात् परिवार के प्रकार से ज्यादा शिक्षा के स्तर का प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं के परिवार का प्रकार एवं पति की शिक्षा के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की संचेतना पर परिवार के प्रकार का आंशिक प्रभाव है परन्तु उसके पति की शिक्षा का प्रभाव सार्थक नहीं है क्योंकि मात्र पति की शिक्षा से ही पत्नी की जागरूकता का निर्धारण नहीं होता।

व्यवसायिक स्तर का प्रभाव पारिवारिक स्तर के साथ देखने पर यह स्पष्ट हुआ है कि यदि व्यवसाय का स्तर उच्च एवं परिवार एकाकी है, तो संयुक्त परिवार की अपेक्षा संचेतना अधिक होती है। महिलाओं में व्यवसाय का प्रभाव परिवार के प्रकार के प्रभाव को अवश्य कम कर देता है।

परिवार का प्रकार महिलाओं के पति के व्यवसाय के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि महिलाओं के परिवार के प्रकार के साथ–साथ महिलाओं के पति का

व्यवसाय भी महिलाओं की संचेतना को प्रभावित करता है।

इस प्रकार परिवार के प्रकार एवं मासिक आय का प्रभाव संचेतना पर देखने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि परिवार की मासिक आय इस सम्बन्ध में अधिक महत्वपूर्ण है।

महिलाओं की संचेतना पर जातीय स्तर एवं उनकी व उनके पति की शिक्षा का प्रभाव भी अधिक सार्थक प्रतीत होता है। जाति या उच्च स्तर एवं उच्च शिक्षा संचेतना को ज्यादा करने का सबसे प्रभावी कारक है। इसी तरह जातीय स्तर एवं आयं का महिला की संचेतना पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उच्च जातीय स्तर एवं आयु का स्तर उच्च होने पर संचेतना अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है।

महिलाओं के जातीय स्तर को परिवार के मासिक आय के साथ विश्लेषित करने पर स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की संचेतना पर जातीय स्तर का प्रभाव अत्यधिक है किन्तु उसके परिवार की आय का स्तर भी प्रभावित करता है, क्योंकि आय एवं उच्च जातीय स्तर दोनों मिलकर समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण करते हैं।

इसी प्रकार महिला की वर्तमान आयु उनकी तथा उनके पति की शिक्षा के आधार पर विश्लेषण करने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि आयु एवं शिक्षा दोनों ही संचेतना के स्तर को अत्यधिक प्रभावित करती है।

वर्तमान आयु एवं परिवार की मासिक आय का प्रभाव संचेतना पर देखने के पश्चात यह देखने को मिलता है कि आय की अपेक्षा आयु संचेतना के स्तर को अधिक प्रभाव करती है।

पाँचवे अध्याय के अनतर्गत महिलाओं के सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन किया गया।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को अनेक संवैधानिक अधिकार मिले हुये हैं। जिसका मूल्यांकन 3 स्तरों पर किया गया—सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक।

इन विधानों का विवरण महिलाओं को प्राप्त सामाजिक, अधिकारों के आधार पर किया गया क्योंकि सामाजिक अधिकार संविधान की पृष्ठभूमि है।

सामाजिक विधानों से सम्बन्धित 4 प्रमुख मामले हैं—विवाह, गोद लेना, संरक्षकता, एवं गर्भपात। विवाह से सम्बन्धित बाल विवाह निग्रह अधिनियम 1929, हिन्दू विवाह निर्योगिता अधिनियम 1946, हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम 1949, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, दहेज अधिनियम 1961, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 साथ ही सहजीवन से सम्बन्धित इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी विवरण किया गया है। गोद लेने सम्बन्धी भरण पोषण अधिनियम 1956, गर्भपात से सम्बन्धित 1971 का गर्भपात अधिनियम।

आर्थिक अधिकार से सम्बन्धित विषय है। सम्पत्ति का अधिकार, समान पारिश्रमिक, कार्य करने की दशायें, प्रसूति लाभ तथा कार्य सुरक्षा एक महिला के सम्पत्ति अधिकार का अर्थ है। उसका पत्नी, पुत्री, विधवा तथा माँ के रूप में सम्पत्ति का अधिकार, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 यह विधान महिला तथा पुरुष कर्मियों के पारिश्रमिक में भेद करने की अनुमति नहीं देता। कार्य अंवधि में कार्य दशाओं का नियन्त्रण फैक्ट्री अधिनियम। फिर कार्य, घण्टे, साप्ताहिक, विश्राम, सफाई के स्तर, प्रकाश व्यवस्था, तापमान, प्राथमिक उपचार की सुविधा, विश्रामगृह, प्राविधानों के अतिरिक्त इन विधानों में बच्चों के शिशु गृह स्थापित करने की तथा महिलाओं के लिये प्रथम प्रसाधन स्थापित करने का प्राविधान है। महिलाओं के लिये 1 दिन में अधिकतम 9 घण्टे तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच कोई भी कार्य न करने देने का भी प्राविधान इस कानून में है।

राजनैतिक अधिकार में महिलाओं के 2 प्रमुख अधिकार हैं– महिलाओं को मताधिकार और विधान मण्डल के लिये योग्यता। स्त्री मताधिकार 1935 में तथा चुनाव के माध्यम से विधान मण्डलों में प्रवेश 1935 का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

छठवें अध्याय में ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार के प्रति संचेतना का स्तर ज्ञात किया गया। सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार के सम्बन्ध में महिलाओं से 20 प्रश्न पूछे गये जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति से सम्बन्धित हैं।

सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि 30.3 प्रतिशत महिलायें विधानों के प्रति सचेत हैं तथा सर्वाधिक संचेतना राजनैतिक अधिकार के प्रति पायी गयी।

लड़के के विवाह की उम्र के सम्बन्ध में 55.3 प्रतिशत एवं लड़कियों की उम्र के सम्बन्ध में 58 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना है। विवाह में लड़की की सहमति के पक्ष में 40.7 प्रतिशत महिलायें हैं। जीवनसाथी के चुनाव के पक्ष में 44 प्रतिशत महिलायें हैं। अन्य जाति में विवाह के पक्ष में 2.6 प्रतिशत महिलायें हैं। विवाह के परम्परागत रूप के पक्ष में 92 प्रतिशत महिलायें कोर्ट मैरिज तथा प्रेम विवाह के पक्ष में 8 प्रतिशत महिलायें हैं। दहेज लेने को 58 प्रतिशत महिलायें उचित मानती हैं। पर्दा प्रथा के पक्ष में 79.7 प्रतिशत, बाल विवाह के पक्ष 39.5 प्रतिशत, विधवा विवाह के पक्ष में 46 प्रतिशत महिलायें हैं।

बालिका शिक्षा के पक्ष में 68.3 प्रतिशत महिलायें तथा लड़की को विवाह के पूर्व आत्मनिर्भर बनाने में 35.3 प्रतिशत महिलायें हैं।

विवाह विच्छेद के बारे में 61.7 प्रतिशत एवं गुजारा भत्ता के सम्बन्ध 86.3 प्रतिशत महिलायें जागरूक हैं।

घर के कार्यों में 48 प्रतिशत महिलाओं से सहमति ली जाती है तथा 45 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं, जिनका विभिन्न प्रकार से शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण हो रहा है। उनमें से 27 प्रतिशत महिलायें ऐसी हैं, जो आपसी समझौते के पक्ष में हैं, जिनका स्तर सर्वाधिक है।

युवा वर्ग में बढ़ते हुये सह–सम्बन्ध के पक्ष में 16.7 प्रतिशत महिलायें हैं। 21.9 प्रतिशत महिलायें विवाहेत्तर सम्बन्ध को उचित मानती हैं, उनमें या उनके पति के किसी अन्य से सम्बन्ध हैं, इस बात को वे दबे शब्दों में स्वीकार करती हैं। अवैध सन्तान को सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा देने के पक्ष में 24.3 प्रतिशत महिलायें हैं।

सम्पत्ति अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में 19.3 प्रतिशत महिलायें जागरूक हैं। स्वयं की सम्पत्ति के उपयोग के सम्बन्ध में 47.7 प्रतिशत जागरूक हैं। महिला–पुरुष पारिश्रमिक भेद के सम्बन्ध में 31.3 प्रतिशत तथा काम के घण्टे के सम्बन्ध में 17 प्रतिशत महिलाओं में जागरूकता है।

मताधिकार का प्रयोग 89 प्रतिशत महिलायें करती हैं, जिनमें से 28.7 प्रतिशत पार्टी देखकर, 16 प्रतिशत उम्मीदवार, 14.7 प्रतिशत जाति, 5 प्रतिशत क्षेत्र एवं 24.6 प्रतिशत परिवार की इच्छा से एवं 11 प्रतिशत ऐसी भी महिलायें हैं, जो मत का प्रयोग नहीं करतीं। महिला आरक्षण को 83 प्रतिशत महिलायें उचित मानती हैं, साथ ही 49 प्रतिशत महिलायें राजनीति में भी जाना चाहती हैं।

सातवें अध्याय में नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकार के प्रति संचेतना का स्तर ज्ञात किया गया। जिसके सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकला कि 36.7 प्रतिशत अधिकारों के प्रति सचेत हैं। जिनमें कुल 55.3 प्रतिशत महिलायें विभिन्न विधानों के बारे में जागरूक हैं।

लड़के के विवाह की उम्र के सम्बन्ध में 65.7 प्रतिशत महिलायें सचेत

हैं। लड़की की विवाह के सम्बन्ध में 42.7 प्रतिशत महिलायें जागरूक हैं। विवाह के समय लड़की की सहमति के पक्ष में 71 प्रतिशत महिलायें हैं। जीवन साथी के चुनाव में महिलाओं की संचेतना 30 प्रतिशत है। जातीय एवं अन्तर्जातीय विवाह के सम्बन्ध में 25.3 प्रतिशत तथा विवाह के स्वरूप से सम्बन्धित 43.6 प्रतिशत ऐसी उत्तरदात्रियां हैं जो परम्परागत के अतिरिक्त अन्य विधि से विवाह करने के पक्ष में हैं। दहेज लेना अनुचित है, इसके प्रति 54.4 प्रतिशत में संचेतना है। पर्दा प्रथा के विपक्ष में 44.7, बाल विवाह के सम्बन्ध में 77.3 प्रतिशत तथा विधवा के सम्बन्ध में 27.7 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना है। बालिका शिक्षा के प्रति 84 प्रतिशत उत्तरदात्रियां सचेत हैं।

लड़की को विवाह से पूर्व आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में 75.7 प्रतिशत महिलायें सचेत हैं, विवाह विच्छेद के सम्बन्ध 78 प्रतिशत महिलायें जागरूक हैं। गुजारा भत्ता के सम्बन्ध में 81.7 प्रतिशत में संचेतना है। 70 प्रतिशत महिलाओं की घर के कार्यों में सहमति ली जाती है।

शोषण के प्रति 44.7 प्रतिशत महिलायें जागरूक हैं। शोषण से बचने के लिये 6.7 प्रतिशत बड़ो से मदद मांगती हैं। 12.7 प्रतिशत ने कहा कि प्रतिकार करेंगी, 21.4 प्रतिशत आपसी समझौते को उचित मानती हैं, 4 प्रतिशत महिलायें ही सिर्फ ऐसी हैं, जो पुलिस के पास जायेंगी। 0.8 प्रतिशत ऐसी भी महिलायें हैं, जो पहले प्रतिकार करना फिर पुलिस के पास जाना ही उचित मानती हैं।

युवा वर्ग में बढ़ते हुये सह–सम्बन्ध को 28.3 प्रतिशत महिलायें उचित मानती हैं। विवाहेत्तर सम्बन्ध 16.7 प्रतिशत महिलायें उचित मानती हैं, अवैध सन्तान को बराबरी के अधिकार देने के पक्ष में सिर्फ 12.7 प्रतिशत महिलायें ही हैं।

सम्पत्ति अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में 39.9 प्रतिशत महिलाओं में संचेतना है। स्वयं की सम्पत्ति अधिकार के सम्बन्ध में 72.7 प्रतिशत महिलाओं में

जागरूकता है। पारिश्रमिक भेद से 61.7 महिलायें सचेत हैं। काम के घण्टों से 48.7 प्रतिशत महिलायें सचेत हैं।

मताधिकार का प्रयोग 88.3 प्रतिशत महिलायें करती हैं। जिसमें 34.7 प्रतिशत पार्टी, 31.7 प्रतिशत उम्मीदवार, 10 प्रतिशत जाति, 3.3 प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर मत प्रयोग करती हैं। साथ ही 8.6 प्रतिशत अपने परिवार के अनुसार तथा 11.7 प्रतिशत ऐसी महिलायें हैं, जो इस अधिकार के प्रति सचेत नहीं हैं।

पंचायत में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में 41.3 प्रतिशत महिलायें जागरूक हैं तथा आरक्षण विधेयक पास होना चाहिये, के सम्बन्ध में 86.7 प्रतिशत उत्तरदात्रियां हैं तथा 40 प्रतिशत महिलायें राजनीति में जाना चाहती हैं।

उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना जागृत करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं–

1. ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में अज्ञानता, निरक्षरता एवं उनके प्रति कट्टरता को समाप्त कर उन्हें शिक्षित किया जाय।
2. महिलाओं के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षात्मक दृष्टिकोण समाप्त कर उन्हें विकास के उचित अवसर उपलब्ध कराये जायें, तभी वे अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सजग होंगी।
3. महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न रूढ़िगत परम्पराओं एवं प्रथाओं जैसे–पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध आदि का उन्मूलन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाय।
4. महिलाओं के प्रति न्याय के लिये आवश्यक है कि पुरुष मानसिकता की दोहरी नीति समाप्त कर महिलाओं को समाज का एक अभिन्न अंग मानते हुये समान भाव जागृत किये जायें।

5. वर्तमान में महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई शारीरिक हिंसा व शोषण के बढ़ते हुये प्रकोप के कारण उन्हें यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये।
6. महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक संचेतना हेतु महिला कल्याण सेवायें, ऐच्छिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन एवं संचार के माध्यमों द्वारा महिलाओं को कानूनी प्रशिक्षण व सलाह देने का प्रयास किया जाना चाहिये।
7. महिलाओं में शिक्षा तथा व्यसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आर्थिक कार्य करने योग्य बनाया जाय। जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें।
8. गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिला वर्ग की समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण ऋण सुविधायें, अधिकारों की वैधानिक सुरक्षा से सम्बन्धित योजनायें बनाने की आवश्यकता है।
9. स्वैच्छिक संस्थाओं एवं महिला संगठनों का दायित्व है कि वह प्रचार, कार्यक्रमों के माध्यमों से वर्तमान भारत में महिलाओं में बढ़ती हुई समस्याओं से अवगत कराते हुये उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाय।
10. वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखकर इस प्रकार के सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन अभी भी वांछित हैं। जिससे समय–समय पर वास्तविक स्थिति ज्ञात होती रहे।

महिलाओं को अपने और अपने परिवार की जीवन दशाओं को अच्छा बनाने के लिये सहायता तथा संसाधनों की आवश्यकता है। 'बलडिंग' के अनुसार महिलाओं के लिये दस संसाधनों का सुझाव दिया जा सकता है। तकनीकी सहायता जो श्रम बचाने वाले साधन प्रदान करें, जो महिलाओं के रोजाना के भारी कार्यों को हल्का करे, प्राथमिक सामुदायिक सुविधायें, लड़कियों को स्कूल जाने तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना, परा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये अवसर प्रदान करना, ऋण की सुविधायें, अधिकारों की वैधानिक सुरक्षा,

स्वैच्छिक संस्थायें तथा महिलाओं को विविध स्तरों पर स्थापित करने के कार्यक्रम।

अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिये एक भिन्न प्रकार की योजना एवं विधि की आवश्यकता है अपेक्षाकृत शहरी महिलाओं के साथ भी हमें सहमत होना पड़ेगा कि वैधानिक उपायों से उनकी स्थिति व उनकी दशा को ऊँचा नहीं किया जा सकता, केवल संयुक्त पद्धति से ही हमारे समाज में महिलाओं को न्याय मिल सकता है।

"ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं में सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन"

(उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद की ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओ का तुलनात्मक अध्ययन)

शोध निर्देशक
डा० सबीहा रहमानी
प्रवक्ता, समाजशास्त्र

शोध छात्रा
रचना गुप्ता
(एम0ए0, समाजशास्त्र)

1. उत्तरदात्री का नाम : माता **का** नाम :
2. परिवार के मुखिया का नाम, पिता/पति का नाम

   पता :
3. उत्तरदाता की आयु 18–35/35–50/50 से ऊपर
4. धर्म– हिन्दू/मुस्लिम/सिक्ख/ईसाई
5. जाति– सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य
6. शिक्षा–

	1	2	3	4
शिक्षा	निरक्षर	हाईस्कूल से कम	हाईस्कूल से अधिक स्नातक से कम	स्नातक एवं उससे ऊपर
स्वयं की				
पिता की				
पति की				
माँ की				

7. वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित/परित्यागता/विधवा
8. परिवार का स्वरूप क्या है– संयुक्त/एकाकी
9. आपके बच्चों की कुल संख्या (1) पुत्र (2) पुत्री

10. व्यवसाय–

	1	2	3	4
व्यवसाय			नौकरी	श्रमिक
	निजी व्यवसाय उच्च स्तर/निम्न स्तर	कृषि उच्च स्तर/निम्न स्तर	अधिकारी/कर्मचारी	दक्ष/अदक्ष
स्वयं का –				
पिता का –				
पति का –				
माँ का –				

11. आय –

(A) आपकी मासिक आय क्या है – 0/500- 1000/2000–5000/ 5000–10000/10000 से अधिक

(B) पति की आय/परिवार की मुखिया की आय 500–1000/2000–5000/5000–10000 /10000 से अधिक

(C) अन्य श्रोतों से आय 0/500–1000/2000–5000 /5000–10000/10000 से अधिक

12. मकान का स्वरूप – कच्चा/पक्का/मिश्रित

13. आपके परिवार में कौन–कौन सी भौतिक वस्तुएं हैं ? पंखा, टी0वी0, कूलर, फ्रिज, अलमारी, सोफा मेज, कुर्सी, टेलीफोन, बिजली, नल, गैस चूल्हा, स्टोप, स्कूटर, कम्प्यूटर, पलंग, मिक्सी।

14. क्या आप जानती हैं कि सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकार हेतु विभिन्न कानून बनाये गये हैं। हाँ/नहीं

(A) यदि हाँ तो किन क्षेत्रों में – सामाजिक/आर्थिक/धार्मिक/राजनैतिक/अन्य

15. विवाह के समय आपकी आयु क्या थी ? –

16. आपके अनुसार विवाह के समय लड़की की सहमति लेनी चाहिए। हाँ/नहीं

17. आपका विवाह किसकी मर्जी से हुआ था ? आपकी सहमति / परिवार की सहमति / दोनों की सहमति

18. आपके अनुसार विवाह किस आयु में होना चाहिये

आयु	लड़का	लड़की
15 से कम		
15 से 18		
18 से 25		
25 से अधिक		

19. लड़कियों को जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। हाँ / नहीं

20. आप अपने बच्चों का विवाह किसमें करना पसन्द करेंगी। अपनी जाति / अन्य जाति

21. आपके दृष्टिकोण से विवाह का कौन सा स्वरूप उचित है। परम्परागत / आधुनिक / कोर्टमैरिज / प्रेम विवाह

22. आपका विभिन्न प्रथाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण है?

प्रथायें	पक्ष	विपक्ष	तटस्थ
बाल विवाह			
विधवा विवाह			
पर्दा प्रथा			

23. आप अपने पुत्र एवं पुत्री को समान शिक्षा दिलाना चाहती हैं या चाहेंगी। हाँ / नहीं

24. आप अपनी पुत्री को विवाह से पूर्व आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। हाँ / नहीं

25. दहेज के प्रति आपका क्या विचार हैं ?

(1) दहेज लेना उचित है।

(2) दहेज लेना अनुचित है।

26. अपने विवाह में दहेज लेना पसन्द करेंगी या किया था। — हाँ / नहीं

27. क्या आपको अपने परिवार में सभी अधिकार प्राप्त हैं ? — हाँ / नहीं

28. क्या आप चाहती हैं कि आपको परिवार में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हों ? — हाँ / नहीं

29. आपके परिवार के पुरुष सदस्य घर के काम–काज में हाँथ बंटाते हैं ? — हाँ / नहीं

30. घर के कार्यों में आपकी सहमति ली जाती है। — हाँ / नहीं

31. क्या आपको लगता है कि परिवार में आपका शोषण हो रहा है ? — हाँ / नहीं

    (A) यदि हाँ तो किस प्रकार का ? — शारीरिक / मानसिक / आर्थिक / सभी

    (B) यह शोषण किसके द्वारा होता है ? — पति / सास–ससुर / नन्द–देवर / अन्य

32. इस शोषण से बचने के लिये क्या प्रयास करती हैं?
    1. परिवार के बड़े सदस्यों से मदद लेगी।
    2. प्रतिकार करेंगी।
    3. आपसी समझौता करेंगी।
    4. पुलिस के पास जायेंगी।

33. आपके अपने पति के साथ कैसे सम्बन्ध हैं ? — प्रेमपूर्ण / तनावपूर्ण / समझौतायुक्त

34. यदि आपका अपने पति से झगड़ा हो जाये तो क्या करेंगी ? — समझौता / अलगाव / विवाह विच्छेद

35. क्या आपको मालूम है कि अब महिलाओं को भी विवाह–विच्छेद का अधिकार प्राप्त है ? — हाँ / नहीं

36. यदि विवाह–विच्छेद होता है तो आप अपने पति से गुजारा भत्ता लेना चाहेंगी। — हाँ / नहीं

37. युवा वर्ग में बढ़ते हुए सह–सम्बन्ध उचित है। हाँ/नहीं

38. आपके या आपके पति के किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री के साथ यौन–सम्बन्ध हैं हाँ/नहीं

39. यदि आपके पति के किसी अन्य महिला से सम्बन्ध है तो – स्वीकार करेगी/पति से झगड़ा करेगी/तलाक लेगी/अलगाव

40. यदि उस महिला से आपके पति की कोई सन्तान है तो। स्वीकार करेगी/बराबरी का अधिकार देगी/अस्वीकार कर देगी।

41. आपको मालूम है कि इस समय अवैध सन्तान को पिता की सम्पत्ति का अधिकार है। हाँ/नहीं

42. आप के अनुसार क्या आज महिला अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में सफल हो रहीं है। हाँ/नहीं

43. आपको सम्पत्ति अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में ज्ञात है कि –
1. पिता के सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है।
2. पति की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा है।

44. आपको अपनी सम्पत्ति का पूर्ण प्रयोग करने का अधिकार है ? हाँ/नहीं

45. आप स्वयं की आय या पति से प्राप्त धन को व्यय करने की अधिकारिणी है। हाँ/नहीं

46. क्या आप जानती हैं कि महिला एवं पुरुष पारिश्रमिक में भेद करने पर मालिकों को विधान द्वारा दण्डित किया जा सकता है ? हाँ/नहीं

47. कानूनी रूप से एक महिला को कितने घण्टे कार्य करना चाहिए ? 5/9/13/दिन भर

48. आपने अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा लिया है। हाँ/नहीं

48	(A) नहीं तो क्यों ?	1. दिया नहीं जाता।
		2. भाई थे इसलिये मिला नहीं।
		3. दहेज के रूप में
		4. आवश्यकता नहीं थी।
49.	आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।	हाँ / नहीं
	(A) यदि हाँ तो इसके लिये क्या प्रयास करेगी ?	1. पति से धन मांगेगी।
		2. किसी अन्य से धन मांगेगी।
		3. सरकारी मदद लेंगी–बैंक, सरकारी, समितियाँ, ग्राम विकास अभिकरण
50.	आप बचत का कौन सा साधन अपनाती है ?	बचत खाता / जीवन बीमा / कुछ अन्य / कुछ नहीं
51.	क्या आप अपने मताधिकार का प्रयोग करती है ?	हाँ / नहीं
	(A) यदि हाँ तो क्यों ?	1. मताधिकार का उचित प्रयोग
		2. वोट डालने के बहाने टहलना हो जाता है।
52.	आप अपने मताधिकार का प्रयोग किस आधार पर करती हैं ?	पार्टी / उम्मीदवार / जातीय / क्षेत्रीय / जिसमें कह देते हैं
53.	क्या आप जानती हैं कि पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है।	11 / 22 / 33 / 44
54.	क्या राजनीति में महिला आरक्षण विधेयक पास होना चाहिए ?	हाँ / नहीं
55.	आप राजनीति में जाना पसन्द करेंगी ?	हाँ / नहीं
	(A) यदि हाँ तो किसकी मर्जी से ?	स्वयं की / पति अथवा पिता / अन्य
	(B) किस पद पर ?	जिला पंचायत सदस्य / नगरपालिका सदस्य / विधान सभा सदस्य / जिसमें कह देंगे / अन्य

सन्दर्भ ग्रन्थ एवं लेख सूची

अनन्ताचारी टी0 — "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मुद्दा" आज कानपुर 26 जनवरी, 1998।

अस्थाना पी0वी0 — "वूमेन्स मूवमेन्टस इन इण्डिया" दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस, 1974।

अल्तेकर ए0एस0 — "पोजीशन ऑफ वूमेन्स इन हिन्दू सिविलाइजेशन दि कल्चर" पब्लिकेशन हाउस, वी0एच0यू0, 1938।

अमर उजाला — (समाचार पत्र) पेज नं0 6, घर परिवार, कानपुर, शुक्रवार, 3 अगस्त 2002।

अगस्टिन, जे0एस0 — (संपा0) 1982 दि इण्डियन फैमिली इन ट्राजिशन, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

अहमद इम्तियाज (संपा0) — 1976, फैमिली, किनशिप एण्ड मैरिज अमंग मुस्लिम इन इण्डिया, मनोहर, नई दिल्ली।

आहूजा राम — 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

आहूजा राम — सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

व्होरा आशारानी — 'भारतीय नारी–दशा और दिशा' नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

अहमद इम्तियाज — (संपा0) 1983, मॉर्डनाइजेशन एण्ड सोशल चेन्ज अमंग मुस्लिम्स इन इण्डिया, मनोहर, नई दिल्ली (अध्याय 1 और 16)।

अग्रवाल, जी0के0 — 'समाजशास्त्र', साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

अग्रवाल, उमेशचन्द्र — 'वर्तमान सन्दर्भ में मानवाधिकारों की प्रासंगिकता' 'लेख' विकास को समर्पित मासिक, भोजन, फरवरी 2000।

आल इण्डिया रिपोर्ट — (A.I.R.) 2002 जून।

ओक, ए0डब्लू0 — 1988, स्टेटस ऑफ वूमेन इन एजूकेशन द इण्डियन पब्लिकेशन्स, अम्बाला कैण्ट।

असधार अली — (संपा0) 1987, स्टेटस ऑफ वूमेन इस्लाम, अजन्ता पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

इन्द्रा, एम0ए0 — "द स्टेटस ऑफ वूमेन इन इण्डिया", लाहौर मिनर्वा बुक शाम 1940।

इग्नू की पुस्तिकायें — ई0एस0ओ0 2 (भारत में समाज) खण्ड 1+2

ई0एस0ओ0 4 (सामाजिक स्तरीकरण) खण्ड 5+1

ई0एस0ओ0 6 (भारत में सामाजिक समस्या) खण्ड 3,1,5,2 ।

इन्द्रा — 1955, द स्टेटस ऑफ वूमेन इन एन्शियन्ट इण्डिया, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस।

एन्टोनी, एम0जे0 — 1989, वूमेन्स राइटस, हिन्दू पाकेट बुक्स, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।

एन0पी0पी0 — 1988, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वूमेन्स डेवलपमेन्ट सेन्टर फॉर वूमेन डेवलपमेन्ट द्वारा तैयार (कई लेखकों के द्वारा) नई दिल्ली।

कापडिया, के0एस0 — मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, (द्वितीय एडीशन) बाम्बे आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी, प्रेस, 1958।

कपूर, पी0 — "दी चेजिंग स्टेटस ऑफ वर्किंग वूमेन इन इण्डिया'8, दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस, 1974।

कौर, एम0 — "रोल ऑफ वूमेन इन द फ्रीडम मूवमेन्ट", 1857, 1947, दिल्ली स्टर्लिंग पब्लिशिग हाउस, 1968।

किंग, ई0एम0 — "एजूकेटिंग गर्ल्स एण्ड वूमेन इनवेस्टिंग इन डेवलपमेन्ट द वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन, डी0सी0 1991।

कजिन्स, एम0ई0 — ''द अवेकनिंग ऑफ एशियन वूमेन हुड'' मद्रास गनेश एण्ड कम्पनी 1923।

कारलेकर, मालविका — 1983, एजुकेशन एण्ड इन–इक्वेलिटी इन एण्ड्रे बैटिले (संपा0) इक्वेलिटी एण्ड इन–इक्वेलिटी थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

कोलेदा पॉलीन — 1987 रीजनल डिफरेसेज इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इण्डिया रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

क्लास एम0 — 1966, मैरिज रूल्स इन बंगाल, अमेरिकन एंथ्रोपांलॉजिस्ट 68.95।

क्राफ्ट मेरी वॉल्स्टन — विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वूमेन (महिला अधिकारों की प्रमाणिकता–1793)।

कुमार विजय — लेख ''महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा'' कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, जुलाई 1997, पेज नं0 10।

केली — एस0एल0 एण्ड खन्ना, आर0एन0 1983 इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, इण्टर यूनिवर्सिटी प्रेस (प्रा0लि0), न्यू दिल्ली।

कपाडिया, के0एम0 — 1947, द हिन्दू किन्सिप, राइटस बाइ देसाई 1977।

कपूर प्रोमिला — 1970, मैरिज एण्ड द वर्किंग वूमेन इन इण्डिया, विकास पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

कौर इन्द्रजीत — 1983, स्टेटस ऑफ हिन्दू वूमेन इन इण्डिया, चुग पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।

किदवई, सिख एम0एच0 — 1978, वूमेन एण्ड डिफ्रेन्ट सोशल एण्ड रिलीजिएस लॉज लाइट एण्ड लाइफ पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली।

कुलिश करपूरचन्द्र — 1975, वूमेन इन राजस्थान, (संपा0) बाई डांडिया, सी0के0 राजस्थान यूनिवर्सिटी, प्रेस, जयपुर।

कुमार, मंजू — 1982, सोशल इक्वलिटी द कान्सिटीट्यूशन वर्ड गोयल ब्रदर्स, प्रकाशन, न्यू दिल्ली।

कुप्पू स्वामी, 1990, सोशल चेन्ज इन इण्डिया, कोनार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लि0 दिल्ली।

खान, एम0ए0 "स्टेटस ऑफ रूरल वूमेन इन इण्डिया" न्यू देहली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस ।

गोरे, एम0एस0 अरबनाइजेशन एण्ड फैमिली चेन्ज बॉम्बे पॉपुलर प्रकाशन 1968।

गैबरीले, डी0 1988 वूमेन्स मूवमेन्ट इन इण्डिया : कान्सैपचुअल एण्ड रिलीजियस रिफलैक्सन्स, बंगलौर।

गुप्ता, एम0एल0 एवं शर्मा डी0डी0 समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

गुल्ड, एच0ए0 1987, दि हिन्दू कास्ट सिस्टम, चाणक्य, पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

गिरिअप्पा, एस0 1988, रोल ऑफ वूमेन इन रूरल डेवलपमेन्ट, दया पब्लिकेशन्स हाउस, दिल्ली।

गुप्ता अमित कुमार (संपा0) 1986, वूमेन एण्ड सोसायटी, द डेवलपमेन्ट पर्सपेक्टिव, किटेरियन पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली।

गुप्ता ए0आर0 1982 वूमेन इन हिन्दू सोसायटी, ज्योत्स्ना प्रकाशन, न्यू दिल्ली।

गुप्ता, जे0एल0 (संपा0) 1988, चैलेंज ऑफ फेयर सेक्स इण्डियन वूमेन प्राब्लम्स, 'लाइटस एण्ड प्रोसेसस, गेन पब्लिशिग हाउस, दिल्ली।

धारपुर, पी0एम0 लाइफ एण्ड लेवर ऑफ फुल टाइप, डोगेस्टिक सर्वेन्ट इन पूना सिटी" पी0एच0डी0 थीसिस पूना यूनिवर्सिटी।

घोष, एस0के0 1984, वूमेन इन ए चेंजिंग सोसाइटी, आशीष, पब्लिशर, नई दिल्ली।।

घोष, एस0के0 1984, वूमेन इन चेन्जिंग सोसाइटी, आशीष पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली।

घूर्य, जी0एस0	1947, कल्चर एण्ड सोसाइटी, एज साइटस बाइ देसाई 1977, रिफ्रेंन्स एवव
चट्टोपाध्याय, के0डी0	''द एवाकिनिक ऑफ इण्डियन वूमेन ''मद्रास एवरीवंस, प्रेस 1939।
चानना, करुणा (संपा0)	1988 सोशलाइजेशन एजुकेशन एण्ड मैन ओरियंट लागमैन, नई दिल्ली।
चौहान बृजराज	1968, राजस्थान विलेज, वीर पब्लिकेशन्स हाउस, दिल्ली।
चौहान बृजराज	1988, भारत में ग्रामीण समाज ए0सी0 ब्रदर्स, इटावा।
चौहान बृजराज	1960, एन इण्डियन विलेज, सम क्वेशचन्स मैन, इन इण्डिया 40, 116–127।
चक्रवर्ती तपन	''महिला और कानून एक अध्ययन, पुलिस अनुसंधान एवं महिला विकास ब्यूरो, नई दिल्ली।
जयवर्धना के0	1986, फेमिनिज्म एण्ड नेशनेलिज्म इन द थर्ड वर्ल्ड, नई दिल्ली।
जैन डी0 एण्ड एन0 बनर्जी	(संपा0) 1985 टिरैनी ऑफ द हाउस होल्ड वूमेन इन पावर्टी, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
जैन डी0	''इण्डियन वूमेन'' (संपा0) नई दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन जी0ओ0 1975।
जैन डी0	''वूमेन्स वेस्ट फॉर पावर फाइव इण्डियन केस स्टडीज'' देहली निकास पब्लिशिंग हाउस 1980।
जेण्डर प्रोफाइल	उ0प्र0 1997 एम0 जोशी, एन0टी0सी0, को0 लखनऊ।
जैन ज्योति	भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
जोस ए0वी0	(सम्पा0) 1989 लिमिटेड ऑप्शन्स : वूमेन वर्क्स इन रूरल इण्डिया। एशिया रीजनल टीम फॉर एम्प्लायमेन्ट प्रमोशन, आई0एल0ओ0 नई दिल्ली।

जैन शशी	1988, स्टेटस एण्ड रोल परसेप्शन ऑफ मिडल क्लास वूमेन, पूजा पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली।
झा के0एन0	1985, वूमेन टुवार्डस मार्डनाइजेशन, जानकी प्रकाशन, पटना।
टिएटजेन के0	''एजूकेटिंग गर्ल्स स्ट्रेटजोज टु इनकोज एक्सेस परिसिस्टेंस एण्ड एचीवमेन्ट क्रिएटिव एसोसिएशन इन्टरनेशनल वाशिंगटन, डी0सी0, 1991।
देवी0 यू0 ललिता	1982 स्टेटस एण्ड इम्प्लॅायमेन्ट ऑफ वूमेन इन इण्डिया बी0आर0 पब्लिशिंग कारपोरेशन, न्यू दिल्ली।
डीम, रोजमेरी	1978, वूमेन्स एण्ड स्कूलिंग राउटलैज एण्ड केगरपाल, लन्दन।
डीसूजा, ए0	(संपा0) वूमेन इन कन्टेन्पोरेरी इण्डिया देलही मनोहर बुक सर्विस, 1975।
डाल्फ ड्रग	(संपा0) 1986, 'द न्यू वूमेन मूवमेन्ट' सेज पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली।
डाक टी0एम0	(संपा0) 1983, वूमेन एण्ड वर्क इन इण्डियन सोसाइटी : डिस्कवरी पब्लिकेशन्स हाउस दिल्ली।
डाडिंया सी0के0	(संपा0) 1975, वूमेन ऑफ राजस्थान, राजस्थान यूनिवर्सिटी, प्रेस, जयपुर।
देसाई ए0आर0	1986, भारत में शहरी परिवार और परिवार नियोजन दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रेस, दिल्ली।
देसाई एन0ए0	''वूमेन्स इन मॉर्डन इण्डिया'' बाम्बे बोहरा एण्ड कम्पनी'' 1957।
देसाई एन0ए0 एण्ड एन0 कृष्णराज	''वूमेन एण्ड सोसाइटी इन इण्डिया'' देलही अजंता बुक्स इन्टरनेशनल,1987।
देसाई नीरा एण्ड कृष्णा राज मैत्रेयी	1987 ''वूमेन्स एण्ड सोसायटी इन इण्डिया'' अजन्ता पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

देसाई एन.0ए0 एण्ड विभूति पटेल	"इण्डियन वूमेन चेंज एण्ड इन द इन्टरनेशनल डीकेड 1975,85 बाम्बे पापुलर प्रकाशन, 1987।
दैनिक जागरण	कानपुर, 1+2+3+4 संगिनी, शुक्रवार 29 नवम्बर 2002।
देसाई आई0पी0	1964 सम आस्पेक्ट्स आफ फैमिली इन महुआ, एशियन पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।
दुबे लीला	1969, मैट्रिलिनी एण्ड इस्लाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
दहिया ओ0पी0	ग्रामीण समाजशास्त्र मध्यप्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
दीक्षित चन्द्रिका प्रसाद	अभिशिप्त शिला, केसरी प्रेस, बाँदा।
नाग सुधा	"ग्रामीण हरिजन महिलाओं में राजनीतिक चेतना एम0फिल शोध प्रबन्ध काशी विद्यापीठ, वाराणसी 1989।
नारायन एस0	1988, रूरल डेवलपमेन्ट थॉट वूमेन प्रोग्राम्स इण्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
पं0 गिरजाशंकर मिश्र	'हिन्दू विधि' प्रेम प्रेस, कटरा, प्रयाग।
पाल, बी0के0	1987, प्रोबलम्स एण्ड कॉनसर्स ऑफ इण्डियन वूमेन ए0वी0सी0 पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली।
पन्निकार के0एम0	1966 हिन्दू सोसाइटी एट क्रास रोड, एशिया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
पाल मैडम चन्द्र	1986, डॉवरी एण्ड पोजीशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया' इण्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली।
प्रसाद ईश्वरी	1968, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इण्डिया, इण्डियन प्रेस पब्लिकेशन्स प्रा0लि0, इलाहाबाद।
पायसी एम0वी0	भारत का संवैधानिक इतिहास, कल्याणी पब्लिकेशन्स देहली–लुधियाना।

प्रसाद नर्मदेश्वर — "मानव व्यवहार तथा सामाजिक व्यवस्था" बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना उ0प्र0,1973।

प्राण चन्द्रशेखर — "विकास के मायने" यूनीसेफ के सहयोग से नहरू युवा केन्द्र

बादल सी — "वूमेनस इन एन्सियेंट इण्डिया " लन्दन केगन पाल 1925

ब्लमबर्ग आर0 एल0 और द्वारकी — 1980, इण्डियन एजूकेटेड वूमेन, हिन्दुस्तान पब्लिसिंग कारपोरेशन नई दिल्ली

बोस्टन, सार्न — 1980 वूमेन वर्क्स एण्ड ट्रेड यूनियन, डेविस प्वांइटर लिमिटेड, लंदन।

ब्रजभूषण, जमीला — 1980 मुस्लिम वूमेन इन पर्दा एण्ड आउट ऑफ इट, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

ब्रिलियन्ट, फरीदा — 1987 वूमेन इन पॉवर, लान्सर इन्टरनेशनल, नई दिल्ली।

चन्ना, करूणा — 1988 सोशलाईजेशन, एजुकेशन एण्ड वूमेन : एक्सप्लोरेशन इन जेन्डर आइडेन्टी, आरियन्ट लांगमैन लिमिटेड, हैदराबाद।

चटर्जी सोमा ए — 1988 द इण्डियन वूमेन्स सर्च फॉर एन आइडेन्टी, विकास पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड : नई दिल्ली।

भट्टाचार्य हरीदास — 1956 द कल्चर हेरीटेज ऑफ इण्डिया द राम कृष्ण मिशन इन्सटीट्यूट ऑफ कल्चर–कलकत्ता।

भारत का संविधान — 1988 विधि और न्याय, मंत्रालय–न्यू दिल्ली।

भारत झुनझुनवाला — लेख "अबला से दुर्गा बनने का मंत्र" दैनिक जागरण कानपुर, 10 जुलाई 2001।

भारत सरकार — 1988 नेशनल पर्सपैक्टिव प्लान फॉर वूमेन (1988–2000) महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली (पाठ V और VI)।

भारत सरकार	1965 गजेटियर ऑफ इण्डिया, वाल्यूम I प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसार मंत्रालय नई दिल्ली।
मजूमदार बी0	1983 रोल ऑफ रिसर्च इन वूमेन्स डेवलपमेन्ट ए केस स्टडी फार आई0सी0एस0आर0 प्रोग्राम आफ वूमेन्स स्टडीज, श्याम शक्ति वोल्यूम नं0 12
मर्टन राबर्ट	"सोशल थ्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर" द फ्री प्रेस ग्लेन्को प्रा0 1962।
मित्तल डी0एन0	"पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू लॉ" कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस 1913।
मदन टी0एन0	1962, दि हिन्दू ज्वाइंट फैमिली मैन 62 (1+5) 88
मैनचर जे0पी0 और	1967 किनशिप एण्ड मैरिज रेगुलेशन्स अमंग दि नम्बदरी ब्राह्मण ऑफ केरल।
मेडलबौर जी0	1972, सोसाइटी इन इण्डिया 'पापुलर प्रकाशन, बम्बई।
मैरियट एम0	(सम्पा0) 1967 विलेज इण्डिया यूनिवर्सिटी आफ शिकांगो प्रेस, शिकागो।
मिल जौन स्टुआर्ट	सबजेक्शन ऑफ वूमेन (महिलाओं की पराधीनता)1869।
मजूमदार वीना	(सम्पा0) 1979, सिम्बल्स ऑफ पावर, एलाइड पब्लिशर्स प्रा0लि0, बॉम्बे।
मेहता, रमा	1987, सोशियो लीगल स्टेटस ऑफ वूमेन इन इण्डिया, मित्तल पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
मिश्रा लक्ष्मी	1966, एजूकेशन ऑफ वूमेन इन इण्डिया, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लि0, बॉम्बे।

मिश्रा सरस्वती — 1993, लीगल जस्टिक टू वूमेन : सोशियोलोजिकल इवॉल्यूशन, सोशल वेलफेयर ।

मिश्रा उर्मिला — 1987, प्राचीन भारत में नारी मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ एकेडमी, भोपाल।

मितरा अशोक — 1979, इम्प्लीकेशन्स ऑफ डेवलपिंग सेक्स रेशियो इन इण्डियाज पॉपुलेशन, एलाइड पब्लिकेशन्स प्राइवेट लि0, न्यू दिल्ली।

मुखर्जी राधाकमल — 1959, द कल्चर एण्ड आर्ट आफ इण्डिया, जार्ज एलन एण्ड अनविन लि0 लन्दन।

यंग पी0वी0 — 'सांइटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च प्रेनलाइस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लि0 '', न्यू देहली, प्रा0 348, 1968।

यादव अनिल — 'कारखाने में औरत' लेख, अमर उजाला, 5 मार्च 2000, कानपुर।

रोज ए0डी0 — ''द हिन्दू फेमिली इन इट्स अरबन सेटिंग'' टोरन्टो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरन्टो प्रेस, 1961।

रिहानी एस0 — ''गर्ल्स एजूकेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड'' सितम्बर 1990 में टोगो में हुये अफ्रीकी शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख।

रास, एलिन डी0 — ''दि हिन्दू फैमिली इन इट्स अरबन सेटिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी'' प्रेस बाम्बे, 1961।

राष्ट्रीय सहारा — पेज नं0 8+9, आधी दुनिया, लखनऊ, शनिवार 23 मार्च 2002।

राष्ट्रीय सहारा — पेज नं0 9, आधी दुनिया, लखनऊ, शनिवार 6 अप्रैल 2002।

राष्ट्रीय सहारा — पेज नं0 9, आधी दुनिया, लखनऊ, शनिवार 13 अप्रैल 2002।

राष्ट्रीय सहारा — पेज नं0 1+2+3+4 हस्तक्षेप, लखनऊ, शनिवार 20 अप्रैल 2002।

राव एमएस0ए0 (संपा0) — 1974, अरबन सोशोलॉजी इन इण्डिया ओरिएन्ट लोगमैन, नई दिल्ली।

राव एन0जे0 ऊषा — 1985, वूमेन इन द डेवलपमेन्ट सोसाइटी, आशीष पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली।

रेड्डी रघुनाथ — 1986, चेजिंग स्टेटस आफ एजूकेशन वर्किंग वूमेन, बी0आर0 पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, दिल्ली।

सहाय एस0एन0 — 1985, वूमेन इन चेजिंग सोसायटी बिबलियोग्राफी स्टडी, मित्तल पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

विवेक शुक्ला — लेख दैनिक जागरण ''ढूंढते रह जाएगें दुल्हनें'' झाँसी 15 नवम्बर 2002।

सी0एस0डब्लू0आई0 — 1974, टू वर्डस इक्वेलिटी, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वूमेन इन इण्डिया शिक्षा तथा समाज।

सत्यप्रकाश गुप्ता एवं उमा गुप्ता — सांख्यिकी के सिद्धान्त, सुल्तानचन्द्र एण्ड सन्स, 23 दरियागंज।

सहगल ललित — ''लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें कारगर नीतियां और कार्यक्रम'' सम्पादक–संयुक्त राष्ट्रबाल कोष, 73 लोदी ए स्टेट, नई दिल्ली, पृ0 32, 1993।

सेन एन0बी0 — ''डेवलपमेन्ट ऑफ वूमेन्स'' एजूकेशन इन न्यू दिल्ली, न्यू बुक सोसायटी, 1986।

सेन गुप्ता पी0 — वूमेन : ''वर्कर ऑफ इण्डिया'' बाम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस 1960।

शर्मा के0 — ''वूमेन इन स्ट्रगल ए केश स्टडी ऑफ द चिपको मूवमेन्ट इन ''सैन्य शक्ति'' वाल्यूम प्रथम (2) पी0पी0 55–62–1994

सिन्हा के0 — ''रोल ऑफ इण्डियन वूमेन इन पॉलिटिक्स एण्ड ट्रेड'' इन जनता वाल्यूम, 29–43 दिसम्बर 8, 1974।

सुभाषिनी अली	लेख "मजबूरी की बेड़ियों में जकड़ी महिलाएं" दैनिक जा0 19 सितम्बर 2002।
सुभाषिनी अली	लेख "झूठी शान के बोझ से दबी बेटियाँ" दैनिक जा0 पेज नं0 6, कानपुर, 28 नवम्बर 2002।
सुभाषिनी अली	लेख "महामारी की तरह फैलता दहेज" दैनिक जा0 पेज नं0 6, 12 सितम्बर 2002।
सिंह इंदु प्रकाश	1988, वूमेन्स आप्रेशन, मेन, रेसपान्सिबल, दिल्ली रिनैसेंस पब्लिशिंग हाउस।
सिंह एन्ड्रिया एम0 तथा अनीता के0 बिटसेन (संपा0)	1987, इनविजिबल हैंडस, वूमेन इन होम बेसड् प्रोडक्शन सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
शर्मा क्षमा	सतीत्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य : राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
सवरा मीरा	1986, चेजिंग ट्रेंड इइन वूमेन्स इम्प्लायमेन्ट हिमालया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे।
स्केनजोनी, जोन एण्ड	1984, फैमिली डिसीजन मेकिंग : ऐ डेवलपमेन्ट सेक्स रोल माडल
जिनोवज मैक्सीमिलयन	वोल III सेज पब्लिकेशन लन्दन।
सेथी राजज मोहिनी	1976, मार्डनाइजेशन ऑफ वर्किंग वूमेन इन डेवलपिंग कन्ट्रीज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
शर्मा प्रेमलता	1988 रूरल वूमेन इन एजूकेशन ए स्टडी ऑफ अण्डर एचीवमेन्ट, स्टेर्लिंग पब्लिशर्स, प्रा0लि0, न्यू दिल्ली।
सिंह रामा	1988, शिक्षित महिलाएं एवं धर्म : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, बी0आर0 पब्लिशिंक कॉरपोरेशन, दिल्ली।

श्री निवास एम0एन0	1978 चेजिंग इण्डियन विलेजेज मीडिया प्रमोटर्स, बम्बई।
हैजर नॉएलीन	"सारी दुनिया में बर्बर हिंसा का शिकार है–स्त्रियाँ" स्वतंत्र भारत 22 फरवरी 1998।
हाटे, सी0ए0	"चेजिंग स्टेटस ऑफ वूमेन इन पोस्ट इण्डिपेन्डेन्स इण्डिया बाम्बे एलाइड पब्लिशर्स, 1969।
हिन्दुस्तान	फोकस, लखनऊ, 10 सितम्बर 2002।
बोहरा, रूपा एण्ड सेन, अरुन के0	1985, स्टेटस एजूकेशन एण्ड प्राब्लम्स ऑफ इण्डियन वूमेन आक्शत पब्लिकेशन्स, दिल्ली।